दशम माला, खण्ड 10, अंक 28

शुक्रवार, 3 अप्रैल, 1992
14 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 10 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

63
7/4/93

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 3 अप्रैल, 1992/14 चैत्र, 1914 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
14	12, 27	"प्रतावराव वी0भोसले" के स्थान पर "प्रतापराव बी0भोसले" पढ़िये।
37	5	"रामेश्वर [illegible]ाटीदार के स्थान पर "रामेश्वर पाटीदार" पढ़िये।
65	7	(ख) के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
129	22	"बंगलौ" के स्थान पर "बंगलौर" पढ़िये।
174	15	"श्रीमती "कृष्णणिन्द्र कौर (दीपा) के स्थान पर "श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) पढ़िये।

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 10, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 28, शुक्रवार, 3 अप्रैल, 1992/14 चैत्र, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 532 से 538	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—36
तारांकित प्रश्न संख्या : 539 से 551	24—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5861 से 5899, 5901 से 5913, 5915 से 5919, 5921 से 5929 और 5931 से 6096	35—36
संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बारे में	236 से 267 और 268 से 275
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
नागालैंड में राष्ट्रपति शासन	267—68
सभा पटल पर रखे गए पत्र	268 और 276 से 284
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	285
राज्य सभा से सन्देश	285—86
लोक लेखा समिति	286
चौदहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
समिति के लिए निर्वाचन	
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नए भाग 11क का अंतःस्थापन और बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) सम्बन्धी संयुक्त समिति	286—87

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित	287
नियम 377 के अधीन मामले	287—289
(एक) तमिलनाडु में चिदम्बरम तालुक और नेलीकुप्पम स्थित कारखानों के बहिःस्राव से उत्पन्न पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता	
श्री पी० पी० कालियापेरुमल	287
(दो) बिहार के पालीगुमारी रेल फाटक पर एक ऊपरी पुल का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता	
श्री राम प्रसाद सिंह	288
(तीन) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री मोरेश्वर सावे	289
(चार) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के सूखा पीड़ितों को राहत देने के लिए गुजरात राज्य सरकार को केन्द्रीय निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रेश पटेल	289
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93	290—304
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय	
श्रीमती गीता मुखर्जी	290
कुमारी ममता बनर्जी	293
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
आठवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	305
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों सम्बन्धी व्यापार (ट्रिप्स) आदि से सम्बन्धित प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प	305—336
श्री सन्तोष कुमार गंगवार	306
प्रो० सुशांत चक्रवर्ती	308
श्री ए० चार्ल्स	311
श्री नीतीश कुमार	314

विषय	पृष्ठ

श्री पीयूष तीरकी	317
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	320
श्री गोपीनाथ गजपति	321
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	322
श्री चित्त बसु	324
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	328
श्री हन्नान मोल्लाह	329
श्री पी० चिदम्बरम	331
श्री रूपचन्द पाल	333

लोक सभा

शुक्रवार, 3 अप्रैल, 1992/14 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपको प्रश्न काल को स्थगित करके नहीं कह रहा हूं लेकिन नागालैंड की कल जो घटना हुई है, आज हिन्दुस्तान के अखबारों में एक शब्द नहीं है लेकिन कल नागालैंड की सरकार को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन को लादने का काम किया है । मैंने आपको आज का सदन स्थगित करने का प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन दिया है । मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको प्रश्न काल के तत्काल बाद आप मुझे उठाने की अनुमति दें ।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा भी यही मत है । जब सभा सत्र में हो, यह घोषणा सभा में पहले की जानी चाहिए । हम इसे शून्य काल में उठायेंगे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

सरकारी व्यय

*532. श्री मृत्युंजय नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मन्त्रालयों को अपनी-अपनी व्यय-नियंत्रण प्रणाली की पुनरीक्षा करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी मन्त्रालयों ने ऐसा किया है तथा अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इन रिपोर्टों के आधार पर सरकारी व्यय में और कटौती करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) से (ख) भारत सरकार में व्यय को नियंत्रित करने के लिए एक सुस्थापित प्रणाली है। इसके तहत प्रत्येक मन्त्रालय के व्यय की सम्बन्धित वित्तीय सलाहकार द्वारा नियमित आधार पर नियंत्रण और पुनरीक्षा की जाती है। समग्र बजटीय स्थिति की पुनरीक्षा वित्त मन्त्रालय द्वारा रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों और लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रस्तुत मासिक लेखों के आधार पर की जाती है। वित्तीय सलाहकारों द्वारा व्यय की कड़ाई से मानीटरिंग के अलावा, सरकार ने व्यय को कम करने के लिए मितव्ययता की अनेक हिदायतें जारी की हैं। मंत्रालयों से अपनी सभी स्कीमों की पुनरीक्षा करने और उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए कहा गया है ताकि निम्न प्राथमिकता वाली स्कीमों को समाप्त किया जा सके। यह एक सतत प्रक्रिया होगी।

श्री मृत्युंजय नायक : महोदय, मैं सरकार को 1991-92 के बजट उपबन्धों में विभिन्न मदों पर इस प्रकार के व्यय में कटौती करने के लिए बधाई देता हूं। प्रमुख रूप से यह भी देखा गया है कि राज्य-सरकारों को सांविधिक अनुदान, राज्यों की योजनाओं के लिए कार्यक्रमों एवं ऋणों, ब्याज-भुगतान, पेंशन-भुगतान जैसी कुछ राज्य-मदों पर व्यय में कटौती का प्रस्ताव अथवा सुझाव नहीं दिया गया है।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्य-सरकारों द्वारा बजट तैयार करने से पूर्व क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य-सरकारों के बजट को सीमित और नियंत्रित रखना सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की थी ?

यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में कौन-कौन से कदम उठाए हैं ?

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, माननीय सदस्य ने राज्य-सरकारों के बजट के बारे में पूछा है। हमारी एक संघीय सरकार है। राज्य सरकारों के पास स्वायतता है। केन्द्रीय सरकार का तो केवल केन्द्र से सहायता प्राप्त अथवा जहां तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं से सम्बन्ध है। उनके खर्चे में कटौती के आवश्यक निर्देश राज्य-सरकारों को पहले ही दिए जा चुके हैं।

श्री मृत्युंजय नायक : कार्यवाही के फलस्वरूप, क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई पर्यवेक्षण-समितियां गठित करने अथवा किसी न्यायाधिकरणों के गठन हेतु कदम उठाए हैं, जोकि विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों द्वारा किए गए खर्चे के विवरण की समीक्षा कर सकें। क्या यह न्यायधिकरण अथवा समिति कानून और प्रक्रिया के कुछ उपबन्धों का अनुपालन करेंगी; यदि हां, तो क्या यह इस प्रक्रिया में संलिप्त लोगों के लिए बाध्यकारी होगा ?

इसके साथ-साथ मेरा अगला अनुपूरक प्रश्न है कि सरकार के इस उद्देश्य के दृढ़ता से अवलोकन के लिए, क्या सरकार कोई प्रोत्साहन अथवा पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखती है और इस उद्देश्य का

उल्लंघन अथवा व्यतिक्रमण अथवा विचलन के लिए कोई दण्डात्मक और प्रशासनिक कदम उठाने का विचार है ।

श्री शांताराम पोतदुखे : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि व्यय पर नियंत्रण रखना एक प्रचलित प्रक्रिया है। एक वित्तीय सलाहकार होता है, जो सभी मन्त्रालयों को व्यय के बारे में सलाह देता हैं। फिर, वित्त-सचिव के अधीन एक समिति है। मन्त्री मण्डलीय-सचिव भी विभिन्न फालतू व्ययों पर निगरानी रखता है। अतः, यह एक प्रचलित प्रक्रिया है ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : प्रत्येक सरकारी खर्च को किसी की आय कहा जाता है। अब, खर्चे में मितव्ययिता के निर्देश हैं। मैं प्रत्येक रुपए के व्यय से होने वाली औसत आय जानना चाहता हूं। इसके अलग-अलग अनुपात क्या हैं ।

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, आय अर्जन एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया है ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप द्वारा व्यय किया गया प्रत्येक रुपया ही कहीं न कहीं एक आय है। जब खर्चे में एक रुपए की कटौती की जाती है, तो होने वाली प्रभावित औसत आय क्या है? इसका औसतन अनुपात क्या है ? क्या इसका असामूहिक अलग-अलग प्राक्कलन है ? यहां पर उपस्थित वित्त मन्त्री ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मेरे विचार से ऐसा अनुपात निकालने का कोई अर्थपूर्ण तरीका नहीं है। यह सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि सरकारी खर्चे की किस मद में आप कटौती कर रहे हैं। मैं यह भी कहूंगा कि जब हम सरकारी-खर्चे में कटौती की बात करते हैं, तो हम निश्चित रूप से अनउत्पादकीय व्यय में कटौती के बारे में बात कर रहे होते हैं, ताकि और अधिक सरकारी संसाधनों का उत्पादकीय उद्देश्यों के लिए इससे इत्तर प्रयोग किया जा सके। अतः, इसमें कोई खतरा नहीं है कि जिस प्रकार की कटौती हमें करने के लिए कहा जा रहा है अथवा लागू की गई है, उससे रोजगार-पैदा करने पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। वास्तव में, महंगाई नियन्त्रित करने में उनपर इसका अच्छा असर पड़ेगा और सरकारी व्यय की उत्पादकता सुधरेगी ।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : मैं मन्त्री महोदय से संक्षेप में खर्चों में कमी के लिए मितव्ययितता की हिदायतों के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, माननीय सदस्य ने खर्चों में कटौती के बारे में हिदायतें जानना चाही हैं। यात्रा, सरकारी व्यय जैसे साजो-सामान, दूरभाष, स्टाफ कारों, नैमित्तिक मजदूर लगाने, सरकारी खर्च पर दोपहर एवं रात्रि भोजन, प्रचार, प्रकाशनों, उत्सवों, मेलों और प्रदर्शनियां, प्रशिक्षणों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, अनुरक्षण, पदों के सृजन और वेतनमानों में संशोधन, राज्य-सरकारों, सार्वजनिक उद्यमों, स्वायत-निकायों आदि को धनराशि देने, संस्थागत अनुदान, दुर्विनियोजनों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों की प्राथमिकता देने में, वैज्ञानिक विभागों, लोक उद्यमों एवं स्वायत-निकायों के खर्चों में कमी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में खर्चों में नियंत्रण और

कटौती के बारे में वित्त विभाग की एक नियमित पद्धति का वर्णन किया है। परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि बदले हुए वित्तीय आयाम में, जारी किए गए विशेष निर्देश क्या हैं ? हम जानना चाहते हैं कि सरकार द्वारा नियमित खर्चे में भी कटौती के लिए क्या विशेष ध्यान दिया जा रहा है ? उदाहरण के तौर पर मैं, एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या उन्होंने राज्य सरकारों को उनके मन्त्रालयों, जहां यह आवश्यक न हो, विस्तार न करने के निर्देश दिए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा संविधान के अन्तर्गत किया जा सकता है ? फिर भी, आप उत्तर देना चाहें, तो दे दें ।

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, सभी राज्य सरकारों को व्यर्थ व्यय में कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं ?

श्री अन्ना जोशी : क्या हम राज्य सरकारों को उनके मन्त्रालयों के विस्तार न करने के लिए अनुरोध नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : यह संविधान के अन्तर्गत सम्भव नहीं है । मैं आपके प्रश्न को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता । श्री नीतीश कुमार कृपया अब आप बोलें ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, फिजूल खर्चों को रोकने के लिए तथा सरकारी खर्च में मितव्ययिता बरतने के लिए सरकार ने विभिन्न मन्त्रालयों और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं । अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि क्या-क्या इंस्ट्रक्शन्स किस-किस क्षेत्र में खर्च में कटौती करने के लिए दिए गए हैं । इस संदर्भ में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के मन्त्रियों के खर्च में इन इंस्ट्रक्शन्स के बावजूद वृद्धि हुई है, यात्रा भत्ता, फर्निशिंग और दूसरे खर्चों में वृद्धि हुई है ? एक प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 5 करोड़ के बजाए 8 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है । तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन इंस्ट्रक्शन्स का मन्त्रियों के अपने दफ्तरों के खर्चे पर क्या कोई असर पड़ा है, यदि नहीं पड़ा है तो इसके लिए कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री शांताराम पोतदुखे : अध्यक्ष महोदय, हर दफ्तर में कार्यवाही की गई है और बहुत सारी कटौतियां की गई हैं । टेलीफोन, पेट्रोल तथा दूसरे खर्चों में कटौतियां की गई हैं ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से सरकार इस देश के लोगों को भी अनउत्पादकीय व्यय में कमी, जोकि अर्थव्यवस्था के हित में आवश्यक है, हेतु विश्वास में लेगी । समूची दिल्ली में बड़े-बड़े बोर्डों पर लिखा है कि ईंधन कीमती है, तेल बहुमूल्य है, उर्जा का संरक्षण किया जाए और ऐसी ही अनेक बातें लिखी हैं । मैंने यह प्रश्न पिछले वर्ष भी पूछा था और अब फिर मैं इसको दोहरा रहा हूं । जब हमारे पेट्रोलियम संसाधन इतने अधिक कम हैं, तो सरकार अभी भी तथाकथित कार रैलियों के आयोजन की प्रति वर्ष अनुमति क्यों देती है ?

एक बड़ी संख्या में कारों को जोकि शायद लोगों की निजी कारें होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान लम्बी दूरी की यात्रा की अनुमति दी जाती है, जिसमें भारी मात्रा में पेट्रोल खर्च होता है। मेरे विचार में सरकार इस सम्बन्ध कुछ अनुशासन की भावना लोगों में जागृत करनी होगी। जब ऐसी प्रदर्शनियां होती रहेंगी तो लोग सरकार की बात क्यों सुनेंगे? वे इसकी हंसी उड़ाते हैं। मुझे आशा है कि हवाई अड्डों पर हमारे मन्त्रियों द्वारा कुछ लोगों के स्वागत अथवा विदाई के लिए अनावश्यक रूप से आने के सम्बन्ध में भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में तथ्यों को नहीं जानता तथा यह चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मुझे वास्तविकता की जानकारी दी जाए।

मेरे विचार में संकट के इस समय में पुरानी कारों की दौड़ जैसे कार्यक्रम बन्द कर देने चाहिए। इसके कारण लोगों के कुछ एक ऐसे वर्गों में आपकी लोकप्रियता थोड़ी कम होगी जो कि पुरानी कारों में रुचि रखते हैं। परन्तु कुछ न कुछ अनुशासन अवश्य ही लाया जाना चाहिए। पिछले वर्ष मन्त्री महोदय ने यह जानकारी दी थी कि वह इस पर विचार करेंगे। परन्तु इस वर्ष भी पुरानी कारों की एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ, जिसमें सरकारी पक्ष के लोगों ने भी पारितोषिक वितरण इत्यादि समारोहों में भाग लिया। इस प्रकार वे इसे और उत्साह प्रदान कर रहे हैं।

श्री शांताराम पोतदुखे : इस सदन के एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव से मैं सहमत हूं। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह रैली एक खेल समारोह के रूप में आयोजित की जाती है तथा इसके साथ निजी संस्थाएं जुड़ी रहती हैं। माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा दी गई सहायता

+

*533. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** :
श्रीमती रीता वर्मा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए दी गई सहायता राशि का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) इससे लाभान्वित होने वाले बुनकरों की संख्या का वर्षवार और राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा वर्ष 1992-93 में दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता राशि का राज्यवार ब्योरा क्या है?

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम बुनकरों/राज्यों को सीधा वित्त सहायता नहीं देता है। तथापि निगम सूत की आपूर्ति, रंजक व रसायन, हथकरघा उत्पादों के विपणन में संवर्धन. कार्यशालाओं का आयोजन, शिल्प-प्रौद्योगिकी में प्रदर्शनी और बुनकरों के लिए प्रशिक्षण के लिए कार्य करता है। विभिन्न हथकरघा बुनकरों को हथकरघा उत्पादों की बिक्री में सहयोग देने के लिए निगम ने विपणन कॉम्पलेक्स भी स्थापित किए हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान इन कार्यकलापों से 7337.44 लाख रुपए की बिक्री हुई। चालू वर्ष में फरवरी 1992 तक निगम की कुल बिक्री 3489.84 लाख रुपए की हुई।

(ख) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के कार्यकलापों से पूरे देश के बुनकरों को लाभ पहुंचा है। तथापि इन कार्यकलापों से लाभान्वित बुनकरों की सही संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के कार्यकलाप राज्य सरकार की विशेष मांग/प्रस्तावों पर निर्भर करते हैं।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : अध्यक्ष महोदय, हैण्डलूम वीवर्स की जो अवस्था है वह बहुत ही खराब है। यह उद्योग अपने देश में सबसे पुराना था। आज उन वीवर्स की बहुत ही दयनीय स्थिति है। कुछ समय पहले भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी हैण्डलूम वीवर्स के लिए—सप्लाई आफ वन लाख बेल्स आफ यार्न। यह स्कीम नेशनल हैण्डलूम डिवेलेपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से शुरू की थी। उसको एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। क्या यह स्कीम चलती रहेगी या यह बन्द कर दी जाएगी?

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम 1991 में बन्द कर दी गई है। परन्तु जो आज की हालत है वीवर्स की उसको देखते हुए हम पुनर्विचार कर रहे हैं और जल्दी ही इसको मोडिफाई रूप में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हैण्डलूम कारपोरेशन का जो टर्नओवर 1991 में 73 करोड़ 37 लाख रुपए था, इस साल यह घटकर फरवरी तक 34 करोड़ 90 लाख हो गया है। इसका क्या कारण है, मन्त्री जी बताएं?

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, कारण वही है, जो स्कीम चल रही थी, जिसमें सब्सिडाइस यार्न स्कीम थी। उसको बन्द करने के बाद इसका टर्नओवर कम हो गया। जब स्कीम लागू करेंगे तो इसका टर्नओवर बढ़ जाएगा।

श्रीमती गीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि रुई के भाव बाजार में निरन्तर बढ़ रहे हैं, पिछले वर्ष ही रुई के भाव में 30-35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो इस साल भी बढ़ती जा रही है। क्या मन्त्री महोदय ने इसके कारणों पर विचार किया है? तथा क्या उन्होंने कोई नयी योजना तैयार की है जिससे रुई के भाव कम हो सकें? जैसे कि रुई का निर्यात बन्द

या कम करना, इस तरह की किसी योजना पर विचार किया है ? क्या रुई के उत्पादन को बढ़ाने की कोई नयी योजना तैयार की है जिससे बुनकरों को सस्ते दाम पर सूत उपलब्ध हो सके ? क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश में तो स्थिति बहुत ही गम्भीर है।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, रुई के मामले में जो माननीय सदस्य ने कहा है, एक तरफ हमने एक्सपोर्ट एलाउ नहीं किया, क्योंकि रुई के दाम बहुत बढ़ चुके थे। दूसरी तरफ कृषि मंत्रालय के माध्यम से इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए समय-समय पर तरह-तरह की योजनाओं के माध्यम से कोशिश करते हैं ताकि रुई का उत्पादन बढ़ सके।

[अनुवाद]

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या गोल्डन आसाम सिल्क, जिसे मुगा कहा जाता है, के बुनकरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव असम सरकार से प्राप्त हुआ है तथा क्या एन० एच० डी० सी० इस दुर्लभ सिल्क कोटी के रेशम को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान देगी जिसकी उत्पादन स्थिति काफी खराब है।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जो एन० एच० डी० सी० है इसका काम है स्टेट गवर्नमेंट की जो हैण्डलूम एजेंसी है उसके कार्य को सप्लीमेंट करना और एफर्टस को सप्लीमेंट करना। इसलिए इस प्रकार की कोई योजना आएगी तो उसको देखेंगे। समय-समय पर जो भी योजना आती है उसको देखते हैं कि कहां यार्न की कमी है, डाईंग एण्ड कैमिकल की कमी है। उसके आधार पर एन० एच० डी० सी० काम करती है।

श्री पीयूष तीरकी : अध्यक्ष महोदय, हैण्डलूम के जो वीवर्स हैं उनकी सबसे बड़ी कठिनाई है कि उनको कम दाम पर सूत नहीं मिलता है और यह सूत भी उनको मिडिल मैन के द्वारा मिलता है, जो अधिक मुनाफा लेकर उनको सूत देते हैं। क्या सरकार इन वीवर्स को अपने यहां से, जैसे एफ० सी० आई० के गोदाम से खाद मिलती है उसी तरह से जगह-जगह ऐसे केन्द्र बनाएंगे जिससे वीवर्स को सूत दिया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा क्वेश्चयन है, दूसरा पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इनको जवाब देने दें।

श्री पीयूष तीरकी : दूसरा भाग यह है कि इनके बाजार को ठीक करने के लिए, बहुत जगह पर यूनीफार्म होती है, जैसे होटलों में होती है, दूसरी जगह पर होती है, स्कूलों में होती है, क्या हैण्डलूम वालों को कपड़े, उनकी यूनीफार्म बनाने के लिए सरकार कुछ सोचेगी ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आपने बिगाड़ दिया क्वेश्चयन को।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जो मोडिफाई यार्न सबसिडी का मैं जिक्र कर रहा था उसके माध्यम से हमारी कोशिश है कि जगह-जगह पर डिपो खोलें और वहां पर सूत उपलब्ध हो सके।

इसके अलावा एन० टी० सी० को भी कहा है कि वह अपनी मिल्स के डिपो खोले और जरूरत पड़ने पर कोआपरेटिव बैंक्स के माध्यम से सूत सप्लाई करे, क्योंकि यूजर्स को भी इसकी कठिनाई है। माननीय सदस्य ने दूसरा सवाल उठाया है, मैंने पिछले सदन में भी कहा था जब तक हम हैंडलूम की आइटम्स की डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे तब तक यह हल होने वाली नहीं है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : माननीय मन्त्री राजस्थान के हैं और मेरा सवाल भी राजस्थान से सम्बन्धित है। ऐसा कोई अवसर मन्त्री जी नहीं चूकते कि जब वे कोटा जाते हों और भाभी जी के लिए कोटा साड़ी न लाते हों। कोटा साड़ी, कोटा डोरिया और कोटा मसूरिया का उन्हें बहुत शौक है…

अध्यक्ष महोदय : आपको नहीं, भाभी जी को।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरा प्रश्न है कि कोटा साड़ी उद्योग मृत प्राय हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कोटा साड़ी के लिए राष्ट्रीय हथकरघा निगम की जो योजना है उसमें इसको भी लेंगे? इसके साथ दूसरा प्रश्न है कि साड़ियों के लिए रेशम के धागों की व्यवस्था करेंगे क्या और यह जो नकली कोटा साड़ी आ रही है उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा निगम कोई अपना ट्रेड मार्क लगाकर वह साड़ी बाजार में भेजेगा और इसके लिए अपने शोरूम खोलेगा, ताकि आम उपभोक्ता नकली माल से बच सके?

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्य की भावना का और विचारों का हम ध्यान रखेंगे, अगर राज्य सरकार कोई प्रस्ताव भेजेगी तो उस पर ध्यान देंगे।

श्री दाऊ दयाल जोशी : राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ चुका है।

बन्दरगाहों को कंटेनरों की सप्लाई

[अनुवाद]

*534. श्री एस० बी० बी० एस० मूर्ति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बड़े बन्दरगाहों पर इस समय उपलब्ध कंटेनरों की, बन्दरगाह-वार, कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या और अधिक कंटेनरों की सप्लाई के लिए सरकार को बड़े बन्दरगाहों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो बन्दरगाह-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उनकी मांगें पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) कंटेनर सामान्यतः नौवहन कम्पनियों के होते हैं अथवा उनके द्वारा पट्टे पर लिए जाते हैं। 25-3-1992 की स्थिति के अनुसार विभिन्न महापत्तनों पर कंटेनरों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	पत्तन का नाम	कंटेनरों की कुल संख्या (टी०ई०यू० में)
1.	बम्बई	11458
2.	हल्दिया डाक काम्पलेक्स सहित कलकत्ता	1808
3.	विजाग	275
4.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन	5910
5.	कोचीन	1960
6.	कांडला	1189
7.	न्यू मंगलौर	131
8.	टूटीकोरिन	526
9.	पारादीप	शून्य
10.	मुरगांव	शून्य
11.	मद्रास	2003

(ख) सरकार को महापत्तनों से और अधिक कंटेनरों की आपूर्ति के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : सभी पत्तनों पर माल की ढुलाई को आसान बनाने के लिए वर्तमान में कन्टेनरों के प्रयोग की पद्धति अपनाई जा रही है। निर्यातक भी कन्टेनरों को वरीयता देते हैं, क्योंकि इनको अन्य स्थानों पर आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। परन्तु फिर भी मुम्बई पोर्ट के अतिरिक्त और कहीं भी कन्टेनरों का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए मुम्बई पोर्ट को अधिक प्राथमिकता दी जाती है तथा वर्तमान में यहां पर जगह की काफी तंगी है। विजाग जैसे पत्तनों पर समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यातकों को कन्टेनरों की कमी के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब भी वे बहुमूल्य माल निर्यात करना चाहते हैं, जिससे कि हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो कन्टेनर उपलब्ध नहीं होते हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें ऐसी परिस्थितियों की जानकारी है तथा विशाखापटनम में समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को सुलभ बनाने के लिए उपायों पर विचार किया जा रहा है।

श्री जगदीश टाईटलर : सबसे पहले मैं माननीय सदस्य के प्रश्न में शुद्धि करना चाहूंगा। कन्टेनर केवल मुम्बई में ही उपलब्ध नहीं है। देश के सभी पत्तनों में कन्टेनर सेवा उपलब्ध है।

एक माननीय सदस्य : दो पत्तनों को छोड़कर।

श्री जगदीश टाईटलर : हां, वहां पर हम बनवा रहे हैं। इसी समय इनकी कमी है। मई और जून के महीने में इनकी कमी थी क्योंकि आयात बहुत कम था। परन्तु हमने इस समस्या की ओर ध्यान दिया है तथा अब कोई कमी नहीं है।

श्री एम० बी० बी० एस० मूर्ति : विश्व के सभी पत्तनों में कन्टेनरों के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब ये आवश्यक हो गए हैं। मगर हम पत्तन सेवा का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो देश के सभी मुख्य पत्तनों में कन्टेनरों के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देना होगा।

इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी के विचार जानना चाहूंगा तथा यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वे इसके लिए कदम उठाएंगे कि सभी पत्तन अधिक से अधिक माल की ढुलाई करें तथा उन मुख्य पत्तनों पर होने वाले नुकसान को रोका जा सके जोकि माल की व्यवस्था के लिए वांछित सुविधाओं के अभाव के कारण वहन करना पड़ता है तथा अन्य देशों को और अधिक माल का निर्यात किया जा सके।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, कन्टेनर सुविधा को बढ़ावा देने के लिए हम सभी सम्भव उपाय कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है कि हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। बल्कि मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले आठ महीनों के दौरान अधिकतर पत्तनों ने लाभ कमाया है। इन पत्तनों के माध्यम से पिछले वर्ष की अपेक्षा इस दौरान अधिक माल की ढुलाई की गई।

श्री ए० चार्ल्स : महोदया, कोचीन एक मुख्य बन्दरगाह है। कोचीन बन्दरगाह के कार्यनिष्पादन तथा कार्यप्रणाली सम्बन्धित सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि कोचीन में कन्टेनर द्वारा व्यापार की काफी सम्भावनाएं हैं क्योंकि अधिकतर जिन वस्तुओं का निर्यात होता है वे केरल के आस-पास तथा अन्य पिछवाड़े-क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलें हैं। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि कोचीन बन्दरगाह में कन्टेनर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके जिससे कोचीन बन्दरगाह को लाभ प्राप्त होगा ?

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, हमने कोचीन में कोचीन टर्मिनल की एक नई योजना बनाई है जोकि विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध करवाये गए 53 करोड़ रुपए के ऋण से लगभग तैयार ही है। दूसरे हम निजी क्षेत्र को अनुमति प्रदान करके और योजनाएं आरम्भ की सम्भावनाओं का भी पता लगा रहे हैं ताकि इस सुविधा को प्रोत्साहित किया जा सके। मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस सम्बन्ध में बेलारपदम कोचीन तथा जे० एन० पी० टी० में दो कन्टेनर बर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव हम पहले ही भेज चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नाण्डीज : अध्यक्ष जी, बम्बई बन्दरगाह पर चर्चा अभी की है। क्या मन्त्री महोदय इस बात को जानते हैं कि नवांशवा बन्दरगाह में आपने कन्टेनराइजेशन का जो सिलसिला चलाया है, उसके चलते बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के लगभग 8 हजार कर्मचारी आज बेरोजगार हुए हैं जबकि नवांशवा बन्दरगाह पर जो कन्टेनराइजेशन का काम है, वह ठेकेदारों के जरिए हो रहा है और जिन्होंने 5 हजार कर्मचारियों को डाकयार्ड व बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों की तनख्वाह से आधे से कम तनख्वाह पर रखने का काम किया है और आपकी नई आर्थिक नीति के चलते उनका शोषण हो रहा है। क्या आपको इसकी जानकारी है ? दूसरी बात, क्या आप सारी बन्दरगाहों को यह आदेश देंगे कि जहां कन्टेनराइजेशन शुरू हो जाएगा, वहां पर डॉकयार्ड या बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के जो लेबर सरप्लस हो जाते हैं, उनको वहां रोजगार उसी या उससे ज्यादा तनख्वाह पर देने का काम करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं यह समझता हूं कि ऐसा संभव नहीं। यह बिलकुल निराधार है कि हम श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। बल्कि मैंने इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया है कि किसी भी श्रमिक को निकाला न जाए। हमने 'गोल्डन हैंडशेक' योजना बनाई है। बम्बई बन्दरगाह के लगभग 3000 श्रमिकों ने इसे स्वीकार कर लिया है। मुझे वित्त मन्त्रालय द्वारा इसकी अनुशंसा किए जाने की प्रतीक्षा है। हम इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देंगे परन्तु बन्दरगाह में काम करने वाले श्रमिकों की सहमति से। हम नहीं चाहते कि बन्दरगाह पर काम करने वाले श्रमिकों को कोई असुविधा हो।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : अध्यक्ष जी, बम्बई में इस वक्त 5 हजार कर्मचारी नवांशवा पोर्ट में ठेकेदारों के हाथों के नीचे भी काम कर रहे हैं, तो मेरे ठोस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। आपने तो अपने उद्देश्यों के बारे में बताया है। मेरा ठोस प्रश्न यह है कि वहां पर जो 5 हजार कर्मचारी ठेकेदारों के हाथ के नीचे कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं जबकि बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के लोगों को तथाकथित गोल्ड हैंड शेक के अन्तर्गत तीन महीनों से तनख्वाह—सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर महीने—नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए कुछ करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, बम्बई पोर्ट ट्रस्ट तथा नवोशेवा पोर्ट ट्रस्ट दो अलग-अलग संगठन हैं। मेरा यह कहना है कि अगर लोग सन्तुष्ट हैं तथा जे० एन० पी० टी० में कार्य ठीक ढंग से चल रहा है तो मैं उसमें हस्तक्षेप क्यों करूं।···(व्यवधान)। मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लोगों को कार्य-संतुष्टि मिल रही है। जहां तक उन 5000 श्रमिकों का प्रश्न है जिनका आपने हवाला दिया है, तो हम इस सम्बन्ध में योजना बना रहे हैं और इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य ही किया जाएगा।

रबड़ बोर्ड

*535. श्री रमेश चेन्नितला : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रबड़ बोर्ड की अनुसन्धान सम्बन्धी गतिविधियों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्य-योजना तैयार की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार का रबड़ बोर्ड के अनुसंधान क्रियाकलापों में तेजी लाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावों में ये शामिल हैं—मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा नए केन्द्रों की स्थापना करना, जनन द्रव्य-सामग्री के मूल्यांकन को सुदृढ़ करना, बायो-तकनालाजी तथा खेती करने सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य को सुदृढ़ करना, सहायक सेवाओं तथा आर्थिक अनुसन्धान को सुदृढ़ करना, आदि। इनमें ये भी शामिल हैं— टिश्यू कल्चर पौधों की पैदावार का वाणिज्यीकरण, अधिक पैदावार देने की सम्भावना वाले 15 क्लोनों का फार्मगत परीक्षण, चयन, संरक्षण, सूचीकरण को सुदृढ़ बनाना और ब्राजील के जनन-द्रव्य का मुल्यांकन करना, आदि।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मलेशियन रबड़ रिसर्च बोर्ड, जो कि एक स्वायत्त निकाय है, में 700 वैज्ञानिक कार्य करते हैं जो कि 'परॉनज' की नई किस्में निकाल रहे हैं जिससे प्रति हैक्टेयर अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इण्डियन रबड़ रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कोट्टयम में कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। तथा इस संस्थान ने कौन-कौन सी नई खोजें की हैं ?

श्री सलमान खुर्शीद : महोदय, एक विशेष क्लोन जिसका नम्बर आई० आर० आई० आई० 105 है, को सातवें दशक के अन्त में प्रयोग में लाना शुरू किया गया था इसका 90 प्रतिशत अब नए वृक्षारोपण में उपयोग होता है। काफी उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा इससे औसत 1.5 से 2 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होता है जो कि अधिकतम उत्पादन देने वाले 'क्लोनों' से कम से कम 250 से 400 कि० ग्राम अधिक है, जिनका निर्यात किया जाता है। रिसर्च इन्स्टीट्यूट के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों की संख्या इस प्रकार है : प्रशासनिक विभाग—273; वित्त तथा रबड़ उत्पादन विभाग 1137; अनुसन्धान विभाग जो कि वैज्ञानिक, तकनीकी और वैज्ञानिक विभाग है—382; प्रशिक्षण विभाग (वैज्ञानिक तथा गैर वैज्ञानिक)—7; प्रसंस्करण तथा उत्पाद विकास विभाग—68। इस प्रकार उनकी कुल संख्या 1963 है।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, इण्डियन रबड़ रिसर्च इन्स्टीच्यूट में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तथा वैज्ञानिकों को कोई प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संस्थान के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्या क्रॉप रिसर्च इन्स्टीच्यूट, लन्दन तथा रबड़ रिसर्च इन्स्टीच्यूट, कोट्टायम का आपस में कोई सम्बन्ध है।

श्री सलमान खुर्शीद : महोदय, हमें इस बात की जानकारी है कि इण्डियन रबड़ रिसर्च इन्स्टीच्यूट में वैज्ञानिकों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तें पर्याप्त नहीं हैं तथा जिस प्रकार के कार्य की हम उनसे आशा रखते हैं, वास्तव में वे उसके अनुरूप नहीं हैं।

वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ पहले से ही कदम उठाए गए हैं। एक समिति गठित की गई है जिसने नए वेतनमानों का प्रस्ताव किया है। इसने नए वेतनमानों सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त मन्त्रालय और कार्मिक विभाग को पहले से ही भेज दिए हैं और मैं वित्त मन्त्रालय से वित्त मन्त्री जी भी यहां विद्यमान हैं, यह कहूंगा कि इन नए वेतनमानों को लागू करने के बारे में यथाशीघ्र अनुमति प्रदान की जाए। नए वेतनमानों के अलावा, जहाँ उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि हो सकेगी, हम कई अन्य स्कीमों को भी लागू करने जा रहे हैं जिनसे कि इस संस्थान में कार्य करने वाले लोगों के बीच अधिक समन्वय स्थापित हो सकेगा। इस संस्थान का किसी अन्य संस्थान से कोई विधिवत सम्बन्ध नहीं है, लेकिन जैसाकि सभी अनुसन्धान संस्थाओं के उसी क्षेत्र में कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं के साथ सम्बन्ध होते हैं, इसी तरह इस संस्थान के भी इसी क्षेत्र में कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं के साथ सम्बन्ध रहेंगे।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, अच्छे अनुसन्धान कार्यों एवं देश के किसानों और श्रमिकों द्वारा की गई कड़ी मेहनत की बदौलत रबड़ उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। और इस समय हम रबड़ का निर्यात भी कर सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम अनुसंधान कार्यों का इस तरह से प्रयोग नहीं कर सकते जिससे कि रबड़ के उत्पाद अधिक मात्रा में तैयार किए जा सकें और रबड़ का घरेलू इस्तेमाल के पदार्थों में अधिक प्रयोग हो सके। रबड़ की सड़कें बन सकें और अन्य ऐसे कार्यों में रबड़ का इस्तेमाल किया जा सके जिसके लिए उच्च अनुसंधान तथा कार्यान्वयन की आवश्यकता हो।

श्री सलमान खुर्शीद : महोदय, ये प्रस्ताव रबड़ के इस्तेमाल के बारे में ही हैं। रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जाने वाला प्रमुख कार्य उत्पादन के बारे मे और रबड़ की कृषि सम्बन्धी बातों के बारे में है। रबड़ का इस्तेमाल भी मूलतः एक अनुसन्धान कार्य है जोकि इससे सम्बन्धित विशिष्ट उद्योग द्वारा किया जाता है। इस समय हम अपने रबड़ उत्पादन का लगभग 47 प्रतिशत आटो टायर और ट्यूबों में 12 प्रतिशत साईकिल टायरों में, 11 प्रतिशत आदान सामग्री में इस्तेमाल कर रहे हैं और शेष भाग का रबड़ के पाईप, लेटक्स फोम व अन्य रबड़ उत्पादों में प्रयोग किया जा रहा है।

जहाँ तक भावी परिप्रेक्ष्य में रबड़ के और अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल करने के सुझाव का सम्बन्ध है, इस सुझाव का स्वागत है। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि उद्योग और सरकार को साथ मिलकर कार्य करना होगा।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या यह बात सही है कि रबड़ की खेती करने वाले किसानों में, जो छोटे किसान है, उनका धन्धा बन्द होता जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह रिसर्च के बारे में है।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : उससे तरक्की नहीं हो रही है···और इस सिलसिले में सरकार की ओर से···

अध्यक्ष महोदय : यह रबड़ रिसर्च के सम्बन्ध में है, खेती से सम्बन्धित नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : महोदय मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार रबड़ बोर्ड द्वारा रबड़ उत्पादकों को अच्छी किस्म के पौद उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कदम उठायेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कृषकों को उत्तम प्रशिक्षण प्रदान करने का सरकार का कोई इरादा है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह प्रश्न रबड़ अनुसन्धान के सम्बन्ध में है, खेती से—सम्बन्धित नहीं है। इस प्रश्न को अनुमति नहीं दी जाती।

जर्मन शिष्टमंडल का दौरा

*536. श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्चाधिकार प्राप्त जर्मन शिष्टमण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच पूंजी निवेश तथा व्यापार की सम्भावनाओं के बारे में कोई विचार-विमर्श हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) (क) जी, हां।

(ख) से (घ) फरवरी, 1992 के दौरान जर्मनी से दो शिष्टमण्डलों ने भारत का दौरा किया था। विभिन्न भारतीय उद्योग संघों तथा अन्य सम्बन्धितों के साथ विचार-विमर्श के दौरान संयुक्त सहयोग तथा तृतीय देशों को निर्यात के लिए उत्पादन आधार बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया। इसके अतिरिक्त, भविष्य में विद्युत, परिवहन, दूर-संचार, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, सड़क निर्माण, पत्तन विकास, यांत्रिकी इन्जीनियरी तथा रसायन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की गुंजाइश पर भी विचार-विमर्श किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी० भोंसले : अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका मन्त्री महोदय द्वारा

सही उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस चर्चा के दौरान क्या नतीजे निकले क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने उसके बारे मे कुछ कहा नहीं है। मैं स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूं कि तृतीय देशों को निर्यात के लिए उत्पादन आधार बनाने की सम्भावनाओं पर जो चर्चा हुई, वे कौन से देश हैं और कौन-कौन से उद्योगों के बारे में चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया। यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया तो दोबारा इसी विषय पर चर्चा होने की सम्भावना है या नहीं। मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि विभिन्न भारतीय उद्योग संघों के साथ चर्चा हुई है, मैं जानना चाहता हूं कि उस चर्चा में क्या कोई उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी भी था या नहीं।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे इस बात का डर है कि इसमें कुछ गलतफहमी हुई है। भारत में जो शिष्टमण्डल आए थे, वे हमारे व्यापार संघों के अनुरोध पर आए थे। भारत सरकार ने उन शिष्टमण्डलों को आमन्त्रित नहीं किया था। भारत में ये शिष्टमण्डल इण्डो-जर्मन चैम्बर आफ कामर्स तथा अन्य व्यापार संघों के तत्वावधान में आए थे। इसलिए जो भी बातचीत हुई हैं, वे हमारे देश के व्यापारियों तथा जर्मनी के व्यापारियों के बीच हुई है। हमें तो बातचीत के सामान्य स्वरूप का ही पता चला है। जब तक कि कोई भी व्यापारी-सरकार को किसी अनुमोदन अथवा लाइसेंस या फिर अन्य किसी अनमति के लिए आवेदन नहीं करता तब तक सरकार को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होती है कि जर्मनी के किसी व्यापारी अथवा किसी व्यापारिक घराने की भारत के किसी व्यापारिक घराने के साथ कौन से विशेष प्रस्तावों पर चर्चा हुई है।

भारत के व्यापारिक घरानों और चैम्बर आफ कामर्स की जर्मन शिष्टमण्डलों से जो चर्चा हुई है, उसके बारे में हमें इनसे जो सूचना मिली है, उसका सार मैंने आपको बताया है।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी० भोसले : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इसी उत्तर के आधार पर पूछा था कि वे कौन से तृतीय देश हैं जिनके साथ विचार-विमर्श के दौरान संयुक्त सहयोग तथा तृतीय देशों को निर्यात करने के लिए उत्पादन आधार बनाने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया। मैंने उन देशों के नाम पूछे हैं। दूसरी बात यह है कि जब दोनों संगठन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या उनके बीच चर्चा की कोई सम्भावना है या नहीं। मैंने यह भी जानना चाहता था कि सरकार का इसमें किस तरह का सहयोग या सहभागिता रहेगी, उसका उत्तर भी मुझे नहीं मिला।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह तृतीय देशों के निर्यात के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, चर्चा यह हुई थी कि भारत और जर्मनी संयुक्त रूप से भारत में उत्पादन ईकाइयां स्थापित कर सकते हैं जिससे कि केवल इन दोनों देशों में ही आवश्यक नहीं अपितु तृतीय देशों को निर्यात किया जा सकता है। अब यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा उद्योग लगता है, कौन सी औद्योगिक इकाई स्थापित की जाती है और वह कौन सी चीजों का उत्पादन

करती है और किस चीज का निर्यात होता है। इस समय हम निर्यान की स्थिति में नहीं हैं। हम उन सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं जहां जर्मनी के व्यापारिक घराने और भारत के व्यापारिक घराने संयुक्त उद्यम स्थापित कर सकेंगे जिससे कि केवल जर्मनी की और भारत की ही आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं बल्कि तृतीय देशों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकेंगी।

इन दोनों सहभागियों द्वारा अथवा सहयोगी व्यापारिक घरानों द्वारा इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। जब तक कि सरकार के पास लाईसेन्सों की अनुमति सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नहीं आता तो सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी० भोंसले : अध्यक्ष जी, मैंने इसीलिए पूछा था कि क्या दोनों के बीच दोबारा चर्चा होने की सम्भावना है या नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के दो भाग हैं। क्या चर्चा के समय कोई सरकारी अधिकारी उपस्थित था। क्या उनके बीच और भी चर्चा होने की कोई सम्भावना है?

श्री पी० चिदम्बरम : हम दौरों को यथासम्भव प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अब माननीय प्रधानमन्त्री जी जर्मनी गए थे; एक व्यापारिक शिष्ट-मंडल भी जर्मनी गया था। वहां से भी दो शिष्ट-मण्डल भारत में आए हैं। हम यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक शिष्टमण्डल हमारे यहां आएं और उनसे अनेकों बार बातचीत होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है, स्वागत की बात है कि हमारे देश के उद्योगपति जर्मनी के उद्योगपतियों से बातें कर रहे हैं और बहुत से मामलों को मन्त्री जी ने गिनाया है कि जिनके बारे में कि वार्ताएं हुई हैं, मगर यह सरकार की अज्ञानता है कि क्या वार्ता हुई, हमारे अधिकारी नहीं थे उस वार्ता में, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर जानकारी नहीं है यह हैरत की बात है। इसलिए मेरा आग्रह यह है कि मन्त्री जी बताएं किन-किन विषयों पर बात हुई, खासकर आधुनिक तकनीक की, चाहे विद्युत संयंत्र का उत्पादन हो, संचार-तन्त्र का उत्पादन हो, उनमें क्या आधुनिकतम संयंत्रों के जरिए से उत्पादन करने या उद्योग खड़ा करने की बात हुई हैं या जो हमारे यहां हैं, उसके मुकाबले में लाकर हमारे उद्योगों को, चाहे वे राजकीय क्षेत्र में हों या निजी क्षेत्र में हों, उन पर खतरा पैदा करने के लिए बात हो रही है? इस पर सरकार खासकर मानिटर करके या नियन्त्रण करके, कुछ प्रयास इस दिशा में कर रही है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चौबे जी गए छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर आ गए। जो हमारा उद्योग तन्त्र आज खड़ा है, वह रहेगा या उसको भी खत्म किए जाने का कार्य हो रहा है। इसलिए मन्त्री जी स्पष्ट करें कि किस-किस क्षेत्र में यह वार्ता हुई है क्योंकि यह हमारे उद्योगपतियों के हित में भी है और देश के हित में भी है कि किस-किस क्षेत्र में उनसे बात कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है कि उनमें प्रिंसीपली एग्रीमेंट हो गया है। डिटेल्स वर्क-आउट होने के हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मैं नीति की ही बातें पूछ रहा हूं। हमारे यहाँ जो है उसको मंगाएंगे या जो नहीं है, जो आधुनिकतम तकनीक है, उसको मंगाएंगे, यह बताइए?

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि माननीय सदस्य को याद होगा कि नई औद्योगिक नीति गत वर्ष 24 जुलाई को घोषित की गई थी और जर्मनी अथवा किसी अन्य देश के व्यापारियों की भारत के व्यापारियों के साथ इस तरह की चर्चाएं हुई हैं जोकि भारत तथा उन देशों के चैम्बर आफ कामर्स जैसे कि एफ० आई० सी० सी० आई०, ए० एस० एस० ओ० सी० एच० ए० एम०, सी० आई० और ऐसे ही अन्य संगठनों के तत्वावधान में हुई हैं। सरकारी अधिकारी इन चर्चाओं में उपस्थित नहीं थे। इन चर्चाओं के दौरान संभवत: कोई समझौते हुए होंगे, समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए होंगे और व्यापार शुरू हुआ होगा। हो सकता है कि चैम्बर आफ कामर्स ने किसी अधिवेशन में किसी सरकारी अधिकारी को नई औद्योगिक नीति पर जानकारी देने हेतु आमंत्रित किया हो। यों तो सरकार की नीति के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए उन्होंने मुझे भी कई बार आमंत्रित किया है। लेकिन व्यक्तिक समझौते सरकारी तंत्र के क्षेत्राधिकार से बाहर की बातें हैं। हम इन बातों में नहीं जाना चाहते। केवल व्यापारिक घराने ही एक-दूसरे की स्थिति जाना करते हैं। यदि ये उद्योग लाइसेंस के क्षेत्र में आते हैं, तो लाइसेंस हेतु वे हमें आवेदन करेंगे और तब हम देख लेंगे कि अनुमति देनी चाहिए अथवा नहीं। यदि ये लाइसेंस के क्षेत्र से मुक्त हैं, तो वे अपने उद्योग शुरू कर सकेंगे। अब बहुत सी औद्योगिक इकाईयों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। आज केवल 18 उद्योगों को छोड़कर, अन्य उद्योगों के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है।

यदि वे संयुक्त उद्यम स्थापित करना चाहते हैं और यदि वे नीति अनुसार चलते हैं तो 34 उद्योगों में 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी लगाई जा सकती है और भारतीय रिजर्व बैंक इस हेतु स्वत: अनुमोदन देता है। यदि आप 1991 तथा 1992 में हुई घटनाओं का परिणाम जानने के इच्छुक हैं, तो मैं उनका ब्यौरा भी दे दूंगा।

जहां तक भारत-जर्मन सहभागिता का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 1991 में कुल 157 सहभागिताएं रही हैं जिनमें से 122 तकनीकी और 35 वित्तीय सहयोग के सम्बन्ध में हैं जिनके ऊपर 41.80 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है। जनवरी और फरवरी, 1992 में कुल 36 सहभागिताएं हुई हैं जिनमें से 12 वित्तीय और 24 तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में है जिनपर कि 3.58 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है। यह भारत और जर्मनी के बीच की सहभागिता है।

डा० खुशीराम कुंवरोमल जेस्वानी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उच्चाधिकार प्राप्त जर्मन शिष्टमण्डल इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी के माध्यम से आन्ध्र प्रदेश में तूफान प्रभावित लोगों की सहायता करना चाहता था। यदि ऐसा है, तो उनका क्या प्रस्ताव था?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, यह बात इस प्रश्न से कहीं भी नहीं जुड़ी है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

आयात के लिए विदेशी मुद्रा

*537. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी-दर पर विदेशी मुद्रा न मिलने के कारण आयातों की लागत बहुत अधिक बढ़ने की सम्भावना है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और अन्य ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) बाजार दर के माध्यम से आयातों की कीमत में सम्भावित वृद्धि होने से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यापार नीति परिवर्तनों सहित आंशिक परिवर्तनीयता की नई प्रणाली से निर्यातों और अन्य विदेशी मुद्रा प्रवाहों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा अनुज्ञप्ति (लाइसेंसिंग) प्रतिबन्धों की आवश्यकता के बिना आयातों को आसानी से किया जा सकेगा। इसके अलावा, इसका लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोलियम एवं तेल उत्पादों, उर्वरकों, रक्षा और जीवन रक्षक औषधियों जैसे आवश्यक आयातों के लिए विदेशी मुद्रा की अपेक्षाओं को सरकारी विनिमय दर के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, उत्तर के अन्तिम भाग के बारे में मैं यह संकेत करना चाहता हूं कि इन्होंने पेट्रोलियम आयल को भी उन वस्तुओं की सूची में रखा है जिनका निर्यात विदेशी मुद्रा के द्वारा सरकारी दर पर किया जाना है! मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूं; मैं तो कुछ ऐसी बात पूछ रहा हूं जोकि मेरे विचार से उत्तर देने में कोई गलती लगती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात का व्यापक प्रचार नहीं किया गया कि आयल डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा पूंजीगत उपकरणों का निर्यात विदेशी मुद्रा के द्वारा बाजार दर पर किया जाना है न कि सरकारी दर पर। फिर भी यदि वे अपना उत्तर ठीक करना चाहें तो इस बारे में विचार कर सकते हैं। यह एक तथ्य है जिसके बारे में कई व्यापारिक पत्रिकाओं में तथा हर जगह कहा गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि यह जो आंशिक परिवर्तनीयता की व्यवस्था की गई है इससे रुपए की विनिमय दर में वास्तव में 15 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ है और इसका भार उन आयातों पर पड़ रहा है जोकि निर्यात से जुड़े हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि आयात वस्तुओं की कीमतें निर्यात वस्तुओं की कीमतों की अपेक्षा अधिक बढ़ गई हैं जबकि इन्हें निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए और यदि ऐसा है तो हमारे भुगतान सन्तुलन की स्थिति पर कुल मिलाकर इसका सही असर क्या होगा जोकि इन प्रमुख बातों में से है जिनका संकट हम पर मंडरा रहा है।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि जो उत्तर दिया गया है, उसमें ऐसी कोई गलती है। यह सही है कि पेट्रोलियम उत्पाद सरकारी विनिमय दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे परन्तु हमने यह नहीं कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों को तैयार करने वाले उपकरण भी सरकारी विनिमय दर पर होने चाहिएं। इसलिए जो उत्तर दिया गया है, उसमें गलती की कोई बात नहीं है। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, जोकि आयात की वस्तुओं की कीमतों पर नई नीति के प्रभाव को लेकर किया गया है, मेरे विचार से इसमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने का ऐसा कोई मापदण्ड नहीं है कि आयात की वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो जाएगी। सबसे पहले हमें इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में इस नीति के तमाम प्रभावों को समझना चाहिए कि इसमें एक्जिम स्क्रिप्स की पुरानी पद्धति को बदला गया है। विगत एक वर्ष में हमारे आयातों का एक बहुत बड़ा भाग हमें एक्जिम स्क्रिप्स खरीदने की शर्त पर होता रहा है; यह एक्जिम स्क्रिप्स जोकि निर्यातों की पोत पर्यन्त निःशुल्क

(एफ० ओ० बी०) कीमत के 30 से 40 प्रतिशत पर मिलते थे, इनकी कीमतों में वृद्धि हो गई और जहां तक उन आयातों का सम्बन्ध है, सरकारी विनिमय दर तथा बाजार विनिमय दर के बीच के अन्तर पर उस समय एक्जिम स्क्रिप्स पर जो लाभ मिलता था, उसकी तुलना में बहुत से आयात आज पहले की अपेक्षाकृत सस्ते हो गए हैं। सही यह था कि सरकारी विनिमय दर पर किए जाने वाले कुछ आयातों को एक्जिम स्क्रिप्स खरीदने के लिए विवश न किया जाता। अब चूंकि विनिमय दरों में वृद्धि हो गई है, उनके लिए बढ़ी हुई कीमतें चुकानी पड़ेगी। आयात शुल्क में की गई कमी, जोकि बहुत है, को ध्यान में रखते हुए विनिमय दरों में हुई वृद्धि की परिणति कीमतों में भारी वृद्धि के रूप में ही नहीं होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नयी नीति में सोने की तस्करी को रोकने के लिए कठोर उपाय किए गए हैं। इसमें हवाला व्यापार को रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए गए हैं। इसमें विदेशी मुद्रा की राशि में वृद्धि की गई है जो कि आयात करने के लिए उपलब्ध हो सकेगी। मेरे विचार से कुल मिलाकर यह पहले वाली स्थिति नहीं होगी जिसमें कि आयातित आपूर्ति की अत्यधिक कमी रहती थी। अतः इन सभी तथ्यों के फलस्वरूप आयात के मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जा सकेगा।

तीसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पूछा था वह यह है कि : "क्या इसे रुपए का गुप्त अवमूल्यन नहीं माना जाएगा ? महोदय; मैं विनम्रता पूर्वक यही कहूंगा कि अस्थायी विदेशी मुद्रा की दर के कारण "अवमूल्यन' और 'पुनर्मूल्यांकन' जैसे शब्दों का अर्थ ही समाप्त हो गया है। विश्व भर में मुद्रा प्रसार है। किसी दिन उनमें तेजी आती है तो अगले ही दिन उनके मूल्य में गिरावट आती है और इसीलिए मेरे विचार से वह अपने किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। परन्तु मैं कहूंगा कि इन परिवर्तनों से हमारे भुगतान सन्तुलन की स्थिति मजबूत होगी, इनसे हमारी निर्यात क्षमता और मजबूत होगी और इस प्रक्रिया में हमारी अर्थ-व्यवस्था की कुल वृद्धि दर पर इनका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस बात के लिए अत्यन्त उत्सुक है कि भारत द्वारा आरम्भ की गई आंशिक परिवर्तनीयता व्यवस्था का निकट भविष्य में विस्तार करके पूर्ण परिवर्तनीयता कर दिया जाना चाहिए। माननीय वित्त मन्त्री जी भी सम्भवतः इस वर्ष के मई के अन्त से पहले ही ऐसे विनिमय के पक्ष में हैं जिसका अभिप्राय यह होगा कि सभी प्रकार का आयात विदेशी मुद्रा कार्यालय द्वारा बाजार दरों पर किया जायेगा। पहले से ही जो निर्यातक देश में सम्पदा सृजित कर रहे हैं उन्हें इस विदेशी मुद्रा का लाभ केवल साठ प्रतिशत मिलता है जबकि जो अप्रवासी भारतीय इस देश में अपनी अप्रत्यावर्तनीय धनराशि जमा कर रहे हैं, उन्हें पहले से ही विनिमेयता के पूर्ण बाजार दरों का लाभ मिल रहा है।

श्री मनमोहन सिंह : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मामले में आंशिक विनिमेयता प्रणाली को लागू नहीं किया गया था। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन व्यवस्थाओं से सहमत नहीं है, जिनमें बहु मुद्रा दरों का प्रचलन है। अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहने पर यह व्यवस्था की गई है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, जैसा कि समाचार पत्रों में बताया गया है, हमारा

मई माह तक पूर्ण विनिमेयता की स्थिति तक पहुंचने का कोई विचार नहीं है। वर्तमान व्यवस्था ही जारी रहनी चाहिए। मैंने कहा है कि भारत की मुद्रा दरों का भविष्य बहुत कुछ हमारे वित्तीय और कर सम्बन्धी व्यवस्था कर नियन्त्रण रखने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा। यदि हम राजस्व स्थिति पर नियन्त्रण कर पाने में सफल होते हैं तब हम अगला कदम और अपनी अन्तिम मन्जिल अर्थात विनिमेयता प्राप्त करने की स्थिति तक पहुंच सकेंगे। परन्तु अभी इस समय हम नहीं कह सकते कि हम उस चरण के समीप हैं।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि विदेशी मुद्रा के वर्तमान 60-40 अनुपात को बनाए रखा गया है। निर्यात आयात नीति के अन्तर्गत हमने निर्यातक को तीस प्रतिशत और सरकार को सत्तर प्रतिशत की अनुमति दी है। इस समय हम निर्यातक को साठ प्रतिशत की अनुमति दे रहे हैं। अतः इतनी ज्यादा प्रतिशत की अनुमति देने का क्या औचित्य है जबकि हम जानते हैं कि भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ने निर्यातक के लिए बहुत कम विदेशी मुद्रा की सिफारिश की है?

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है। हमने कहा है कि अधिकांश आवश्यक वस्तुओं का आयात उसी सरकारी मुद्रा दरों पर किया जाएगा। यदि हम रक्षा वस्तुएं, पेट्रोलियम और उर्वरक उत्पादों के आयात हेतु धन देने जा रहे हैं तब सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वह इन गतिविधियों के लिए धन दे सके और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आयात और निर्यात का 60-40 अनुपात ठीक ही है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, माननीय मन्त्री जी के विचारों को देखते हुए क्या यह सच नहीं है कि रुपए का जब से अवमूल्यन हुआ है, डॉलर के रूप में हमारे निर्यात में भी गिरावट आयी है? दिनांक 28 फरवरी को अर्थात् बजट प्रस्तुत होने से एक दिन पूर्व डॉलर के सरकारी दर और बाजार दर में केवल 44 पैसे का ही अन्तर था।

दिनांक 27 मार्च, 1992 को सरकारी दर 25.88 रु० थी और बाजार दर 31.25 रु० थी और इसमें 5.37 रुपए का अन्तर था।

माननीय मन्त्री जी कह सकते हैं कि वर्तमान मुद्रा प्रसार के युग में अवमूल्यन और पुनर्मूल्यांकन जैसे शब्दों का अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। मैं जानना चाहता हूं कि डॉलर के रूप में हमारे निर्यात में इतनी तेजी से आई गिरावट को देखते हुए आयात कर में कमी करके क्या इसका महत्व कम नहीं हो जायेगा? क्या यह सच नहीं है कि हमारे निर्यात पर इसका काफी व्यापक प्रभाव पड़ेगा?

श्री मनमोहन सिंह : मैं इस आशंका से सहमत नहीं हूं कि हमारे निर्यात में गिरावट आएगी। मेरे विचार से यह कहना ठीक नहीं होगा कि रुपए के अवमूल्यन के पश्चात् से सामान्य मुद्रा के दृष्टिकोण से हमारे निर्यात में कमी आयी है। मैं समझता हूं कि मेरे सहयोगी माननीय वाणिज्य मन्त्री जी ने कई अवसरों पर इसी सभा में निर्यात सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर दिया है।

यह ठीक है कि निर्यात के क्षेत्र में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। परन्तु इसके अनेक कारण हैं जिनका रुपए के अवमूल्यन से कुछ सम्बन्ध नहीं है। तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् सोवियत संघ के साथ व्यापार अब थम सा गया है। अब नए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

रुपए के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्रों में वास्तव में सामान्य मुद्रा में होने वाले निर्यात में डालर में छः प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अतः यह वक्तव्य कि निर्यात में गिरावट आ रही है, तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं है।

खाद्य पदार्थों का निर्यात

*538. डा० के० वी० आर० चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान निर्यात किए गए खाद्य-उत्पादों का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(ख) 1992-93 के दौरान उक्त उत्पादों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार रखती है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) प्रमुख मदों के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ग) सरकार ने निर्यात नीति में सुधार करने के लिए पहले ही अनेक उपाय किए हैं। ये अभ्युपाय नई आयात और निर्यात नीति द्वारा जो, 1 अप्रैल, 1992 से पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू हुई है और सुदृढ़ हुए हैं।

खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए अथवा प्रस्तावित विशिष्ट उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(क) **अल्पावधि उपाय** : बाजार विकास के लिए योजनाएं, उत्पाद संवर्धन, गुणवत्ता उन्नयन, पैकेजिंग में सुधार, प्रतियोगी कीमतें, बाजार आसूचना, अवस्थापना सम्बन्धी विकास, बाधाओं को हटाना तथा क्रियाविधियों का सरलीकरण।

(ख) **दीर्घावधि उपाय** : उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाना, नए बाजारों में प्रवेश करना, उत्पाद विकास, निर्यात अभिमुख ससाधन, उद्योगों का संवर्धन, भारतीय खाद्य उत्पादों की विश्वसनीयता तथा छवि में सुधार करना।

खाद्य उत्पादों की प्रमुख मदों का निर्यात तथा वर्ष 1992-93 के दौरान निर्यात के लिए अन्तरिम लक्ष्यों से सम्बन्धित विवरण-पत्र

(मूल्य करोड़ रु० में)

क्रम सं०	वस्तु	1989-90 मूल्य	1990-91 मूल्य	1991-92 (अप्रैल—दिसम्बर) मूल्य	1992-93 अन्तरिम लक्ष्य मूल्य
1.	चावल	426.52	461.57	450.72	500
2.	गेहूं	2.14	31.13	99.95	शून्य
3.	अन्य अनाज	1.96	2.77	4.12	50
4.	मसाले	276.98	233.94	247.54	350
5.	काजू गिरी	365.07	441.40	511.80	650
6.	मूंगफली	34.14	56.06	5.01	50
7.	चीनी तथा शीरा	32.51	37.57	93.02	200
8.	फल और सब्जियां	201.90	213.25	237.18	350
9.	संसाधित फल और सब्जियां	68.39	60.40	63.33	125
10	विविध संसाधित मदें	142.09	152.30	167.01	209
11.	मांस तथा मांस से बनी वस्तुएं	113.70	139.84	155.62	225
12.	समुद्री उत्पाद	687.18	960.01	989.09	1575
	योग :	2352.58	2790.24	3034.19	4575

स्रोत : किए गए निर्यात—डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता ।

डा० के० वी० आर० चौधरी : क्या माननीय मन्त्री जी उत्तर देंगे कि हम भारी मात्रा में खाद्य उत्पादों का आयात कब करेंगे और किस आधार पर हम खाद्य उत्पाद विशेष रूप से मूंगफली का निर्यात कर रहे हैं ? इसकी भारी कमी है । कम आपूर्ति होने के कारण बाजार में इसकी कीमतें काफी अधिक हैं ।

श्री सलमान खुर्शीद : संवेदनशील कृषि उत्पादों का निर्यात करने का निर्णय घरेलू बाजार के

लिए खाद्य की उपलब्धता के बारे में खाद्य मन्त्रालय द्वारा बनाई गई अवधारणा पर निर्भर है। निर्यात किए जाने वाले खाद्य उत्पादों का प्रतिशत इतना कम है कि आंतरिक मूल्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जब कभी भी खाद्य उत्पादों के निर्यात के प्रति कोई गम्भीर प्रतिक्रिया व्यक्त होती है, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कि तुरन्त ही इस प्रतिक्रिया में बदलाव आ जाए।

हम ऐसे किसी खाद्य उत्पाद का आयात नहीं करते जो हम उसके बदले में निर्यात करते हैं। माननीय सदस्य गेहूं के विशिष्ट प्रश्न का जिक्र करेंगे······

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूंगफली के विषय में है।

श्री सलमान खुर्शीद : जहां तक मूंगफली का सवाल है, पिछले वर्ष इसकी फसल नहीं हुई थी। पिछले वर्ष तक हम मूंगफली के काफी अच्छे निर्यातक थे। वर्षा की कमी और फसल खराब हो जाने से हम इसका अच्छा निर्यात नहीं कर सके हैं। मूंगफली के मूल्य की समस्या फसल के न होने के कारण है न कि निर्यात न होने के कारण। इस वर्ष मूंगफली के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े बहुत खराब हैं।

श्री के० वी० आर० चौधरी : जब नई निर्यात नीति में मांस से बनी वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, तब आप पूरा लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उन लोगों को आप क्षतिपूर्ति स्वरूप क्या देने जा रहे हैं जिन्होंने गोमांस के निर्यात में निवेश किया है और जिसकी इस देश में खपत नहीं है?

श्री सलमान खुर्शीद : महोदय, नई अथवा पुरानी नीति में मांस से बनी वस्तुओं पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। गोमांस के निर्यात पर जरूर प्रतिबन्ध है और यह प्रतिबन्ध हमारी विशेष सामाजिक और धार्मिक भावनाओं के कारण ही लगाया गया है।

श्री अंकुशराव टोपे : इस समय निर्यात निगम और राज्य व्यापार निगम चीनी का निर्यात कर रहे हैं। अब सरकार भी चीनी के निर्यात को प्राइवेट व्यक्तियों को देने का विचार कर रही है। यदि ऐसा है तो क्या सरकार की निर्यात को बढ़ावा देने की नीति इन प्राइवेट व्यक्तियों पर भी लागू होगी और उन्हें चीनी का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जाएगी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : चीनी का निर्यात चीनी उद्योग द्वारा गठित आई० एस० जी० आई० ई० आई० सी० नामक संगठन द्वारा किया गया है। पिछले वर्ष भी इसी आई० एस० जी० आई० ई० आई० सी० द्वारा ही चीनी का निर्यात किया गया था। वही नीति अभी भी चल रही है। जितनी भी चीनी का निर्यात इस वर्ष किया जाना है। आई० एस० जी० आई० ई० आई० सी० के द्वारा ही इसका निर्यात करने का निर्णय किया गया है।

यह ठीक है कि कई निजी चीनी मिलों ने चीनी का निर्यात करने के लिए अनुमति मांगी है। परन्तु निजी चीनी मिलों को चीनी का निर्यात करने की अनुमति देने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मोटा अनाज और अण्डों की कीमतों में विशेष रूप से खाड़ी के देशों में काफी अन्तर है, मैं जानना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए मोटे अनाज का निर्यात करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। शुष्क क्षेत्रों के किसानों द्वारा उत्पादित इन मोटे अनाजों के सम्बन्ध में विकसित देशों की जरूरतों का लाभ कुछ एशियाई देश उठा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वह मोटा अनाज और अण्डों का निर्यात करने के लिए कौन से ठोस कदम उठा रहे हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : जैसाकि मेरे सहयोगी ने कहा है, जहां तक अनाज और खाद्य उत्पादों का सम्बन्ध है, जब तक इसके लिए कोई स्पष्ट निर्यात योग्य बढ़त का प्रावधान नहीं किया जाता, हम निर्यात नहीं करेंगे। मैं नहीं समझता कि हमारे पास मोटे अनाज के लिए निर्यात योग्य बढ़त हासिल है। यदि कृषि मन्त्रालय मुझे यह स्पष्ट कर दे कि मोटे अनाज के लिए भी निर्यात योग्य बढ़त का प्रावधान है, तब हम मोटे अनाज का निर्यात करेंगे। परन्तु मैं नहीं समझता कि हम अभी उस स्थिति में पहुंच गए हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाड़ी के देशों को फलों का निर्यात

[अनुवाद]

*539. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाड़ी के देशों को कितनी-कितनी मात्रा में फलों का विशेषरूप से केले का निर्यात किया गया;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) फलों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है :—

मात्रा एम टन में

(मूल्य लाख रुपयों में)

	1988-89		1989-90		1990-91	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
केला	121	8	248	18	23	3
फल	30114	3133	22843	2681	32208	4130
योग	30235	3141	23191	2699	32232	4133

(ग) सरकार फलों के निर्यात को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इनका निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। फलों के निर्यात बढ़ाने के लिए कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि० (नेफेड) जैसे सभी संवर्धनात्मक निकायों को गतिशील बनाया गया है। एपीडा जिसे फलों के निर्यात बढ़ावे का उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसके पास बाजार विकास, उत्पाद संवर्धन, क्वालिटी सुधारने, पैकेजिंग में सुधार लाने, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने आदि के लिए विभिन्न योजनाएं हैं। फलों के निर्यात विकास में मुख्य बाधा यह रही है कि पर्याप्त बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का अभाव है। 8वीं योजनावधि के दौरान इस पहलू पर विशेष ध्यान देने का निश्चय किया गया है।

[हिन्दी]

भूमिहीन कृषि श्रमिक

*540. श्री केशरी लाल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भूमिहीन कृषि श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को लोकप्रिय और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) भारत सरकार द्वारा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए एक सामूहिक बीमा योजना 15 अगस्त, 1987 से प्रारम्भ की गई थी जिसका भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के सभी परिवारों के 18 से 60 वर्ष की आयु के मुखिया सदस्य को 1000 रुपए (जिसे अब बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है) की बीमित राशि का कवच प्रदान करना है। शुरुआत में इस योजना का वित्तपोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया था परन्तु 1 अप्रैल, 1990 से इसका वित्त पोषण जीवन बीमा निगम द्वारा सामाजिक सुरक्षा निधि में से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण वार्षिक प्रीमियम लागत का वहन जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

भारतीय जीवन बीमा ने 100 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक राशि से एक सामाजिक सुरक्षा निधि की भी स्थापना की है और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कवच प्रदान करने के लिए विभिन्न सामूहिक बीमा योजनाएं तैयार की हैं। 50% प्रीमियम की अदायगी लाभाभोगी द्वारा और 50 प्रतिशत राशि सामाजिक सुरक्षा निधि से पूरी की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत योजना के सदस्य की सामान्य रूप

से मृत्यु हो जाने पर बीमित व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को 3000 रुपए और दुर्घटना में मृत्यु हो हो जाने की स्थिति में 6000 रुपए की राशि अदा की जाएगी। इन योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किए गए विभिन्न व्यवसायों के तहत काम करने वालों में बीड़ी कर्मचारी, बढ़ई, हथकरघा बुनकर, रिक्शा-चालक, मछुआरे, सफाई कर्मचारी, जंगलात में काम करने वाले, आदि शामिल हैं। चूंकि इन योजनाओं का वित्तपोषण सामाजिक सुरक्षा निधि में से किया जाता है जिसमें 50 प्रतिशत प्रीमियम लागत लाभानुभोगी द्वारा वहन की जाती है, इसलिए राज्य सरकारों को सहायता देने का सवाल नहीं उठता।

(ङ) जीवन बीमा निगम ने इन योजनाओं का पर्याप्त प्रचार करने के लिए कई ग्रामीण क्षेत्रों में भित्तिचित्र, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि लगाए हैं। राज्य सरकार के अभिकरण भी अपने तन्त्र के माध्यम से इन योजनाओं के विस्तृत विवरण का प्रचार करने में रुचि लेते हैं। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इन क्रियाकलापों का समन्वय करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है। जिनमें जीवन बीमा निगम और राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं। प्रतिवर्ष अक्तूबर माह को सामाजिक सुरक्षा के रूप में मनाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं के विस्तृत विवरण का प्रसार करने के लिए सघन प्रचार प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंक

*541. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय प्रणाली के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों में भारी फेर-बदल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या इन बैंकों ने लाभ कमाने की दिशा में तथा अपने कार्यकरण में कोई सुधार नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इनमें और क्या-क्या परिवर्तन किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों के पद समय-समय पर रिक्त होते रहते हैं और उन्हें सम्बन्धित संविधियों में निहित उपबन्धों के अनुसार भरा जाता है। फरवरी 1992 में सरकार ने अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों के कुछ पदों को भरा है। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) श्री जे० बी० शेट्टी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया की केनरा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति।

(ii) श्री जे० एस० दाहोत्रे, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, देना बैंक की बैंक आफ इण्डिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति।

(iii) डा० ए० के० भट्टाचार्य, प्रबन्ध निदेशक, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद की युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति।

(iv) श्री एस० सुब्रह्मण्यम, कार्यपालक निदेशक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति।

(v) श्री एस० दोरेस्वामी कार्यपालक निदेशक, देना बैंक की देना बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति।

(vi) श्री के० आर० राममूर्ति, कार्यपालक निदेशक, कारपोरेशन बैंक की कारपोरेशन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति।

2. इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों के दो रिक्त स्थान हैं। इन रिक्त स्थानों को भरने के लिए सरकार ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

3. सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यनिष्पादन पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरन्तर आधार पर निगरानी रखी जाती है। बैंकों ने पर्यवेक्षण और नियन्त्रण को अपनी आन्तरिक प्रणाली को मजबूत करने सहित अपनी कार्यकुशलता में सुधार करने के कई उपाय किए हैं। अपनी लाभप्रदता में सुधार करने के लिए बैंकों ने कार्य योजनाएं भी तैयार की हैं।

चुनाव सुधार

*542. श्री पी० सी० थामस :
　　श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने चुनाव सुधारों के बारे में हाल ही में सरकार के पास अनेक सिफारिशें भेजी हैं;

(ख) इन सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या आयोग ने यह सुझाव दिया है कि जो उम्मीदवार आदर्श आचारसंहिता का उल्लंघन करने या भ्रष्ट तरीके अपनाने के दोषी पाए जाएं, उन्हें 6 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(ख) सरकार निर्वाचन सुधार के सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन करा रही है और निर्वाचन आयोग से प्राप्त सुझावों पर अध्ययन के भाग के रूप में विचार किया जा रहा है और सरकार निर्वाचन सुधारों को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व संसद में दलों के नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित करेगी।

विवरण

निर्वाचन सुधारों के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें

1. निर्वाचन आयोग को एक सदस्यीय निकाय होना चाहिए।

2. निर्वाचन आयोग का एक स्वतन्त्र सचिवालय होना चाहिए और आयोग का व्यय "प्रभारित होना चाहिए न कि "अनुदत्त"।

3. निर्वाचक नामावलियों का गहन पुनरीक्षण प्रत्येक दूसरे वर्ष किया जाना चाहिए और अन्य वर्षों में संक्षिप्त पुनरीक्षण जारी रहना चाहिए।

4. बहु-उद्देश्यीय पहचान पत्र, सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा भारत के सभी नागरिकों को जारी किया जाना चाहिए और जब कभी कार्डधारी से अपनी पहचान साबित करने की अपेक्षा की जाए, जिसमें निर्वाचन सम्मिलित है, ऐसे पहचानपत्र का प्रस्तुत किया जाना बाध्यकर बनाया जाना चाहिए।

5. सम्बन्धित जिला निर्वाचन आफिसरों से परामर्श किया जाना कानूनी अपेक्षा होनी चाहिए और निर्वाचनों के लिए पुलिस-व्यवस्था में उनकी राय को महत्व देने के लिए उन्हें सशक्त किया जाना चाहिए।

6. उन बड़े राजनीतिज्ञों के विरुद्ध, जो उदघोषित अपराधियों को आश्रय देते हैं और जो उनके साथ खुले तौर पर देखे जाते हैं, कार्रवाई की जानी चाहिए। जब निर्वाचन निकट हो या प्रगति पर हो तब दोषसिद्ध अपराधियों को पेरोल या दण्डादेश में कमी करने के लिए मंजूरी देने की शक्ति का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।

7. मत पेटियों या इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन के अप्राधिकृत कब्जे को और मत पत्रों के अप्राधिकृत मुद्रण को, संज्ञेय अपराध बनाया जाना चाहिए।

8. प्रतिपूर्ति निक्षेप की रकम में वृद्धि सभी अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए।

9. प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए कम से कम दस प्रस्ताव होने चाहिए जो विभिन्न मतदान क्षेत्रों से लिए गए हों।

10. किसी भी अभ्यर्थी को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हने होने की अनुज्ञा नहीं होनी चाहिए।

11. निर्वाचन व्यय और विधि-व्यवस्था बनाए रखने की प्रशासनिक खर्च में कमी लाने के लिए प्रचार अवधि को 20 दिनों से घटाकर 14 दिन कर दिया जाना चाहिए।

12. निर्वाचन आयोग को बूथ पर कब्जा किए जाने के कारण रिटर्निंग अफिसर की रिपोर्ट से अन्यथा भी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।

13. प्रत्येक राजनैतिक दल को प्रतिवर्ष अपने लेखाओं को प्रकाशित करना चाहिए और उनकी लेखा परीक्षा, निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरण से कराई जानी चाहिए।

14. निर्वाचन व्यय का सही लेखा नहीं रखने या विहित समय और रीति से उसकी सत्य प्रतिलिपि फाइल न करने के लिए, कारावास और जुर्माने का दण्ड दिया जाना चाहिए और दोषसिद्धि पर अभ्यर्थी को 6 वर्ष के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए।

15. ऐसा अभ्यर्थी जो अपने निर्वाचन व्यय सम्बन्धी विवरणी विहित समय के भीतर फाइल नहीं करता है, तो उसे पांच वर्षों के लिए स्वतः निरर्हित हो जाना चाहिए।

16. आदर्श आचार संहिता का अतिक्रमण किए जाने से उस अभ्यर्थी का निर्वाचन, जिसके पक्ष में या जिसकी सहमति या मौनानुकूलता से अतिक्रमण हुआ शून्य घोषित कर दिया जाना चाहिए और अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को छह वर्ष के लिए निरर्हित कर दिया जाना चाहिए।

17. राजनैतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के विद्यमान उपबन्धों का लोप नहीं किया जाना चाहिए और उसमें विनिर्दिष्ट उपबन्ध होना चाहिए कि यदि कोई दल इस धारा में दिए गए वचनबन्ध का अतिक्रमण करता है तो उसका रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने की शक्ति न्यायालय में निहित होनी चाहिए।

18. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 और लोक प्रतिनिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 के उपबन्ध, संविधान के अनुच्छेद 325 के उपबन्धों का अतिक्रमण करते हैं और उसके विरुद्ध हैं। अतः नियम बनाने का प्राधिकार पूर्णतः निर्वाचन आयोग को प्रदत्त किया जाना चाहिए। तथापि निर्वाचन आयोग केन्द्रीय सरकार से परामर्श करेगा।

पुराने पूंजीगत सामान का आयात

*543 श्री बापू हरि चौरे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पुराने पूंजीगत सामान का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस तरह का आयात किन-किन देशों से किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के आयातों में कोई खामियां देखी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी समिति का गठन किया गया था;

(ङ) क्या उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने उस पर क्या कारंवाई की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका, यू० के०, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैंड स्वीडन, स्पेन, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी आदि जैसे देशों से तथा अन्य ऐसे देशों से भी, जहां आयातों को अनुमति है, इस प्रकार के आयात किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन

***544. श्री ओस्कार फर्नान्डीज :**
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में अथवा दक्षिण भारत के किसी अन्य शहर में एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कारंवाई की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने बंगलोर और मंगलोर में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने का प्रस्ताव किया है उन्हें सूचित किया गया है कि इस समय अतिरिक्त एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

भारत विकास निधि

***545. श्रीमती बासवा राजेश्वरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विकास निधि में दिसम्बर, 1991 को समाप्त हुए पिछले छः महीनों की अवधि के दौरान निवेश में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल व्यापार

***546. श्री राजेन्द्र कुमार :**
डा० परशुराम गंगवार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल को सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने किन-किन संभाव्य क्षेत्रों को संयुक्त औद्योगिक उद्यम लगाने हेतु उपयुक्त पाया है; और

(घ) दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों में और सुधार करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारत-नेपाली द्विपक्षीय व्यापार संचालित करने वाले अधिमानी प्रबन्धों के अतिरिक्त सरकार नेपाल को हाइडल और पावर, जनस्वास्थ्य, संचार, नागर विमानन, पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है ताकि आर्थिक सहयोग बढ़ाया जा सके।

(ग) संयुक्त औद्योगिक उद्यमों के लिए अभिज्ञात संभाव्य क्षेत्रों में शामिल हैं; सीमेंट, कागज, चीनी का उत्पादन करने के लिए उद्योग, ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने से सम्बन्धित अन्य कृषि उद्योग तथा परियोजनाएं।

(घ) अधिमानी व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले प्रयास तथा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने, प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान, सेमिनार आयोजित करने आदि जैसे निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप ऐसे उपाय हैं जिनसे द्विपक्षीय व्यापार में और आगे वृद्धि होगी।

विदेशों में वाणिज्यिक वाहनों की मांग

*547. श्री देवी बक्स सिंह :
डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में वाणिज्यिक वाहनों के मूल्य कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने वर्ष 1991-92 के दौरान भारत से वाणिज्यिक वाहनों का आयात करने में रुचि दिखाई है; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान कितने वाणिज्यिक वाहन निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारत जिन कीमतों पर वाणिज्यिक वाहनों का निर्यात करता है वे विभिन्न बाजारों में तथा अलग-अलग वाहनों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न होती हैं। भारत को भारी, मध्यम तथा हल्के किस्म के कुछ वाणिज्यिक वाहन निर्यात करने में सफलता मिली है क्योंकि ऐसी सप्लाइयां अन्य निर्यातक देशों की तुलना में कीमत, क्वालिटी तथा ऐसे निर्यात को संचालित करने वाली अन्य शर्तों की दृष्टि से प्रतियोगी रही थी। जिन कारणों की वजह से ऐसे निर्यात प्रतियोगी रहे उनमें ये कारण शामिल हैं : सरकार की निर्यात नीति का संचालन सस्ते श्रम तथा कुशल जन शक्ति की उपलब्धता, देश में ऐसे वाहनों का भारी मात्रा में उत्पादन तथा उद्योग की तरफ से निर्यात प्रयास।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान जिन देशों को वाणिज्यिक वाहन निर्यात किए गए थे वे हैं : आबुधाबी, अफगानिस्तान, अल्बानिया, बुरुन्दी, बुरकिना, फासो, बहरीन बंगलादेश, भूटान, दुबई, फ्रांस घाना, गुयाना, हंगरी, इण्डोनेशिया, ईरान, इटली, जमैका, जोर्डन, कीनिया, कुवैत, मैडागास्कर, मालावी, माल्टा, मोरक्को, मोजाम्बिक, मलयेशिया, मारीशिस, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, फिलिपाइंस, सऊदी अरब, श्रीलंका, सूडान, सीरिया, तंजानिया, थाइलैंड, टोगो, ट्रिनिडाड, उगान्डा यू० ए० ई०, वेनेजुला, यमन, जैरे, जाम्बिया, जिम्बाब्वे।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान भारी, मध्यम, तथा हल्के वाहनों सहित विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक वाहन और ग्राहकों की आवश्यकतानुसार तैयार किए गए वाहन निर्यात करने का विचार है।

सड़क बान्ड

*548. श्री विलासराव नागनाथराव गुन्डेवार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलों और राज्य राजमार्गों के सुधार और उनके विकास के लिए सड़क बॉन्ड जारी करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। तथापि इस समय बांड जारी करने के लिए सरकारी क्षेत्र के केवल ऐसे उपक्रम हैं जो पूर्णतया संघ सरकार के स्वामित्वाधीन हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि से गुजरात को सहायता

*549. **श्रीमती भावना चिखलिया** :
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़कों के विकास के लिए गुजरात को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सड़क निधि से कितनी-कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) जिन योजनाओं के लिए उक्त धनराशि दी गई थी उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के पूरा होने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के तहत कोई भी स्कीम अनुमोदित नहीं की गई थी। तथापि, 1991-92 के दौरान निम्नलिखित दो कार्यों को अनुमोदित किया गया है :—

(लाख रुपए में)

क्रमसं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत	नामे की जाने वाली राशि	
			सी०आर० एफ० को	राज्य योजना को
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद बाईपास पर 0/0 कि०मी० से 2/5, 3/7 कि०मी० से 6/6 कि०मी० और 6/0 कि०मी० से 13/230 कि०मी० तक समानान्तर सेवा सड़क का निर्माण	163.00	120.00	43.00

1	2	3	4	5
	2. मेहसाना-बोडला-मोघेरा सड़क को 12/0 कि०मी० से 25/200 कि०मी० तक चौड़ा करके इन्टरमीडिएट लेन बनाना	37.225	34.71	2.515
		योग :	154.71	

(ग) चूंकि इन कार्यों को 28-2-92 को ही अनुमोदित किया गया है, इसलिए इन्हें अभी शुरू किया जाना है।

[अनुवाद]

सोने की तस्करी

*550. श्री गुरुदास कामत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दुबई से भारत में भारी मात्रा में सोने की तस्करी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी मात्रा में ऐसा सोना जब्त किया गया; और

(ग) दुबई से सोने की तस्करी रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) दुबई सहित खाड़ी देशों से आमतौर पर सोने की तस्करी की जाती है। वर्ष 1991-92 के दौरान, दुबई सहित अन्य देशों से तस्करी द्वारा लाए गए अभिगृहीत सोने की कुल मात्रा 4.2 मीटरी टन* है और इसका मूल्य 173.1 करोड़ रुपए* आंका गया है।

(ग) दुबई तथा अन्य देशों से सोने तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी की रोकथाम करने से सम्बन्धित तन्त्र को समय-समय पर सुदृढ़ किया गया है और निवारक गतिविधियों को तेज कर दिया गया है। सुगम्य क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। कोस्ट गार्ड, सीमा सुरक्षा बल, पुलिस, आदि के साथ घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है। इसके अलावा, हाल में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसके तहत विदेशों में 6 महीने या उससे अधिक अवधि तक ठहरने के बाद भारत लौटने वाले भारतीयों तथा अनिवासी भारतीयों को अपने साज-सामान के रूप में सोना लाने की अनुमति दी गयी है

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

और इस तरह लाए गए सोने पर प्रति 10 ग्राम 450 रुपए के हिसाब से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में सीमाशुल्क की अदायगी करनी पड़ती है। इस परिवर्तित नीति के परिणामस्वरूप, सोने के घरेलू मूल्य में तेजी से गिरावट आयी है और इस प्रकार सोने की तस्करी अब कम आकर्षक हो गयी है।

व्यापार मेला काम्प्लेक्स

*551. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा किन-किन स्थानों पर व्यापार मेला काम्प्लेक्स स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में मैसूर में एक व्यापार मेला काम्प्लेक्स स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया ने अब तक केवल प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एक व्यापार मेला परिसर की स्थापना की है। बंगलौर में एक स्थायी प्रदर्शनी परिसर की स्थापना के उद्देश्य से अन्तिम निर्णय लेने के लिए कर्नाटक सरकार तथा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के बीच एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

फलों और सब्जियों की खपत और निर्यात

5861. श्री एच० डी० देवगौड़ा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू खपत के लिए अपेक्षित फलों और सब्जियों की मात्रा का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) फलों और सब्जियों का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है; और

(घ) इन वस्तुओं के निर्यात के लिए देश के किन-किन स्थानों पर नौभार सुविधाएं प्रदान की गयी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं। सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फलों एवं सब्जियों का निर्यात मुख्यतः यू०ए०ई०, सऊदी अरब, कुवैत, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रिटेन आदि को किया जाता है।

(घ) कार्गो सुविधाएं दिल्ली, बम्बई, त्रिवेन्द्रम, कलकत्ता, बंगलौर, हैदराबाद, मद्रास आदि जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रदान की गयी हैं।

तमिलनाडु में चाय की खेती

5862. श्री एम० ओ० शिवनसन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने तमिलनाडु में चाय की खेती में वृद्धि करने के लिए तमिलनाडु चाय विकास निगम लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) चाय बोर्ड ने तमिलनाडु चाय विकास निगम लि०, तमिलनाडु सरकार के वर्ष 1996-97 तक 3000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को चाय रोपण के अन्तर्गत लाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है। इसमें से 2370.5 हैक्टेयर क्षेत्र में कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई में रोपण किया जाएगा और शेष 629.6 हैक्टेयर पर रोपण नीलगिरि जिले में किया जाएगा। बोर्ड इस क्षेत्र को विशेष मामले के रूप में गैर परम्परागत क्षेत्र मानते हुए अन्नामलाई में 1500 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। बोर्ड 9.75 करोड़ रुपए की कुल सहायता का वितरण करेगा जिसमें 6 करोड़ रुपए ऋण तथा 3.75 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के रूप में होगा।

चीनी का निर्यात

5863. श्री प्रकाश वी० पाटील :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी का निर्यात एक से अधिक एजेंसियों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में लेवी चीनी की कीमतों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस वृद्धि में उत्पादकों का क्या हिस्सा होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को सीधा बनाना

5864. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा-मुम्बई की दूरी को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को सीधा बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह दूरी कितने किलोमीटर कम की जाएगी; और

(ग) इस पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों द्वारा जमाराशि जमा कराना

5865. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 6 महीने के दौरान देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा जमा कराई गयी;

(ख) क्या इन बैंकों में अनिवासी भारतीयों को खाता प्रबन्ध, पूंजी निवेश, कर मूल्यांकन सम्बन्धी परामर्श सुविधा उपलब्ध करायी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अगस्त, 1991 से जनवरी, 1992 तक अनिवासी बाह्य और विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में कुल बकाया शेष नीचे दिया गया है :—

अवधि	राशि करोड़ रुपए में
1	2
अगस्त, 1991	22,419

1	2
सितम्बर, 1991	22,164
अक्तूबर, 1991	21,859
नवम्बर, 1991	21,790
दिसम्बर, 1991	21,984
जनवरी, 1992	21,896

(ख) और (ग) ग्राहक सेवा के उपाय के रूप में बैंकों को सलाह दी गयी है कि वे अनिवासी भारतीयों का लेखा, पूंजी निवेश, कर-निर्धारण आदि के सम्बन्ध में मार्ग-निर्देशन करें और सामान्यतया अनिवासी भारतीयों की प्रतिक्रिया इस सम्बन्ध में उत्साहवर्धक रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमा) योजना के अन्तर्गत एकत्रित राशि का उपयोग

5866. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवासों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमा) योजना, 1991 के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि एकत्रित की गयी;

(ख) इस धनराशि के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड हैं; और

(ग) आवासों का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक स्वैच्छिक जमा योजना, 1991 के तहत 30-3-1992 तक की सूचना के अनुसार कुल जमा राशियां 144.29 करोड़ रुपए (आंकड़े अनन्तिम) हैं। तथापि, 31-1-1992 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) योजना के तहत जमा की गयी राशि के 40 प्रतिशत से गन्दी बस्तियों की सफाई और कम लागत के मकानों के वित्त पोषण के लिए एक विशेष निधि तैयार की जानी है। इस प्रयोजन के लिए निधियों का आबंटन तथा परियोजनाओं के वित्त पोषण सम्बन्धी दिशानिर्देश राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा तैयार किए जाएंगे।

विवरण

एल०एच०बी०—पी०डी०एस०—1991 के तहत 31-1-1992 तक एकत्रित
[31 जनवरी 1992 को योजना बन्द]

राज्य	कुल संवितरित राशि (लाख रुपए में)
1	2
आंध्र प्रदेश	115.96
अरुणाचल प्रदेश	0.00
असम	56.34
बिहार	215.93
गोवा	29.90
गुजरात	591.12
हरियाणा	25.50
हिमाचल प्रदेश	61.56
जम्मू व कश्मीर	0.00
कर्नाटक	667.76
केरल	461.80
मध्य प्रदेश	142.57
महाराष्ट्र	1954.37
मणिपुर	0.00
मेघालय	19.73
मिजोरम	0.00
नागालैंड	11.50
उड़ीसा	276.74
पंजाब	255.10
राजस्थान	82.21
सिक्किम	0.00

1	2
तमिलनाडु	809 34
त्रिपुरा	0.00
उत्तर प्रदेश	1551.03
पश्चिम बंगाल	1832.11
अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.73
चण्डीगढ़	34.50
दादरा व नगर हवेली	0.00
दमन व दीव	0.00
दिल्ली	1463.33
लक्षद्वीप	0.00
पांडिचेरी	0.00
अखिल भारत योग :	10659.93

आंकड़े अनन्तिम हैं।

[हिन्दी]

सोना और चांदी का पकड़ा जाना

5867. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कितना सोना और चांदी पकड़ा गया; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां से तस्करी का सोना और चांदी पकड़ी गयी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए निषिद्ध सोने और चांदी की मात्राओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मात्रा (मीट्रिक टन में)

	1989	1990	1991
सोना	8.2	5.7	4.9
चांदी	99.3	216.4	197.9

(ख) निषिद्ध सोने और चांदी का अभिग्रहण समुद्र और इसके तटवर्ती क्षेत्रों, भू-सीमाओं, अन्तर-राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा शहरों में किया जाता है।

[अनुवाद]

शीरे का निर्यात

5868. श्री परसराम भारद्वाज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीरे के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शीरे की भारी मात्रा को अधिशेष घोषित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो अधिशेष भण्डार की वर्तमान स्थिति क्या है और इसका किस तरह उपयोग किया जाएगा या किए जाने का विचार है; और

(ङ) शीरे निर्यात के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी नहीं। इसके विपरीत, शीरे के निर्यात में वृद्धि का रुख रहा है जैसा कि नीचे दिए गए विवरण से देखा जा सकता है :

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपए)
1989-90	17.41
1990-91	21.84
1991-92 (अप्रैल-फरवरी)	37.21

(ग) और (घ) चालू अल्कोहल वर्ष 1991-92 (दिसम्बर, 1991 से नवम्बर, 1992) के लिए, राज्य सरकारों ने कुल 50.195 लाख मीट्रिक टन शीरे के अनुमानित उत्पादन तथा कुल 65.950 लाख मीट्रिक टन पूर्वानुमानित आवश्यकता (आसवन, पशु चारे आदि के लिए) की सूचना दी है।

(ङ) सीरे के निर्यात की अनुमति घरेलू आवश्यकता पूरी होने के बाद दी जाती है और यह अनुमति सीरा नियन्त्रण आदेश के अधीन होती है।

इंजीनियरी सामान का निर्यात

5869. श्री बी० देवराजन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात में वृद्धि करने हेतु इंजीनियरी उद्योग को निवेश प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) 1992-93 के लिए इंजीनियरी सामान के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्य कितना है; और

(घ) एशियाई तथा पश्चिम एशियाई देशों को निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार पहले ही शुल्क छूट योजना तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना के तहत अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्यात उत्पादन के लिए इन्जीनियरी उद्योग को विभिन्न निवेश उपलब्ध कराती रही है। निर्यातकों को निर्यात उत्पादन के लिए घरेलू स्रोतों से इस्पात एवं ढलवां लोहे के आबंटन में भी प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए निर्यात लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निवेश देकर, समर्थन विनिमय दर नीति का अनुसरण करके, बाजार निर्धारित विनिमय दर पर निर्यात आय के आंशिक परिवर्तन की अनुमति देकर, नियन्त्रण कम करके तथा प्रक्रिया सम्बन्धी सरलीकरण द्वारा निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए हैं। इसके अलावा, एशियाई और पश्चिमी एशियाई देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों में संयुक्त आयोग/समिति स्तर पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श करना, व्यापार-प्रतिनिधि मंडलों का आवागमन, विदेश में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि शामिल हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए ऋण तथा किया गया निवेश

5870. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार देश में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितना निवेश किया गया और कितना ऋण दिया गया है;

(ख) उसमें से केन्द्रीय वित्त संस्थानों/सरकारी अभिकरणों में कुल कितना निवेश किया गया है और उन्हें कितना ऋण दिया गया है; और

(ग) शेष निवेश और ऋणों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा (25-3-1992 तक) किए गए निवेश 6242 करोड़ रुपए के हैं।

(ख) और (ग) निवेशों और ऋणों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

		(करोड़ रुपए)
1.	सरकार और अनुमोदित प्रतिभूतियां	2,641
2.	आवास, जल निकासी योजना, राज्य बिजली बोर्ड, राज्य सड़क परिवहन निगम और एच डी एफ सी के लिए राज्य सरकारों को आयोजना ऋण	435
3.	समाजोन्मुखी क्षेत्र के लिए आयोजना-भिन्न ऋण	147
4.	सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सड़क परिवहन निगम, जल आपूर्ति आदि को बांड ऋण	528
5.	भारत सरकार के पास विशेष जमा	180
6.	निजी क्षेत्र को ऋण	1,185
7.	अल्पावधि ऋण	126
	(2 से 7 तक)	2,601
	जोड़ :	5,242

[हिन्दी]

चमड़े की वस्तुओं का निर्यात

5871. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े की वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1989-90, 1999-91 और 1991-92 में कितने मूल्य के कच्चे आंशिक रूप से तैयार चमड़ा उत्पादों और तैयार चमड़ा उत्पादों का निर्यात किया गया;

(घ) कच्चे और आंशिक रूप से तैयार चमड़े की वस्तुओं के निर्यात की तुलना में चमड़े की तैयार वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए और अधिक सुविधाएं देने का कोई विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (च) सरकार की मूल्यवर्धित चमड़े के उत्पादों के स्थान पर कच्चे माल का निर्यात करने की हमेशा नीति रही है और इस उद्देश्य के लिए खाल और चमड़े तथा अर्द्ध-तैयार चमड़े के निर्यात को पहले ही समाप्त कर दिया गया है। यद्यपि इस समय तैयार चमड़े के निर्यात की अनुमति है, लेकिन उस पर 10 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगता है।

1989-90 से चमड़ा तथा चमड़े के उत्पादों का निर्यात निम्नानुसार रहा है :

(मूल्य करोड़ रु० में)

क्र.सं.	मद	1989-90	1990-91	1991-92 (अप्रैल 91-फरवरी 92) (अनंतिम)
1.	अर्द्ध-तैयार चमड़ा	21.06	3.97	—
2.	तैयार चमड़ा	693.53	765.62	642.44
3.	फुटवियर	171.43	210.44	274.60
4.	फुटवियर संघटक	518.25	609.96	870.25
5.	चमड़े के वस्त्र	332.88	579.20	565.33
6.	अन्य चमड़े की वस्तुएं	292.88	408.62	360.25
	योग :	2030.03	2577.81	2712.87

(स्रोत: चमड़ा निर्यात परिषद)।

चमड़े के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई संवर्धनात्मक उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) चमड़े की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपरिष्कृत, अर्द्ध-तैयार या तैयार रूप में चमड़े का निःशुल्क आयात;

(2) अन्य कच्चे माल, उपभोक्ता वस्तुओं, सहायक सामग्री, रसायनों और पूंजीगत माल का रियायती शुल्कों पर आयात;

(3) डिजाइन और विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना;

(4) देश में तथा देश के बाहर जनशक्ति प्रशिक्षण में वृद्धि करना;

(5) औद्योगिक एस्टेट स्थापित करना तथा सामूहिक सुविधा केन्द्रों का संवर्धन करना; और

(6) भारतीय चमड़ा उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करना तथा उन्हें विश्व बाजार में और अधिक प्रतियोगी बनाना।

[अनुवाद]

अल्लेप्पी बंदरगाह

5872. श्री थाइल जान अंजलोज : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में अल्लेप्पी बन्दरगाह को एक प्रमुख बन्दरगाह घोषित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोचीन पत्तन पर वर्तमान और प्रस्तावित सुविधाओं को देखते हुए यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि इस समय अल्लेप्पी पत्तन को महापत्तन के रूप में घोषित किया जाए।

उड़ीसा में आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापे

5873. श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग द्वारा उड़ीसा में मारे गए उन छापों का ब्यौरा क्या है जिनका अभी निपटान नहीं किया गया है;

(ख) प्रत्येक मामले में जब्त की गई चल और अचल सम्पत्तियों और उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों के निपटान में देरी के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) आयकर विभाग द्वारा उड़ीसा में जिन 58 व्यक्तियों के मामलों का कर-निर्धारण किया गया था, उनके 174 कर-निर्धारण आज की तारीख तक विचाराधीन हैं। अभिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कुल मिलाकर कुछ भी विलम्ब नहीं हुआ है। वास्तव में कुछ मामलों में ये तलाशियां केवल कुछ समय पहले ही मुकम्मल हुई थीं। इन कर-निर्धारणों को आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत यथा-उपबन्धित सांविधिक समय-सीमा के भीतर मुकम्मल करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	नाम	चल परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण नकदी (रु०)	जेवर-जवाहिरात/सोना चांदी (रु०)	अन्य (रु०)	कुल (रु०)
1	2	3	4	5	6
1.	श्री विजय कुमार शर्मा	20,000	—	85,564	1,05,564
2.	श्री महावीर प्रसाद शर्मा	50,000	—	34,91,172	35,41,172
3.	श्री विजय कुमार अग्रवाल	—	—	25,000	25,000
4.	श्री बिहारी लाल अग्रवाल	—	—	—	—
5.	श्री घासीराम अग्रवाल	—	—	—	—
6.	श्री रामेश्वर लाल अग्रवाल	—	—	—	—
7.	श्री बाबूलाल अग्रवाल एण्ड ग्रुप	1,50,000	10,79,936	12,53,102	24,83,038
8.	श्री हरवंश सिंह एण्ड ग्रुप	2,00,000	—	1,96,000	3,96,000
9.	सदानन्द अग्रवाल एण्ड ग्रुप	56,000	—	42,500	98,500

1	2	3	4	5	6
10.	श्री महिमानन्द मिश्र	—	2,72,000	—	2,72,000
11.	मै० ए उड़ीसा स्टेवडोर्स	—	—	—	—
12.	चौ० कामदुनी चरणदास	1,84,000	—	3,10,400	4,94,400
13.	श्री एल० एन० होटा	—	—	3,63,736	3,63,736
14.	श्री दुर्गा कुमार नन्दा	—	—	2,58,724	2,58,724
15.	मै० दुर्गा फिल्म एण्ड ट्रेडर्स	42,000	—	—	42,000
16.	श्री सांवरमल सितानी	2,22,000	—	—	2,22,000
17.	श्री सिराजमल अग्रवाल	2,10,000	—	—	2,10,000
18.	मै० श्रीलाल खेतान	50,000	—	36,000	86,000
19.	श्री भोलाराम बधान	1,15,000	—	94,303	2,09,303
20.	श्री श्रीलाल खेतान	—	—	30,000	30.000
21.	श्री किशोरी सिंह	—	—	1,91,664	1,91,664
22.	श्री धनराज अग्रवाल	30,000	—	80,81,305	81,11,305
23.	श्री बनवारी लाल अग्रवाल	20,000	—	—	20,000
24.	श्री सत्यनारायण अग्रवाल	20,000	—	—	20,000
25.	मै० अमरराज एण्ड कं०	50,000	—	—	50,000
26.	मै० उड़ीसा पेपर कम्पनी	10,000	—	—	10,000
27.	श्री भरत शाहू तथा समूह के मामले	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
28.	मै० स्टील कम्पनी	4,00,000	—	—	4,00,000
29.	श्री बी० एल० मोरारीलाल	20,000	11,61,954	—	11,81,954
30.	कार्तिक चन्द्र शाहू एण्ड ग्रुप	3,40,115	—	—	3,40,115
31.	कस्ती प्रसाद खेमका	1,60,000	5,96,000	9,24,000	16,80,000
32.	श्री गंगाराम चपूलिया	—	8,60,113	26,000	8,86,113
33.	ग्रांड मोटर ग्रुप	—	—	—	—
34	गौरा गिरिधारी स्टोर	1,00,000	1,50,000	60,000	3,10,000
35.	शिवकुमार अग्रवाल	—	—	1,68,000	1,68,000
36.	श्री काशीनाथ राउत एवं अन्य	—	4,56,000	—	4,56,000
37.	प्रवीन कुमार जजोडिया	65,000	—	—	65,000
38.	अजय प्रसाद पाणि	10,000	—	—	10,000
39.	बी० डी० पटनायक	—	—	—	—
40.	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल	3,23,000	7,57,000	—	10,80,000
41.	श्री खजान्चीलाल अग्रवाल	55,000	5,65,000	—	6,20,000
42.	श्री अर्जुन साहू	1,00,000	—	—	1,00,000
43.	श्री लक्ष्मीधर साहू मार्फत मै० मदनमोहन, आलू भण्डार	70,000	—	—	70,000
44.	श्री लक्ष्मीधर साहू मार्फत मै० नमाधरा एण्ड परधान	25,000	—	18,635	43,635

1	2	3	4	5	6
45.	श्री लक्ष्मीधर साहू मार्फत मै० शंकर आलू भण्डार	10,000	—	—	10,000
46.	श्री जोगेन्द्र कुमार जैना	15,000	—	—	15,000
47.	श्री भागीरथी साहू	82,000	1,83,120	34,000	2,99,120
48.	श्री ज्ञान जैना	35,000	—	54,000	89,000
49.	श्री नबगार्ण प्रधान	17,000	—	—	17,000
50.	श्री अनन्त चरण नन्दा	1,20,000	—	—	1,20,000
51.	मै० ज्योत्सना अलंकार भण्डार	2,85,000	32,68,240	7,00,658	42,53,898
52.	बिराज मूवीज	—	—	10,000	10,000
53.	श्री बसन्त कुमार नाइक	1,50,000	—	—	1,50,000
54.	श्री सोमनाथ नाइक	16,00,000	2,75,612	—	18,75,612
55.	श्री लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल	20,000	—	—	20,000
56.	के० हादूसुबुद्धि	35,000	—	—	35,000
57.	के० सूर्यनारायण चौधरी	1,50,000	—	2,88,789	4,38,789
58.	मै० सुबुद्धि ज्वैलरीज प्रो० के० सत्यनारायण सुबुद्धि	—	6,17,280	95,550	7,12,830
	योग :	56,16,115	1,02,42,255	1,68,39,102	3,26,97,472

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयरों की बिक्री

5874. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनराशि की कमी को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं ने कुछ कम्पनियों को शेयर बेचे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान बेचे गए शेयरों का कुल मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और भारतीय निर्यात आयात बैंक ने सूचित किया है कि धनराशि की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने कम्पनियों को शेयर नहीं बेचे हैं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में लघु उद्योगों को सावधिक ऋण सहायता

5875. श्री धर्मभिक्षम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को सावधिक ऋण सहायता के सम्बन्ध में पुनः वित्त प्रदान करने की सुविधाओं में कुछ ढील दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को सावधि ऋण सहायता से सम्बन्धित पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत उन्होंने कोई विशिष्ट छूट नहीं दी है।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

एक, दो और पांच रुपए के सिक्के बनाना

5876. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक, दो और पांच रुपये के नोटों के सिक्के बनाए जाने के प्रस्ताव पर विचार करने और सलाह देने के लिए किसी विशेष समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो कब और समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार 1 रुपया, 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य वर्ग के नोटों के सिक्काकरण पर विचार करने और सलाह देने के लिए कोई विशेष समिति गठित नहीं की गयी थी। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में करेंसी के प्रबन्धन पर रिपोर्ट देने के लिए करेंसी प्रबन्धन पर एक समिति गठित की गयी थी।

(ख) करेंसी प्रबन्धन पर दिसम्बर, 1988 में समिति गठित की गयी थी। समिति का गठन इस प्रकार है :—

1. श्री पी० आर० नायक	—	अध्यक्ष
2. श्री आर० श्रीनिवासन	—	सदस्य
3. श्री वी० अटल	—	सदस्य
4. श्री एस० एन० बर्गई	—	सदस्य
5. श्री आर० जानकीरामन	—	सदस्य
6. श्री आर० के० चौधरी	—	सदस्य
7. श्री ए० पी० अय्यर	—	सदस्य
8. श्री बी० जे० मंध्यान	—	सदस्य
9. श्री बी० के० बासु	—	सदस्य सचिव

(ग) जी, हां।

(घ) करेंसी प्रबन्धन पर समिति की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :—

(1) 1 रुपया, 2 रुपए और 5 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों का सिक्काकरण करके परिचालन में नोटों की संख्या को नियंत्रित करना।

(2) प्रतिसंचलन को दूर करते हुए करेंसी के वितरण और संग्रहण को युक्तियुक्त बनाना तथा करेंसी वहन केन्द्रों के तन्त्र को स्थापित करते हुए भार के वितरण को सुनिश्चित करना।

(3) अनुत्पादक और पुनरावृत्ति प्रक्रियाओं को समाप्त करते हुए नोटों के विद्यमान संचालन और प्रसंस्करण में सुधार करना।

(4) बैंकों के रोकड़ विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने करेंसी प्रबन्धन पर समिति की रिपोर्ट नवम्बर, 1989 में सरकार को भेज दी थी। सरकार (वित्त मन्त्रालय) ने रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार करने के लिए करेंसी प्रबन्धन पर एक स्थायी दल का गठन किया है। करेंसी प्रबन्धन पर स्थायी समूह ने समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए बैठकें आयोजित की हैं लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

[हिन्दी]

डी० टी० सी० के रियायती पास

5877 श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में पढ़ रहे छात्रों को डी० टी० सी० के रियायती पास जारी करने की नीति पर पुनर्विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) डी० टी० सी० द्वारा प्रति मास कुल कितने छात्रों तथा अन्य लोगों को अलग-अलग ऐसे कितने पास जारी किए जाते हैं;

(घ) क्या हाल ही में की गयी किराया वृद्धि के बाद से बसों के रियायती पास लेने वाले व्यक्तियों की संख्या घट गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव के ब्योरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) पिछले तीन महीनों के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम द्वारा जारी किए गए पासों की कुल संख्या का विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन महीनों अर्थात् दिसम्बर, 91 से फरवरी, 92 तक के दौरान जारी किए गए रियायती पासों का समेकित विवरण

रियायती पासों की किस्म	पासों की संख्या		
	दिसम्बर, 1991	जनवरी, 1992	फरवरी, 1992
1. छात्रों के लिए			
(क) मासिक गंतव्य दूरी पास	3989	12814	8843
(ख) छात्र आल रूट पास	56268	81404	86880
(ग) कालेज द्वारा जारी किए छात्र आल रूट पास	49165	44756	55045
(घ) छात्र तिमाही पास	[illegible]7927	24546	9166
2. पुनर्वास कालोनियों के निवासियों के लिए			
(क) 0 से 20 कि०मी०	3968	4862	4835
(ख) 20 कि०मी० से अधिक	3790	4044	3948
3. सामान्य पास (चालीस किराए)	26435	26634	24835
4. सामान्य आल रूट पास	142742	162961	161210
5. पुलिस आल रूट पास	01	01	—
6. (क) प्रेस आल रूट पास	76	92	92
(ख) प्रेस आल रूट तिमाही पास	03	13	13
जोड़ :	294364	362127	354867

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 की मरम्मत

5878. श्री भीम सिंह पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर चकाघाट मंगावन सेक्शन यातायात योग्य स्थिति में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सड़क के इस खण्ड की मरम्मत करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 27 का चकाघात से मंगावन तक खंड यातायात योग्य स्थिति में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव/मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप इस सड़क पर भी रख-रखाव/मरम्मत कार्य किए जाते हैं।

[अनुवाद]

जापानी आटोमोबाइल कम्पनियों द्वारा आटो कम्पोनेंट्स की खरीद

5879. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी ऑटोमोबाइल कम्पनियां भारत से ऑटो कम्पोनेंट्स क्रय करने की इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जापानी कम्पनियों द्वारा सरकार को दिए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कम्पनियों को ऑटो कम्पोनेंट्स की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) ऐसा पता चला है कि फरवरी 1992 में आटोमोटिव कम्पोनेन्ट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया के एक प्रतिनिधि-मंडल के जापान दौरे के समय उसके साथ हुई चर्चा के दौरान कुछ जापानी कम्पनियों ने भारत से आटो कम्पोनेन्ट आयात करने में रुचि दर्शाई है। लेकिन भारत से आटो कम्पोनेन्ट के आयात के लिए सरकार को जापानी कम्पनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारत जापान व्यापार सहयोग समितियों के विचार-विमर्श के दौरान जापानी पक्ष से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपनी विश्व-व्यापी नीति में भारत को भी स्थान देने और भारत से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के मामले पर विचार करें।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बैंकों का कार्यकरण

5880. **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अलीगढ़ और बिजनौर जिलों में सन्तोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार, अलीगढ़ और बिजनौर जिलों, समस्त उत्तर प्रदेश राज्य के लिए और अखिल भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां और बकाया बैंक ऋण और ऋण जमा अनुपात सम्बन्धी आंकड़े निम्नलिखित हैं :

(रुपए करोड़ में)

(आंकड़े करोड़ में पूर्णांकित)

	जमाराशियां	अग्रिम	ऋण : जमा अनुपात
अलीगढ़	438	181	41
बिजनौर	268	119	44
उत्तर प्रदेश	20396	9347	46
अखिल भारत	200036	132510	66

मार्च, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार, अलीगढ़ जिले को कवर करते हुए अलीगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जुटाई गई जमाराशियां 30 करोड़ रुपए और ऋण की बकाया राशि 25 करोड़ रुपए थी। मार्च, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार विदुर ग्रामीण बैंक ने, जो जिला बिजनौर और हरिद्वार को कवर करता है, 11 करोड़ रुपए की जमाराशियां जुटाई और मार्च, 1991 के अन्त तक ऋण की बकाया राशि 9 करोड़ रुपए बैठती थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण आबादी में बैंकिंग आदतों का प्रचार करने में मदद की है और जिलों के बैंक रहित क्षेत्रों को संस्थागत ऋण सुपुर्दगी प्रणाली भी उपलब्ध करायी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात अखिल भारत के आंकड़ों की अपेक्षा कम है तथापि, केवल इसी से राज्य के आर्थिक विकास का पता नहीं चलता है। किसी क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता आधारभूत सुविधाओं के विकास आदि जैसे घटकों पर भी निर्भर करती है। तथापि, सभी बैंकों से कहा गया है कि ऋण संवितरित में विभिन्न राज्यों के बीच विस्तृत क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करें और कमी वाले क्षेत्र में सभी उत्पादक और पहचान किए गए अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठाएं।

[अनुवाद]

राजस्थान में कुटीर उद्योगों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त सहायता

5881. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कुटीर, छोटे और ग्राम उद्योगों की स्थापना हेतु पुनर्वित्त सहायता दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा राजस्थान को इस प्रयोजन हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि वह अपनी गैर-कृषि क्षेत्र गतिविधियों के अन्तर्गत कुटीर, छोटे और ग्रामोद्योगों की स्थापना हेतु पुनर्वित्त सहायता दे रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहकारी समितियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंकों को उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता नीचे दी गयी है :

(लाख रुपए)

वर्ष	पुनर्वित्त सहायता*
1989-90	642
1990-91	380
1991-92 (फरवरी 1992 तक)	340

*आंकड़े सभी गैर-कृषि क्षेत्र की गतिविधियों (समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अलावा), जिसमें छोटे, कुटीर और ग्रामोद्योग सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में हैं।

रेयन फैब्रिक्स का निर्यात

5882. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में रेयन फैब्रिक्स का निर्यात किया गया; और

(ख) सरकार का रेयन फैब्रिक्स का निर्यात बढ़ाने और घरेलू मांग और सप्लाई में समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित रेयन फ़ैब्रिक की मात्रा नीचे दी गयी है :—

वर्ष	मात्रा (लाख वर्ग मीटर)
1988-89	326.8
1989-90	489.7
1990-91	630.9
(अप्रैल, 1991—फरवरी, 1992)	

(ख) सरकार रेयन फैब्रिक सहित वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है जैसे—रियायती शुल्क पर वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति देकर वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण; क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन तथा मेलों में सहभागिता; उपयुक्त कोटा नीति उपायों द्वारा विनिर्माता निर्यातकों तथा गैर-कोटा निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना। रेयन फैब्रिक की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बुनकर एककों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक नीति को पहले से ही उदार बना दिया गया है।

डी० टी० सी० कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन

5883. **श्री मदन लाल खुराना : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डी० टी० सी० के निजीकरण के सम्बन्ध में डी०टी०सी० कर्मचारी संघ का कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो डी० टी० सी० कर्मचारी संघ द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम कामगार यूनियन ने अपने दिनांक 23-12-91 पत्र द्वारा सरकार को अभ्यावेदन दिया था जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली सड़क परिवहन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1971 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम की यह जिम्मेदारी है कि वह संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में दक्ष और पर्याप्त यात्री सड़क परिवहन सेवा सुलभ कराए। उन्होंने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि महानगर परिषद, दिल्ली द्वारा 1988 में एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली परिवहन निगम से स्वतंत्र बसें चलाने के लिए प्राइवेट प्रचालकों को एस० टी० ए० परमिट जारी नहीं किए जा सकते क्योंकि ऐसा करना जनहित में नहीं होगा।

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने दिनांक 12-3-1992 के अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया

था कि प्राइवेट बसें शुरू किए जाने से यात्रियों में काफी असन्तोष होगा, क्योंकि वे अधिक किराया वसूल करेंगे, गलत प्रतिस्पर्धा करेंगे और इससे जनता को बहुत कठिनाई होगी।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के निजीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वापक औषधियों की तस्करी

5884. श्री प्रबीन डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिलांग और गुवाहाटी स्वापक औषधि की तस्करी के बड़े केन्द्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में स्वापक औषधि की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) यद्यपि, शिलांग और गुवाहाटी के रास्ते से म्यामार मूल की हेरोइन के पारगमन की कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं फिर भी इन स्थानों को स्वापक की तस्करी का केन्द्र नहीं माना जा सकता। वर्ष 1990 तथा 1992 के दौरान (अब तक) इन स्थानों से हेरोइन के पकड़े जाने की कोई सूचना नहीं मिली है। वर्ष 1991 के दौरान शिलांग में 15 मामलों में 6 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। वर्ष 1991 के दौरान गुवाहाटी से हेरोइन के पकड़े जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की एजेंसियां इस मामले में कड़ी सतर्कता रखे हुए हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उत्पादों के मूल्य

5885. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने अपने कतिपय उत्पादों के मूल्यों में कमी कर दी है और उन्हें जुलाई, 1990 के स्तर पर ला रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने नियंत्रित कपड़ा योजना के अन्तर्गत उत्पादित की जा रही धोती और साड़ी की कीमतों में कमी करके इन्हें जुलाई 1990 के स्तर पर ला दिया है।

राज्यों में वाहनों के प्रवेश पर पथ-कर

5886. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो अपने राज्यों से बाहर पंजीकृत वाहनों के प्रवेश पर पथ-कर लगाते हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे पथ-कर हटाने के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उड़ीसा की राज्य सरकारें बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर प्रवेश कर की उगाही कर रही हैं ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को लिखा है कि इस प्रकार के मार्ग कर की उगाही के परिणाम स्वरूप वाहनों में अवरोध होता है, जो अन्तर्राज्यीय माल और यात्रियों के सहज यातायात में सहायक नहीं है तथा इससे ईंधन की ऐसी बरबादी होती है जिससे बचा जा सकता है और वाहनों की पूरी क्षमता का उपयोग न होने से ढुलाई की लागत में भी वृद्धि होती है ।

दिनांक 14-1-92 को हुई परिवहन विकास परिषद की बैठक में राज्य सरकारों को यह भी अवगत कराया गया था कि इस प्रकार के मार्ग कर का थोपना अवांछनीय है तथा राज्य सरकारों को इस प्रकार की उगाहियां नहीं करनी चाहिए ।

[हिन्दी]

दरभंगा हवाई अड्डा

5887. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस हवाई अड्डे को बन्द करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस हवाई अड्डे के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) दरभंगा हवाई-पट्टी भारतीय वायुसेना की है। इस हवाई-पट्टी पर एवरो/बोइंग 737 श्रेणी के वायुयान उड़ान भर सकते हैं बशर्ते काफी पहले से इसकी सूचना दी गई हो ।

(ख) और (ग) इस हवाई-पट्टी का उपयोग अब भारतीय वायुसेना द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए इसे राज्य सरकार को देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र नदी में अन्तर्देशीय जल यातायात सुविधाओं का विकास

5888. श्री उद्धव बर्मन : जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को असम सरकार से ब्रह्मपुत्र नदी में और अधिक अन्तर्देशीय जल यातायात की सुविधाओं के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की इस समय क्या स्थिति है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) असम सरकार के मन्त्री (परिवहन) से कुछ दिन पहले एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें गुवाहाटी से आगे ब्रह्मपुत्र पर कार्गो ढोने के लिए दो होवरक्राफ्ट खरीदने के लिए उनके प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया गया है । राज्य सरकार ने राज्यीय योजना (वार्षिक योजना/पंचवर्षीय योजना) में एक होवरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव परियोजित किया था और उनको सलाह दी गई थी कि देश के अन्य भागों में खरीद के बाद इस प्रस्ताव पर नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विचार किया जाए ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 का विकास

5889. श्री राम नारायण बैरवा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमांत टोंक जिले से होकर गुजरने वाले राष्टीय राजमार्ग संख्या 12 पर निर्माणाधीन पुलों और उपमार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) इन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या टोंक जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग टूटी-फूटी हालत में है; और

(घ) यदि हां, तो इनकी मरम्मत कब तक की जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) टोंक जिले की सीमा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर दस पुल व तीन बाईपास बनाए जा रहे हैं ।

(ख) सितम्बर, 1991 तक इन पर 1053.50 लाख रुपए का व्यय हुआ है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत कर राहत

5890. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत दी गई कर राहत की कुल राशि कितनी है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को अब तक कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सम्भवतः, माननीय सदस्य का आशय कृषि तथा ग्रामीण राहत (ए० आर० डी० आर०) योजना, 1990 के अन्तर्गत दी गई ऋण राहत से है। इस योजना के तहत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा दिए गए अल्पावधिक और सावधि ऋणों के सम्बन्ध में सभी अतिदेय रकमों को कवर करने के लिए प्रति ऋणकर्ता के हिसाब से 10,000 रुपए की ऋण राहत दी गई थी। सहकारी ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए राज्य सरकार की 50 प्रतिशत देनदारी केन्द्रीय सरकार द्वारा और शेष देनदारी राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। जिन मामलों में, राज्य सरकारें सहकारी समितियों द्वारा दी जाने वाली ऋण राहत की लागत के 50 प्रतिशत के अपने हिस्से को वहन करने में सक्षम नहीं होती हैं, उन मामलों में राज्य सहकारी बैंकों/भूमि विकास बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के जरिए ऋण दिए जाते हैं। कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी प्रकार की कर राहत की परिकल्पना नहीं की गई थी।

दिनांक 14 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित रकमें मंजूर तथा जारी की गयी हैं।

(करोड़ रुपए में)

बैंक	नाबार्ड द्वारा जारी की गयी रकम		
	ऋण	अनुदान	जोड़
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक	77.53	77.53	155.06
मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक	16.65	16.65	33.30
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		25.71	25.71

अधिकारियों द्वारा आयकर का अपवंचन

5891. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आयकर, सीमा शुल्क व उत्पाद-शुल्क अधिकारियों द्वारा अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के अतिरिक्त बेनामी सम्पत्ति के प्रत्यक्ष अधिग्रहण व उपभोग पर नजर रखती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 और 1991 के दौरान ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार और आयकर अपवंचन के कितने मामले दर्ज किए गए हैं और कितनों पर अभियोग चलाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

भारत-मयान्मार सीमा पर सेना की तैनाती

5892. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :
श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-मयाम्मार सीमा पर हाल ही में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार को सेना की तैनाती और बंगाल की खाड़ी के निकट हैंग्टाई द्वीप पर चीन की सहायता से चल रहे बड़े नौसेनिक अड्डे के निर्माण के बीच कोई सम्बन्ध नजर आता है; और

(घ) सरकार का सेना द्वारा प्रोत्साहित नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और घुसपैठ से देश की पूर्वोत्तर सीमा की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) क्या सरकार को भारत-मयानमार सीमा पर सेना की तैनाती में बढ़ोतरी के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, मयानमार सैना प्रतिवर्ष शुष्क मौसम के दौरान विद्रोही तत्वों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई करती है ।

(ख) और (ग) चीन की सहायता से मयानमार द्वारा हांगताई द्वीप में नौसेना बेस बनाए जाने के बारे में सरकार को जानकारी है । भारत-मयानमार सीमा पर कोई सैन्य जमाव नहीं है, इसलिए सैन्य जमाव और निर्माणाधीन नौसेना बेस के बीच किसी प्रकार का सम्बन्ध होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सरकार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर लगातार

नजर रखती है तथा पूरी रक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समुचित कदम उठाती है ।

स्टॉक एक्सचेंज में तेजी

5893. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से देश के स्टॉक एक्सचेंजों में तेजी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या सरकार ने इस तेजी के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूंजी बाजार में प्रवेश करने वाला काला धन इसके लिए किस हद तक जिम्मेवार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) पिछले कुछ समय से स्टॉक एक्सचेंज सूचकांकों में काफी तेजी हो रही है । 31 मार्च, 1992 तक बम्बई स्टॉक एक्सचेंज संवेदी सूचकांक का स्तर बढ़कर 4285 तक हो गया था । शेयरों के मूल्यों में वृद्धि मुख्यतः सरकार की उदार नीति की घोषणा से उत्पन्न निवेशकों की आकांक्षाओं तथा कुल मिलाकर आर्थिक परिवेश में सुधार होने के कारण है । इस वृद्धि में बाजार में न्यून अस्थाई स्टॉक तथा बिना हिसाब-किताब के निवेश सहित स्टॉक बाजार में प्रवाही निधियों के आधिक्य का भी योगदान रहा है ।

"ब्रिटको" का पंजीकरण

5894. **श्री रवि राय** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ब्रिटको" (बी० आर० आई० टी० सी० ओ०) नाम से किसी कम्पनी को भारत में पंजीकृत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका पंजीकरण कब हुआ था और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारत में केवल "ब्रिटको" नाम की कोई कम्पनी पंजीकृत नहीं की गई है । तथापि, ब्रिटको फूड्स कम्पनी प्राइवेट लि० नाम से एक कम्पनी 20 फरवरी, 1992 को कम्पनी रजिस्ट्रार महाराष्ट्र, बम्बई के पास पंजीकृत की गयी थी । कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपए है और कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय 42, तुर्फ व्यू, डा० ए० बी० रोड, वरली, बम्बई-18 में है ।

बंगलौर में विद्युत करघा सेवा केन्द्र

5895. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर में एक विद्युतकरघा सेवा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव केन्द्र करघा यन्त्र विन्यास और रख-रखाव का प्रशिक्षिण देगा;

(ग) उक्त केन्द्रों में प्रत्येक वर्ष कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा;

(घ) क्या इसके लिए भूमि और भवन तथा अन्य मूलभूत सुविधाए जुटा ली गयी हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) लगभग 150 व्यक्ति प्रति वर्ष ।

(घ) और (ङ) अभी नहीं, क्योंकि इस केन्द्र को अभी हाल ही में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

आयातित कच्चे माल पर शुल्क

5896. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सप्लाईकर्ताओं द्वारा उनकी अपनी लागत पर शुल्क का भुगतान किए बिना भारत में आयातित कच्चे माल को भंडागारों में रखने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है जिसे बाद में वस्तुओं के निर्माण में उनके इस्तेमाल के लिए भारतीय क्रेताओं को बेचा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) अपरिष्कृत ऊन और कुछ अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं की ओर से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इस आयातित सामान की बाद में निकासी के लिए और स्थानीय उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार बिक्री के लिए प्रारम्भ में शुल्क चुकाने तक माल को गोदाम में रखा जाएगा। यह दावा किया गया है कि ऐसा करने से स्थानीय उपभोक्ताओं को ये माल शीघ्र उपलब्ध होने और कीमतों में किफायत होने जैसे प्रमुख लाभ होंगे ।

[हिन्दी]

दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों की विधवाओं को पेंशन

5897. श्री काशीराम राणा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत में रह रही दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों की विधवाओं को संशोधित दरों पर युद्ध पेंशन मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) सूरत में रह रही द्वितीय विश्व युद्ध के जवानों की विधवाओं के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इसलिए उनके द्वारा ट्रेजरी या सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ली जा रही पेंशन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

काफी का उत्पादन और निर्यात

5898. श्री बलराज पासी :
श्री राम कृष्ण कुसुमरिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में काफी का उत्पादन हुआ;

(ख) 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में काफी का निर्यात किया गया तथा किन-किन देशों को;

(ग) 1992-93 के लिए काफी उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है; और

(घ) काफी के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान काफी का अनुमानित उत्पादन 1,73,000 मी० टन था। वर्ष 1991-92 के लिए अनुमानित उत्पादन 2,10,900 मी० टन है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान नार्वे, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इटली, कनाडा, यूनान, फ्रांस, यूगोस्लाविया, आस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, यू० एस० ए०, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्विटजरलैंड, सिंगापुर, आस्ट्रिया, डेनमार्क, कुवैत, न्यूजीलैंड, आबूधाबी, दुबई, सऊदी अरब, नेपाल,

मिस्र, बहरीन, मालदीव, जोर्डन, कतर, अफगानिस्तान, ताइवान, यू०एस०एस०आर० चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड तथा रोमानिया को कुल 1,00,110 मी० टन काफी निर्यात की गयी।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान काफी का उत्पादन लक्ष्य अस्थायी तौर पर 1,50,000 मी० टन रखा गया है।

(घ) काफी के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, छोटे उपज-कर्त्ता क्षेत्रों के कम उपज वाले क्षेत्र में गहन कृषि के अन्तर्गत 25,000 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने का कार्यक्रम है। पुराने तथा खर्चीले कम उपज वाले काफी क्षेत्रों में "कावेरी" जैसी अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का पुनर्रोपण करके 8वीं योजना अवधि के दौरान 20,000 हैक्टे० क्षेत्र कवर करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा, जल संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 61,000 हैक्टे० क्षेत्र कवर करने का कार्यक्रम है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में संशोधन

5899. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनयम, 1987 में संशोधन हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रचालनात्मक ब्यौरों से सम्बन्धित है जिससे कि वह आवास वित्त संस्थानों के उन्नयन और उनके वित्त पोषण तथा उन्हें अन्य सहायता देने में वे अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें। इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

बैंकिंग सेवा आयोग

5901. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंक अधिकारियों के चयन हेतु गठित बैंकिंग सेवा आयोगों को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकारी संवर्ग में भर्ती के लिए सरकार ने 1984 में बैंकिंग सेवा भर्ती आयोग के गठन का निर्णय लिया था। तथापि, मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए और भर्ती की विकेन्द्रीकृत प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को देखते हुए उक्त निर्णय के कार्यान्वयन को स्थगित रखा गया।

कम्पनियों द्वारा निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति

5902. श्री केशरी लाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य की उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान अपने निर्यात के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है;

(ख) क्या सरकार ने इन कम्पनियों को उपरोक्त अवधि के दौरान अपना निर्यात बढ़ाने हेतु कुछ सहायता/अनुदान/प्रोत्साहन दिए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कम्पनियों के विरुद्ध निर्यात लक्ष्य पूरा न करने के कारण सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा अलग-अलग कम्पनियों के लिए सरकारी तौर पर कोई निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

5903. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में संचालित प्रत्येक कपड़ा मिल में पिछले तीन वर्षों के दौरान, कितना कपड़े का उत्पादन हुआ और इनमें कितने कामगार नियुक्त थे;

(ख) क्या इन मिलों में कपड़े के उत्पादन में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो उत्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए और इसके क्या परिणाम निकले ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एन० टी० सी० (एम० पी०) लिमिटेड के अन्तर्गत वस्त्र मिलों के सम्बन्ध में मिलवार कपड़े का उत्पादन और कार्यरत कामगारों की संख्या का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) जी, हां । वर्ष 1989-90 के दौरान 845 लाख मीटर की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान कपड़े का उत्पादन 822 लाख मीटर था । इसका कारण बढ़ते हुए घाटों की प्रवृति को रोकने के लिए खर्चीले बुनाई क्रियाकलापों में कमी लाने के बारे में प्रबन्ध द्वारा लिया गया सजग निर्णय है । वर्ष 1992-93 के दौरान एन० टी० सी० (एम० पी०) द्वारा कपड़े का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

एन० टी० सी० के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की प्रत्येक मिल में कपड़े का उत्पादन और कामगारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	मिलों के नाम	कपड़े का उत्पादन (लाख मीटर)			कामगारों की संख्या		
		1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1.	बंगाल-नागपुर कॉटन मिल्स	181.23	168.76	166.69	1852	1783	1743
2.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	39.55	43.72	48.12	514	600	744
3.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	113.20	106.88	96.74	122[illegible]	1242	1216
4.	हीरा मिल्स	101.84	9[illegible].93	88.48	1703	1714	1703
5.	स्वदेशी कॉटन मिल्स	95.71	92.22	82.05	1373	1329	1316
6.	इन्दौर-मालवा मिल्स	191.73	184.18	185.25	2678	2547	2542
7.	कल्याणमल मिल्स	157.69	152.64	154.59	1894	1875	1901
	कुल :	880.95	845.33	821.92	11239	11090	11165

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अन्तर्गत छूट

5904. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :
श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन संस्थाओं को निर्णय देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है जिन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में गत छः महीनों के दौरान ऐसे कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनके सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कोई सांविधिक समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। फिर भी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऐसे अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें आयकर आयुक्तों/आयकर निदेशकों (छूट) को यह सलाह दी गई है कि वे इस प्रकार के आवेदन-पत्रों का निपटान 90 दिन के भीतर करें और संस्थाओं को सूचित करें।

(ख) (52) बावन।

(ग) आवेदनकर्त्ताओं द्वारा कानूनी अपेक्षाओं पर अमल नहीं किया जाना तथा कानूनी मुद्दों को छांटना इस प्रकार के आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेने में होने वाले विलम्ब के मुख्य कारण हैं।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सहकारी कताई मिलों को ऋण

5905. श्री यशवंतराव पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा सहकारी कताई मिलों के ऋण मंजूर नहीं किए जाते और इन मिलों द्वारा दिए गए आवेदन-पत्रों को लम्बित रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में किन-किन सहकारी कताई मिलों के आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि में कब से लम्बित पड़े हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा सहकारी कताई मिलों को ऋण स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। वास्तव में 31-1-1992 तक भारतीय औद्योगिक विकास निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं ने 101 सहकारी कताई मिलों को नवीन इकाइयां स्थापित करने एवं वर्तमान इकाइयों को आधुनिक करने के लिए सहायता दी है। मिलों द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी आवेदन लम्बित नहीं रखा गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

[अनुवाद]

नए प्राइवेट बैंक

5906. **श्री महाबलम्बम गणेश रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नई उदारीकरण नीति के अन्तर्गत नए प्राइवेट बैंक खोलने के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा लाइसेंस देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या नए प्राइवेट बैंक खोलने हेतु लाइसेंस देने के लिए कोई आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों को अनुमति प्रदान करने के लिए विभिन्न अपेक्षाओं और मानदण्डों पर विचार कर रहे हैं।

(ग) और (घ) कुछ व्यक्तियों और फर्मों ने बैंकों को स्थापित करने सम्बन्धी मानदण्डों/प्रक्रियाओं पर भारतीय रिजर्व बैंक से पूछताछ की है। भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसा कोई आवेदन-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

ग्रीन लाइन सेवा

5907. डा॰ सी॰ सिलवेरा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रीन लाइन सेवा शुरू करने से लेकर अब तक दिल्ली परिवहन निगम को इस सेवा से महीने-वार कितनी आय हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : ग्रीन लाइन सेवाओं को शुरू किए जाने के समय से इस सेवा से दिल्ली परिवहन निगम को हुई माह-वार आय इस प्रकार है :—

	रु०
अगस्त, 1991 (22-8-91 से)	43,876
सितम्बर, 1991	1,76,200
अक्तूबर, 1991	2,14,192
नवम्बर, 1991	3,95,777
दिसम्बर, 1991	10,48,805
जनवरी, 1992	52,72,546
फरवरी, 1992	94,84,338
मार्च, 1992 (22-3-92 तक)	65,85,516

[हिन्दी]

म्युचुअल फण्ड में से बिहार में किए गए निवेश

5908. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों को "म्युचुअल फण्ड" योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उसका कितना अंश बिहार में निवेश किया गया;

(ख) क्या म्युचुअल फण्ड योजना के अन्तर्गत एकत्र की गई राशि की तुलना में बिहार में कम निवेश किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस स्थिति को समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रायोजित म्युचुअल फण्डों द्वारा एकत्र की गई राशि पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 4655.5 करोड़ रुपए थी। म्युचुअल फण्डों द्वारा जुटाए गए संसाधनों को पूंजी बाजार प्रतिभूतियों जैसे शेयरों और ऋण पत्रों एवं मुद्रा बाजार प्रपत्रों में निवेश किया जाता है। इनमें से अधिकांश प्रपत्र किसी राज्य विशेष से सम्बद्ध नहीं हैं, इसलिए बिहार में किए गए निवेश के सम्बन्ध में ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

हरियाणा में ऋणों को माफ करना

5909. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जनवरी, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक हरियाणा के निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के नाम बकाया राशि तथा माफ किए गए ऋणों की राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने बकाया राशि की वसूली करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : क) सम्भवतः माननीय सदस्य कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा माफ की गई राशि जानना चाहते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि 14-3-92 की स्थिति के अनुसार, हरियाणा राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत राहत के लिए पता लगाए गए 67,313 खातों में 20.47 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है।

(ख) मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार, हरियाणा में कार्यरत चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल बकाया राशि 129 करोड़ रुपए थी और मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत (जून 1991—अद्यतन उपलब्ध) 39.82% था। अनुनय के माध्यम से वसूली की विद्यमान प्रक्रिया के अलावा, बैंक अपनी देयराशियों की वसूली के लिए दण्डात्मक प्रावधान और अन्ततोगत्वा कानूनी रास्ते का भी आश्रय लेते हैं।

[अनुवाद]

किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड प्रणाली

5910. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण के लिए किसानों द्वारा भरे जाने वाले कागजातों की वर्तमान प्रक्रिया बड़ी कठिन और अधिक समय लेने वाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए पास बुक/कार्ड प्रणाली शुरू करने का है कि कृषि ऋण देने में तेजी लायी जा सके और इसके लिए अनावश्यक कागजात न भरने पड़ें;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) व्यवसायिक बैंकों में इस प्रस्तावित योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) बैंकों को कृषि उत्पादन के लिए किसानों को समय पर एवं पर्याप्त ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋणों के प्रवाह में प्रगामी वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण देने की प्रक्रिया को सरल एवं उदार बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के नाम विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इस विषय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश निम्नलिखित हैं :—

1. विभिन्न फसलों के लिए जिलों में गठित तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित फसल ऋणों के लिए वित्तीय सहायता के मानदण्डों का निर्धारण और बैंकों द्वारा इन्हें समान रूप से अपनाना। इन वित्तीय सहायता के मानदण्डों की वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखा जा सके।

2. 25,000 रुपए तक के ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के अन्दर और 25,000 रुपए से अधिक के ऋण आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के अन्दर निपटाना।

3. ग्रामीण शाखा प्रबन्धकों को मंजूरी की समुचित शक्तियां प्रत्यायोजित करना ताकि अधिकांश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही मंजूर किए जा सकें।

4. जहां चल परिसम्पत्तियां निर्मित की जाएं, वहां 10,000 रुपए तक के फसल ऋणों और 10,000 रुपए तक के सावधि ऋणों के लिए भूमि को बंधक/प्रभारित करके अथवा अन्य पक्ष की गारंटी के रूप में कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं ली जानी चाहिए।

5. 10,000 रुपए तक के कृषि ऋणों, अल्पावधिक, मध्यावधि/दीर्घावधि दोनों, के लिए कोई मार्जिन आवश्यक नहीं है। इन ऋणों पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दरें रियायती हैं।

6. सभी आई० आर० डी० पी० हिताधिकारियों को क्षेत्रीय भाषा में ऋण पास बुक जारी किया जाना चाहिए जिसमें ऋण मंजूरी की तारीख, मंजूर राशि, प्राप्त सब्सिडी, ब्याज दर, प्रत्येक किस्त में देय राशि, किस्त देने की तारीख आदि विवरण दिए जाने चाहिए।

इस सन्दर्भ में यह कहना विषय से बाहर न होगा कि सरकारी क्षेत्र के बैंक किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड आरम्भ करने जैसे उपाय स्वयं करते हैं ताकि किसानों को सरलता से एवं समय पर ऋण प्रदान किया जा सके और कृषि क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में वृद्धि भी की जा सके। सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने कुछ राज्यों के चुने हुए जिलों में प्रयोगात्मक आधार पर अपनी क्रेडिट कार्ड योजनाएं आरम्भ

की हैं। ये कार्ड उन किसानों को दिए जाते हैं जिनका निरन्तर रिकार्ड अच्छा होता है ताकि वे उत्पादन निवेशों की अपनी लागत को पूरा करने के लिए बिना कठिनाई के कृषि ऋण प्राप्त कर सकें। क्रेडिट कार्ड से निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त होंगी :

(i) इससे कार्ड धारक उत्पादन ऋण तुरन्त प्राप्त कर सकेगा।

(ii) इससे आवेदन देने, भूमि रिकार्ड के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने और प्रत्येक कृषि मौसम के लिए प्रलेखन जैसी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं समाप्त हो जाएंगी।

(iii) इससे किसानों को उत्पादन निवेश्यों की खरीद के लिए नकदी ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

उपलब्ध सूचना के अनुसार कृषि ऋण कार्ड योजना देना बैंक, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ महाराष्ट्र, न्यू बैंक आफ इण्डिया, आन्ध्रा बैंक, विजया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कार्पोरेशन बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, यूको बैंक, स्टेट बैंक आफ मैसूर और बैंक आफ बड़ौदा द्वारा राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर आरम्भ की गई है।

रुग्ण एककों को पुनः अर्थक्षम बनाना

5911. श्री ए० चार्ल्स : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण एककों को पुनः अर्थक्षम बनाने हेतु तैयार किए गए नर्सिंग कार्यक्रमों का, इस प्रयोजना हेतु निर्धारित की गई जटिल प्रक्रिया के कारण, कई लघु और छोटे रुग्ण औद्योगिक एकक इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं;

(ख) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने रुग्ण एककों की परिभाषा तथा इन एककों को नर्सिंग कार्यक्रमों का लाभ देने हेतु निर्धारित की गई शर्तों में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस समय यह मामला किस चरण में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा अर्थक्षमता अध्ययन के बाद अर्थक्षम पाए गए एककों को ही पोषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत रखा जाता है तथा पोषण कार्यक्रमों के प्रयोजनों के लिए निर्धारित प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो सम्भावित अर्थक्षम रुग्ण एककों के रास्ते में आती हों।

(ख) और (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष

उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में संशोधन के लिए कई सुझाव दिए हैं। इनमें, रुग्ण औद्योगिक एककों की परिभाषा और ऐसे एककों को दिए जाने वाले पोषण कार्यक्रमों की शर्तों में परिवर्तन भी शामिल हैं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम में संशोधन सम्बन्धी विभिन्न प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

तथापि, लघु उद्योग एककों (अति लघु क्षेत्र के एककों को छोड़कर) को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि और औद्योगिक उत्पादों का निर्यात

5912. श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष तथा अगले दो वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमुख रूप से किन-किन कृषि और औद्योगिक उत्पादों का निर्यात शुरू करने का विचार है;

(ख) उससे सरकार को प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों का निर्यात शुरू करने से घरेलू बाजार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) चालू वर्ष के दौरान जिन प्रमुख कृषि और औद्योगिक उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है और जिनका अगले दो वर्षों के दौरान निर्यात किए जाने की सम्भावना है, उनमें अनाज, तम्बाकू, मसाले, काजू की गिरी, आयल मील्स, संसाधित खाद्य, समुद्री उत्पाद, अयस्क तथा खनिज, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं, रत्न तथा आभूषण, खेलकूद का सामान, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, इंजीनियरी सामान, इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर साफ्टवेयर, वस्त्र हस्तशिल्प, कालीन, पेट्रोलियम उत्पाद आदि शामिल हैं।

(ख) अप्रैल-जनवरी, 1991-92 के दौरान भारत के निर्यात से 34699 करोड़ रु० की आय हुई। अगले दो वर्षों में निर्यात से अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा का इस समय ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

(ग) सरकार की नीति घरेलू मांग को पूरा करने के बाद उन उत्पादों का निर्यात करने की है जो बेशी मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त निर्यात प्रयोजनों के लिए उत्पादन को विशेष रूप से तैयार की गई कुछ योजनाओं जैसे निर्यात-अभिमुख एकक योजना तथा निर्यात संसाधन क्षेत्र के अन्तर्गत प्रोत्साहित किया जाता है।

[अनुवाद]

समुद्री जहाजों को पट्टे पर प्राप्त करना

5913. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्री जहाजों सम्बन्धी नई नीति के अन्तर्गत जहाजों की प्रत्यक्ष प्राप्ति के बदले उन्हें पट्टे पर लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। विदेशी मुद्रा के सकट को देखते हुए, सरकार नौवहन कम्पनियों को "क्रास बार्डर" लीजिंग के माध्यम से जहाजों के अधिग्रहण हेतु अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

नान्देड, महाराष्ट्र में भारतीय जीवन बीमा निगम का डिवीजनल आफिस

5915. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम के कितने शाखा कार्यालय कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के औरंगाबाद डिवीजन में पालिसियों की संख्या और बीमा की राशि के सन्दर्भ में जिला-वार और वर्ष-वार कितना कारोबार हुआ;

(ग) नान्देड में भारतीय जीवन बीमा निगम का डिवीजनल आफिस शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक कार्य शुरू करने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बीस।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम के औरंगाबाद मंडल से पालिसियों की संख्या और बीमांकित राशि के अनुसार कारोबार की वर्ष-वार मात्रा निम्नानुसार है :—

वर्ष	बीमांकित राशि (लाख रुपए)	पालिसियों की संख्या
1988-89	17570	67956
1989-90	25029	86349
1990-91	30052	102313

जिलावार स्थिति निम्नानुसार है :—

वर्ष	बीमांकित राशि (लाख रुपए)	पालिसियों की संख्या
1	2	3
औरंगाबाद		
1988-89	4132	15818
1989-90	5765	19551
1990-91	7197	23457
बीड		
1988-89	2987	10811
1989-90	3919	12703
1990-91	4510	14253
जालना		
1988-89	1918	7484
1989-90	2731	9269
1990-91	3316	11290
लातूर		
1988-89	3400	13290
1989-90	4735	16744
1990-91	5690	20114
नान्देड		
1988-89	2053	7716
1989-90	3070	10838
1990-91	3880	13664
उस्मानाबाद		
1988-89	1200	4800

1	2	3
1989-90	2109	6946
1990-91	2431	8330
परभणी		
1988-89	1880	8037
1989-90	2700	10298
1990-91	3028	11205

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

5916. श्री बी० धनंजय कुमार : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर कर्नाटक में 31 दिसम्बर, 1991 तक कुल कितने नोटरियों की नियुक्ति की गई है;

(ख) ऐसी नियुक्ति के लिए क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसी राज्य में नोटरियों की नियुक्ति पर सहमति प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार को इस वर्ष 200 और नोटरियों को नियुक्त करने की अनुमति दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) 31-12-91 को, केन्द्रीय सरकार ने सम्पूर्ण देश के लिए 296 नोटरी नियुक्त किया है, जिनमें से 19 नोटरी कर्नाटक राज्य में हैं। नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 में मार्गदर्शक सिद्धांत अन्तर्विष्ट हैं। किसी राज्य में नोटरी की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति अपेक्षित नहीं है।

(घ) और (ङ) कर्नाटक सरकार के तारीख 19 दिसम्बर, 1991 के आदेश के अनुसार राज्य में नोटरियों की संख्या 70 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।

[हिन्दी]

फलों के निर्यात हेतु लाइसेंस

5917. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फलों के निर्यात हेतु लाइसेंस जारी करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान ऐसे कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को मिली शिकायतें

5918. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को गत एक वर्ष के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान कितने प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) वर्ष 1991 के दौरान, एम० आर० टी० पी० आयोग ने विभिन्न उपक्रमों या व्यक्तियों के विरुद्ध 5238 शिकायतें प्राप्त की हैं। एकाधिकारिक, अवरोधक या अनुचित व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित शिकायतों के आधार पर एम० आर० टी० पी० आयोग ने वर्ष 1991 के दौरान जांचे संस्थित कीं, जिनका राज्य-वार ब्योरा निम्न प्रकार से है :—

1. संघ शासित प्रदेश, दिल्ली	105
2. कर्नाटक	12
3. राजस्थान	3
4. महाराष्ट्र	43
5. तमिलनाडु	11

6.	पंजाब	10
7.	पश्चिम बंगाल	11
8.	बिहार	2
9.	उत्तर प्रदेश	13
10.	हरियाणा	2
11.	आंध्र प्रदेश	2
12.	मध्य प्रदेश	1
13.	चण्डीगढ़	1
14.	केरल	5
15.	गुजरात	3
16.	उड़ीसा	1
	योग :	225

एक न्यायिककल्प निकाय होने के नाते, एम० आर० टी० पी० आयोग को एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अन्तर्गत विभिन्न व्यापार प्रथाओं से सम्बन्धित शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु शक्तियां प्राप्त हैं।

[अनुवाद]

सीमा-शुल्क का अपवंचन

5919. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क अपवंचन के कुछ कथित मामलों का पता लगाया गया है जैसाकि 2 फरवरी, 1992 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कारंवाई की गई है;

(घ) इन मामलों में सीमा-शुल्क अधिकारी, यदि कोई दोषी पाया गया है तो उसके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) सरकार को 2 फरवरी, 1992 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "ह्यू ज इम्पोर्ट—इनवायसिंग रैकेट अनअर्थ ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की जानकारी है।

उपर्युक्त समाचार में उल्लेख किए गए मामलों, जिनकी संख्या 5 है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मद्रास के एक आयातक ने 90 मीट्रिक टन पोलीविनायल अल्कोहॉल की 105 मीट्रिक टन पोलीविनायल क्लोराइड रेसिन के रूप में घोषणा करके निकासी करने का प्रयास किया था। इस तरह से 1.21 करोड़ रुपए का शुल्क अपवंचन करने का प्रयास किया गया था। माल को पकड़ लिया गया था तथा 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। इस मामले का न्यायनिर्णयन किया गया है। माल को जब्त कर लिया गया था, तथापि आयातक को यह विकल्प दिया गया था कि वह 10 लाख रुपए के जुर्माने की अदायगी करके माल को छुड़वा सकता है। लगभग 3.75 लाख रुपए की राशि का अर्थदण्ड भी लगाया गया था।

(ii) एक मामले में आयातक ने डिस्पर्स डाइज का आयात किया था, जिसकी जांच करने तथा रासायनिक परीक्षण करने पर यह पाया गया कि इसका सकल रूप में कम बीजकांकन किया गया है। इस तरह लगभग 45 लाख रुपए के शुल्क अपवंचन का प्रयास किया गया है। माल को अभिगृहीत कर लिया गया है तथा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।

(iii) मद्रास की एक पार्टी ने 6 मीट्रिक टन ब्रीवेरी होप्स का त्रिवेन्द्रम एयर कार्गो काम्पलेक्स के माध्यम से आयात किया था। माल का कम बीजकांकन किया गया था और शुल्क अपवंचन लगभग 32 लाख रुपए था। माल को अभिगृहीत कर लिया गया है। इस मामले में न्यायनिर्णय किया जा चुका है। माल को जब्त कर लिया गया था तथा आयातक को यह विकल्प दिया गया था कि वह 36 लाख रुपए के जुर्माने की राशि की अदायगी करके माल छुड़वा सकता है। 18 लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया था। 32 लाख रुपए के अतिरिक्त शुल्क के लिए मांग की भी पुष्टि कर दी गई है।

(iv) एक आयातक ने कीमती फार्मास्युटीकल औषधियों की एक खेप की सोडियम ब्रोमाइड के रूप में गलत घोषणा की थी। इस प्रयास में शुल्क अपवंचन लगभग 15 लाख रुपए है। माल को अभिगृहीत कर लिया गया है। अनुवर्ती जांच-पड़ताल के दौरान मद्रास में एक आवासीय परिसर से लगभग 1.5 करोड़ रुपए के मूल्य के सर्पचर्म अभिगृहीत किए गए थे और इस मामले को आगे कार्यवाही के लिए वन विभाग को सौंप दिया गया था। कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। जांच-पड़ताल से यह भी पता चला है कि सीमा-शुल्क के कथित अपवंचन में एक क्लियरिंग एजेन्ट भी शामिल था। तदनुसार उसके सीमा-शुल्क गृह एजेन्ट लाइसेंस को स्थगित कर दिया गया है।

(v) एक पार्टी ने डाट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के मैकेनिकल संघटकों का आयात किया। माल की जांच से पता चला कि उन्होंने मैकेनिकल पार्टों पर फिट किए हुए एक इलेक्ट्रानिक पार्ट का भी आयात किया था ताकि वे सीमा-शुल्क की एक ऐसी अधिसूचना का लाभ प्राप्त करने का दावा कर सकें जिसके लिए वे पात्र नहीं थे। इस मामले का न्यायनिर्णयन किया गया था और 95.86 लाख रुपए के अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई है।

(vi) एक आयातक ने एक नई मल्टी-लेयर कोटर मशीन के रूप में घोषित एक क्षेप का आयात करके उसकी निकासी की थी। जांच-पड़ताल से पता चला कि उन्होंने छिपा करके एक कैलेण्डरिंग मशीन का भी आयात किया था। कथित शुल्क अपवंचन की राशि 9.64 लाख रुपए है। जांच-पड़ताल से आयात व्यापार नियन्त्रण विनियमनों के उपबन्धों के उल्लंघन का भी पता चला है। कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। तथापि, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया गया है।

इन मामलों में की गई जांच-पड़तालों से अभी तक किन्हीं सीमाशुल्क अधिकारियों के शामिल होने का पता नहीं चला है।

शुल्क अपवंचन के ऐसे प्रयासों की रोकथाम के लिए सीमाशुल्क गृह में आसूचना एजेन्सियों और राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

[हिन्दी]

डीजल इंजन संयन्त्र रांची का भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के साथ विलय

5921. **श्री ललित उरांव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड की उच्च स्तरीय समिति ने बिहार में डीजल इंजन संयन्त्र रांची का भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में विलय कराने हेतु कोई जांच कराई थी;

(ख) क्या इस समिति ने उक्त कारखाने को भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के एकक के रूप में सौंपने की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हां, तो इस कारखाने को भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड को कब तक सौंपने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं। तथापि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड के कुछ अधिकारी सम्बन्धित ब्यौरे प्राप्त करने के लिए डीजल इंजन संयन्त्र, रांची गए थे।

(ख) और (ग) यद्यपि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड ने एक स्तर पर यह सूचित किया था कि उसे इस यूनिट को लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी, परन्तु रक्षा मन्त्रालय ने यह निश्चित किया कि इस यूनिट को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स से भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड को सौंपने का कोई औचित्य नहीं है।

(घ) यह यूनिट गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स के अन्तर्गत ठीक प्रकार से कार्य कर रही है तथा इसके उत्पादन का काफी भाग रक्षा तथा जहाजरानी के कामों में आता है। इस तरह भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड ने इस मामले को यहीं समाप्त कर दिया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण सहायता

5922. श्री अन्ना जोशी :
श्रीमती रीता वर्मा :
श्री एन० के० बालियान :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 1990-91 और 1991-92 के दौरान नई बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान मिलों के विस्तार के लिए एकक-वार कितनी राशि की ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) इस ऋण की सहायता से स्थापित की गई कताई मिलों का ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कितनी मिलों का विस्तार किया गया; और

(ग) उपर्युक्त में उल्लिखित प्रत्येक कताई मिल कहां-कहां संस्थापित है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण सहायता योजना के अन्तर्गत 1990-91 और 1991-92 के दौरान नई बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान मिलों के विस्तार के लिए भारत सरकार ने क्रमश: 249.28 लाख रु० और 175.00 लाख रुपए की राशि जारी की है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को यह ऋण सहायता निम्नलिखित नई सहकारी कताई मिलों की स्थापना/बुनकर सहकारी कताई मिलों के विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए दी गई थी।

नई मिलें :

1. त्रिचुर सहकारी कताई मिल लि०, पी० ओ० वाजहानी, (द्वारा) वाडाक्कानचेरी, त्रिचुर-जिला, केरल।

2. पूर्वांचल सहकारी कताई मिल लि०, बहादुरगंज, जिला गाजीपुर, (उ० प्र०)।

3. उ०प्र० सहकारी कताई मिल लि०, बाहेरी, जिला-बरेली, उत्तर प्रदेश।

4. उ०प्र० सहकारी कताई मिल लि०, कम्पिल जिला-फर्रुखाबाद, उ०प्र०।

5. सीतापुर सहकारी कताई मिल लि०, महमूदाबाद, जिला-सीतापुर, उ०प्र०।

6. श्री गोपीनाथ बुनकर सहकारी कताई मिल लि०, बालिआपाल, जिला-बालासोर, उड़ीसा।

विस्तार के मामले

1. नागपुर विनकर सहकारी सूत गिरनी मर्यादित, उमरेड रोड, नागपुर, महाराष्ट्र ।

आधुनिकीकरण

1. राजामुंदरी सहकारी कताई मिल लि०, राजामुंदरी, जिला-पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश ।

मलेशिया से तेल का आयात

5923. **श्री सुधीर गिरि** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलेशिया से तेल के आयात के लिए उसके साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यह समझौता कितनी अवधि तक वैध है;

(ग) क्या आयात किए जाने वाले की दर इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित दर से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) एम टी सी द्वारा पामोलीन को समय-समय पर की गई खरीदारियों को छोड़कर सरकार ने पामोलीन आयल के आयात के लिए मलेशिया के साथ कोई करार नहीं किया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात और आयात

5924. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य रूप से निर्यात और आयात गतिविधियों के लिए जिम्मेदार खनिज एवं धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम के कार्यभार निर्यात और आयात के गैर-सरणीबद्ध किए जाने पर कम करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों संस्थानों के माध्यम से किन-किन मदों को निर्यात और आयात करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार द्वारा किए गए उदारीकृत व्यापार नीति उपायों के सन्दर्भ में, जिनमें कि अनेक निर्यात तथा आयात मदों का सरणीयन समाप्त किया गया है जिसके फलस्वरूप सरणीयन समाप्त करने से कारोबार कम हो क्या,

एस टी सी तथा एम एम टी सी ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मूलतः गैर-सरणीकृत व्यापार पर आधारित किसी प्रतियोगी वातावरण में कार्य करने वाले व्यापार घराने बनने के उद्देश्य से अपने-अपने निगमित लक्ष्य पुनः निर्धारित किए हैं।

दिनांक 1-4-1992 से लागू आयात-निर्यात नीति (अप्रैल, 1992—मार्च, 1997) के अनुसार एस टी सी तथा एम एम टी सी द्वारा निर्यात/आयात की जाने वाली सरणीकृत मदें निम्मानुसार हैं :

आयात

एस टी सी	एम एम टी सी
औषधियां (विटामिन ए तथा विटामिन ए के पैरामिक्स)	सभी प्रकार के नाइट्रोजन युक्त फासफोरसयुक्त, पोटासयुक्त और मिश्रित रसायनिक उर्वरक।
*तेल (नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, कुसुम का तेल, पाम का तेल (पामोलीन तथा अन्य तेलों सहित सभी किस्म के तेल) रेपसीड।	
*एस टी सी के अलावा, हिन्दुस्तान वेजिटेबिल आयल्स कारपोरेशन लि० भी सरणीयन अभिकरण है।	
*तेल, (सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन तेल, बिनौले का तेल)।	
*बीज (कोपरा, मूंगफली, पाम, रेपसीड, कुसुम, सोयाबीन, सूरजमुखी, बिनौला)।	
*अन्य सभी तेल अथवा बीज अथवा अन्य ऐसी चीज जिससे तेल निकाला जा सके (खाद्य अथवा अखाद्य) जिसमें बनस्पति बसा शामिल हो, जिसका ऊपर अथवा आयात-निर्यात नीति में अन्यत्र उल्लेख न किया गया हो (किन्तु, उनमें टंग आयल/चाइना वुड आयल तथा मुख्य प्राकृतिक तेल शामिल नहीं हैं)।	
बसा अम्ल तथा अम्ल तेल (पाम गिरि का तेल, पाम स्टीयराइन, टैल्लो एमिन, हाइड्रोजेनेटेड टैल्लो एमिन, ओलील एमिन तथा स्टीरील एमिन उनके प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थांश व्युत्पन्नमाल सहित)।	

निर्यात

एस टी सी	एम एम टी सी
**एम एम टी सी की सहायक कम्पनी मिटको ही वास्तविक सरणीयन अभिकरण है ।	**अभ्रक अपशिष्ट (फैक्ट्री छीलन सहित) और छीलन जो अभ्रक के प्रसंस्करण से निकलती है और जिसे अपने आकार तथा रंग के कारण प्रसंस्कृत अभ्रक के स्तर से घटिया समझा जाता है ।
	लौह अयस्क जापान, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान के अतिरिक्त चीन अथवा यूरोप को निर्यात किए जाने वाले गोवा मूल के लौह अयस्क का तथा सभी बाजारों के लिए रेडीमूल का लौह अयस्क ।
	30% से कम क्रोमियम आक्साइड के (सी आर$_2$ ओ$_3$) वाले क्रोम अयस्क के ढेले ।
	कम सिलिका वाला भुरभुरा 4 प्रतिशत से अधिक सिलिका तथा क्रोमियम आक्साइड वाला बढ़िया अयस्क ।
	कैल्सियम युक्त बाक्साइट तथा पश्चिमी तट मूल के 54% से कम एल्यूमोनिक आक्साइड (ए एल$_2$ ओ$_3$) के अल्यूमिना अंश वाले घटिया श्रेणी के बाक्साइड को छोड़कर सभी किस्मों का बाक्साइट मैंगनीज अयस्क जिसमें यह शामिल नहीं हैं—46% से अधिक मैंगनीज वाला लम्पी ब्लेन्डेड मैंगनीज ।

इसके अलावा, दोनों निगम प्रतियोगी आधार पर गैर-सरणीकृत माल का निर्यात बढ़ाना चाहेंगे ।

[अनुवाद]

बैंकों में सुधार सम्बन्धी समिति

5925. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में सुरक्षा कर्मियों की सेवा शर्तों की जांच करने हेतु कोई समिति/कार्यकारी दल की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति/कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कारंवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(i) सुरक्षा कार्मिकों के लिए पदोन्नति के बेहतर अवसर।

(ii) सुरक्षा अधिकारियों को एक स्केल से अगले उच्च स्केल में पदोन्नति के लिए पात्रता मानदण्ड निर्धारित करना।

(iii) विशेषज्ञ सेवा में निर्धारित वर्षों तक सेवा पूरी करने के बाद सुरक्षा कर्मियों को सामान्य बैंकिंग संवर्ग में आने का अवसर प्रदान करना।

(iv) कोर सुरक्षा कार्यकलापों के अलावा, नगदी के लाने ले जाने, सूचना की सुरक्षा तथा हानि की रोकथाम जैसे अतिरिक्त कार्य देकर सुरक्षा अधिकारियों के कार्य में संवर्धन।

(v) अपने सरकारी कार्य को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए सुरक्षा अधिकारियों को बैंकों द्वारा आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तथा वाहन आदि सहायता का प्रावधान करना।

(ग) रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

राजस्थान के हीरा और स्वर्ण आभूषणों के निर्यात व्यापारियों का अभ्यावेदन

5926. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के हीरा और स्वर्ण आभूषणों के निर्यात व्यापारियों का राज्य में निर्यात क्षेत्र बनाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कारंवाई की है; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार ने शुरू-शुरू में दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 100% निर्यातोन्मुख स्वर्ण आभूषण परिसरों की स्थापना के लिए सितम्बर, 1984 में एक योजना अधिसूचित की। वाणिज्य मन्त्रालय ने इन परिसरों की स्थापना करने के लिए एम एम टी सी को एक नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया था। सन 1991 में एम एम टी सी ने प्रचार माध्यमों में विज्ञापन देकर जयपुर काम्पलेक्स में इकाइयां स्थापित करने के लिए व्यापारियों को आमन्त्रित किया। लेकिन, एम एम टी सी को केवल एक निर्यातक से ही सकारात्मक जवाब मिला। इसलिए इस प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।

[अनुवाद]

करवाड़ समुद्र पत्तन

5927. **श्री कोडाकमी गोडाना शिवप्पा :**
श्री बी० कृष्ण राव :
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :
श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार करवाड़ समुद्रपत्तन को मुख्य समुद्रपत्तन घोषित किए जाने के लिए लगातार मांग करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) नव मंगलूर पत्तन पर वर्तमान और प्रस्तावित सुविधाओं को देखते हुए करवाड़ पत्तन को महापत्तन के रूप में घोषित करने की कर्नाटक सरकार की मांग पर इस समय विचार करना आवश्यक नहीं है।

मद्रास में वेजीटेबल कमीशन एजेंटों पर छापे

5928. **डा० राजगोपालन श्रीधरण : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास आयकर जांच महानिदेशक ने मद्रास शहर में वेजीटेबल कमीशन एजेंटों के विरुद्ध जांच शुरू की है;

(ख) क्या इन एजेंटों के परिसरों पर जनवरी, 1992 के दौरान छापे मारे गए थे;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वेजीटेबल विक्रेताओं द्वारा आयकर अधिकारियों पर हमला किया गया था; और

(ङ) ऐसी परिस्थितियों में आयकर अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) आयकर अधिनियम की धारा 133ए(1) के अधीन दिनांक 28 जनवरी, 1992 को मद्रास में एक सब्जी-व्यापारी तथा कमीशन एजेंट के परिसरों का सर्वेक्षण किया गया था, जिसके दौरान उस व्यापारी, उसके कर्मचारियों तथा उस क्षेत्र के अन्य विक्रेताओं ने कड़ा विरोध किया था। उस सर्वेक्षण दल के कुछ सदस्यों पर तथा पुलिस कांस्टेबलों में से एक कांस्टेबल पर हमला भी किया गया था। तत्पश्चात वह सर्वेक्षण दल वापस आ गया और आपराधिक मामले दर्ज किए गए। दोषी व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया था परन्तु बाद में न्यायालय ने उन्हें डॉक्टरी आधार पर जमानत पर रिहा कर दिया था।

(ङ) इस सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय तथा अन्य विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके समुचित प्राशसनिक उपाय किए गए हैं।

लघु बचत योजनाओं में जमा

5929. श्री एन० डेनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 तक की स्थिति के अनुसार लघु बचत योजनाओं में जमा कराने वाले लघु आय समूह, मध्यम आय समूह, उच्च मध्यम आय समूह तथा उच्च आय समूह के लोगों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान इन समूहों में से प्रत्येक लघु बचत योजनाओं में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अल्प बचत योजनाओं में जमा कराते समय निवेशकों को अपनी आय बताने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मांगी गई सूचना संग्रह कार्यालयों में उपलब्ध नहीं है।

सम्बलपुर-राऊरकेला राष्ट्रीय राजमार्ग पट्टी

5931. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बलपुर-राऊरकेला राष्ट्रीय राजमार्ग पट्टी पर सुधार कार्य की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्माण कार्य को तेज करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने हेतु निर्धारित समय सीमा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सम्बलपुर-राऊरकेला रूट राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है अपितु राज्य सड़क प्रणाली का एक भाग है। इसलिए इसके विकास के लिए मुख्यतः उड़ीसा सरकार जिम्मेदार है। इस सड़क के सुधार कार्य को एशियाई विकास

बैंक सहायता के तहत दूसरी सड़क सुधार परियोजना में शामिल कर लिया गया है जिसके लिए ऋण पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। कार्य-निष्पादन के लिए निविदाएं राज्य सरकार को पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। कार्य का ठेका दिए जाने के बाद इस परियोजना के 4 वर्ष में पूरे हो जाने की सम्भावना है।

विदेशी मुद्रा बहिर्गमन

5932. **श्री देवी प्रसाद पाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश से विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को रोकने हेतु कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1990-91 की तुलना में 1991-92 के दौरान विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को और कम करने तथा विशेष तौर पर सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह पर रोक लगाने की दृष्टि से मुख्यतया आयातों को प्रभावित करने वाले अनेक परिपत्र जारी किए थे। आयात पर रोक सम्बन्धी उपायों मे नकद मार्जिन अपेक्षाएं, पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की बिक्री पर प्रतिबन्ध, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीकृत अनुमोदन आदि शामिल हैं।

(ग) अप्रैल, 1991 से जनवरी. 1992 के बीच वित्तीय वर्ष के दौरान आयातों के कारण विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 35,890 करोड़ रुपए (202490 लाख डालर) की तुलना में 38,531 करोड़ रुपए (159290 लाख डालर) था।

(घ) सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले विदेशी दौरों की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब उन्हें व्यापार, सहायता और विदेशी नीति के विशिष्ट संदर्भ में निहायत आवश्यक समझा जाता है। चालू वित्त वर्ष के लिए अपने विदेशी यात्रा बजट में 20 प्रतिशत की कटौती करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

प्रतिव्यक्ति कपड़े की उपलब्धता

5933. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि के प्रारम्भ होने के पूर्व देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में प्रतिव्यक्ति कपड़े की उपलब्धता कितनी थी;

(ख) क्या पिछली पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी; और

(घ) समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए अच्छी किस्म के और अधिक कपड़े के उत्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना (अर्थात 1973) के शुरू होने से तत्कालिक पहले देश में कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 13.74 मीटर थी। किसी विशेष राज्य की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्टैण्डर्ड किस्मों के कपड़े का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई हैं :—

1. जनता कपड़ा योजना
2. सुलभ योजना
3. सौभाग्य साड़ी योजना
4. सुषमन कपड़ा योजना

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा निवेश

5934. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में कम निवेश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में राज्य-वार किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास

बैंक ने सूचित किया है कि यह सत्य नहीं है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कम निवेश किया है। इसके विपरीत, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा की गयी स्वीकृतियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गत 3 वर्षों, अर्थात् 1988-89, 89-90 तथा 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वीकृत सहायता

क्रमसं०	राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	505.6	569.5	654.3
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.8	1.0	1.1
3.	असम	46.1	110.7	37.6
4.	बिहार	164.8	157.5	56.2
5.	गोवा	61.2	73.9	35.5
6.	गुजरात	806.5	863.6	799.1
7.	हरियाणा	145.7	342.3	121.6
8.	हिमाचल प्रदेश	88.8	110.0	146.5
9.	जम्मू व कश्मीर	69.1	54.1	18.3
10.	कर्नाटक	347.6	417.0	368.2
11.	केरल	164.5	192.6	119.0
12.	मध्य प्रदेश	385.2	425.5	553.3
13.	महाराष्ट्र	701.8	1413.6	1368.8
14.	मणिपुर	7.4	11.1	0.8
15.	मेघालय	11.7	9.3	2.7
16.	मिजोरम	7.1	4.0	1.1
17.	नागालैंड	5.5	3.0	0.8

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	232.0	230.1	110.2
19.	पंजाब	255.5	202.6	126.0
20.	राजस्थान	495.8	268.3	314.8
21.	सिक्किम	3.4	8.0	0.2
22.	तमिलनाडु	688.7	704.8	519.5
23.	त्रिपुरा	5.4	7.9	—
24	उत्तर प्रदेश	753.7	607.9	592.5
25.	पश्चिम बंगाल	254.6	328.9	199.5
26.	संघ राज्य क्षेत्र	158.6	140.6	81.2
	कुल :	6357.1	7257.8	6228.8

[अनुवाद]

स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा दिए गए ऋण

5935. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी गरीब लोगों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम आदि के लिए दिए जाने वाले ऋणों में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश स्थित स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं द्वारा उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान बैंक के कार्य-निष्पादन में विशेष गिरावट नहीं आयी है। 1989-90 और 1990-91 के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैंक की तुलनात्मक स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी है :—

(राशि लाख रुपए में)

वर्ष	स्वीकृतियां		संवितरण	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1989-90	792	191.33	648	152.41
1990-91	850	206.35	614	144.13

इसी प्रकार, शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा की गयी स्वीकृतियों एवं संवितरण से सम्बन्धित स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है :—

(राशि लाख रुपए में)

वर्ष	स्वीकृतियां		संवितरण	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1989-90	3182	134.61	2894	117.70
1990-91	1477	79.08	1448	63.5

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना और शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम जैसी योजनाओं के लिए बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों की कुल राशि निम्नानुसार है :—

(राशि लाख रुपए)

राज्य	शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना	शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना
मध्य प्रदेश	87.09	17.68
उत्तर प्रदेश	1.16	0.92

तस्करों द्वारा धार्मिक स्थलों का उपयोग

5936. श्री सुधीर सावंत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के और विशेष रूप से महाराष्ट्र के धार्मिक स्थलों का तस्करी कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे किसी मामले का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों सहित प्रवर्तन कार्य से जुड़ी हुई विभिन्न एजेंसियों से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विदेशी कारों की बिक्री

5937. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम भारत में राजनयिकों द्वारा बेची गई विदेशी कारें सरकारी विभागों को अथवा जनता को नीलामी द्वारा बेचने के लिए खरीदता है;

(ख) यदि हां, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदी गई कारों की संख्या क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में पालन किए जाने वाले नियमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) एस०टी०सी० द्वारा विदेशी कारों की खरीद आवधिक आधार पर समुचित प्रचार करके मुहरबन्द निविदाओं के जरिए नीलामी द्वारा सरकारी विभागों तथा जनता दोनों की बिक्री के लिए की जाती है।

(ख) एस०टी०सी० द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदी गई कारों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :

वर्ष	कारों की संख्या
1988-89	439
1989-90	545
1990-91	459

(ग) राजनयिकों द्वारा आयातित कारों के निपटान के बारे में विदेश मंत्रालय ने जो नियम

अधिसूचित किए हैं उनमें ये शामिल हैं :—

— भारत सरकार, किसी विशेषाधिकृत व्यक्ति अथवा किसी विशेषाधिकृत संगठन को मोटर वाहन आयात करने की अनुमति आमतौर पर मौजूदा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने के आधार पर प्रदान करेगी जिसे मोटर वाहन का स्वामी भारत में किसी अन्य विशेषाधिकृत व्यक्ति अथवा विशेषाधिकृत संगठन को बेच सकेगा अथवा उसका निर्यात कर सकेगा।

— विकल्पतः विशेषाधिकृत व्यक्ति को भारत से अपने तबादले अथवा पदभार सौंपते समय इस बात की अनुमति होगी कि वह अपनी कार को बिक्री के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को आफर करे। इस प्रयोजन के लिए, विशेषाधिकृत व्यक्ति को चाहिए कि वह निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन-पत्र विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत करे।

— राजनयिक मिशनों को यह अनुमति होगी कि वे अपनी सरकारी/निजी कारों को आमतौर पर भारत में आयात करने से 3 वर्षों के बाद एस०टी०सी० को बेच सकेंगे। यदि किसी राजनयिक अधिकारी का तबादला उक्त 3 वर्षों की अवधि समाप्त होने से पहले ही हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह अपनी कार को विदेश मंत्रालय की अनुमति से एस०टी०सी० अथवा किसी अन्य विशेषाधिकृत व्यक्ति/संगठन को बेच सकेगा।

— विशेषाधिकृत व्यक्तियों और संगठनों द्वारा एस०टी०सी० को बेची जाने वाली कारों की मूल्यह्रास-दर निम्नानुसार होगी :—

(1) दिनांक 31 मार्च, 1990 के बाद आयात की गई कारें

कार के ह्रासमान मूल्य पर प्रति तिमाही 3%

(2) दिनांक 31 मार्च, 1990 को या उसके बाद आयात की गई कारों के मामले में

(क) दिनांक 31 मार्च, 1990 तक के प्रयोग की अवधि के लिए पुरानी ह्रासमान-दर अर्थात् प्रति तिमाही सी०आई०एफ० मूल्य के 10% की दर लागू होगी।

(ख) दिनांक 1 अप्रैल, 1990 से आगे प्रयोग की अवधि के लिए कार के ह्रासमान मूल्य पर 3% प्रति तिमाही।

— कारों का सी०आई०एफ० मूल्य विनिर्माता के बीजक पर आधारित होगा।

— नई कारों के मामले में मूल्यह्रास कार के आयात की उस तारीख से लागू होगा जिसका उल्लेख आगम बिल में हो। ऐसी कारों के मामले में जिनका भारत में आयात होने से पहले विदेशों में प्रयोग हुआ हो, मूल्यह्रास उसके बीजक की तारीख से लागू होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आवास बैंक में जमाराशियां

5938. प्रो० राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय आवास बैंक जमाकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है और राष्ट्रीय आवास बैंक में उसकी स्थापना के समय से वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि जमा की गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : राष्ट्रीय आवास बैंक व्यक्तियों से सीधे जमाराशियां स्वीकार नहीं करता। तथापि राष्ट्रीय आवास बैंक 1-7-89 से आवास ऋण खाता (एच० एल० ए०) नामक एक योजना का परिचालन कर रहा है, जिसमें लोगों द्वारा राशियां जमा की जाती हैं। यह योजना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और कुछ चुनी हुई आवास वित्त कम्पनियों के माध्यम से परिचालित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए एच०एल०ए० योजना के अन्तर्गत जमाराशियों के अनुमानित आंकड़े निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

की स्थिति के अनुसार वर्ष	खातों की संख्या	जमाराशियां
31-3-90	2.57 लाख	26.19
31-3-91	4.39 लाख	84.61
31-1-92	5.56 लाख	107.26

31-1-92 की स्थिति के अनुसार आवास ऋण खाता योजना सम्बन्धी राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

31-1-92 की स्थिति के अनुसार गृह ऋण खाते की स्थिति—राज्यवार

क्रम सं०	वर्ग	खातों की संख्या*	राशि* (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	153.96	3313.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3.	असम	3.24	88.73

1	2	3	4
4.	बिहार	6.77	213.41
5.	गुजरात	66.83	473.41
6.	गोवा, दमन व दीव	2.37	47.20
7.	हरियाणा	7.60	105.45
8.	हिमाचल प्रदेश	0.61	26.24
9.	जम्मू व कश्मीर	0.18	19.06
10.	कर्नाटक	96.78	2511.42
11.	केरल	9.54	261.73
12.	मध्य प्रदेश	19.95	417 63
13.	महाराष्ट्र	39.54	852.08
14.	मणिपुर	0.09	0.08
15.	मेघालय	0.09	0.83
16.	मिजोरम	0.00	0.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	7.02	143.85
19.	पंजाब	0.90	32.70
20.	राजस्थान	23.95	221.96
21.	सिक्किम	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	36.81	767.84
23.	त्रिपुरा	0.09	0.03
24.	उत्तर प्रदेश	25.07	496.04
25.	पश्चिम बंगाल	11.57	208.60
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00
27.	चण्डीगढ़	15.00	183.64
28.	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00

1	2	3	4
29.	दमन व दीव	0.00	0.00
30.	दिल्ली	28.14	341.37
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.15	0.30
	योग :	556.27	10726.68

*अनुमानित।

[अनुवाद]

एच० एस० एल० और सी० एस० एल० का मूल्य निर्धारण सूत्र

5939. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मूल्य निर्धारण सूत्र में संशोधन और इसका पुनर्निर्धारण करने के लिए कोई उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) निम्नलिखित मुख्य तीन अध्ययन पूरे किए गए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० और कोचीन शिपयार्ड लि० द्वारा निर्मित जहाजों के मूल्य निर्धारण फार्मूला के संशोधन और पुनः संरचना से सम्बन्धित हैं।

1. औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट।

2. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० के कार्यकरण के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट।

3. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यकरण के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट।

(ख) उपर्युक्त रिपोर्टों में की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

1. वाणिज्यिक समुद्रगामी जहाजों के सम्बन्ध में शिपयार्डों को दी जा रही जहाज निर्माण सब्सिडी को अन्तर्राष्ट्रीय समता मूल्य (आई० पी० पी०) के वर्तमान 30% से बढ़ाकर 40% करना।

2. घरेलू जहाज निर्माण को 100% निर्यात कार्य मानते हुए घरेलू शिपयार्डों को सरकार के साथ भारतीय शिपिंग लाइनों द्वारा विश्वव्यापी स्तर पर निविदाएं भरने में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए और जहाज निर्माण उद्योग को 100% निर्यात अभिमुख यूनिट का स्तर प्रदान किया जाए।

3. विदेशी मुद्रा में अन्तर्राष्ट्रीय समता मूल्य का निर्धारण और जहाज मालिक अदायगी की वास्तविक तारीख को मौजूद विदेशी मुद्रा की समता दर पर शिपयार्ड को प्रत्येक स्टेज किश्त का भुगतान करें।

4. ऐसे जहाजों का निर्माण देश में नहीं किया जाना चाहिए जिसकी आयात सम्बन्धी मदें उसी जहाज के अन्तर्राष्ट्रीय समता मूल्य से अधिक होने की सम्भावना हो।

5 जहाजों को बिक्री कर से छूट दी जाए।

(ग) उपर्युक्त रिपोर्टों में दी गई सिफारिशों के आधार पर और आर्थिक और औद्योगिक नीतियों में हाल में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारण फार्मूले के संशोधन और पुनर्संरचना का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

कोचीन शिपयार्ड

5940. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड को पिछले तीन वर्षों के दौरान किस प्रकार ऋण दिया गया है;

(ख) पोतों की मरम्मत के लिए दिए गए क्रयादेशों की स्थिति क्या है, और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इस समय नए पोतों के निर्माण की स्थिति का ब्योरा क्या है; और

(ग) पोतों के मरम्मत के कार्य में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कितनी प्रगति की है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन व के दौरान कोचीन शिपयार्ड को निम्नलिखित अर्थोपाय ऋण मंजूर किए गए :

1989-90	शून्य
1990-91	शून्य
1991-92	16.35 करोड़ रु०

(ख) नौवहन कम्पनियां जहाज मरम्मत के लिए अग्रिम आर्डर नहीं देतीं और समय-समय जहाज मरम्मत की जरूरत पड़ती है। तथापि, वर्तमान संकेतों के अनुसार शिपयार्ड का अनुमान है वे 1992-93 में लगभग 36 करोड़ रु० का जहाज निर्माण कार्य कर सकेंगे। जहाज निर्माण के ि इस समय 86000 डी० डब्ल्यू० टी० के दो क्रूड आयल टैंकरों के निर्माण के आर्डर हैं। इनमें से।

टैंकर को 29-2-92 को लांच कर दिया गया था और इस जहाज में आउट फिटिंग का कार्य चल रहा है। अन्य टैंकरों के लिए स्टील सामग्री के आर्डर दे दिये गए हैं और 1992 के दौरान इसका निर्माण शुरू किए जाने की संभावना है।

(ग) 1991-92 के लिए जहाज मरम्मत का लक्ष्य मूलत: 22 करोड़ रु० का निर्धारित किया गया था और वास्तविक निष्पादन के आधार पर इसे संशोधित करके 30 करोड़ रु० कर दिया गया था वास्तविक निष्पादन संशोधित लक्ष्य से भी अधिक होने का अनुमान है। जहाज मरम्मत कारोबार में निरन्तर वृद्धि हुई है, यह कारोबार 1989-90 में 21.70 करोड़ रु० का था जो 1990-91 में बढ़कर 22.44 करोड़ रु० का हो गया और 1991-92 में 30 करोड़ रु० से अधिक हो गया। 1992-93 के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य 36 करोड़ रु० का है।

निर्यात संवर्धन परिषदों के लिए अनुदान सहायता बंद करना

5941. **श्री अम्बारासु इरा :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु कितने निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की गई है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परिषदों ने निर्यात को कितना प्रोत्साहित किया है;

(ग) क्या इन संगठनों को बंद करने अथवा इन संगठनों को सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान सहायता बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी उपक्रमों में निर्यात प्रोत्साहन परिषदों के कर्मचारियों को पुनर्नियुक्ति करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार सभी निर्यात प्रोत्साहन परिषदों को एक छत्र के नीचे लाने का भी है ताकि इन निर्यात प्रोत्साहन परिषदों के अनेक कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके; और

(ज) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(1) वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत

1. इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता।

2. ओवरसीज कन्स्ट्रक्शन काउन्सिल ऑफ इण्डिया, बम्बई।

3. मूल रसायन, भेषज तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई।

4. रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता।

5. प्लास्टिक तथा लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई।

6. काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्ट्स मद्रास।

7. रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई।

8. खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।

9. चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता।

10. काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन।

11. इलेक्ट्रानिक्स तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।

(2) वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत

1. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई।

2. सिंथेटिक तथा रेयन टेक्सटाइल निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई।

3. इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, बम्बई।

4. अपेरल निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।

5. ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।

6. कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।

7. हथकरघा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास।

8. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली।

निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) की भूमिका

निर्यात संवर्धन परिषदों का मुख्य कार्य विदेश में ऊंची क्वालिटी की वस्तुओं और सेवाओं के एक विश्वसनीय सप्लायर के रूप में भारत की छवि को दर्शाना है। विशेष रूप से परिषदों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निर्यातकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों और विशिष्टताओं के अनुपालन को बढ़ावा दें और उसे मानीटर करें। निर्यात संवर्धन परिषदें माल एवं सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की प्रवृत्तियां और अवसरों से बराबरी बनाए रखेंगी और अपने सदस्यों को उन अवसरों का लाभ उठाने में सहायता देंगी, ताकि निर्यात बढ़े और उनमें विविधता आए।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारियों की बहाली

5942. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के सभी कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं कुछ वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गयी थीं, को बहाल कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो अभी कितने कर्मचारियों की बहाली की जानी है; और

(ग) उन्हें कब तक बहाल कर दिए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम के उन 3125 कर्मचारियों में से जो 1988 की गैर-कानूनी हड़ताल में शामिल होने के कारण निलम्बित कर दिए गए थे, 3004 कर्मचारी पहले ही बहाल किए जा चुके हैं। निलम्बित शेष 121 कर्मचारियों में से 12 कर्मचारियों का देहांत हो चुका है और 109 कर्मचारियों ने बहाली के लिए कारंवाई नहीं की।

मकानों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की सहायता

5943. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक, मुम्बई ने गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को मकानों के निर्माण और मरम्मत के लिए राज्य कृषि ग्रामीण विकास बैंकों से पुनर्वित्त-पोषण की सुविधाएं दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ने विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों में अंशदान के लिए एक योजना तैयार की है, जिसकी शर्तों के अनुसार कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष ग्रामीण

आवास डिबेंचरों में राष्ट्रीय आवास बैंक पूरी तरह अंशदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार की गारण्टी के तहत ग्रामीण आवास के लिए सम्पूर्ण ऋण प्रणाली आती है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने अभी तक विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों में अंशदान के लिए योजना के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक से वित्तीय सहायता के लिए आवेदन नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

जूट मिलें

5944. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर बिहार के सहरसा जिले में कुछ जूट मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) नयी औद्योगिक नीति के अनुसार बिहार में सहरसा सहित देश के किसी भी भाग में पटसन मिल स्थापित करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

5945. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मैंगनीज अयस्क के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है; और

(ख) सरकार का विचार मैंगनीज अयस्क के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को क्या क्या सुविधाएं देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मैंगनीज अयस्क के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नवत है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	मूल्य
1988-89	13.51
1989-90	38.03
1990-91	41.54

(घ) मैंगनीज अयस्क का निर्यात सरकार द्वारा रिलीज की गयी गुणवत्ता/मात्रा सम्बन्धी वार्षिक सीलिंग के अन्तर्गत घरेलू आवश्यकता तथा संरक्षण बिंदु को ध्यान में रखते हुए, सरणीकरण एजेंसी एम० एम० टी० सी० द्वारा किया जा रहा है। मैंगनीज अयस्क के निर्यात पर कर्मों (एल० ई० आर० एम० एस०) के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ भी उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

रक्षा विभाग की भूमि का उपयोग

5946. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में रक्षा विभाग की काफी समय से बेकार पड़ी भूमि का हाल ही मे मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार की भूमि का उपयोग किस प्रकार करने का है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) रक्षा भूमि का इस्तेमाल करने वाली सम्बन्धित सेनाओं द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध भूमि को समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है ताकि उसका अधिकतम उपयोग हो सके जो भूमि खाली दीखती है उसका अलग से मूल्यांकन नही किया जा रहा है क्योंकि यह आवश्यक नही है कि वह भूमि रक्षा आवश्यकताओं से फालतू हो। उसे विभिन्न प्रशिक्षणों तथा अन्य सुरक्षा सम्बन्धी जरूरतों के लिए भविष्य में उपयोग करने के लिए खाली रखा जा सकता है।

वर्तमान भूमि नीति के अनुसार, रक्षा आवश्यकताओं से फालतू पड़ी भूमि का सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से निपटान किया जाता है।

नीचे दी गई एजेंसियों को प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम मे सीधी बिक्री द्वारा भूमि के निपटान पर भी विचार किया जा सकता है :—

1. केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय।

2. राज्य सरकारें।

3. स्थानीय निकाय।

4. शैक्षिक तथा धर्मार्थ संस्थान।

5. भूतपूर्व सैनिक।

भूतपूर्व सैनिकों को, जहां भूमि बेची जा रही हो वहां का नक्शा तैयार होने पर, केवल भवन के निर्माण के लिए एक प्लाट दिया जा सकता है।

गोआ में खनन उद्योग

5947. **श्री विजय नवल पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान द्वारा आयात में कटौती के कारण गोआ में खनन उद्योग को कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा के कारण गोआ के खनिजो के लिए जापान की मांग मे कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का गोआ के खनिजों को और अधिक प्रतियोगी बनाने और जापान को इसका मुख्य आयातक बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जापानी इस्पात मिलो द्वारा उनके पास लौह अयस्क को बड़ी सूची के कारण लौह अयस्क की कम खरीद तथा इस्पात कम उत्पादन के पूर्वाभास से वर्ष 1992-93 के दौरान गोआ के खनन उद्योग पर आंशिक प्रभाव पड़ सकता है ।

(ग) भारत से खनिज के निर्यात को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से खनिजों और अयस्कों सहित सभी निर्यात पर स्वीकार्य उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध योजना के अंतर्गत डालर-रुपया परिवर्तनशीलता के लाभ के अलावा संसाधित खनिजों के निर्यात पर आयकर अधिनियम की धारा 80 एच०एच०सी० के अन्तर्गत लाभ भी प्रदान किए गए है ।

नए सूती धागा एकक

5948. **श्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन नए सूती धागा एककों का वर्ष-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्पादन प्रारम्भ किया; और

(ख) सरकार उन शेष एककों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है जो लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत भी उत्पादन प्रारम्भ करने मे सक्षम नहीं हो सकी हे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इसके साथ विवरण I और II संलग्न हैं ।

(ख) 25 जुलाई 1991 को अधिसूचित नई औद्योगिक नीति के अनुसरण मे यह दायित्व एककों पर हैं कि वे यह देखें कि उत्पादन शुरू हो गया है ।

विवरण-I

वर्ष 1990-91 के दौरान सूती/मानव निर्मित फाइबर टेक्सटाइल द्वारा शुरू किए गए उत्पादन का ब्यौरा

क्रम सं०	मिल का नाम	उत्पादन आरम्भ होने की तारीख	स्थापित क्षमता	
			तकुए	रोटर्स
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	कृष्णगंगा स्पि० मिल्स लि० कोराइकुड्डी	21-01-91	7,056	—
2.	गोथमी स्पिनर्स, कथमाम ज़िला	जुलाई, 90	—	384
मध्य प्रदेश				
3.	हिन्द स्पिनर्स, राजगढ़	6-03-91	13,840	—
4.	सूर्यवंशी स्पि० मिल्स, राजनन्दगांव	फरवरी, 91	7,036	304
महाराष्ट्र				
5.	बाबासाहिब नायक कुपुस उत्पादन सहकारी सूत गिरनी लि०, जिला योतमल	15-11-90	24,960	—
तमिलनाडु				
6.	सलोचना काटन मि० (प्रा०) लि०	1-12-90	6,160	—
7	श्री रामकृष्ण मिल्स (सी०बी०ई०) लिमिटेड	दिसम्बर, 92	6,792	—
8.	दि कुमारन मिल्स लि,० अविनाशी	25-02-12	12,320	—
9.	एस० बी० पी० बी० स्पिनर्स लि० डिण्डीगल	22-06-90	—	168
10.	श्री सर्वेश काटन मिल्स, थेनी	22-11-90	8,864	—
11.	शनमुगाप्रिया टैक्स (प्रा०) लि०	जनवरी, 91	3,880	—
12.	सुम्रन स्पि० मिल्स (प्रा०) उदमा पेथ	जून, 90	20,352	—

1	2	3	4	5
	13. शोबर्नीका यार्न एण्ड फैब्रिक्स (प्रा०) लि०	जुलाई, 90	4,320	—
	14. दि उटी मिल्स (प्रा०) लि० सी० बी० ई०	नवम्बर, 90	4,400	—
	15. मिनार टैक्सटाइल इण्ड० लि० कोराइकुट्टी	1-10-90	488	—
	उत्तर प्रदेश			
	16. गिन्नी फिलामेंट्स लि०	31-10-90	12,096	—
	17. ट्यूब टैक्स लि०, गाजियाबाद	अप्रैल, 90	10,368	—
	18. माडर्न इण्डस्ट्रीज, गाजियाबाद	फरवरी, 91	—	576
	पांडिचेरी			
	19. ईनारम स्पिनर्स	मार्च, 91	—	336
	हिमाचल प्रदेश			
	20. आजी स्पि० मिल्स	20-3-91	20,160	—

विवरण-II

वर्ष 1991-92 के दौरान सूती/मानव निर्मित फाइबर टैक्सटाइल मिल्स द्वारा शुरू किए गए उत्पादन का ब्यौरा

क्रम सं०	मिल का नाम	उत्पादन आरम्भ होने की तारीख	स्थापित क्षमता	
			तकुए	रोटर्स
1	2	3	4	5
कर्नाटक				
1.	तुंगभद्रा फार्मर्स को० स्पि० मिल्स धारवाड़	2-5-91	12,860	—
मध्य प्रदेश				
2.	इण्डो रामा एक्सपोर्टस, धार	सितम्बर, 91	7,680	—

1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र			
	3. पी० बी० टैक्सटाइल्स लि०	20-2-92	9,696	168
	उड़ीसा			
	4. लिंगराज टैक्सटाईल्स	21-2-92	5,040	—
	पंजाब			
	5. श्रेयामा स्पि० मिल्स	20-2-92	15,000	—
	6. नाहर एक्सपोर्ट्स लि० लुधियाना	23-3-92	14,112	—
	तमिलनाडु			
	7. अंबवार कॉटन मिल्स (प्रा०) लि० अवनाशी	5-7-91	3,840	—
	8. प्राईमा प्रोडक्ट्स, अवनाशी	1-9-91	—	2016
	9. डी० बी० बी० काटन मिल्स (प्रा०) लि०	23-3-92	6,240	—
	10. सेनगामालूर स्पिनर्स (प्रा०) लि० मन्नरगुडी	23-5-91	1,440	—
	11. श्री चिनामनी टैक्सटाईल्स मिल्स (प्रा०) लि०, तिरुमनचलाई	1-5-91	5,040	—
	12. जे० एस० काटन स्पि० मिल्स, कोयम्बटूर	20-2-92	840	—
	13. सज्जन स्पि० मिल्स	23-3-92	3,000	—
	हिमाचल प्रदेश			
	14. मास्वा काटन स्पि० मिल्स	20-2-92	24,192	—

रबड़ का उत्पादन

5949. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान देश के राज्यवार कुल कितनी मात्रा में रबड़ का उत्पादन हुआ; और

(ख) रबड़ के पेड़ लगाने के लिए कुल कितने क्षेत्र का उपयोग किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का राज्यवार अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार रहा :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्पादन (मी० टन) 1991-92 (अनुमानित)
केरल	341,500
तमिलनाडु	14,500
कर्नाटक	7,100
त्रिपुरा	1,100
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	500
अन्य	300
योग :	365,000

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान रबड़ के पेड़ लगाने के लिए उपयोग किया गया कुल अनुमानित क्षेत्र 460,000 हेक्टेयर है।

[हिन्दी]

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा आयात और निर्यात

5950. श्री नीतीश कुमार : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम को आयात और निर्यात गतिविधियों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं और कर्मचारी उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) क्या सरकार के विभिन्न विभाग भी आयात और निर्यात गतिविधियों में संलग्न हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में व्यय को न्यूनतम करने की दृष्टि से आयात और निर्यात के कार्य को राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम को सौंपने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान का कार्यालय (डी० जी० एस० एण्ड डी०) केन्द्रीय खरीद संगठन के रूप में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों, आदि की ओर से खरीददारी करता है। अन्य सरकारी विभाग भी परिस्थितियों के अनुसार सीधे आयात/निर्यात कर सकते हैं।

(घ) से (च) व्यापार नीति को उदार बनाने के सन्दर्भ में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

दक्षिणी राज्यों से निर्यात

5951. **श्री गंगाधर सानीपल्ली** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात में वृद्धि किए जाने हेतु दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रों का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया था अथवा कोई संगोष्ठी आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण (अब भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन) ने वर्ष 1990-91 में तमिलनाडु और वर्ष 1991-92 में आंध्र प्रदेश के सम्बन्ध में "निर्यात संवर्धन के लिए कार्य योजना" नामक दो अध्ययन किए हैं। कार्य-योजना से निर्यात संवर्धन के लिए प्रशस्त उत्पादों का पता लगाया गया।

तमिलनाडु के लिए अध्ययन के एक भाग के रूप में दिनांक 31-1-1991 को मद्रास में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। संगोष्ठी की सिफारिशों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सम्बन्धित अधिकारियों में परिचालित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

दिल्ली में निजी बस मालिकों से प्राप्त आवेदन

5952. **श्री खारे लाल जाटव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में निजी बस मालिकों की ओर से उनकी बसों के किरायों में संशोधन करने के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम के किराए में संशोधन के अनुसरण में प्राइवेट बस प्रचालक एसोसिएशन ने उनकी बसों के किराए संशोधित करने के लिए दिल्ली प्रशासन को अभ्यावेदन दिया था। तदनुसार, दिल्ली प्रशासन ने जनवरी, 1992 में प्राइवेट बसों के किराए संशोधित कर दिए। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

दूरी	किराया
0—6 कि०मी०	1 रु०
6—10 कि०मी०	2 रु०
16 कि०मी० से अधिक	3 रु०

उद्योगपतियों पर छापे

5953. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1988 से मार्च, 1991 तक की अवधि के दौरान आयकर अधिकारियों के द्वारा कितने उद्योगपतियों पर छापे मारे गए;

(ख) इन उद्योगपतियों से आयकर की कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) कितने मामलों में उन्होंने स्थगनादेश ले लिया; और

(घ) इन सभी मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) आयकर विभाग ने मार्च, 1988 से मार्च, 1991 की अवधि के दौरान विविध कर-निर्धारितियों की 17,660 तलाशियां ली थीं। करों की वसूली कर-निर्धारण के मुकम्मल होने तथा अपीलों आदि का अन्तिम रूप से निपटान होने से पूर्व तथा उसके पश्चात् अनेक स्तरों पर की जाती है। इसी प्रकार, ऐसा भी हो सकता है कि तलाशी तथा अभिग्रहण; कर-निर्धारण; वसूली की कार्यवाहियों आदि के खिलाफ स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए जाएं। इन मुद्दों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा उद्योगपतियों, व्यापारियों, व्यावसायिकों, वेतन-भोगियों आदि जैसे विविध श्रेणियों के कर-निर्धारितियों के बारे में मामला-वार कोई समेकित रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(घ) विविध कार्यवाहियों को मुकम्मल करने के लिए आयकर अधिनियम के अधीन समय-सीमाएं विनिर्दिष्ट की गई है। इस प्रकार की कार्यवाहियों पर शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए समय-समय पर समुचित प्रशासनिक उपाय भी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर प्रणाली का आयात

5954. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक :**
श्री आर्थ फर्नान्डीज :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात पावती पत्रों पर इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के अलावा सभी इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रणालियों का आयात करने की अनुमति देने वाली एक सार्वजनिक अधिसूचना हाल ही में जारी की गई है;

(ख) क्या वर्तमान नीति के अनुसार सीमा शुल्क अधिकारी आयात-निर्यात पावती-पत्र पर कम्प्यूटर प्रणाली का आयात करने की अनुमति दे सकेंगे;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि सीमा-शुल्क अधिकारियों को दिए गए विरोधाभासी निर्देशों के कारण कम्प्यूटर प्रणाली के बड़े खेप विभिन्न पत्तनों पर रुके पड़े हैं;

(घ) क्या भारतीय कम्प्यूटर उद्योग ने कम्प्यूटर प्रणाली के आयात से अस्थाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि कम्प्यूटर सिस्टम की कई खेप विभिन्न पत्तनों पर एक्जिम स्क्रिप के आधार पर निकासी के लिए पहुंची थी और यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि कम्प्यूटरों तथा कम्प्यूटर-आधारित सिस्टम के आयात की अनुमति एक्जिम स्क्रिप के आधार पर नहीं दी जाती।

(घ) जी, हां।

(ङ) 6 लाख रुपए से कम सी०आई०एफ० मूल्य के व्यक्तिगत कम्प्यूटरों सहित कम्प्यूटर सिस्टम को 31 मार्च, 1992 को घोषित निर्यात-आयात नीति, 1992-97 की नकारात्मक आयात सूची में रखा गया है।

थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

5955. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वस्तु समूहों का नवीनतम थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या-क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों की तुलना में वे कितने-कितने हैं; और

(ग) इन सूचकांकों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विभिन्न वस्तु समूहों के थोक मूल्य सूचकांक और औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा पिछले तीन वर्षों के लिए तदनुरूपी आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इन सूचकांकों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें ये शामिल हैं : राजकोषीय घाटे में कमी द्वारा कठोर राजकोषीय अनुशासन, मूल्य संवेदी आवश्यक वस्तुओं के विरुद्ध मुद्रा पूर्ति और बैंक ऋण में वृद्धि, आवश्यक/संवेदनशील वस्तुओं की पूर्ति और मांग का अधिक कारगर प्रबन्ध तथा जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना। मूल्यों में अध्यावधिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के वास्ते प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

विवरण

1. 14 मार्च, 1992 के अनुसार और तदनुरूपी पिछले तीन वर्षों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (समूहवार)

(आधार : 1981-82=100)

समूह/वस्तु	सूचकांक			
	11 मार्च, 1989	17 मार्च, 1990	16 मार्च, 1991	14 मार्च, 1992*
1	2	3	4	5
सभी वस्तुएं	156.5	169.6	191.6	216.5
I प्राथमिक वस्तुएं	156.7	166.2	195.5	229.4
(क) खाद्य वस्तुएं	174.2	176.9	211.5	257.6
(क) खाद्यान्न	166.9	158.8	196.5	246.7
(ख) फल और सब्जियां	157.5	164.6	206.0	242.9

1	2	3	4	5
(ख) खाद्य-भिन्न वस्तुएं	154.1	174.9	209.2	235.6
(ग) खनिज	98.8	109.5	109.0	114.6
II. ईंधन, विद्युत, बिजली और स्नेहक (लुब्रीकेंट्स)	155.2	157.6	188.6	213.6
III. विनिर्मित उत्पाद	156.6	173.7	190.0	209.7
(क) खाद्य उत्पाद	147.8	166.2	190.8	210.7

* अनन्तिम

2. जनवरी, 1992 और तदनुरूपी पिछले तीन वर्षों के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
(आधार : 1982=100)

समूह/वस्तु	सूचकांक			
	जनवरी, 1989	जनवरी, 1990	जनवरी, 1991	जनवरी, 1992
सामान्य	165	174	202	228
1. खाद्य	170	175	211	242
2. पान, सुपारी, तम्बाकू और मादक द्रव्य	195	229	249	288
3. ईंधन और बिजली	164	173	197	207
4. आवास	165	178	192	206
5. वस्त्र, बिस्तरे और जूते	128	145	153	74
6. विविध	161	176	193	219

[हिन्दी]

बैंक ऋणों के लिए ब्याज दर

5956. श्री राम टहल चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंक औद्योगिक घरानों को 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंक कौन-कौन से हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष औद्योगिक घरानों को उक्त ब्याज दर पर कुल कितना ऋण दिया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिनांक 22 सितम्बर, 1991 से ऋणों के ब्याज दर ढांचे को ऋण की मात्रा से जोड़ा गया है। 7500 रुपए तक के ऋणों के लिए ब्याज दर 10 प्रतिशत तथा 2.00 लाख रुपए के ऊपर 16 प्रतिशत (निम्नतम) निर्धारित की गई हैं। परन्तु इन दरों में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं तथा उपर्युक्त ऋण सीमा के लिए वर्तमान दर 11.5 प्रतिशत तथा 19 प्रतिशत (निम्नतम) है। 2.00 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमा के मामले में बैंक वास्तविक ऋण दरों को निर्धारित करने में स्वतन्त्र हैं। संभवतया, औद्योगिक घरानों को 2.00 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाएं उपलब्ध हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, बैंक ऐसे अग्रिमों के सम्बन्ध में ब्याज की दर 10 प्रतिशत निर्धारित नहीं कर सकते। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां बैंकों ने औद्योगिक घरानों के अग्रिमों के सम्बन्ध में 10 प्रतिशत का ब्याज लिया हो।

[अनुवाद]

युद्ध में शहीद हुए पुरस्कार विजेताओं के लिए शहीदी स्मारक

5957. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार युद्ध में शहीद हुए उन सैनिकों की याद में जिन्हें परमवीर चक्र और अशोक चक्र प्राप्त हुए हैं उनके जन्म-स्थानों अथवा अन्य उपयुक्त स्थानों पर "शहीदी स्मारक" स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) युद्ध स्मारक विशेष रूप से परमवीर चक्र तथा अशोक चक्र विजेताओं के नाम पर उनके जन्म-स्थान या अन्य उचित स्थानों पर स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले सभी सशस्त्र सेना कार्मिकों की स्मृति में दिल्ली में एक राष्ट्रीय शहीदी स्मारक स्थापित किए जाने के बारे में भारत सरकार विचार कर रही है।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन

5958. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग में एक ही तरह के कार्य में सम्बन्धित पदों के लिए भिन्न-भिन्न वेतनमान निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इन विसंगतियों को दूर करने तथा वेतनमानों में समुचित संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) वस्त्र उद्योग मुख्यतः निजी क्षेत्र में है । विद्युतकरघा और हथकरघा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में है तथा यह समूचे देश में फैले हुए हैं । वेतनमानों पर निर्णय प्रबन्धन तथा प्रचालन की किस्म के अनुसार लिया जाता है ।

[अनुवाद]

मुक्त व्यापार केन्द्र

5959. **कुमारी उमा भारती :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कहीं पर हांगकांग की तरह का मुक्त व्यापार केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर स्थित होगा और इसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारत में मुक्त पत्तन की स्थापना की वांछनीयता की जांच करने के लिए गठित परामर्शदात्री समिति ने गोआ में इसकी स्थापना करने की सिफारिश की है । समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि पूर्व तट पर उत्तरवर्ती मुक्त पत्तन की स्थापना के लिए तमिलनाडु में तूतीकोरन उपर्युक्त स्थान है ।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों द्वारा प्रशिक्षण अभ्यास

5960. **श्री मुमताज अन्सारी :**
श्री राजेश कुमार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बमबारी के प्रशिक्षण अभ्यासों के दौरान प्रशिक्षण क्षेत्रों के आसपास के गांवों को खाली करा दिया जाता है क्योंकि इसमें ग्रामवासियों को जानमाल का भारी खतरा रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें उक्त अवधि के दौरान कोई मुआवजा दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान का तत्सम्बन्धी ब्योरा है;

(घ) क्या सरकार का इसके लिए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) चांदमारी क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले गांवों को चांदमारी अभ्यास के दौरान खाली करवा दिया जाता है। ऐसे मौकों पर चांदमारी क्षेत्र के समीपवर्ती गांवों तथा इसके बाहर के क्षेत्र को खाली कराने की आवश्यकता नहीं होती है। चांदमारी अभ्यास से पहले तथा उस दौरान बरती गई सुरक्षा सावधानियों के फलस्वरूप संयोगवश हुई मृत्यु या नुकसान के एक-दो मामलों को छोड़कर उस क्षेत्र के गांव वालों के जीवन या सम्पत्ति के भारी नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) चांदमारी के दौरान जिन गांवों को खाली कराया जाता है वहां के निवासियों को गांव खाली करने की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मुआवजा दिया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान की गई मुआवजे की राशि इस प्रकार है :—

1988-89	52,73,972 रुपये
1989-90	99,56,845 रुपये
1990-91	22,88,546 रुपये

(घ) और (ङ) चांदमारी अभ्यास के दौरान जब भी गांवों को खाली कराया जाता है तो उन्हें मुआवजा दे दिया जाता है। यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी।

[अनुवाद]

प्याज के निर्यात पर से प्रतिबन्धों को हटाना

5961. **श्री प्रकाश वी० पाटील :**
श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक हटाने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा प्याज उत्पादकों के हित में प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) (क) और (ख) नई निर्यात नीति के अन्तर्गत, प्याज के निर्यात का सरणीयन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन लिमि० (नाफेड) के जरिए होता रहेगा क्योंकि इससे निर्यातकों को कोई समस्या नहीं है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फैडरेशन लिमि० ने प्याज का वैज्ञानिक ढंग से भण्डारण, अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं, नई तकनीक अपनाने के लिए प्याज उपजकर्त्ताओं को शिक्षित करना, प्रतिस्पर्धी दरों पर रेल द्वारा प्याज की ढुलाई, शिपिंग सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान, पैकेजिंग शर्तों में सुधार आदि जैसे विभिन्न संवर्धनात्मक उपाय किए है।

कृषि उत्पादों का आयात और निर्यात

5962. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी मात्रा और कितने मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात और आयात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान हुए कुल आयात और निर्यात में कृषि उत्पादों का अंश कितने प्रतिशत है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी संसद के चालू सत्र के दौरान वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 1991-92 में उपलब्ध हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 1991-92 की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

महाराष्ट्र में बेरोजगार युवाओं को ऋण

5963. श्री बापू हरि चौरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विभिन्न जिलों में विभिन्न राष्ट्रीयकृत तथा अन्य बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं तथा अल्पसंख्यक समुदायों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, 31 मार्च, 1992 तक, कितनी राशि के ऋण दिए गए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त वर्ग के कितने आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किया गया;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त राज्य में बैंकों द्वारा 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान बेरोजगार युवकों तथा अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता दिलाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं तथा कार्यक्रम हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों, अर्थात 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (जनवरी, 1992 तक) के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को दी गई ऋण की राशि क्रमशः 1493.12 लाख रु०, 1687.59 लाख रुपए और 781.62 लाख रु० (आंकड़े अनन्तिम) है। बैंकों की आंकड़ा-सूचना प्रणाली से अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं होती

है। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार लाभार्थियों की संख्या का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष लघु उद्योग विकास आयुक्त, उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है जो शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना का संचालन करते हैं। उन्होंने अभी तक वर्ष 1992-93 का उक्त लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। अतः वर्ष 1993-94 के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में बम्बई और औरंगाबाद दो ऐसे जिले हैं जिनकी पहचान अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के रूप में की गई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रायोजक बैंक, बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 1991 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त तक उपर्युक्त दो जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया ऋण निम्नलिखित है :

	बकाया शेष (करोड़ रु०)
औरंगाबाद	16.08
बम्बई	103.82

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार के 15 सूत्री कार्यक्रमों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों से कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करें। चूंकि अल्पसंख्यकों के लिए "शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना" जैसी कोई पृथक योजना नहीं है अतः इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

5964. श्री मोहन रावले : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुम्बई-बंगलौर, पांवल-मंगलौर और हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव पर वर्षवार कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में इन सड़कों की हालत बहुत खराब हो जाती है जिसके कारण यातायात अवरुद्ध हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन राजमार्गों के उचित रख-रखाव के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए निधियां राज्य-वार आबंटित की जाती हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार। पिछले तीन वर्षों के दौरान चार राज्यों के बीच से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर

निम्नलिखित व्यय किया गया :—

(लाख रु०)

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
1. आन्ध्र प्रदेश	1006.71	1308.33	1350.56
2. कर्नाटक	793.64	847.94	883.32
3. महाराष्ट्र	1300.31	1388.97	1848.56
4. गोवा	166.37	237.20	218.87

(ख) और (ग) बाढ़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तथापि, उन्हें यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

बकाया आयकर को माफ करना

5965. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा 1991-92 के दौरान बड़े औद्योगिक घरानों के विरुद्ध बकाया कितना आयकर माफ किया गया/बट्टे खाते में डाला गया;

(ख) इस माफी के कारण पांच लाख रुपये तथा इससे अधिक धनराशि की राहत पाने वाले व्यावसायिक घरानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आयकर की बकाया राशि को माफ करने के सम्बन्ध में नियम क्या हैं; और

(घ) इन नियमों अथवा दिशा निर्देशों का गम्भीरतापूर्वक पालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 1988-89, 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के वर्षों के दौरान बट्टे-खाते में डाली गई बकाया आयकर की राशि निम्नानुसार है :

वर्ष	बट्टे-खाते में डाली गई, राशि (करोड़ रु० में)
1	2
1988-89	16.23
1989-90	13.50

1	2
1990-91	4.97
1991-92 (दिनांक 30-9-91 तक)	5.11

मौजूदा अनुदेशों के अधीन ऐसे किसी भी मामले में बकाया मांग को बट्टे-खाते में डालने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की पूर्वानुमति लेना अपेक्षित होता है, जिसमें मांग की राशि 15 लाख रु० से अधिक हो। जिन मामलों में बोर्ड द्वारा वर्ष 1988-89 से लेकर इस प्रकार की अनुमति प्रदान की गई है, उन मामलों का ब्यौरा संलग्न "विवरण-पत्र" में दिया गया है। बोर्ड द्वारा ऐसे मामलों के ब्यौरे संकलित नहीं किए जाते हैं, जिनमें 15 लाख रु० अथवा उससे कम की धन-राशि की बकाया मांग को बट्टे-खाते डाला गया हो। इस प्रकार की समूचे देश में फैले हुए कर-निर्धारण अधिकारियों से एकत्र करने में पर्याप्त समय तथा श्रम लगेगा।

(ग) जो बकाया मांग स्पष्ट रूप से अशोध्य बन गई हो, उसे बट्टे-खाते में डाले जाने योग्य समझा जाता है। मांग को बट्टे-खाते में डालने के बारे में विस्तृत मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं; जिनमें ये शामिल हैं—कर-निर्धारिती की परिसम्पत्तियों के बारे में आवश्यक जांच-पड़ताल करना; मांग की अशोध्यता के बारे में कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना; मांग आदि की अशोध्यता के बारे में एक समिति द्वारा संतुष्ट होना, जिसमें आयकर आयुक्त/उप-आयुक्त होते हैं। इन मार्गनिर्देशों पर समुचित रूप से अमल किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

ऐसे मामलों का ब्यौरा, जिनमें 1988-89 से 1991-92 के वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 15 लाख रु० से अधिक की आयकर की मांग को बट्टे-खाते में डालने की अनुमति दी थी

क्रम सं०	कर-निर्धारिती का नाम	बट्टे-खाते में डाली गई राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	नरसिंह एण्ड कं० (हि०अ० परिवार), कलकत्ता	15.21
2.	स्वर्गीय मोहन लाल डी० टोलिया, मद्रास	17.80
3.	मैसर्स राधाकिशन बनवारी लाल, इलाहाबाद	51.95

1	2	3
4.	श्री बनवारी लाल क्रम सं० 3 पर उल्लिखित फर्म का भागीदार	20.68
5.	के०एम०के० नायडू, नैल्लौर	70.15
6.	डाहियाभाई लोधाभाई, वडोली	48.42
7.	दुर्लभभाई रदियाभाई, टण्डेल	61.69
8.	चोथमल सी० जैन, बम्बई	27.51
9.	गंगा सहाय किशोर लाल, भटिण्डा	75.55
10.	इलियास मोहम्मद सिधार, सूरत	51.81
11.	जी० वेणुगोपाल तथा अन्य, भवानी	35.50
12.	बाबा बिहारी दास, चपका	40.72

नौवहन उद्योग का विकास

5966. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने पत्तन विकास और नौवहन उद्योग के लिए दीर्घ अवधि की विस्तृत योजनाएं तैयार करने के लिए कार्यकारी दलों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यकारी दलों ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और पत्तनों के विकास के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर : (क) जी हां।

(ख) बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उप-दल गठित किए गए हैं :—

(1) जहाज अधिग्रहण तथा नौवहन सम्बन्धी अन्य मामले।

(2) निजीकरण प्रयासों सहित पत्तन विकास।

(3) अन्तर्देशीय तटीय नौवहन तथा राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास।

(4) मानव संसाधन विकास और पर्यावरण।

(ग) अभी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चाय का निर्यात

5967. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पिछले दस वर्षों में चाय के निर्यात का प्रतिवर्ष 200 मिलियन किलोग्राम से 220 मिलियन किलोग्राम तक का स्तर बनाए रखा;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय चाय व्यापार में इसका हिस्सा वर्ष 1981-82 के 28 % से घटाकर अब 18 प्रतिशत से कुछ अधिक हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या निर्यात नीति में प्रतिबन्धों के कारण चाय निर्यात पर विपरीत असर पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे व्यापार प्रतिबन्धों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1982 से 1991 तक भारत से चाय के निर्यात की मात्रा 190 से 217 मि०कि०ग्रा० प्रति वर्ष रही।

(ख) कुल विश्व निर्यात को देखते हुए भारत के निर्यात अंश की प्रतिशतता में 1981 में 28.3% की तुलना में 1991 में 17.8% तक कमी आई। तथापि, वास्तविक मात्राओं में 1982 में 190.69 मि०कि०ग्रा० से 1991 में 202.92 मि०कि०ग्रा० की वृद्धि हुई।

(ग) विश्व के चाय व्यापार में भारत के अंश में कमी घरेलू खपत तथा चाय का उत्पादन करने वाले अन्य देशों जैसे श्रीलंका, केन्या, इन्डोनेशिया और चीन से कड़ी प्रतियोगिता के कारण हुई।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। चाय के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

दवाईयों का निर्यात

5968. श्री वी० देवराजन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दवाईयों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देशवार किन-किन दवाईयों का निर्यात किया गया; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से निर्यात की गई औषधियों, औषध-मध्यवर्ती, भेषज और तैयार फोर्मूलेशन्स की मदों के प्रमुख ग्रुप ये हैं—संवेदनाहारी, प्रत्येम्ल, फोड़ारोधी एजेन्ट, एण्टीफन्गल, प्रति आमातिसार औषध, एमोबीसाइड्स एन्थेलमिन्टिक, कफनिस्सारक, प्रतिसंक्रमक, रोमाणुरोध, एण्टीसैप्टिक, प्रतिजैविक, एनलजैसिक्स, एण्टीपायरेटिक, प्रतिजीवाणु, एण्टीडायबेटिक, गठिया शमनकारी, मलेरियारोधी, एण्टीरियर पिट्यूटरी शमनकारी, इम्मयूनों सप्रेसेंट, एण्टीन्याप्लास्टिक एजेन्ट, कार्डियो-वैस्कुलर एण्टीहिस्टामिन्स, एटीएस्थमैटिक, एल-साइस्टिन, सल्फामेथेक्साजोल, लैक्सेटिव्स, डाइजेस्टिव/स्टामैकिक, ईथामबुटाल हाइड्रोक्लोराइड, विटामिन्स और आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं।

निर्यात मुख्यत: यू०एस०एस०आर, यू०एस०ए०, यू०के०, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, डेन्मार्क, नीदरलैण्ड, स्विटजरलैण्ड और आस्ट्रेलिया को किया गया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दवाओं (औषध, भेषज और फार्मुलेशन्स आदि) के निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपए में)
1989-90	664.7
1990-91	784.8
1991-92 (अप्रैल 1991 से फरवरी 1992)	934.6

(स्रोत: मूल रसायन भेषज और प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई)

[हिन्दी]

बचत योजनाओं में जमा राशियां

5969. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी०सी०ए०, 80 सी०सी०बी० तथा 80 एल० में उल्लिखित बचत योजनाओं के अन्तर्गत कुल जमा राशि कितनी-कितनी थी;

(ख) उक्त बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा धनराशि में से प्रत्येक राज्य को विकास कार्यों हेतु कितनी-कितनी धनराशि दी गई;

(ग) 1992-93 के बजट में आयकर छूट वापस लेने के बाद इन योजनाओं में कुल कितनी धनराशि जमा होने की संभावना है; और

(घ) इस मद के अन्तर्गत राज्य सरकारों को दी जाने वाली धनराशि में कितनी कमी होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) वित्त विधेयक, 1992 को अभी अधिनियमित किया जाना है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश

5970. श्री एच०डी० देवगौड़ा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान कर्नाटक में जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी धारकों से प्रीमियम की कितनी धनराशि एकत्र की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा कर्नाटक में विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि का निवेश किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्नाटक में प्राप्त किए गए प्रीमियम की कुल राशि निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

1989-90	1990-91	1991-92*
279.63	349.27	471.14

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान, कर्नाटक में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश की गई राशि/अग्रिम की गई राशि निम्न प्रकार है :—

93.16	118.10	93.49*

*अनन्तिम आंकड़े।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में नियुक्तियां

5971. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्धन में कितनी नियुक्तियां की गई; और

(ख) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम के घाटे को देखते हुए ये नियुक्तियां न्याय संगत हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान एन टी० सी० (धारक कम्पनी) और उसके 9 सहायक निगमों में 21 शीर्ष स्तर की नियुक्तियां की गई थी।

(ख) ये सभी नियुक्तियां मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए की गई थीं। घाटे होने के आधार पर यदि शीर्ष स्तर के प्रबंधन पदों को कम किया जाता है तो प्रबंधन, जिसके द्वारा घाटों को लाभ में बदलने की योजना बनाई जा सकती है, का अभाव हो जाएगा।

[अनुवाद]

मूल्य नियन्त्रण

5972. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों को अपने उत्पादों के मूल्यों को जुलाई, 90 के मूल्य स्तर पर लाने के दिशानिर्देश जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार देश में आवश्यक वस्तुओं की लगभग सामान्य उपलब्धता के सुनिश्चयन द्वारा आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया, मुद्रा पूर्ति की वृद्धि के विनियमन और ऋण तथा पूर्ति प्रबन्धन के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियन्त्रित करने के लिए कृत संकल्प है। कतिपय मदों की कीमतों को जून, 1990 के स्तर पर तुरन्त वापस लाना वर्तमान आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कठिन है। तथापि, आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए आम इस्तेमाल की मदों पर उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया है अथवा काफी हद तक कम कर दिया गया है। इन वस्तुओं को रेलवे माल भाड़े की वृद्धि से भी मुक्त रखा गया है। सरकार द्वारा मूल्यों को कम करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग हमेशा मांगा जाता रहा है ताकि मूल्यों को वांछित स्तरों पर वापस लाया जा सके।

उपकरणों का "मोथ बॉलिंग"

5973. श्री गुरुदास कामत :
श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के उपकरणों में कीड़े लगने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) किस श्रेणी के उपकरणों का "मोथ बालिंग" करने का विचार है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कौन-कौन से देश सहायता कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) अधिक मूल्य के उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक गोलियां (मोथ बालिंग) रखी जाती हैं। इससे उपकरणों को खराब/नष्ट होने/घिसावट तथा पदार्थों की क्रिया से नष्ट होने से बचाया जाता है। इस प्रकार कीटनाशक गोलियां रखने की विधि से उपकरणों की आयु बढ़ती है तथा संक्रियात्मक तैयारी पर कोई कुप्रभाव डाले बिना रख-रखाव तथा भंडारण के खर्च में किफायत होती है।

यह विधि टैंक, इन्फैन्ट्री युद्धक वाहनों, आर्टिलरी गनों, रेडारों तथा कीमती इलेक्ट्रानिक उपकरणों के परिरक्षण में इस्तेमाल की जाती है।

उपकरणों के लिए कीटनाशक गोलियां रखने की विधि देश में ही क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ।

लाल बहादुर शास्त्री नॉटिकल एण्ड इन्जीनियरिंग कालेज, मुम्बई

5974. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल बहादुर शास्त्री नॉटिकल एण्ड इन्जीनियरिंग कालेज, मुम्बई के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलौर से निर्यात करने के लिए कार्गो सुविधाएं

5975. श्री एच० डी० देवगौड़ा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर से फलों, सब्जियों और फूलों का अरब देशों और पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात करने हेतु पर्याप्त कार्गो सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनेक-बार अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) वाणिज्य मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से फलों, सब्जियों तथा फूलों के निर्यात के लिए बंगलौर में कार्गो सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

किन्तु, कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित बंगलौर एयर कार्गो काम्प्लैक्स में खराब होने वाले माल के निर्यात हेतु उपयुक्त सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं।

इलायची की फसल में रोग लगना

5976. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में पैदा की जाने वाली इलायची जो विदेशी मुद्रा के अर्जन में और जनता की आर्थिक समृद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; विभिन्न रोगों से प्रभावित रही है जिसके कारण इसका उत्पादन कम हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) मसाला बोर्ड ने बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय किए हैं। इनमें ये शामिल हैं :—

1. वैज्ञानिक कीट और बीमारी की रोकथाम के बारे में उपजकर्त्ताओं को शिक्षित करने के लिए विस्तार परामर्शी योजना;

2. रोगग्रस्त तथा पुराने पौधों के पुनर्रोपण के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए इलायची पुनर्रोपण योजना;

3. वैज्ञानिक कीट तथा रोग प्रबन्ध और कृषि कार्य को प्रचलित करने के लिए प्रदर्शन प्लाटों का रख-रखाव;

4. किसानों को 75% आर्थिक सहायता पर स्प्रेयर्स और डस्टरों जैसे पौध संरक्षण सामानों की आपूर्ति; और

5. उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए "क्योरिंग हाऊसिस" का निर्माण करने के लिए किसानों की सहायता करना।

बैंकों की शाखाएं खोलना

5977. **श्री चेतन पी० एस० चौहान** :
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री महेश कनोडिया :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के लिए जिला-वार अग्रणी बैंको के क्या नाम हैं;

(ख) बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए राज्य-वार किन केन्द्रों की पहचान की गई है जिनके सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में किन केन्द्रों के सम्बन्ध में अब तक लाइसेंस जारी किए गए हैं और उस बैंक के क्या नाम हैं जिन्हें लाइसेंस जारी किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार देश में अग्रणी बैंकों के राज्यवार तथा जिलावार नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक शाखाएं खोलने के लिए जो आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, उन केन्द्रों के नामों का राज्य-वार संकलन तथा बैंकों के नामों सहित केन्द्रों के नाम, जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस जारी किए गए है, एक विशालकाय कार्य है। ऐसे संकलन में जो समय तथा परिश्रम लगता है, वह प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं खोलना एक सतत प्रक्रिया है, जो इस विषय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंसों द्वारा नियन्त्रित की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्रत्येक जिले में अपेक्षित ब्यौरों सहित, पहचाने गए केन्द्रों की सूची उस जिले की अग्रणी बैंक को दी जानी होती है। सभी बैंकों से प्राप्त सूची को संकलित करने के पश्चात्, अग्रणी बैंक उसे जिला कलेक्टर को सिफारिश करने तथा फिर उसे सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को भेजने के लिए प्रस्तुत करता है।

विवरण

मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार अग्रणी बैंकों की राज्यवार/जिलावार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अग्रणी बैंक	आबंटित जिला का नाम
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	आंध्र बैंक	पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, गुन्टूर और श्रीकाकूलम।
	इण्डियन बैंक	चित्तौर और कृष्णा।

1	2	3
	सिंडिकेट बैंक	अनन्तपुर, कुडडापाह, कुरनूल, नैलोर और प्रकासम ।
	भारतीय स्टेट बैंक	महबूबनगर, मेडक, विशाखापत्तनम, विजयनगरम् और वारांगल ।
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	अदिलाबाद, करीमनगर, खम्माम, नालगोंडा, निजामाबाद और रांगा रेड्डी ।
असम	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	कछार, डिब्रूगढ़, जोरहाट, करीमगंज, लखीमपुर, नवगांव, सिवसागर, गोलाघाट, हैलकंडी, मोरीगांव, तीनसुकिया और ढ़ेमाजी ।
	यूको बैंक	बारपेटा, दारंग, धुब्री, गोलपारा, कामरूप, कोकराझार, प्राग्ज्योतिष-पुर, सोनीतपुर और नालबारी ।
	भारतीय स्टेट बैंक	कर्बी अंगलोंग, नार्थ कछार हिल्स और बोगाईगांव ।
अरुणाचल प्रदेश	भारतीय स्टेट बैंक	दिबांग वैली, पूर्वी कामेंग, पश्चिमी कामेंग, लोहित, पूर्वी सियांग, पश्चिमी सियांग, लोअर सुबानसीरी, अपर सुबानसीरी, तीरप, तवांग और चुंगलांग ।
बिहार	बैंक आफ इण्डिया	धनबाद, गिरिडीह, गुमला, हजारी-बाग, लोहरदगा, रांची, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और छपरा ।
	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, दरभंगा, गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारन, सीतामढ़ी, सिवान, वैशाली, किशन-गंज और सुपौल ।

1	2	3
	पंजाब नेशनल बैंक	औरंगाबाद, भोजपुर, गया, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, जहानाबाद, भभुआ और बक्सर।
	यूको बैंक	बेगुसराय, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका और जमुई।
गुजरात	बैंक आफ बड़ौदा	बड़ौदा, भरोच, बुलसार, डांग्स, कायरा, पंचमहलस और सूरत।
	देना बैंक	अहमदाबाद, बनसकंठा, गांधीनगर, कच्छ, मेहसाना और साबरकंठा।
	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सुरेन्द्रनगर।
गोवा	भारतीय स्टेट बैंक	गोवा (उत्तरी) और गोवा (दक्षिणी)
हरियाणा	पंजाब नेशनल बैंक	अम्बाला, भिवानी, हिसार, जिंद, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, यमुनानगर, कैथल और पानीपत।
	न्यू बैंक आफ इण्डिया	महिन्द्रगढ़ और रेवाड़ी।
	सिंडिकेट बैंक	फरीदाबाद और गुड़गांव।
हिमाचल प्रदेश	पंजाब नेशनल बैंक	हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मण्डी और ऊना।
	यूको बैंक	बिलासपुर, सिमला, सिरमूर और सोलन।
	भारतीय स्टेट बैंक	चम्बा और लाहौल तथा स्पीती।
जम्मू व कश्मीर	भारतीय स्टेट बैंक *दिनांक 1-4-92 से जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि० को एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर 4 जिले स्थानान्तरित।	*अनन्तनाग, *बदगम, डोडा, जम्मू, कारगिल, कठुआ, लद्दाख, *पुलवामा, *श्रीनगर और उधमपुर।

1	2	3
	जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि०	बारामूला, कूपवाड़ा, पुंछ और राजौरी ।
कर्नाटक	केनरा बैंक	बंगलौर (ग्रामीण), चित्रदुर्गा, हस्सन, कोलार, सिमोगा और बंगलौर (शहरी) ।
	सिंडिकेट बैंक	बेलगांव, बेल्लारी, बीजापुर, उत्तरी कनारा और दक्षिणी कनारा ।
	भारतीय स्टेट बैंक	बिदार और गुलबर्गा ।
	स्टेट बैंक आफ मैसूर	मैसूर और टुमकुर ।
	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	रायचूर ।
	विजया बैंक	धारवार और मांड्या ।
	कारपोरेशन बैंक	कोडागू और चिकमगलूर ।
केरल	कनरा बैंक	कोझीकोड, मालापुरम, पालाक्काड, त्रिसूर और वाइनाड ।
	इण्डियन बैंक	कोलम ।
	इण्डियन ओवरसीज बैंक	त्रिवेन्द्रपुरम ।
	सिंडिकेट बैंक	कन्नूर और कासरगोड ।
	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	एर्णाकुलम और इडुक्की ।
	स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	अलेपुझा, कोट्टायम और पथनमथिट्टा ।
मध्य प्रदेश	इलाहाबाद बैंक	सतना ।
	बैंक आफ बड़ौदा	झाबुआ ।
	बैंक आफ इण्डिया	भोपाल, देवास, धार, पूर्वी निमार, पश्चिमी निमार, इन्दौर, राजगढ़, सेहोर, शाजापुर और उज्जैन ।
	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	बालाघाट, बेतूल, भिण्ड, छिन्दवाड़ा, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर,

1	2	3
		झाबुआ, मन्दसौर, मुरैना, नरसिंह पुर, रायसेन, रतलाम, सागर, सियोनी, शहडोल और सरगुजा।
	देना बैंक	दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव।
	पंजाब नेशनल बैंक	दतिया।
	भारतीय स्टेट बैंक	बस्तर, बिलासपुर, छतरपुर, दामोह, पन्ना, रायगढ़ और टीकमगढ़।
	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	गुना, शिवपुरी और विदिशा।
	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	रेवा और सिद्धी।
महाराष्ट्र	बैंक आफ इण्डिया	भंडारा, चन्द्रपुर, गढ़चिरोली, कोल्हापुर, नागपुर, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, शोलापुर, सिन्धुदुर्ग और वर्धा।
	भारतीय स्टेट बैंक	बीड़, लातुर, नान्देड, ओसमनाबाद और परभानी।
	बैंक आफ महाराष्ट्र	औरंगाबाद, जालना, नासिक, पूर्ण, सतारा और ठाणे।
	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, बुलढ़ाणा, धुलिया, जलगांव और यवतमाल।
मेघालय	भारतीय स्टेट बैंक	पूर्वी गारो हिल्स, पश्चिमी गारो हिल्स, जयंतीया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स।
मिजोरम	भारतीय स्टेट बैंक	ऐजाबल, छिम्तुइपुर और लुंगलेइ।
मणिपुर	युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	बिशेनपुर, इम्फाल, मणिपुर पूर्वी, मणिपुर पश्चिमी, मणिपुर उत्तर, मणिपुर दक्षिण, तेंगनोपाल और थौबल।

1	2	3
नागालैण्ड	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	
	भारतीय स्टेट बैंक	कोहिमा, मोकोकचुंग, मौन, फेक, तेनसांग, वोखा और जुन्हेहेबोटो ।
उड़ीसा	आन्ध्रा बैंक	गंजम ।
	यूको बैंक	बालासोर, कटक, ढेनकानल और पुरी ।
	भारतीय स्टेट बैंक	बोलंगीर, बोध-खोन्डामल, कालाहांडी, कोरापुट, सम्भलपुर और सुन्दर गढ़ ।
	बैंक आफ इण्डिया	क्योंझर और मयूर भंज ।
पंजाब	पंजाब नेशनल बैंक	अमृतसर, गुरुदासपुर, होशियारपुर और कपूरथला ।
	स्टेट बैंक आफ पटियाला	भटिंडा, पटियाला और संगरूर ।
	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	फरीदकोट और लुधियाना ।
	यूको बैंक	जलन्धर और रोपड़ ।
	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	फिरोजपुर ।
राजस्थान	बैंक आफ बड़ोदा	अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, डूंगरपुर, झुनझुनू, सवाई माधोपुर और टोंक ।
	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	झालावाड़, कोटा और बाराम ।
	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर (बैंक आफ राजस्थान लि० के साथ संयुक्त रूप से) और राजसमन्द ।
	पंजाब नेशनल बैंक	भरतपुर, धोलपुर और सीकर ।
	यूको बैंक	जयपुर, जोधपुर, नागौर और वसुआ ।
	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	श्रीगंगानगर ।

1	2	3
	न्यू बैंक आफ इण्डिया	अलवर।
सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक	पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला।
तमिलनाडु	केनरा बैंक	डिंडीगल कैद ई-मिलाथ, कोयम्बटूर, मदुरै, नीलगिरि और पेरियार।
	इण्डियन बैंक	चेंगई अन्ना, धरमपुरी, उत्तरी अर्काट अम्बेडकर, दक्षिण अर्काट, सलेम और तिरुवन्नामलै सम्भुवरायरार।
	भारतीय स्टेट बैंक	चिदम्बरनार।
	इण्डियन ओवरसीज बैंक	कन्याकुमारी, कामराजार, पसुम्पोन-मुथुरामालिंगम, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, थन्जावूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनलवेली-कोट्टाबोम्मन और नागापटिनम-कैद-ए-मिलेथ।
त्रिपुरा	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	उत्तर त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा और पश्चिम त्रिपुरा।
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद बैंक	बांदा, बहराइच, गोंडा, हमीरपुर, जालौन, लखीमपुर-खीरी, मिर्जापुर, सीतापुर और सोनभद्र।
	बैंक आफ इण्डिया	बाराबंकी, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, मैनपुरी और उन्नाव।
	केनरा बैंक	आगरा, अलीगढ़ और एटा।
	सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	बलिया, देवरिया और इटावा।
	बैंक आफ बड़ौदा	इलाहाबाद बैंक, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, कानपुर (देहात), कानपुर (नगर), नैनीताल, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर और सुल्तानपुर।

1	2	3
	पंजाब नेशनल बैंक	बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, देहरादून, झांसी, ललितपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और हरिद्वार।
	सिंडिकेट बैंक	गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ और मुरादाबाद।
	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	आजमगढ़, गाजिपुर, जौनपुर, वाराणसी और मऊ।
	भारतीय स्टेट बैंक	अलमोड़ा, बस्ती, चमोली, गढ़वाल, गोरखपुर, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद और महाराजगंज।
पश्चिम बंगाल	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	कूच बिहार, दार्जीलिंग और जलपाईगुड़ी।
	यूको बैंक	बीरभूम, बर्दवान, हुगली और हावड़ा।
	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	बंगकुरा, मालदा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, नदीया, पुरुलिया, 24-परगना (उत्तर) और पश्चिमी दिनाजपुर।
	इलाहाबाद बैंक	24-परगना (दक्षिण)।
दमन व दीव	भारतीय स्टेट बैंक	दमन।
	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	दीव।
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	भारतीय स्टेट बैंक	अण्डमान द्वीपसमूह और निकोबार द्वीपसमूह।
दिल्ली	भारतीय स्टेट बैंक	दिल्ली (ग्रामीण)।
दमन व नागर हवेली	देना बैंक	दमन व नागर हवेली।
लक्षद्वीप	सिंडिकेट बैंक	लक्षद्वीप।
पांडिचेरी	इण्डियन बैंक	पांडिचेरी।
चण्डीगढ़	पंजाब नेशनल बैंक	चण्डीगढ़ (ग्रामीण)।

राष्ट्रीय इक्विटी कोष योजना

5978. श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री अन्ना जोशी :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय इक्विटी कोष योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को दी गई यूनिटों और वित्तीय सहायता का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : गत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अन्तर्गत इकाइयों की संख्या तथा उन्हें स्वीकृत वित्तीय सहायता की धनराशि और उसका संवितरण संलग्न विवरण में दिखाया गया है ।

विवरण

राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के तहत स्वीकृत तथा संवितरित सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए)

राज्य	अप्रैल, 89 मार्च 90			अप्रैल, 90 मार्च, 91			अप्रैल, 91 फरवरी, 92		
	सं०	स्वीकृत	संवितरित	सं०	स्वीकृत	संवितरित	सं०	स्वीकृत	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	53	14.28	11.48	10	4.29	3.90	21	5.23	3.20
अरुणाचल प्रदेश	1	0.60	0.00	—	—	—	1	0.72	0.11
असम	0	0.00	0.00	22	6.05	2.14	31	9.09	2.69
बिहार	1	0.11	0.11	1	0.05	0.05	—	—	—
गोआ	—	—	—	3	1.38	1.38	8	3.36	1.73
गुजरात	34	16.28	22.08	19	11.34	8.69	8	3.63	6.83
हरियाणा	2	0.92	0.92	3	1.37	0.55	12	3.68	3.73
पंजाब									
हिमाचल प्रदेश	1	0.54	0.54	2	0.47	0.47	2	0.59	0.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जम्मू व कश्मीर	3	1.45	0.00	4	1.73	—	9	3.92	3.92
कर्नाटक	17	5.19	4.82	18	21.31	7.98	144	42.38	38.71
केरल	35	8.90	12.68	34	10.49	10.54	11	2.21	3.54
मध्य प्रदेश	19	8.18	5.53	3	1.72	3.31	4	1.28	2.25
महाराष्ट्र	71	19.20	11.05	203	66.64	44.45	219	76.72	37.05
मणिपुर	18	5.48	0.00	—	3.02	2.01	—	—	1.47
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	2	1.00	1.00	6	1.52	1.22	—	—	—
नागालैण्ड	9	3.15	0.65	8	3.06	5.36	6	0.89	0.89
उड़ीसा	1	0.03	0.46	7	3.00	3.00	1	0.40	—
राजस्थान	7	2.32	2.31	2	1.35	1.35	—	—	—
सिक्किम	—	—	—	1	0.25	0.25	—	—	0.40
तमिलनाडु	50	20.03	19.57	70	27.98	27.01	38	17.22	17.41
त्रिपुरा	1	0.20	0.20	—	—	—	5	1.44	0.42
उत्तर प्रदेश	26	10.23	9.21	4	.87	1.93	3	1.68	1.68
पश्चिमी बंगाल	2	0.66	0.06	2	1.04	1.29	1	0.62	—
संघ राज्य क्षेत्र	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़ :	353	118.75	102.97	421	159.73	127.88	524	175.15	126.15

निर्यात-आयात बैंक द्वारा उद्योगों को सावधिक ऋण

5979. श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्री नरेश कुमार बालियान :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्री महेश कनोडिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात-आयात बैंक ने निर्यात विपणन निधि के अन्तर्गत वर्ष 1990-9 और ।991-92 के दौरान लघु एककों को सावधिक ऋणों की कितनी धनराशि दी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कितने लघु एकक लाभान्वित हुए; और

(ग) इस बैंक द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान शुरू की जाने वाली नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान निर्यात विपणन निधि के अन्तर्गत एक्जिम बैंक द्वारा उघु उद्योग एककों को दी गई ऋण राशि निम्नलिखित है :

वर्ष	निर्यात विपणन निधि सावधि ऋण
1990-91 (अप्रैल-मार्च)	शून्य
1991-92 (अप्रैल-मार्च)	120

(ख) वर्ष 1990-91 से 1991-92 के दौरान कर्नाटक के केवल एक लघु उद्योग एकक को लाभ प्राप्त हुआ है।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान एक्जिम बैंक निम्नलिखित नई योजनाएं चलाने जा रहा है :

(i) भारतीय निर्यातक कम्पनियों द्वारा निर्यात प्राप्तियों का समाहरण।

(ii) यूरोपीयन कम्युनिटी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स फेसिलिटी।

(iii) विदेशी मुद्रा निर्यात ऋण।

(iv) उत्पादन उपस्कर वित्त कार्यक्रम ।

लघु उद्योग एकक उपर्युक्त नई योजनाओं के अन्तर्गत भी एक्जिम बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

5980. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के कर्मचारियों और श्रमिकों की मजूरी में संशोधन के सम्बन्ध में हुए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) समझौता ज्ञापन (एम० ओ० यू०) के अन्तर्गत स्टाफ और श्रमिकों की मजदूरी के संशोधन के बारे में जो सहमति हुई उसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । समझौता ज्ञापन में वेतनमानों में "अपयार्ड" संशोधन के साथ-साथ, उत्पादकता में सुधार और प्रचालन लागत में कमी, सभी प्रकार के प्रचालन और कार्यों की गुणवत्ता में सुधार, बेहतर कार्य अभ्यास, प्रशिक्षण तथा विकास, प्रतिबन्धात्मक प्रथा इत्यादि सम्बन्धी जिन प्रावधानों पर सहमति हुई उसकी जानकारी भी इस समझौता-ज्ञापन में दी गई है ।

(ख) सरकार द्वारा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० के पुनर्गठन सम्बन्धी पैकेज को अन्तिम रूप दिए जाने के शीघ्र बाद समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत मजदूरी संशोधन को कार्यान्वित किया जाएगा । तथापि, अधिकारियों, कामगारों और स्टाफ को 1-12-199। से वेतन के साथ-साथ 250 रुपये से 350 रुपये का तदर्थ मासिक भत्ता भी दिया जा रहा है ।

विवरण

वर्तमान वेतनमान	प्रस्तावित वेतनमान
1	2
रु०	रु०
550-11-748	1400-20-1760
567-1.-783	1420-25-1870
616-13-681-16-873	1470-30-1620-35-2040
638-16-910	1490-35-2085

1	2
748-19-900-20-1060	1600-40-2240
778-21-904-23-1111	1630-42-1885-45-2267
838-25-1063-द०रो०33-1327	1690-50-2140-द० रो०-60-2560
868-33-1863	1720-60-2620
550-11-748	1400-20-1760
567-12-783	1420-25-1870
578-12-686-13-829	1430-25-1655-30-1985
616-13-681-16-873	1470-30-1620-35-2040
638-15-668-16-764-19-973	1490-32-1554-35-1764-38-2144
678-18-840-20-1020	1530-38-1872-40-2232
708-20-838-23-989-24-1133	1560-40-1800-45-2115-48-2355
808-28-1004-33-1334	1660-55-2045-60-2585
868-28-1008-33-1404	1720-55-1996-60-2655
858-30-1005-33-1503	1710-58-2000-60-2780
918-38-1564	1770-75-2895
978-43-1580	1830-80-2950

विद्यालय स्तर पर उम्मीदवारों का चयन

5981. **डा० विश्वनाथम कैनिथी :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि विभिन्न संवर्गों के लिए उम्मीदवारों का चयन हाई स्कूल, कालेज अथवा प्राथमिक स्कूल के विभिन्न स्तरों के छात्रों में से किया जाए जो उनकी शारीरिक क्षमता और उस संवर्ग के लिए ली गई परीक्षा के आधार पर हो;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उम्मीदवारों के चयन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत ऐसे कितने उम्मीदवारों को चुना गया है और प्रशिक्षित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) वायुसेना और नौसेना की तकनीकी शाखाओं के अफसर संवर्ग में उम्मीदवारों के चयन के लिए विश्वविद्यालयों से सीधे भर्ती करने की योजना पहले से मौजूद है। इस योजना के अन्तर्गत इन्जीनियरी/तकनीकी पाठ्यक्रमों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे छात्रों का चयन किया जाता है। भारतीय सेना की तकनीकी शाखाओं में प्रवेश के लिए इसी प्रकार की एक योजना चलाई गई थी परन्तु पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण यह योजना बन्द कर दी गई। इस योजना को कुछ संशोधनों के साथ पुनः चालू करने सम्बन्धी सेना मुख्यालय के प्रस्ताव पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

2. सेना द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण की सहायता से बाल खेल-कूद कम्पनियां खड़ी करने की योजना चलाई जाएगी। इसमें 12 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों का चयन किया जाएगा और इसके लिए प्रतिभा खोजी दल विभिन्न स्टेशनों का दौरा करेंगे और अन्तर विद्यालय खेल-कूद प्रतियोगिताओं को देखेंगे। खेल-कूद और शैक्षिक दृष्टि से स्वीकार्य विशेष योग्यता रखने वाले बालकों का चयन कर लिया जाएगा और उन्हें भारतीय खेलकूद प्राधिकरण अथवा सशस्त्र सेना खेलकूद महाविद्यालय पुणे के संरक्षण में 10 + 12 स्तर की स्कूली शिक्षा पूरी करने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद इन्हें सीधे ही हवलदार या अन्य रैंकों पर भर्ती कर लिया जाएगा बशर्ते वे हर दृष्टि से उपयुक्त पाए जाएं।

3. वायुसेना ने वर्ष 1983 से सितम्बर 1991 तक विश्वविद्यालय से सीधी भर्ती योजना के अन्तर्गत 547 उम्मीदवारों का चयन किया। नौसेना ने वर्ष 1987 से 1991 तक इसी योजना के अन्तर्गत 222 उम्मीदवारों का चयन किया। सेना द्वारा बाल खेलकूद कम्पनियों के लिए स्थापित किए जाने वाले 17 केन्द्रों में से 8 केन्द्र स्थापित कर लिए गए हैं।

एझिमाला नौसैनिक अकादमी

5982. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कन्नानोर में स्थित एझिमाला नौसैनिक अकादमी की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) इस परियोजना पर खर्च होने वाली संभावित लागत और परियोजना को पूरा कर सकने की समय-सीमा के निर्धारण के लिए, दिसम्बर, 1992 तक मास्टर प्लान और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते एक चुने हुए वास्तुकला विशेषज्ञ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बचत बैंक खाते

5983. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों में बचत बैंक खातों में जमा-राशि पर ब्याज को पूरी तरह आयकर से मुक्त रखा गया है जबकि वाणिज्यिक बैंकों में जमा-राशि पर समान ब्याज-दर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) डाकघरों में बचत बैंक खातों में किए गए निक्षेपों पर आयकर से पूर्णतया छूट प्राप्त नहीं है । कतिपय विनिर्दिष्ट बचत प्रणालियों, जिनमें डाकघर बचत बैंक (संचयी सावधि जमा) में दस वर्षीय खाते तथा पन्द्रह वर्षीय खाते भी शामिल हैं, के सम्बन्ध में 10,000 रु० की एक अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए आयकर अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत 20 प्रतिशत छूट की अनुमति दी गई है; इस अधिकतम सीमा को लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता अथवा खिलाड़ी (जिसमें एथलीट भी शामिल हैं) के मामले में बढ़ाकर 14,000 रु० किया गया है ।

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 1991-92 के लिए किसी करदाता के मामले में किसी एक वर्ष में 40,000 रु० तक के निक्षेप धारा 39 सी० सी० ए० के अन्तर्गत कर-योग्य आय में से कटौती के योग्य हैं । वाणिज्यिक बैंकों मे किए गए निक्षेप इस प्रकार की कटौती के पात्र नहीं हैं ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय बचत योजना में किए गए निक्षेपों के सम्बन्ध में कटौती की अनुमति "शुद्ध आय-सिद्धान्त" (नैटिंग प्रिंसिपल) के आधार पर दी जाती है । जब तीन वर्षों की अवधि के पश्चात इस प्रकार के निक्षेपों का आहरण किया जाएगा, तब आहरण की उक्त राशि पर आहरण के वर्ष में कर लगेगा । लेकिन, वित्त विधेयक, 1992 में धारा 89 सी०सी०ए० को हटाए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

केरल में जीवन बीमा निगम का आंचलिक कार्यालय

5984. श्री थायिल जान अंजलोस : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलहाल केरल में जीवन बीमा निगम के मण्डलीय कार्यालयों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और मार्च, 992 के दौरान प्रतिवर्ष इन कार्यालयों ने कुल कितना कारोबार किया; और

(ग) इनमें जमा धनराशि में से केरल की विभिन्न विकास योजनाओं में अब तक कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय केरल में तीन डिवीजनल कार्यालय हैं — थिरुवनन्तपुरम, अर्नाकुलम और कोजीकोड ।

(ख) इन कार्यालयों द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और 29-2-92 तक किए गए व्यवसाय की कुल राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	पालिसियों की संख्या	बीमित राशि (करोड़ रुपए)
1988-89	330988	890.51
1989-90	389489	1080.39
1990-91	435620	1187.40
1991-92 (29-2-92 तक)	339517	1022.39

(ग) 1990-91 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों में जीवन बीमा निगम द्वारा केरल में किए गए निवेश और प्राप्त की गई प्रीमियम आय नीचे दी गई है :

(लाख रुपए)

क्रम सं०	योजना	इन वर्षों के दौरान		
		1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1509.00	1727.49	2400.00
2.	भूमि विकास बैंक ऋणपत्र	680.00	643.00	632.00
3.	विद्युत बोर्ड बांड	550.00	600.00	400.00
4.	राज्य वित्तीय निगम बांड	—	150.00	100.00
	निम्नलिखित को ऋण दिए गए			
5.	सामाजिक आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकारें	736.00	1063.00	1477.00
6.	शीर्षस्थ सहकारी वित्तीय समितियां, आवास बोर्ड एवं अन्य प्राधिकरण	1200.00	1300.00	1400.00

1	2	3	4	5
	7. नगर समितियां	57.90	807.00	1000.00
	8. राज्य बिजली बोर्ड	917.00	1010.00	1281.00
	9. राज्य सड़क परिवहन निगम	323.00	—	355.00
	10. जिला परिषदें	803.10	140.00	—
	निगमित क्षेत्र			
	11. शेयर, ऋणपत्र और कम्पनियों को ऋण	634.54	545.59	596.55
		7410.54	8285.08	9641.55
	(ख) प्राप्त की गई प्रीमियम-आय	13251.43	17423.66	21612.61

बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन

5985. श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक अर्थशास्त्रियों का नई दिल्ली में कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऋण देने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों को पुन: परिभाषित करने के बारे मे सम्मेलन में कुछ निर्णय किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन 1975 से आयोजित किए जा रहे हैं। 1980 से इन सम्मेलनों का स्वरूप वार्षिक हो गया है। वार्षिक सम्मेलनों की मेजबानी अलग-अलग बैंकों द्वारा की जाती है। हाल ही में 23 से 25 जनवरी, 1992 तक बड़ौदा मे आयोजित बैंक अर्थशास्त्रियों के 15वें सम्मेलन की मेजबानी बैंक आफ बड़ौदा ने की। इस सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय बैंकिंग में सुधार-कार्रवाई के लिए कार्यसूची था। इस सम्मेलन मे निम्नलिखित तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए : (1) भारतीय बैंकों का अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन, (2) बेहतर तुलन-पत्र की ओर, और (3) सामाजिक बैंकिंग उपलब्धियां और चुनौतियां। बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन बैंकिंग और आर्थिक विकास से

सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा और विचार विनिमय करने का एक मंच मात्र है और यह निर्णय लेने वाला निकाय नहीं है।

गोआ में शहरी सहकारी बैंकों की शाखाएं

5986. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण-जमा अनुपात शहरी सहकारी बैंकों की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार गोआ में शहरी सहकारी बैंक की और शाखाएं खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सितम्बर, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) गोवा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण जमा अनुपात 32.31 प्रतिशत था। 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों के मामले में यह अनुपात 74 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) 1991-94 की अवधि के लिए शहरी सहकारी बैंक के वर्तमान शाखा विस्तार कार्यक्रम में, आवश्यकता पर आधारित शाखा विस्तार बैंक द्वारा अर्थक्षमता से सम्बन्धित निर्धारित मानदण्डों की अनुपालना करने के अधीन कार्यनिष्पादन पद्धति परक दृष्टिकोण, लाइसेंस प्राप्त स्थिति, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण संवितरण, अतिदेय राशियों का स्तर, भारतीय रिजर्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट/ऋण अनुशासन की अनुपालना आदि की परिकल्पना की गई है। उक्त मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए गोवा में शाखाएं खोलने के लिए पांच शहरी सहकारी बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त प्रस्तावों में से मात्र एक प्रस्ताव का ही भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमोदन किया है क्योंकि शेष प्रस्तावों में निर्धारित मानदण्डों की अनुपालना नहीं की गई थी।

मारमुगाओ पत्तन से निर्यात और आयात

5987. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में मारमुगाओ पत्तन से गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन वस्तुओं का और कितनी कितनी मात्रा में निर्यात और आयात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई और आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त कारोबार से निर्यात और आयात शुल्क की कितनी धनराशि वसूल की गई और मारमुगाओ पत्तन न्यास को कितना लाभ प्राप्त हुआ है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) मुरगांव पत्तन के माध्यम से लोह अयस्क, मैंगनीज अयस्क; शीरा, म्र्ली, अल्यूमीना आदि का निर्यात और फास्फोरिक एसिड, उर्वरक, रद्दी कागज, खाद्यान्न आदि का आयात किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मुरगांव पत्तन के माध्यम से निर्यात और आयात किए गए माल की मात्रा और कीमत निम्न प्रकार है :

	1989-90		1990-91		1991-92 अप्रैल-दिसम्बर, 91	
	निर्यात (ट्रांशिपमेंट सहित)	आयात	निर्यात (ट्रांशिपमेंट सहित)	आयात	निर्यात (ट्रांशिपमेंट सहित)	आयात
मात्रा (मिलियन टनों में)	12.61	0.92	13.34	1.06	7.55	1.19
कीमत (करोड़ रु० में)	297.90	144.88	371.11	110.21	314.35	149.70

(ग) गोवा कस्टम हाउस ने अप्रैल से फरवरी, 1992 तक 66.11 करोड़ रु० का राजस्व एकत्र किया। मुरगाव पत्तन के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखते जाते हैं ऐसे राजस्व पर पत्तन का कोई प्रभार नहीं होता है।

रबड़ का निर्यात

5948. **श्री पी० सी० थामस :**
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन् :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान देश से, विशेषकर कोचीन बन्दरगाह से देशवार कितनी मात्रा में, किस किस्म का तथा कितने मूल्य के रबड़ का निर्यात किया गया तथा 1992-93 के दौरान किस किस्म के रबड़ का कितनी मात्रा में निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ख) देश-वार उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है अथवा अर्जित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या जैसे पाकिस्तान, बांगलादेश, चीन आदि पड़ोसी देशों को रबड़ का निर्यात करने की काफी गुंजाइश है जिन्हें निर्यात करने में खर्च कम आता है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) दिनांक 25-3-92 की स्थिति के अनुसार एल० टी० सी० ने वर्ष 1991-92 के दौरान एफ० ओ० बी० कोचीन आधार पर लगभग 410.9 लाख रुपए मूल्य की आर० एम० ए०-5 ग्रेड वाली प्राकृतिक रबड़ की 2620 एम० टी० मात्रा का निर्यात किया है। क्रेताओं ने सिंगापुर को गन्तव्य स्थल के रूप में घोषित किया है। वर्ष 1992-93 के दौरान होने वाले निर्यात का आकलन अभी नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह वर्ष के लिए ग्रेड-वार मांग आपूर्ति सन्तुलन पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) भारत प्राकृतिक रबड़ का परम्परागत आयातक रहा है और अभी हाल ही में मार्जिनल निर्यातक के रूप में उभरा है। पड़ोसी देशों में सम्भाव्यता का पता लगाने का प्रश्न तभी उठ सकता है जब दीर्घावधि आधार पर निर्यात वेशी उपलब्ध होना निश्चित हो।

[हिन्दी]

दस प्रमुख औद्योगिक गृह

5989. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में दस प्रमुख औद्योगिक गृहों की इस समय उनके अधिकार में कुल परिसम्पत्तियों के अनुसार स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : देश में 1989-90 (नवीनतम वर्ष जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) में उनके अधिकार में कुल परिसम्पत्तियों के आकार के अनुसार श्रेणीबद्ध दस प्रमुख औद्योगिक घरानों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एम०आर०टी०पी० अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा 1989-90 (अप्रैल, 1989-मार्च 1990 को समाप्त लेखा वर्ष) में उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध 10 चोटी के औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों की 1989-90 की परिसम्पत्तियां दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	औद्योगिक घराना	परिसम्पत्तियां 1989-90
1	2	3
1.	टाटा	8530.93

1	2	3
2.	बिड़ला	8474.35
3.	रिलायंस	3600.27
4.	थापर	2177.15
5.	जे०के० सिंघानिया	2139.00
6.	लार्सन एण्ड टोब्रो	1681.52
7.	मोदी	1399.37
8.	बजाज	1391.06
9.	मफतलाल	1343.55
10.	एम०ए० चिदम्बरम	1273.35*

*इसमें सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि० शामिल है जोकि वर्ष 1985 में एम० ए० चिदम्बरम समूह में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा महाराष्ट्र को देय राशि

5990. श्री यशवंतराव पाटिल :
श्री गोविंद राव निकाम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार पिछले दो वर्षों से राष्ट्रीय कपड़ा निगम से 6 करोड़ रुपए की राशि की मांग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ग) भुगतान में विलंब करने के क्या कारण हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस धनराशि का भुगतान कब तक किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) एन०टी०सी० (एम एन), बम्बई के अन्तर्गत इण्डिया यूनाइटेड मिल्स की कार्यशील पूंजी स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई गारंटी के फलस्वरूप पंजाब नेशनल बैंक को जिनरी सम्बन्धी भुगतान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को 1989 से 6,17,40,189 रुपए की धनराशि का भुगतान करना है। महाराष्ट्र सरकार को उक्त राशि का भुगतान राष्ट्रीय वस्त्र निगम के माध्यम से शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

ऊनी मिलों को बन्द करना

5991. श्री यशवंतराव पाटिल : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑल इंडिया वुलेन शोडी मिल्स एसोसिएशन ने कुछ ऊनी मिलों को बन्द किए जाने के सम्बन्ध में सरकार को ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) संघ ने इस मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए अपने ज्ञापन (अपील मूलत: माननीय वित्त मन्त्री को गई है) में यह निवेदन किया है कि वर्ष 1992-93 के बजट से शोडी उद्योग पर अत्यधिक भार पड़ा है क्योंकि ऊनी/सिंथेटिक चिथड़ों के आयात पर सीमा शुल्क 200% से अधिक बढ़ा दिया है और इसके फलस्वरूप यह उद्योग बन्द हो जाएगा तथा यदि तत्काल राहत की घोषणा नहीं की जाती तो यह उद्योग समाप्त हो जाएगा।

(ग) सरकार ने पहले से ही बजट पूर्व स्तर पर शुल्क लगा दिया है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

5992. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए पुलों का निर्माण करने के लिए सरकार की स्वीकृति के लिए गत तीन वर्षों से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में पिछले तीन साल से इस मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा सड़कों और पुलों का निर्माण

5993. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य किस आधार पर आरम्भ किया जाता है;

(ख) उन राज्यों और क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर गत तीन वर्षों के दौरान संगठन द्वारा सड़कों और पुलों का निर्माण किया गया है; और

(ग) इन सड़कों और पुलों के निर्माण पर अलग-अलग कितनी धनराशि प्रत्येक वर्ष व्यय की गई ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सीमा सड़क विकास बोर्ड मुख्यतः संक्रियात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों का निर्माण करता है। यह बोर्ड वायुसेना और नौसेना की ओर से एजेंसी के रूप में भी निर्माण-कार्य करता है। इसके अलावा, यह बोर्ड आर्थिक विकास की गति तेज करने के उद्देश्य से देश के पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्रों में एजेंसी के रूप में भी निर्माण-कार्य करता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सीमा सड़क विकास बोर्ड ने जिन राज्यों में सड़कों और पुलों का निर्माण/सुधार-कार्य किया है उनका ब्योरा इस प्रकार है :—

(1) अरुणाचल प्रदेश

(2) असम

(3) बिहार (धनबाद)

(4) हरियाणा

(5) हिमाचल प्रदेश

(6) जम्मू-कश्मीर

(7) महाराष्ट्र (नावा-शिवा पत्तन)

(8) मणिपुर

(9) मेघालय

(10) मिजोरम

(11) नागालैंड

(12) पंजाब

(13) राजस्थान

(14) सिक्किम

(15) त्रिपुरा

(16) उत्तर प्रदेश

(17) पश्चिम बंगाल

(18) अण्डमान और निकोबार संघशासित क्षेत्र।

सीमा सड़क विकास बोर्ड भूटान में भी विकास सम्बन्धी निर्माण-कार्य करता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सड़कों और पुलों के निर्माण/सुधार-कार्यों पर किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	पूंजीगत निर्माण-कार्यों पर हुआ व्यय		कुल व्यय
	सड़क	पुल	
	(करोड़ रुपए में)		(करोड़ रुपए में)
1989-90	229	11	240
1990-91	259	15	274
1991-92	255	14	268 (अनुमानित)

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश द्वारा जारी वस्त्र जी० ओ० संख्या 2816 को मंजूरी

5994. श्री महुसमुद्रम गजेन्द्र रेड्डी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन मिल्स के सम्बन्ध में 13-11-90 को जारी वस्त्र जी०ओ० संख्या 2816 को मंजूरी दे दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात निरीक्षण एजेंसी

5995. श्री सी०पी० मुदल गिरियप्पा :
श्री के०एच० मुनियप्पा :
श्री वी० कृष्णा राव :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "निर्यात निरीक्षण एजेंसी" को बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त एजेंसी के कुछ कर्मचारियों की छंटनी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) तथा (ख) विदेशी क्रेताओं की क्वालिटी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातकों को उत्तरदायी बनाने की सरकार की नीति के अनुसार, निर्यातक निरीक्षण अभिकरणों (ई० आई० ए०) के कार्यालयों का काम कम हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप जनशक्ति फालतू हो जाएगी।

(ग) और (घ) निर्यात निरीक्षण अभिकरण कलकत्ता में विभिन्न संवर्गों में 205 फालतू पद समाप्त कर दिए गए हैं और फलस्वरूप 205 कर्मचारी आवश्यकता से ज्यादा हो गए। इन कर्मचारियों को अन्य संगठनों में पुनर्नियोजित करने के प्रयास सफल नहीं हुए। अतः यह निर्णय लिया गया था कि फालतू जनशक्ति की छंटनी कर दी जाए। तथापि, निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कलकत्ता के 162 कर्मचारियों ने बम्बई, कोचीन, दिल्ली और मद्रास स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में स्वयं को पुनर्नियोजित करने की इच्छा प्रकट की थी। तद्नुसार दिनांक 6 अगस्त, 1991 और 27-1-92 को निदेशक, निर्यात निरीक्षण परिषद ने इन कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश जारी किए थे।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सीमेंट कारखानों से उत्पाद-शुल्क की वसूली

5996. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र में सीमेंट कारखानों से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के रूप मे कुल कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की कितनी धनराशि अभी वसूल की जानी है; और

(ग) इस समय न्यायालयो मे उत्पादन शुल्क के कितने मामले लम्बित पड़े हुए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विगत दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में सीमेन्ट कारखानों से वसूल किए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

1989-90	66.82 करोड़ रुपए
1990-91	84.02 करोड़ रुपये

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में स्थित किसी भी सीमेन्ट करखाने के सम्बन्ध में न तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कोई राशि बकाया है अथवा न ही कोई मामला किसी न्यायालय में लम्बित पड़ा हुआ है।

थोक व्यापारियों को ऋण

5997. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और 31 मार्च, 1992 तक बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य में थोक व्यापारियों को मजूर किए गए ऋणों का बैंकवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली, विभिन्न बैंकों द्वारा थोक व्यापारियों को स्वीकृत ऋणों के बारे में राज्यवार सूचना प्रदान नहीं करती है। तथापि, जून 1988, जून 1989 तथा मार्च, 1990 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान थोक व्यापारियों को दिए गए बैंकों के अग्रिम निम्नांकित सारणी में दर्शाए गए हैं :—

संख्या लाख में
(राशि करोड़ रुपए)

	जून, 1988		जून, 1989		मार्च, 1990	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
भारतीय स्टेट बैंक समूह	0.68	17.45	0.89	17.19	0.93	18 06
राष्ट्रीयकृत बैंकें।	1.66	?8.03	1.79	43.98	2.16	58.17
अन्य	0.94	7.54	1.04	9.18	0.84	11.12
योग :	3.28	63.42	3.72	70.35	3.95	87.35

चाय के मूल्यों को स्थिर करना

5998 श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्यों को स्थिर करने के मुद्दे पर अन्य चाय उत्पादक देशों के साथ चर्चा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय की कीमत स्थिर रखने के मुद्दे पर, अन्य बातों के साथ-साथ, खाद्य और कृषि संगठनों के तत्वावधान में अन्तः सरकारी दल में प्रतिवर्ष चर्चा की जाती है जिनमें भारत तथा अन्य आयातक और निर्यातक देश आमतौर पर भाग लेते हैं। वर्ष 1991 में हुई 9वीं बैठक में चाय की कीमतों में लगातार गिरावट को रोकने के लिए कुछ निर्णयात्मक सामूहिक कार्यों पर सहमति तथा विश्व बाजार में दीर्घावधि स्थिरता प्राप्त करने पर जोर दिया गया। अन्य सम्भावनाओं में निर्यातक तथा आयातक दोनों देशों ने निर्यात गुणवत्ता मानदण्ड आइ०एस०ओ० 3720 के कार्यान्वयन का सुझाव दिया। दल ने चाय की खपत बढ़ाने पर अधिक जोर देने पर सहमति व्यक्त की।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों का विस्तार

5999. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी** :
श्री नीतीश कुमार :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा कितना लाभ कमाया गया;

(ख) आठवीं योजना के दौरान बेड़े में कितने जहाज शामिल किए जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान मुख्य पत्तनों के विस्तार हेतु प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भारतीय नौवहन निगम के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। भारतीय नौवहन निगम तथा मन्त्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्ष 1991-92 के लिए बजटगत लाभ 116 करोड़ रु० है।

(ख) भारतीय नौवहन निगम ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने वर्तमान बेड़े में 114 जहाज शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इन जहाजों की खरीद के लिए लगभग 2546 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश की आवश्यकता होगी।

(ग) आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारतीय नौवहन निगम के लिए जहाज

6000. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भारतीय नौवहन से शिपबिल्डिंग आदेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय नौवहन निगम के लिए कितने जहाजों का निर्माण किया;

(ग) क्या भारतीय नौवहन निगम ने क्रयादेश देते समय जहाजों की सुपुर्दगी का समय और मूल्य निर्धारित किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ये शिपयार्ड निर्धारित मूल्य पर जहाजों की सप्लाई नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौवहन निगम लि० को प्रत्येक 27,000 डी डब्ल्यू टी के 2 जहाज डिलीवर किए । प्रत्येक 42,750 डी डब्ल्यू टी के दो जहाज निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं जबकि 27,000 डी डब्ल्यू टी के एक जहाज का निर्माण हो गया है और मार्च, 1991 में समुद्री परीक्षण किया गया था ।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 86,000 डी डब्ल्यू टी का एक टैंकर डिलीवर कर दिया है । 86,000 डी डब्ल्यू टी का एक टैंकर 29-2-92 को लांच कर दिया गया था और इस जहाज में आउटफिटिंग का कार्य चल रहा है । तीसरे टैंकर के लिए स्टील सामग्री के भाग का आर्डर दे दिया गया है और 1992 के दौरान इसका निर्माण शुरू किए जाने की सम्भावना है ।

(ग) जी हां ।

(घ) आर्डर दिए जाने के समय बताए गए अन्तिम मूल्य और डिलीवरी की तारीखें संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ङ) और (च) विभिन्न प्रकार के जहाजों के निर्माण की लागत बढ़ गई है जिसके फलस्वरूप लागत-मूल्य अन्तर में काफी वृद्धि हो गई है । हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारी वित्तीय संकट से गुजर रहा है । शिपयार्ड की पुनः बहाली की दृष्टि से हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को 3 जहाजों (अर्थात् जहाज संख्या— 1130, 1131 और 1132) को मौजूदा बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति दिए जाने

के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। ताकि शिपयार्ड तत्काल नकद प्रवाह की समस्या से निबट सके।

लागत मूल्य में भारी अन्तर को देखते हुए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को आर्डर दिए गए 3 टैंकरों का मूल्य संशोधित करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

विवरण

यार्ड	जहाज संख्या	जहाज का प्रकार	मालिक द्वारा भुगतान किया जाने वाला मूल्य (करोड़ रु०)	डिलीवरी की मूल तारीख
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	1128	27000 डीडब्ल्यूटी (बल्क कैरियर)	18.00	30-9-1984
लिमिटेड	1129	—वही—	18.00	30-12-1984
	1130	—वही—	18.00	31-3-1985
	1131	42750 डीडब्ल्यूटी (बल्क कैरियर)	22.25	30-6-1988
	1132	—वही—	22.25	31-12-1988
कोचीन शिपयार्ड	007	86000 डीडब्ल्यूटी (टैंकर)	37.10	31-3-1989
लिमिटेड	008	—वही—	37.10	28-2-1990
	009	—वही—	37.10	31-1-1991

[अनुवाद]

बैंकों में निर्यातक द्वारा जमा की गई विदेशी मुद्रा

6001. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1991 में सन्तोषजनक रिकार्ड वाले निर्यातकों को भारत स्थित बैंकों में विदेशी मुद्रा जमा करने की अनुमति देने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो निर्यातकों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में 31 जनवरी, 1992 तक विदेशी मुद्रा में कितनी धनराशि जमा कराई है; और

(ग) उपरोक्त तारीख को बैंकों में ऐसी जमा राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 6 सितम्बर, 1991 के परिपत्र के माध्यम से प्राधिकृत व्यापारियों को सलाह दी थी कि वे जिन निर्यातकों का रिकार्ड सन्तोषजनक रहा है उनको चयनात्मक आधार पर भारत में स्थित बैंकों में विदेशी मुद्रा के खाते रखने की अनुमति देंगे।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचना एकत्रित की जा रही है।

निर्यात सम्बन्धित वायदों को पूरा न करने वाली कम्पनियां

6002. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई भारतीय कम्पनियां और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने निर्यात सम्बन्धी वायदों को पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है या करने का विचार है;

(ग) क्या इन कम्पनियों ने जिन्हें उनके उत्पादों के निर्यात किए जाने के लिए नवीनतम तकनीक लाने के लिए विशेष सुविधाएं दी गई थीं, अपने निर्यात सम्बन्धी वायदों को पूरा कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सम्बन्धित विभागों से प्राप्त हो जाने पर, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चावल गेहूं और मोटे अनाजों का निर्यात

6003. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी और विदेशी बाजारों में चावल, गेहूं और मोटे अनाजों का अलग-अलग औसत मूल्य क्या है; और

(ख) विदेशी मुद्रा अर्जित हेतु इन अनाजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) गेहूं, चावल और मोटे अनाज की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अन्न की गुणवत्ता उनकी पिसाई और उद्गम प्रदेश के अनुसार अलग-अलग है। यह मांग और आपूर्ति के अनुसार भी घटती बढ़ती रहती है। फरवरी, 1992 के अन्तिम सप्ताह में इन

वस्तुओं की घरेल और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत निम्नवत बताई गई है :—

	अन्तर्राष्ट्रीय (रुपया/एमटी)	घरेलू (रुपया/एमटी)
लम्बे दाने का चावल	5070-28487	4600-6000
बासमती चावल	22100-26000	18000-31000
गेहूं	4420-4810	4250-5800
मक्का	3510-3640	4200-4350
अन्य मोटे अनाज	7800-9100	4100-5500

(ख) उपर्युक्त मदों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निर्यात क्रियाविधियों को सरल बनाया तथा उन्हें दिनांक 14 अक्तूबर, 1991 से खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत ला दिया गया है। नई व्यापार नीति के अन्तर्गत 1991 में 30% की दर से एक्सिमस्क्रिप्स भी शुरू किया गया है जिसे अब रुपए में आंशिक परिवर्तन होने के बाद वापस ले लिया गया है। कुछ मामलों में अनिवार्य पोतलदान निरीक्षण भी समाप्त कर दिया गया है। इन उपायों से इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने तथा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जन में सहायता मिलेगी।

विजयवाड़ा-चिलकलूरिपेट के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चार लेन वाला बनाना

6004. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के विजयवाड़ा चिलकलूरिपेट खण्ड को चार लेनों में बदलने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और वर्ष 1990-91 और 1991-92 में इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी;

(ग) अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और निर्माण कार्य पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह काम कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 के विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट खण्ड को, चार लेन में बदलने का कार्य जिसे चरणों में शुरू करने का प्रस्ताव है, अभी तक प्रारम्भ नहीं किया है क्योंकि परियोजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। यह जहां कहीं आवश्यक अतिरिक्त भूमि-खरीद, विभिन्न परियोजनाओं की पारस्परिक प्राथ-

मिकताओं और आठवीं योजना के दौरान चार लेन में बदलने के कार्य के लिए निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। तथापि, प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में 394 कि० मी० से 434 कि० मी० में अतिरिक्त भूमि के लिए मार्च, 1992 में 160.50 लाख रुपए के लिए एक प्राक्कलन संस्वीकृत किया गया था।

(ख) क्योंकि अभी आठवीं योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, और चार लेन में बदलने के लिए अपेक्षित भूमि अभी खरीदी जानी है, अतः इस खण्ड में चार लेन का काम शुरू होने और समाप्त होने की तिथि का संकेत देना अभी सम्भव नहीं है।

नई निर्यात-आयात नीति

6005. श्री आर्थर फर्नांडीज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार एक नई निर्यात-आयात नीति लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सरकार ने वाणिज्य मन्त्रालय की दिनांक 31-3-1992 की सार्वजनिक सूचना सं० 1—आई० टी० सी० (पी०एन०)/92-97 के तहत अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के लिए एक नई आयात निर्यात नीति प्रकाशित की है। इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

अप्रत्यक्ष करों की वसूली

6006. श्री आर्थर फर्नांडीज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 की पहली तीन तिमाहियों में क्षेत्र-वार अप्रत्यक्ष करों की कितनी वसूली हुई है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष कर वसूली में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) अप्रैल, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान सीमा शुल्क (जब्तशुदा सोने और चांदी के विक्रय से प्राप्त राशि को छोड़कर) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों (राजस्व विभाग द्वारा न लगाए जाने वाले उपकरों को छोड़कर) से हुई

विभागीय राजस्व वसूलियों के अनन्तिम अनुमानों का क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र	सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क
पूर्वी क्षेत्र	3925.66
पश्चिमी क्षेत्र	16744.56
उत्तरी क्षेत्र	6067.82
दक्षिणी क्षेत्र	7543.44

(ख) उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में 1991-92 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व की वसूलियों में 1990-91 की इसी अवधि के दौरान की गई राजस्व वसूलियों की तुलना में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

प्रतिष्ठानों के विलय हेतु लम्बित अनुरोध

6007. श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान कितने प्रतिष्ठानों के विस्तार तथा एक दूसरे में विलय की स्वीकृति दी है;

(ख) इस अवधि के दौरान कथित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) शेष मामलों में स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें कब तक स्वीकृति दी जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 की धारा 21, 22 और 23 के निबन्धनों के अन्तर्गत कम्पनी कार्य विभाग द्वारा सारभूत विस्तार, नए उपक्रमों की स्थापना व विलयन/समामेलन के लिए अनुमोदन प्रदान किए जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान तथाकथित धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र संलग्न है।

अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए विस्तृत मापदण्ड

दिए गए थे। जहां कहीं यह विचार किया गया कि प्रस्तावों ने एक या अधिक उपर्युक्त मापदण्डों को सन्तुष्ट नहीं किया, ऐसे मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया। तथापि, एम०आर०टी०पी० (संशोधन) अधिनियम, 1991 के निबन्धनों में, अधिनियम में विद्यमान धारा 21, 22, 23 और 28 के उपबन्धों को हटा दिया गया है। सभी आवेदन पत्र, जो उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत 27-9-91 को लम्बित थे, को बन्द किया समझा गया है। एम०आर०टी०पी० अधिनियम के संशोधन के परिणामस्वरूप वर्तमान में एम०आर०टी०पी० अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की और आवश्यकता नहीं है।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 की धारा 21, 22 और 23(2) के अन्तर्गत विचार किए गए आवेदन पत्रों का ब्यौरा

(1990 और 1991)

एम०आर०टी०पी० अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत उपबन्ध	अग्रेषित किए गए आवेदन पत्रों की सं०	प्राप्त किए गए आवेदन पत्रों की सं०	योग	अनुमोदित किए गए आवेदन पत्रों की सं०	अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की सं०
1	2	3	4	5	6
धारा—21 (उपक्रमों का विस्तार)	55	95	150	50	9
धारा—22 (नये उपक्रमों की स्थापना)	196	301	497	178	74
धारा—23(2) (उपक्रमों का विलन/समामेलन)	6	6	14	10	—

[अनुवाद]

सरकार की आज्ञा के बिना अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से ऋण

6008. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकारें और वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण ले सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मार्गनिर्देश अपनाए जा रहे हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस सुविधा का किन्हों ने और किस-किस के साथ उठाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिना पॉलिश ग्रेनाइट पत्थर का निर्यात

6009. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट पत्थर का खनन निर्यात के उद्देश्य से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कार्यों का देश की परिस्थिति पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिना पॉलिश ग्रेनाइट पत्थर के निर्यात को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रेनाइट का खनन, राज्य के लघु खनिज रियायत विनियमों और पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित विधानों के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) बिना पालिस किए हुए ग्रेनाइट पत्थर के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

छोटे पैमाने के एककों के निर्यात बिलों पर दो बार छूट

6010. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्रीमती रीता वर्मा :
श्री बलराज पासी :
श्री नरेश कुमार बालियान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान छोटे पैमाने के एककों को निर्यात बिलों पर दो बार छूट देकर व्यावसायिक बैंकों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत आयात निर्यात बैंक द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस योजना से प्रत्येक राज्य में छोटे पैमाने के कितने एककों को लाभ पहुंचा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान, छोटे पैमाने के एककों को निर्यात बिलों की भुनाई के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देने के अन्तर्गत निर्यात-आयात बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता की राशि नीचे दी गई है :

1990-91 (अप्रैल-मार्च)	1991-92 (अप्रैल-मार्च)
200.00 करोड़ रुपए	152.90 करोड़ रुपए

(ख) निर्यात आयात बैंक ने सूचित किया है कि क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्भुनाई की सुविधा पोर्टफोलियो के आधार पर दी जाती है न कि लेन-देन के आधार पर, इसलिए किसी विशेष अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत लाभान्वित लघु उद्योग एककों की संख्या के सन्दर्भ में सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

किसानों और जुलाहों के ऋण माफ करना

6011. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों में किसानों और जुलाहों को अलग-अलग कितने प्रतिशत ऋण दिया जाने का प्रस्ताव है;

(ख) विभिन्न राज्यों में अब तक जुलाहों की कितनी ऋण राशि माफ की गई; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी ऋण राशि माफ की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विभिन्न श्रेणियों के ऋणकर्ताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए बैंक राज्य-वार/वर्ष-वार लक्ष्य नियत नहीं करते हैं। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों के सम्बन्ध में अपने समानुपात को अपने कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक करने के लिए कहा गया है। कृषि (सम्बद्ध गतिविधियों सहित) के लिए प्रत्यक्ष वित्त पोषण को कुल ऋणों के 18 प्रतिशत तक तथा कमजोर वर्ग के अग्रिमों को, जिसमें लघु

तथा सीमांतिक कृषक एवं भूमिहीन खेतिहर तथा कारीगर भी शामिल हैं, अपने कुछ ऋण के 10 प्रतिशत अथवा प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के 25 प्रतिशत के स्तर तक करने के लिए कहा गया है।

(ख) और (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 से है, जिसके तहत पात्र ऋणकर्ताओं को जिसमें कृषकों कारीगरों तथा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों को 10,000 रुपए तक की ऋण राहत प्रदान की गई थी, 15 मई, 1990 से प्रभावी इस योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अल्पावधिक और सावधि ऋणों की सभी अतिदेय राशियों को शामिल किया गया था। योजना के तहत सभी ऋण संस्थानों द्वारा 7714.14 करोड़ की कुल राशि की सहायता उपलब्ध कराई गई थी। प्रदान की गई सहायता के श्रेणी-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सूचना प्रणाली से इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है।

[अनुवाद]

कांडला पत्तन पर गोदी का निर्माण

6012. **श्री आर्थ फर्नान्डीज** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला पत्तन पर इस समय निर्माणाधीन सातवीं गोदियों के अतिरिक्त कुछ और गोदियों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां। कांडला पत्तन न्यास से 37.20 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से 8वीं सामान्य कार्गो बर्थ के निर्माण का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बर्थ की डिजाइन तथा स्थान के सम्बन्ध में आई० आई० टी०, मद्रास की राय प्राप्त करने के लिए इसे पत्तन को वापस भेज दिया गया है।

विश्वव्यापी विज्ञापन अभियान

6013. **श्री गुरुदास कामत** :
श्री रवि राय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूसरे देशों में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विश्वव्यापी विज्ञापन अभियान शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अभियान कब से शुरू करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय चाय का संवर्धन कई रूपों में किया जा रहा है। इसके अलावा, अनेक देशों में असम तथा दार्जिलिंग चायों का लोगो अभियान, मूल्यवर्धित चायों का संवर्धन तथा एकल राष्ट्रीय अभियान चलाए जा रहे हैं।

काफी के मामले में, सरकार का प्रस्ताव है कि चुनिन्दा देशों में भारतीय काफी के लिए काफी बोर्ड के माध्यम से संवर्धन अभियान चलाए जाएं।

भारतीय मसालों के विभिन्न ब्रांडों को लोकप्रिय बनाने और "भारतीयता" तथा "गुणवत्ता" की छाप छोड़ने के लिए मसाला बोर्ड ने ब्रांड संवर्धन स्कीम चलाई है। भारतीय मसालों की गुणवत्ता तथा शुद्धता को दर्शाने के लिए लोगों में संवर्धन हेतु अलग से भी एक स्कीम अनुमोदित की गई है।

इन अभियानों के सफल होने पर और संवर्धनात्मक कार्य नीतियां अपनाने पर विचार किया जाएगा जिसमें विज्ञापन, ब्रांड संवर्धन, आदि शामिल होंगे।

विश्व बैंक की सहायता से रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम

6014. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा दी गई प्रत्येक कार्यक्रम सम्बन्धी सहायता का ब्यौरा क्या है और उद्देश्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) प्रशिक्षित कुशल और अर्द्ध-कुशल मानव शक्ति और उपयुक्त स्तर के तकनीशियनों की कुशलता को बढ़ाने के इरादे से विश्व बैंक की सहायता से तीन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(i) **व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना** : 2110.0 लाख डालर की विश्व बैंक सहायता से आरम्भ की गई परियोजना का अभिप्राय।

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आधुनिकीकरण/उपस्करों और प्रशिक्षण प्रणालियों के उन्नयन के जरिए मूलभूत शिल्पियों और प्रशिक्षुओं के स्तर तथा दक्षता में सुधार लाना, पुराने पाठ्यक्रमों को बदलना, शिल्प पाठ्यक्रमों के क्षेत्र का विस्तार करना, आधुनिक क्षेत्र के शिल्पों में प्रशिक्षण के लिए महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि करना; (ख) इलेक्ट्रोनिकी, कम्प्यूटर, यंत्रमानविकी के लिए एक नवीन उच्च कोटि के प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करने समेत विकसित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार करना तथा उसमें विविधता लाना है।

(ii) **तकनीशियन शिक्षा परियोजना I और II** : विश्व बैंक ने प्रथम तकनीशियन शिक्षा परियोजना के लिए 2107.4 लाख डालर तथा द्वितीय परियोजना के लिए 3071.0 लाख डालर के बराबर ऋण देने की वचनबद्धता की है। परियोजनाओं का अभिप्राय नई तथा विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों में पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए कार्यक्रमों का विस्तार करके तथा उनमें विविधता

लाकर पालिटेक्निक प्रणाली की क्षमता का विस्तार करना, महिलाओं, ग्रामीण लोगों और विकलांगों के लिए प्रशिक्षण अवसरों का विस्तार तथा सुधार करने की ओर विशेष ध्यान देते हुए पारम्परागत और विकसित तकनीकी इर्जानियरिंग और सतत शिक्षा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का विस्तार करना है।

विदेशी पूंजी बाजारों से वाणिज्यिक ऋण

6015. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**
श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (1991-92) के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से कोई वाणिज्यिक ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान लिए गए ऋण की राशि कितनी है तथा उस पर ब्याज दर कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान और वाणिज्यिक ऋण लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अमरीका से हथियार और गोला बारूद का आयात

6016. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का अमरीका से हथियार और गोला बारूद का आयात पिछले तीन वर्षों की तुलना में 1990 में कई गुना बढ़ गया था; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अमरीका से हथियारों के आयात पर कितना खर्च हुआ है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) रक्षा सामान की खरीद तथा उनके मूल्य के बारे में ब्यौरे, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में प्रकट नहीं किए जा सकते।

हथकरघा क्षेत्र को अनुदान/राजसहायता

6117. श्री वी० धनंजय कुमार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हथकरघा वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रस्ताव तैयार किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार हथकरघा क्षेत्र में कोई अनुदान अथवा राज-सहायता दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार अनुदान अथवा राजसहायता के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) . (क) यद्यपि आठवीं योजना के लिए हथकरघा योजनाएं अभी तैयार की जा रही हैं लेकिन ऐसी आशा है कि आठवीं योजना के लिए व्यापक नीतियां अपनाई जाएंगी। सातवीं योजना की कुछ चालू योजनाओं को भी जारी रखा जाएगा। नई योजनाओं में मूल संशोधन यह है कि इसमें विशेष क्षेत्र के बुनकरों और अथवा किसी एक विशेष लक्षित समूह अथवा किसी विशेष उत्पादन के लिए एकीकृत योजनाएं होंगी। चूंकि एक राज्य से दूसरे राज्य और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बुनकरों की समस्याएं भिन्न हो सकती हैं इसलिए नई योजनाएं विशेष आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की जायेंगी जो पैकेज प्रकार की योजना होंगी। चालू वर्ष के दौरान 6 नई योजनाएं पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है—(1) निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी (2) समेकित हथकरघा विकास योजना (3) प्रोजेक्ट पैकेज योजना (4) आंध्र प्रदेश में 12,000 बुनकरों को पायलट आधार पर शामिल करने की सामूहिक बीमा योजना (5) संशोधित थ्रिफ्ट फंड योजना और (6) संशोधित कार्यशाला-सह-आवास योजना।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

प्लान और गैर-प्लान में 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रु० में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1989-90	1990-91	1991-02 अन्तरिम
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2014.48	2477.23	2631.77

1 2	3	4	5
2. असम	1140.67	1230.46	1408.32
3. बिहार	902.20	542.45	475.93
4. गुजरात	641.38	634.24	141.84
5. हिमाचल प्रदेश	23.40	49.29	83.03
6. हरियाणा	31.91	20.00	58.20
7. जम्मू व कश्मीर	227.63	132.01	0.39
8. कर्नाटक	1175.40	1292.45	1167.69
9. केरल	451.42	205.63	174.00
10. मध्य प्रदेश	597.29	704.28	[illegible]10.69
11. महाराष्ट्र	1314.93	952.96	1480.24
12. मणिपुर	60.59	42.41	0.32
13. मेघालय	—	0.50	—
14. मिजोरम	—	22.30	2.80
15. नागालैंड	—	—	2.00
16. उड़ीसा	934.79	1211.14	1384.93
17. पंजाब	32.21	50.62	43.86
18. राजस्थान	445.33	368.32	380.28
19. तामिलनाडु	4390.41	3624.64	4005.00
20. त्रिपुरा	129.67	101.47	26.63
21. उत्तर प्रदेश	3191.32	4499.84	3317.34
22. पश्चिमी बंगाल	1901.65	1573.86	761.56

कर्नाटक में काफी के पौधों में रोग

6018. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितने क्षेत्र में काफी के पौधे रोग से प्रभावित है तथा इससे कितनी हानि हुई है अथवा होने की सभावना है; और

(ख) काफी बोर्ड द्वारा राज्य में काफी के पौधों में बेरी-बोरर रोग के प्रसार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) काफी लीफ रस्ट एक ऐसा मुख्य रोग है जो अरेबिका काफी को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त कोलरोगा, एंथ्राक्नोस जैसे अन्य गौण रोग भी काफी को प्रभावित करते हैं। वर्ष के दौरान कर्नाटक में इस रोग की वजह से प्रभावित क्षेत्र तथा फसल को हुआ नुकसान नगण्य/न्यूनतम रहा है।

(ख) काफी बोर्ड ने बेरी बोरर पेस्ट को नियंत्रित करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। इसके लिए एंडोसल्फाम 35 इसी का छिड़काव, अगर बागान में कुछेक पौधों तक ही संक्रमण सीमित हो तो ऐसे संक्रमणग्रस्त पौधों को हटाने तथा उन्हें जलाने और ग्लीमिंग को सावधानीपूर्वक बटोरने आदि जैसे रासायनिक नियंत्रण उपाय समय पर अपनाने के लिए उपजकर्ताओं में जागरुकता पैदा की गई है। इसके अतिरिक्त कोडागु जिले को कीटनाशक पदार्थ सप्लाई किए गए हैं ताकि उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में उपज-कर्ताओं को समय पर छिड़काव करने के लिए 50 प्रतिशत घटी दर पर उपलब्ध कराया जा सके।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा रिक्त पदों को भरा जाना

6019. डा० महावीपक सिंह शाक्य :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और इससे संबद्ध बैंकों में राज्य-वार शाखा प्रबन्ध से नीचे के कुल कितने पद रिक्त हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन रिक्त पदों को भरने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली परिवहन निगम पर बकाया ऋण

6020. डा० महावीपकसिंह शाक्य : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3.-3-92 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम (डी०टी०सी०) को दिए गए ऋण राशि की कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) क्या सरकार का विचार डी०टी०सी० के वित्तीय संकट को देखते हुए इस ऋण को माफ करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के प्रति 651.38 करोड़ रुपए का ऋण बकाया है।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम को दिए गए ऋण को माफ करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

निधि के अनधिकृत हस्तांतरण में कथित रूप से शामिल लोगों पर मुकदमा चलाना

6021. **श्री अन्ना जोशी** :
श्रीमती रीता वर्मा :
श्री बलराज पासी :
श्रीमती कृष्णनिन्द्र कोर (दीपा) :

क्या **वित्त मंत्री** 13 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3653 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नजरबन्दी आदेशों का पालन न करने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ख) कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही पूरी कर ली गई है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) नजरबन्दी आदेशों को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि इस मामले में दस्तावेज कई हजार पृष्ठों के थे इसलिए समय पर फोटो प्रतियां तैयार नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त इन सब व्यक्तियों के सम्बन्ध मे एक साथ आदेश लागू करने की योजना थी क्योंकि ये सब एक ही ग्रुप के थे लेकिन कई हजार पृष्ठों की फोटो प्रतियां समय पर तैयार करवाने की कठिनाई के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। बाद में आदेशों के लागू होने में विलम्ब होने के कारण यह अनुभव किया गया था कि कोई वास्तविक संयोजन नहीं था और यह निर्णय लिया गया कि मुकदमें की अभियोजन सम्बन्धी कार्यवाहियां शीघ्रता से आरम्भ की जाए। इसलिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 56 के अन्तर्गत वर्ष 1986 में 11 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई आरम्भ की गई जिनमें से न्यायालय ने दो मामले खारिज कर दिए और शेष मामले विचारण स्तर पर न्यायालय में लम्बित हैं।

[हिन्दी]

फुटवियर और फुटवियर कम्पोनेन्ट्स का निर्यात

6022. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फुटवियर" और फुटवियर कम्पोनेन्ट्स का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए दोनों उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अलग-अलग मूल्य प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने और देश में रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने को ध्यान में रखते हुए फुटवियर कम्पोनेन्ट्स के स्थान पर तैयार फुटवियर का निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व व्यापार के बारे में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों (1989 तक) के आधार पर वर्ष 1988 तथा 1989 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में फुटवियर तथा फुटवियर साज सामान के निर्यात में भारत का शेयर क्रमश: 1.25% तथा 1.82% रहा है।

(ग) सरकार परिष्कृत फुटवियर के निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता के प्रति सचेत है और इस दिशा में कई संवर्धनात्मक उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है :

(1) चमड़े की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपरिष्कृत, अर्ध-तैयार या तैयार रूप में का निःशुल्क आयात;

(2) अन्य कच्चे माल, उपभोक्ता वस्तुओं, सहायक सामग्री, रसायनों और पूंजीगत माल का रियायती शुल्कों पर आयात;

(3) डिजाइन और विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना;

(4) देश में तथा देश के बाहर जनशक्ति प्रशिक्षण में वृद्धि करना;

(5) औद्योगिक एस्टेट स्थापित करना तथा सामूहिक-सुविधा केन्द्रों का संवर्धन करना; और

(6) भारतीय चमड़ा उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करना तथा उन्हें विश्व बाजार में और अधिक प्रतियोगी बनाना।

[अनुवाद]

छोटे और मध्यम दर्जे की परियोजनाओं के लिए धनराशि

6023. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम दर्जे की परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों और राज्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन देने के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जो मार्गनिर्देश जारी किए हैं; उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) छोटे और मध्यम दर्जे की परियोजनाओं के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक क्या ऋण इक्विटी अनुपात निर्धारित किया है; और

(ग) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन पर ये मार्गनिर्देश लागू होते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) ने औद्योगिक ऋणों के लिए पुनर्वित्त योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों (एस० एफ० सी०) सहित प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं को योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए हैं :

I. सहायता के लिए पात्र उद्योग : आई० डी० बी० आई० अधिनियम की धारा 2(ग) के अन्तर्गत औद्योगिक कम्पनी की परिभाषा में आने वाले सभी उद्योग सहायता के पात्र हैं। परन्तु इसमें भारत सरकार की निषेधात्मक सूची में शामिल उद्योग पात्र नहीं हैं । इसके अतिरिक्त, आई० डी० बी० आई० ने मांग और आपूर्ति की उभरती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए पात्र संस्थाओं को कतिपय उद्योगों को सहायता देने के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं ।

II. परियोजना लागत : परियोजना लागत सामान्यतः 300 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, एस० एफ० सी० और राज्य औद्योगिक वित्त निगम जो निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं, उन्हें 500 लाख रुपए तक की लागत की परियोजनाओं के वित्तपोषण की अनुमति दी जाती है ।

III. पात्र ऋण राशि :

संस्थान का नाम	पात्रता मानदण्ड पूरा करने वाले एस० एफ० सी०/ एस० आई० डी० सी०	अन्य
1	2	3
एस० एफ० सी०	90 लाख रु०	60 लाख रुपए

1	2	3
एस० आई० डी० सी०	150 लाख रु०	90 लाख रुपए

IV. परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में प्रवर्तक का अंशदान	:	"क" और "ख" वर्ग के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं के लिए 17.5%
	:	"ग" वर्ग के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं के लिए 20%
	:	पिछड़े क्षेत्र के भिन्न क्षेत्र में स्थापित परियोजनाओं के लिए 22.5%
V. ऋण इक्विटी अनुपात	:	2:1
VI. ब्याज दर	:	एस० एफ० सी०/एस० आई० डी० सी०/ बैंक द्वारा उद्योगों के 17.5% से 20% के बीच और एस० एफ० सी०/एस०आई० डी० सी०/बैंक को आई० डी० बी० आई० द्वारा अपनी पुनर्वित्त राशि पर 15%
VII. फ्रन्ट एण्ड शुल्क	:	1%

(ख) मझौले उद्योगों के लिए ऋण इक्विटी अनुपात सामान्यत: 2:1 से अधिक नहीं होता है। जहां तक लघु उद्योग क्षेत्र के एककों का सम्बन्ध है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना से इन क्षेत्रों का पुनर्वित्त सिडबी करता है। लघु उद्योग एककों के लिए सिडबी ने समान रूप से 3:1 के अनुपात में अधिकतम ऋण इक्विटी अनुपात निर्धारित किया है। तथापि, सिडबी मिश्रित ऋण योजना और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों की सहायतार्थ योजना जैसी कुछ योजनाओं के मामलों में इक्विटी अंशदान के लिए बल नहीं देता है। आधुनिकीकरण और पुनर्वास की योजना के अन्तर्गत ऋण इक्विटी अनुपात के लिए एक लचीला रुख अपनाया जाता है।

(ग) आई० डी० बी० आई० अधिनियम की धारा 2(ग) में निर्धारित परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले सभी उद्योग पुनर्वित्त योजना के अन्तर्गत सहायता के पात्र हैं।

जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा महाराष्ट्र में पूंजी निवेश

6024. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा महाराष्ट्र के विभिन्न

क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष डिवीजनवार कितनी पूंजी का निवेश किया गया; और

(ख) इस धनराशि का निवेश किन कार्यों में किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के निवेश रिकार्ड राज्यवार रखे जाते हैं, न कि मंडलवार। पिछले तीन वर्षों के लिए महाराष्ट्र राज्य में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा किए गए निवेश निम्न प्रकार हैं :—

(रुपए करोड़ में)

	1988-89	1989-90	1990-91
जीवन बीमा निगम	206.86	402.23	315.16
साधारण बीमा निगम	80.31	143.37	143.27

(ख) यह राशि निम्नलिखित कार्यकलापों में निवेश की गई है :—

भारतीय जीवन बीमा निगम :

1. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और सरकारी गारंटी शुदा विपणन योग्य प्रतिभूतियां।

2. निम्नलिखित के लिए ऋण :

(i) सामाजिक आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकार को

(ii) राज्य बिजली बोर्ड

(iii) जल-आपूर्ति और मलजल निकासी योजनाएं

(iv) राज्य सड़क परिवहन निगम

(v) शीर्ष सहकारी आवास समितियां

(vi) औद्योगिक सम्पदाएं

3. निजी निगमित क्षेत्र में निवेश (ऋण पत्र, अधिमान, इक्विटी और कम्पनियों को ऋण)।

भारतीय साधारण बीमा निगम :

1. सरकार द्वारा जारी किए गए ऋणों में अंशदान;

2. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकार को आसान शर्तों पर ऋण;

3. अग्निशमन उपस्कर खरीदने के लिए ऋण;

4. राज्य में स्थित कम्पनियों के इक्विटी और अधिमान शेयरों में किया गया निवेश; और

5. परियोजना वित्त के लिए आवधिक ऋणों के रूप में मंजूर की गई सहायता तथा परियोजना वित्त/चलती पूंजी के लिए जारी की गई प्रतिभूतियों के लिए अंशदान ।

सैनिक स्कूलों का कार्यकरण

6025. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सैनिक स्कूलों के कार्यकरण तथा प्रशिक्षण स्तर में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन क्षेत्रों को चुना गया है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए तैयार की गयी योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सैनिक स्कूलों में प्रशिक्षण, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से जुड़ा होता है । इन स्कूलों के कार्यकलापों की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और प्रशिक्षण-स्तर में सुधार लाने के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं । इस प्रयोजन के लिए आठवीं योजना अवधि में कोई विशिष्ठ कार्य योजना प्रस्तावित नहीं की गई है ।

बैंकों में ग्राहक सेवा समितियां

6026. **श्री अनन्त राव देशमुख** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोयपोरिया समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं में ग्राहक सेवा समितियों का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो समितियों की संरचना किस प्रकार की है और सदस्यों की नियुक्ति के मानदंड क्या हैं; और

(ग) इन समितियों की आवधिक बैठक के लिए क्या समय निश्चित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखा द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा की कोटि पर नजर रखने के लिए प्रत्येक शाखा में ग्राहक सेवा समिति गठित की जाती है जिसमें शाखा प्रबन्धक और स्टाफ के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे । ग्राहक सेवा पर गोयपोरिया समिति ने 1991 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ इन समितियों के कायाकल्प की सिफारिश की है । भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए पहले ही सभी बैंकों को अनुदेश जारी कर दिए हैं ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निवेश

6027. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट राज्यों में लघु बचत कार्यक्रमों में निवेश करता है; और

(ख) यदि हां, तो निवेश की राशि निर्धारित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने राज्यवार तथा वर्षवार कितना निवेश किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि यूनिट धारकों को अच्छा प्रतिलाभ मिल सके, भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा किए जाने वाले निवेश का निर्धारण इसकी समग्र संसाधन स्थिति और आय तथा नकदी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा लघु बचत योजनाओं में किया गया राज्यवार निवेश संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1991-92 के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा लघु बचत कार्यक्रमों में कोई निवेश नहीं किया गया है।

विवरण

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान लघु बचत योजनाओं पर राज्यवार किया गया निवेश

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	25	50	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	20	05
3.	असम	25	105	32
4.	बिहार	25	70	32
5.	गोआ	शून्य	20	01
6.	गुजरात	25	70	43
7.	हरियाणा	25	30	30
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	80	26

1	2	3	4	5
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	80	24
10.	कर्नाटक	25	200	15
11.	केरल	25	40	10
12.	मध्य प्रदेश	25	70	14
13.	महाराष्ट्र	50	100	50
14.	मणिपुर	शून्य	20	05
15.	मेघालय	शून्य	20	06
16.	मिजोरम	शून्य	20	05
17.	नागालैण्ड	शून्य	20	25
18.	उड़ीसा	25	40	108
19.	पंजाब	25	25	22
20.	राजस्थान	25	75	75
21.	सिक्किम	शून्य	20	05
22.	तमिलनाडु	50	60	16
23.	त्रिपुरा	शून्य	40	11
24.	उत्तर प्रदेश	50	100	329
25.	पश्चिम बंगाल	25	70	53
	जोड़ :	450	1445	968

[हिन्दी]

हीरा और स्वर्ण आभूषणों के व्यापारियों के लिए कच्चे माल की सप्लाई

6028. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी बाजारों विशेषत: यूरोपीय देशों में भारतीय हीरों और स्वर्ण आभूषणों की भारी मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवसाय में लगे कारीगरों और व्यापारियों को कच्चा माल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उन एजेन्सियों के नाम क्या है जिनसे वे लोग कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी. हां।

(ख) और (ग) रत्न और आभूषण मदों के निर्यातकों को इम्प्रेस्ट एण्ड रिप्लेनिशमेंट लाइसेंसों के माध्यम से कच्चा माल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। आयात-निर्यात नीति में अधिसूचित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वर्ण आभूषणों के निर्यातकों को भारतीय स्टेट बैंक, एम० एम० टी० सी० और एच० एच० ई० सी० द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर सोने की आपूर्ति की जाती है। घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्वर्ण आभूषणों के निर्यातकों द्वारा सोने का सीधे आयात करने की एक योजना को आयात-निर्यात नीति में विनिर्दिष्ट किया गया है।

हीरे तथा सोने के आभूषणों का निर्यात

6029. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हीरे तथा सोने के आभूषणों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) इस निर्यात में राजस्थान का कितना हिस्सा है;

(ग) उक्त आभूषणों के लिए सरकार द्वारा निर्यातकों को कितने मूल्य का कच्चा माल उपलब्ध किया गया है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी० जे० इ० पी० सी०) के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान तराशे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों तथा स्वर्ण आभूषणों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नानुसार है :

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	हीरे (तराशे हुए तथा पालिश किए हुए)	स्वर्ण आभूषण
1988-89	4230.28	165.47
1989-90	4971.93	82.90
1990-91	4738.71	363.53
1991-92 (अप्रैल—जनवरी)	4737.94 (अनन्तिम)	508.66 (अनन्तिम)

(ख) निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) सरकार आभूषणों के निर्यातकों को कच्चा माल सप्लाई नहीं करती है। आयात-निर्यात नीति में विनिर्दिष्ट विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कच्चा माल सुलभ कराने की व्यवस्था है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई० एन० एस० कुर्सुरा की मरम्मत

6030. डा० राजागोपालन श्रीधरन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापटनम नौसैनिक पोत-कारखाने को भारतीय पनडुब्बी, आई० एन० एस० कुर्सुरा की मरम्मत करने में कितने वर्ष लगे;

(ख) मरम्मत पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या पोत-कारखाने ने अब इसके जीवनकाल सम्बन्धी कोई प्रमाणपत्र जारी किया है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) नौसेना गोदी, विशाखापत्तनम में भा० नौ० पो० "कुर्सुरा" पनडुब्बी की मीडियम रिफीट का कार्य पूरा होने में लगभग छः वर्ष लगे। किसी नौसेना पोत की मरम्मत के पश्चात् शेष कार्य अवधि के बारे में प्रमाणपत्र जारी करने की प्रथा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अधिक ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते।

रूस से सोने की खरीद

6031. डा० राजागोपालन श्रीधरन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रूस से सोना खरीदने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चाय का उत्पादन और निर्यात

6032. डा० डी० वेंकटेश्वर राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान देश में राज्यवार कितनी मात्रा में चाय का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कुल कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया;

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(घ) वर्ष 1992 के लिए चाय के निर्यात का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) देश में वर्ष 1989-90 तथा 1991 के दौरान उत्पादित चाय की मात्रा, राज्यवार नीचे दी गई है ।

(मात्रा : हजार कि० ग्रा० में)

राज्य	1989	1990 (अनन्तिम)	1991 (अनुमानित)
आसाम	379,855	379,892	387,866
पश्चिम बंगाल	143,168	157,520	161,832
त्रिपुरा	5,270	5,318	5,320
बिहार	34	30	30
उत्तर प्रदेश	407	508	510
हिमाचल प्रदेश	708	760	958
मणिपुर	6	24	25
सिक्किम	82	84	86
अरुणाचल प्रदेश	32	32	32
नागालैंड	—	नगण्य	नगण्य
उड़ीसा	9	13	14
योग उत्तर भारत :	529,571	544,181	556,673
तमिलनाडु	100,691	102,594	113,493
केरल	53,884	64,025	67,110
कर्नाटक	3,959	3,865	4,443
योग दक्षिण भारत :	158,534	170,484	185,046
योग समस्त भारत :	688,105	714,665	741,719

(ख) तथा (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई चाय की कुल मात्रा तथा मूल्य नीचे दिया गया है।

वर्ष	मात्रा मात्रा (एम० कि॰ग्रा०)	निर्यात आय मूल्य (करोड़ रुपए में)
1989	212.66	848.98
1990	210.02	1113.35
1991*	202.92	1100.14

*अनुमानित।

(घ) सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 के लिए चाय के निर्यात का लक्ष्य 220 मिलियन कि०ग्रा० निर्धारित किया गया है और उससे 1250 करोड़ रु० (लगभग) की विदेशी मुद्रा के अर्जित होने की सम्भावना है।

एक्जिम स्क्रिपों का अधिमूल्य

6033. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्जिम स्क्रिपों के अधिमूल्य में गत एक वर्ष के दौरान तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान इसका माह-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा एक्जिम स्क्रिपों के गिरते अधिमूल्य को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) एक्जिम स्क्रिप पर प्रीमियम बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार का प्रीमियम पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

सोने की तस्करी

6034. **श्री भाग्ये गोवर्धन** :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री अन्नारासु इरा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोने के आयात की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के आयात के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं;

(ग) क्या सोने के आयात से देश में इसकी तस्करी कम हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो सोने की तस्करी किस हद तक कम हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 के बजट प्रस्तावों के एक अंग के रूप में, सरकार ने एक योजना की घोषणा की है जिसके तहत विदेशों में छह महीने या उससे अधिक अवधि तक ठहरने के बाद भारत लौटने वाले भारतीयों तथा अनिवासी भारतीयों को अपने साज-सामान के भाग के रूप में प्रति यात्री को 5 किलोग्राम तक सोना लाने की अनुमति दी है और ऐसे सोने पर आयात शुल्क प्रति 10 ग्राम 450 रुपए होगा, जो परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में देय होगा। इस योजना के पूरे ब्यौरे आयात व्यापार नियन्त्रण आदेश संख्या 83/90-93 दिनांक 29-2-92, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या फेरा 111/92 रिजर्व बैंक दिनांक 29-2-92 और अधिसूचना संख्या 117/92-सी० शु० दिनांक पहली मार्च, 1992 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) यह आशा की जाती है कि सरकार द्वारा घोषित स्वर्ण आयात योजना के फलस्वरूप देश में सोने की तस्करी कम हो जाएगी। तथापि, यह बताना कठिन है कि तस्करी के परिमाण में किस सीमा तक कमी आने की सम्भावना है।

अधिक मूल्य वाले शेयरों में निवेशक संस्थाओं द्वारा निवेश

6035. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मुख्य निवेशक संस्थाओं को अधिक मूल्य वाले शेयरों में अपनी पूंजी का एक हिस्सा निवेश करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निदेश का पालन करने वाली निवेशक संस्थाओं के क्या नाम हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात

6036. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात में भारत का क्या अंश है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यात किए गए चमड़े से बनी वस्तुओं का मूल्य क्या है;

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए क्या सम्भावनाएं हैं; और

(घ) निर्यात वृद्धि हेतु आगामी वर्षों की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में तैयार किए गए स्वदेशी चमड़े की उपलब्धता क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) विश्व व्यापार के बारे में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों (1988 तक) के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चमड़ा तथा चमड़े के सामान के निर्यात में भारत का अंश लगभग 3.5% है।

(ख) काउन्सिल फार लेदर एक्सपोर्ट्स मद्रास द्वारा किए गए आकलन के अनुसार अप्रैल, 1991 से फरवरी 1992 की अवधि के दौरान निर्यात किए गए चमड़े के सामान (फुटवियर, फुटवियर साज सामान और परिधानों सहित लेकिन परिष्कृत चमड़े को छोड़कर) का मूल्य 2070.43 करोड़ रुपए है।

(ग) काउन्सिल फार लेदर एक्सपोर्ट्स, मद्रास (सलएलई) द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार अगले तीन वर्षों के दौरान चमड़े के सामान के निर्यात का अनुमान निम्नानुसार है :

(मूल्य करोड़ रुपए में)

1992-93	1993-94	1994-95
3300	5300	5600

(घ) आगामी वर्षों में परिष्कृत चमड़े की अनुमानित आवश्यकता तथा उपलब्धता नीचे दर्शाई गई है :

(आंकड़े मिलियन वर्ग फुट में)

आवश्यकता		उपलब्धता	
1991-92	1994-95	1991-92	1994-95
1445	1830	1375	1593

(स्रोत: आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए चमड़ा तथा चमड़े के सामान सम्बन्धी कार्यकारी समूह की रिपोर्ट)।

तट रक्षक

6037. **श्री एम० डेनिस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तट रक्षकों को कुशल बनाने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ((श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) धन उपलब्ध होने पर, तट रक्षक संगठन की पंचवर्षीय विकास योजनाओं के अनुरूप इस संगठन का आधुनिकीकरण करके उसे और सुदृढ़ बनाया जा रहा है ।

आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 की समीक्षा

6038. **श्री मोरेश्वर सावे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 तथा इसके अन्तर्गत किए गए विभिन्न आदेशों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें कब तक संशोधन कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) नई व्यापार नीति को ध्यान में रखते हुए आयात एवं निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 को निरस्त करने और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 नामक नया कानून लागू करने का विचार है । इस बिल को लाने की सूचना पहले ही लोक सभा में दे दी गई है ।

[हिन्दी]

राजस्थान में अफीम की खेती के लिए लाइसेंस

6039. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राजस्थान में अफीम की खेती के लिए कितने नए लाइसेंस जारी किए गए;

(ख) क्या अमेरिका और अनेक यूरोपीय देश अफीम के अधिक उत्पादन हेतु इस नीति का विरोध करते हैं;

(ग) क्या सरकार इन देशों के विरोध को देखते हुए अफीम का उत्पादन कम करने का प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में अफीम पोस्त की खेती के लिए कोई नए लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि भारत सरकार की यह नीति है कि परम्परागत रूप से पोस्त की खेती करने वाले किसानों को ही अफीम के उत्पादन की अनुमति दी जाए ।

भारतीय अफीम के निर्यात को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वैकल्पिक सस्ती ओपिएट कच्ची सामग्री, अर्थात् पोस्त के तिनकों के सांद्रण से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा था जिसके कारण भारत में अफीम का भण्डार जमा हो गया। अफीम के मौजूदा स्टॉक को कम करने तथा और अधिक स्टॉक जमा न होने देने के लिए, भारत ने पोस्त की खेती के अन्तर्गत आने वाले लाइसेंसशुदा क्षेत्र को उत्तरोत्तर रूप से वर्ष 1977-78 में 66,000 हेक्टेयर से घटाकर वर्ष 1991-92 में लगभग 14,211 हेक्टेयर कर दिया है। अतः, अधिक अफीम का उत्पादन करने के मामले में किसी देश द्वारा भारत का विरोध किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

वस्त्र नीति पर त्रिपक्षीय बैठक

6040. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई वस्त्र नीति में परिवर्तन करने से पूर्व त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वस्त्र मन्त्रालय ने सभी क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों, मन्त्रालय में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों तथा भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों जैसे श्रम के साथ पहले ही परामर्श कर लिया है। आबिद हुसैन समिति में भी सम्बन्धित क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसलिए सरकार महसूस करती है कि दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक परामर्श पूरा हो चुका है।

सीमाशुल्क कार्यालय, मुम्बई विमानपत्तन पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो का छापा

6041. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष 31 जनवरी को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुम्बई विमानपत्तन स्थित सीमाशुल्क कार्यालय पर छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो छापे के परिणामस्वरूप पता चलने वाली अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा मुम्बई

हवाई अड्डे पर स्थित सीमाशुल्क कार्यालय पर दिनांक 31-1-1992 को ऐसा कोई छापा नहीं मारा गया था। तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कुछ सीमाशुल्क अधिकारियों के ब्रीफकेसों और हवाई अड्डे पर स्थित कुछ लॉकर कमरों आदि की तलाशी ली थी।

(ख) 43 लॉकरों में कुछ अपराध-आरोपणीय नहीं पाया गया था। 29 लॉकरों, एक अलमारी और एक ब्रीफकेस में से 40,300 रुपये, 37 अमरीकी डालर, विदेशी शराब की 188 बोतलें, सिगरेट, घड़ियां, इलेक्ट्रानिक माल आदि बरामद किया गया था।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने तीन मामले रजिस्टर किए हैं, जिनमें एक सीमाशुल्क अधीक्षक और दो वायु-सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध हैं। उस अधीक्षक को निलम्बित कर दिया गया है जिसके ब्रीफकेस से 7,000 रुपये और शराब की बोतलें बरामद की गई थीं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का बनाना

6042. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जापानी सहायता से कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाले मार्ग बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्योरा क्या है जिनका इस प्रयोजनार्थ चयन किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 के 147.33 कि०मी० से 199.66 कि०मी० तक के मथुरा-आगरा खण्ड में चार लेन बनाने की परियोजना के लिए जापान के ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फण्ड (ओ०ई०सी०एफ०) के साथ जनवरी, 1992 में एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के अनुसार ओ०ई०सी०एफ० परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मूलधन के रूप में अधिकतम 4855 मिलियन जापानी येन की राशि का ऋण देगा।

काफी बोर्ड को हुआ घाटा

6043. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान काफी बोर्ड को कितना घाटा हुआ है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन घाटों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) काफी बोर्ड को पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई घाटा नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे काफी बीजों का शोधन

604. श्री [illegible] : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काफी बोर्ड ने काफी के कच्चे बीजों के शोधन का ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन ठेकों की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यह प्रथा काफी उत्पादकों के लिए लाभदायक है;

(घ) यदि हां, तो कैसे और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो काफी बोर्ड द्वारा शोधन कार्य का ठेका देने की प्रथा को जारी रखने का क्या कारण है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) काफी बोर्ड कच्चे काफी बीजों की क्यूरिंग के लिए प्रति वर्ष ठेके देता रहा है। पूल एजेंसी समझौते के मुख्य प्रावधान में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) क्यूररों द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित कार्य जैसे उन्हें दी गई काफी की प्राप्ति, भण्डारण, क्यूरिंग, आदि।

(2) बोर्ड द्वारा प्रदत्त निधियों में से और इस सम्बन्ध में जारी अनुदेशों के अनुसार उपज-कर्ताओं अथवा अन्य व्यक्तियों को भुगतान करना।

(3) यथोचित समयावधि के भीतर पिसी गई समस्त काफी के सम्बन्ध में तैयार माल उपलब्ध कराना।

(4) सभी यथोपेक्षित रजिस्टरों, पुस्तकों, रिकार्ड का रख-रखाव।

(5) ऐसी पार्टियों को स्टाक देना जिनका उल्लेख विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाए।

(6) उनके द्वारा निष्पादित सेवाओं के बदले में काफी बोर्ड द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक लेना।

(ग) और (घ) चूंकि 95 प्रतिशत से अधिक काफी उपजकर्ता लघु काफी उपजकर्ता होते हैं इसलिए, वे अपनी काफी की क्यूरिंग के लिए अपना क्यूरिंग वर्क्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसके लिए मशीनरी, गोदामों, ड्राइंग यार्डों आदि पर भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। अतः यह प्रक्रिया काफी उपजकर्ताओं के लिए लाभप्रद है। इसके अलावा, उपजकर्ताओं को अपना माल क्यूरिंग वर्क्स को सुपुर्द करने के तुरन्त बाद अपने माल के मूल्य का लगभग 60-70 प्रतिशत भाग प्राप्त हो जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर का ऋण जमा अनुपात

6045. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर का 31 दिसम्बर, 1991 को प्रत्येक राज्य में ऋण जमा अनुपात का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में बैंक द्वारा किसानों और औद्योगिक एककों को ऋणों के रूप में दी गई बकाया राशि का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) विभिन्न राज्यों में ऐसे कितने एककों को वित्तीय सहायता दी गई जो अब रुग्ण हो गई हैं और इनमें कितनी पूंजी फंसी हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर की जिन राज्यों में शाखाएं हैं उनमें दिसम्बर, 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार ऋण जमा अनुपात निम्नानुसार था :

राज्य का नाम	ऋण जमा अनुपात (%)
मध्य प्रदेश	65.76
महाराष्ट्र	117.64
उत्तर प्रदेश	53.67
तमिलनाडु	67.89
कर्नाटक	272.30
पश्चिम बंगाल	203.35
राजस्थान	37.77
दिल्ली	59.74
गुजरात	75.93
आंध्र प्रदेश	226.89

(ख) और (ग) जून 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार स्टेट बैंक आफ इन्दौर द्वारा दिए कृषि अग्रिमों के सम्बन्ध में अतिदेय राशियों की राज्य-वार स्थिति नीचे दी गई है :—

(लाख रुपए)

राज्य का नाम	अतिदेय राशियां
मध्य प्रदेश	4057.78
गुजरात	1.64
महाराष्ट्र	4.08
आंध्र प्रदेश	5.98

30-9-1991 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में बैंक द्वारा वित्त पोषित उन इकाइयों की संख्या जो अब रुग्ण हो गई हैं तथा उनमें फंसी राशियां नीचे दी गई हैं :—

(लाख रुपए)

राज्य का नाम	इकाइयों की संख्या	30-9-1991 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि
मध्य प्रदेश	7681	7276
महाराष्ट्र	62	528
गुजरात	61	214
कर्नाटक	1	17
राजस्थान	8	13
उत्तर प्रदेश	22	15
दिल्ली	11	19
पश्चिम बंगाल	23	824
तमिलनाडु	47	6

[हिन्दी]

मानव कंकालों और बालों का निर्यात

6046. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मानव कंकालों और बालों का अवैध रूप से निर्यात करने का कोई मामला गत तीन वर्षों के दौरान पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस बारे में निर्धारित की गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) मानव बालों का निर्यात मुक्त रूप से किए जाने की अनुमति है। मानव कंकालों के अवैध निर्यात का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) मानव कंकालों तथा उसके अंगों के निर्यात पर 19 अगस्त, 1985 से पूर्णतया रोक है और यहां तक कि रोक से पहले की निर्यात वचनबद्धताएं भी किसी भी हालत में पूरी करने की अनुमति नहीं है।

मानव बालों के निर्यात की बिना किसी कन्ट्रोल के अनुमति दी जाती है।

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

6047. श्री भगवान शंकर रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन से सम्बन्धित हाल ही में घोषित की गई योजना से लाभान्वित होने वाले विभिन्न श्रेणियों के भूतपूर्व सैनिकों की संख्या क्या है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप सरकार पर कितना वार्षिक व्यय पड़ेगा ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में प्रभारी मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) इस योजना से छः लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिक, जो 1-1-86 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, लाभान्वित होंगे। लगभग 7500 सिपाही, जो 1-1-86 को या उसके बाद 15 से 17 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त हुए थे, भी लाभान्वित होंगे। इस योजना पर अतिरिक्त वार्षिक व्यय महंगाई राहत की वर्तमान दर पर 120 करोड़ रुपए आंका गया है।

वल्लरपदाउ में यानांतरण टर्मिनल

6048. प्रो० के० वी० थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वल्लरपदाउ में यानांतरण टर्मिनल की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सरकार ने प्राइवेट पूंजी निवेश के माध्यम से उक्त कन्टेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल स्थापित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं जिनमें भारत या विदेश की पार्टियों को आमन्त्रित किया गया है कि वे टर्मिनल स्थापित करने में अपनी रुचि बताएं कि क्या वे सम्पूर्ण लागत उन्हीं के द्वारा वहन किए जाने के आधार पर या कोचीन पत्तन न्यास के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में टर्मिनल स्थापित करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

बैंकों के विनिमय दर

6049. प्रो० के० वी० थॉमस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न बैंक डालर के लिए भिन्न-भिन्न विनिमय दर रखते हैं तथा बैं० से ऋण लेने वाले निर्यातकों को विदेशी मुद्रा के लेन-देन सहित सभी लेन-देन उसी बैंक से करने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यातकों को विदेशी मुद्रा लेन-देन किसी भी बैंक के माध्यम से करने की अनुमति देने तथा ऋण देने वाले बैंक को ऋण राशि कम करने का निदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली (एल०ई०आर०एम०एस०) के अन्तर्गत बैंक चालू बाजार दरों के आधार पर डालर के लिए विभिन्न दरों में भाव बताने के लिए स्वतन्त्र हैं। किसी निर्यातक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सभी लेन-देन जिसमें विदेशी मुद्रा के लेन-देन भी शामिल हैं, उसी बैंक के माध्यम से करे। तथापि, यह वांछनीय है कि निर्यातक उसी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा के लेन-देन करें जिसने कि ऋण प्रदान किया है, ताकि निर्यात प्राप्ति से सम्बन्धित दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की समस्या न आए।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बैंकों में शिकायत प्रक्रिया तन्त्र

6050. श्री अन्नासाहेब इरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप भारतीय स्टेट बैंक सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों हेतु कोई शिकायत प्रक्रिया तन्त्र है;

(ख) यदि हां, तो बैंक-वार तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऐसा तन्त्र सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बैंकिंग उद्योग में कर्मचारियों और प्रबन्धन के बीच शिकायतों/विवादों को दूर करने के लिए एक दोतरफा संस्थागत ढांचा है और वह निम्नानुसार है :

(I) उद्योग स्तर पर द्विपक्षीय मंच जिसका भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रबन्धन तथा कर्मचारियों/अधिकारियों की यूनियनों/संघों की ओर से प्रतिनिधित्व किया जाता है; तथा

(II) श्रमिक कानूनों के अन्तर्गत सांविधिक प्रावधान ।

बैंक कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी ढांचे और सेवा शर्तों के सम्बन्ध में समय-समय पर बातचीत की जाती है और उसे उद्योग स्तरीय द्विपक्षीय समझौतों में चरम बिन्दु पर रखा जाता है । औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी कर्मचारी सम्बन्धित श्रम आयुक्त से सम्पर्क कर सकता है और नामित अधिकारी औद्योगिक विवाद को दूर करने का प्रयास करता है । यदि समझौता सम्भव न हो तो उस सूरत में श्रम मंत्रालय उस मामले को औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेज सकता है और उसका फैसला बाध्यकारी होता है और उसे केवल उच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

मुम्बई की मिलों को पुनः अर्थक्षम बनाना

6051. **श्री राम नाईक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मुम्बई की न्यू ग्रेट इस्टर्न मिल, रघुवंशी मिल और माडर्न मिल को पुनः शुरू करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इन मिलों को पुनः शुरू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि सभी तीनों मिलें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) के पुनर्वास्ति के अन्तर्गत हैं तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बी० आई० एफ० आर० और औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई कर रहा है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इन दो अभिकरणों से अन्तिम आदेश प्राप्त होने पर रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा ।

मसाला व्यापार निगम लिमिटेड को बन्द करना

605 . श्री गुरुदास कामत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मसाला व्यापार निगम लिमिटेड को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे और उन कर्मचारियों का समायोजन किन विभागों में किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या यह निगम घाटे में चल रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विगत दो वर्षों के दौरान अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए लाभ/हानि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :--

वर्ष	लाख रुपये में
1989-90	(—) 3.65
1990-91	(+) 15.08
1991-92	(—) 64.17
(29 फरवरी, 1992 तक)	

नोट : (+) लाभ

(—) हानि

बिहार को केन्द्रीय सहायता

6053 श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री 13 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 250 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान बिहार को अनुदान सहित कुल कितनी केन्द्रीय सहायता मंजूर की गयी;

(ख) क्या विकास सम्बन्धी धनराशि के अनुचित उपयोग के बारे में राज्य सरकार को शिकायतें भेजी गई हैं;

(ग) क्या मंजूर किए गए ऋणों और अनुदानों की पूरी धनराशि राज्य सरकार को वित्त वर्ष के दौरान दे दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो उपर्युक्त वित्त वर्षों में प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार को ऋण और अनुदान की कितनी धनराशि वास्तव मे दी गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) बिहार को 1990-91 के दौरान 1209.22 करोड़ रुपए तथा 1991-92 के दौरान 1567.39 करोड़ रुपए की कुल केन्द्रीय सहायता (जिसमें ऋण तथा अनुदान शामिल हैं) आबंटित की गई।

(ख) जी, हाँ। एक शिकायत राज्य सरकार को भेजी गई है। तथापि, एक अन्य पत्र, जिसमें राज्य में विकास निधि के दुरुपयोग का उल्लेख तो किया गया था किन्तु उसमें निर्वाचन क्षेत्रवार कुछ धनराशि आबंटित किए जाने की मांग की गई थी, को राज्य सरकार को नहीं भेजा गया है।

(ग) और (घ) 1990-91 और 1991-92 के दौरान आबंटित तथा रिलीज की गई ऋण और अनुदानों की राशियां नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

(करोड़ रुपए में)

	1990-91		1991-92	
	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
आबंटन	803.21	406.01	1073.68	493.71
रिलीज की गई	948.83	418.93	798.57	476.38

1991-92 में कमी मुख्यत: राज्य मे लघु बचत संग्रहणों में कमी के कारण हुई।

अखबारी कागज की खरीद

6054. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मंत्री 13 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 261 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा एफ०आई०एन०एम०पी०ए०पी० से अखबारी कागज की खरीद के समझौते की तिथि क्या है;

(ख) एस०टी०सी० द्वारा "एफ०आई०एन०एम०पी०ए०पी०" से अतिरिक्त मात्रा में अखबारी कागज की खरीद के लिए विकल्प भेजने की तिथि क्या है;

(ग) एस०टी०सी० ने "एफ०आई०एन०एल०पी०ए०सी०" के आदेश को कब निरस्त करने की सलाह दी; और

(घ) खरीद समझौते के सम्बन्ध में पहले दिए गए आदेशों के बारे में वास्तविक वैधानिक प्रावधान क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा फिन्नपैप अखबारी कागज की खरीद के समझौते की तारीख तथा अखबारी कागज की अतिरिक्त मात्रा की खरीद के लिए विकल्प भेजने की तारीख क्रमशः 16-10-91 तथा 30-12-91 हैं।

(ग) राज्य व्यापार निगम ने सप्लायर से 13-1-92 को अखबारी कागज का उत्पादन तब तक बन्द रखने के लिए कहा है जब तक कि उनको एस०टी०सी० से कुछ आदेश प्राप्त नहीं होते।

(घ) खरीद समझौते में भूलचूक, लदान में देरी और अनिवार्य बाध्यता की स्थिति में पहले से ही दिए गए आर्डरों को रद्द करने की व्यवस्था की गई है।

सूती मिलों की स्थापना

6055. डा० लाल बहादुर रावल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती मिलें हथकरघा और विद्युत करघा दोनों उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषतः अलीगढ़ में नए सूती मिलों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असम के रेशम बुनकर

6056. श्री प्रबीन डेका : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असम के ई० एन० डी० आई० और एम० यू० जी० ए० (असम में

उपलब्ध विशिष्ट कोटि की रेशम) के बुनकरों की समस्याओं के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) असम के मूगा और एरी बुनकरों सहित देश के हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए अनेक योजना तथा गैर-योजना स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं। तथापि, इन बुनकरों के लिए अलग से कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

असम चाय का निर्यात

6057. **श्री प्रबीन डेका** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान चाय के कुल निर्यात में से कुल कितनी और कितने मूल्य की असम चाय का निर्यात किया गया था;

(ख) क्या असम चाय के निर्यात में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो असम चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 (अप्रैल से जनवरी) के दौरान देश से निर्यात की गई चाय की कुल मात्रा 186.37 मि० कि० ग्रा० थी जिसका मूल्य 1014.30 करोड़ रु० था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 181.79 मि० कि० ग्राम चाय का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 984.96 करोड़ रु० था। वर्ष 1991 में देश में चाय का कुल उत्पादन 741.72 मि० कि० ग्रा० होने का अनुमान लगाया गया था जिसमें से 387.87 मि० कि० ग्रा० असम का अंश था तथापि, असम चाय के निर्यात की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन होगा क्योंकि अधिकांश मामलों में चाय मिश्रित रूप में ही बाहर जाती है।

चाय नीलामी केन्द्र गुवाहाटी का आधुनिकीकरण

6058. **श्री प्रबीन डेका** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान चाय निलामी केन्द्र, गुवाहाटी के माध्यम से कितनी मात्रा में चाय का विपणन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान असम के बाहर अन्य एजेंसियों के माध्यम से कितनी मात्रा में चाय का विपणन किया गया;

(ग) क्या और कारोबार बढ़ाने के लिए चाय नीलामी केन्द्र, गुवाहाटी के आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) गुवाहाटी स्थित नीलामी केन्द्र से अप्रैल, 91 से फरवरी, 92 के दौरान 135.95 मिलियन किग्रा० चाय की कुल मात्रा का विपणन होने का अनुमान है।

(ख) अप्रैल, 91 से फरवरी, 92 की अवधि के दौरान असम से बाहर की अन्य एजेंसियों के जरिए लगभग 335.83 मिलियन किग्रा० चाय का कुल विपणन हुआ।

(ग) और (घ) गुवाहाटी स्थित नीलामी केन्द्र के आधुनिकीकरण की कोई स्कीम न तो गुवाहाटी चाय नीलामी समिति से और न ही किसी चाय एसोसिएशन से प्राप्त हुई है।

कानून में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों को सहायता अनुदान

6059. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि कार्य द्वारा कुछ संस्थानों को कानून में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सहायता अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों के क्या नाम हैं और उसके लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में और अधिक संस्थानों को अनुदान देने के लिए वर्तमान मानदंड में ढील देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय विधि संस्थान (इंडियन ला इंस्टिट्यूट) सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान इन्स्टिट्यूट आफ कांस्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंटरी स्टडीज) तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि संगम (इन्टरनेशनल ला एसोसिएशन) (क्षेत्रीय शाखा-भारत) विधि कार्य विभाग से नियमित रूप से वार्षिक सहायता-अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। सरकारी विभागों द्वारा सहायता अनुदान मंजूर किए जाने के लिए साधारण वित्तीय नियम, 1963 में अधिकथित मानदंड भी इन संस्थाओं को लागू हैं।

(ग) और (घ) विद्यमान मानदंड उन संस्थाओं की, जिन्हें सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया जा सकता है, संख्या को सीमित नहीं करता है, सहायता-अनुदान के प्रत्येक मांग पर उसके गुणागुण के आधार पर विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय यातायात नीति समिति की सिफारिशें

6060. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा करने के लिए की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा अनुशंसित सैंतीस रूटों में से राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में ग्यारह रूट शामिल किए गए हैं जिनकी कुल लम्बाई 3,595 कि०मी० है। शेष रूटों को आठवीं पंचवर्षीय योजना और बाद की योजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल किए जाने पर विचार किया जा सकता है, जो इस प्रयोजन के लिए निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा अनुशंसित रूटों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	क्षेत्र और रूट	रूट लम्बाई (कि० मी०)
1	2	3
	उत्तरी क्षेत्र	
1.	पीलीभीत-हरिद्वार-पावटा-नाहन-अम्बाला	475
2.	पठानकोट-मंडी	220
3	अम्बाला-कैथल-हिसार-बिरामसर	410
4.	चंडीगढ़-भटिंडा	225
5.	पलवल-रिवाड़ी-हिसार	251
	केन्द्रीय क्षेत्र	
6.	गाजियाबाद-मेरठ-हरिद्वार	190
7.	ग्वालियर-झांसी-खुजराहो-रेवा	460

1	2	3
8.	नागरपुर-औबेदुल्लागंज (भोपाल को)	350
9.	जबलपुर-शहडोल-अम्बिकापुर-गुमला	520
10.	गोरखपुर-नौतनवा	84
11.	रायपुर-वाराणसी	620
पूर्वी क्षेत्र		
12.	लेटरल रोड (बरेली-अमीगांव-दरभंगा-फारबिसगंज लिंक सहित)	1050
13.	गाजियापुर-बलिया-छप्परा-हाजीपुर	210
14.	खड़गपुर-बालासौर	125
15.	बेहरामपुर-रायपुर	550
16.	मोकामेह-फरक्का	310
17.	आसनसोल-खड़गपुर	180
18.	आरा-बक्सर	80
19.	पटना-मुजफ्फरपुर-सोनबरसा	160
20.	कोरा-कटिहार-हरीशचन्द्रपुर-फरक्का	95
पूर्वोत्तर क्षेत्र		
21.	इम्फाल-सिलचर-अगरपुर	300
22.	सिलचर-आईजोल-लुंगलेई	400
23.	लिंक से इटानगर	25
24.	नार्थट्रंक रोड (गुरबहाटी-पासीघाट-तेजू-सेकोहाघाट)	625
25.	पेकान-तुरा-डालू	150
पश्चिमी क्षेत्र		
26.	अजमेर-बीकानेर	280
27.	कोल्हापुर-रत्नागिरी	130
28.	बियाबर-सिरोही-राधानपुर (कांडला तक)	450
29.	[illegible] (बड़ोदरा-धुले-सोलापुर)	760

1	2	3
30.	अहमदाबाद-इन्दौर-देवास-भोपाल	510
31.	जयपुर-कोटा-बैयोरा (भोपाल तक)	450
दक्षिणी क्षेत्र		
32.	कोचीन-मदुरई	280
33.	कारवाड़-हुबली-गोटी-नीलोर	790
34.	बंगलोर-मैसूर-कालीकट (कोजीकोडे)	360
35.	राजामुंद्री-जगदलपुर	340
36.	निजामाबाद-जगदलपुर	460
37.	विजयवाड़ा-मछलीपत्तनम	70
	योग :	12955 कि०मी०

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पटसन की मिलें

6061. श्री उद्धव बर्मन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पटसन मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है और उनमें कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) क्या स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चामाल इन मिलों को चलाने हेतु पर्याप्त है;

(ग) क्या ये सभी एकक संकट का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या इस क्षेत्र में नए पटसन कारखाने स्थापित करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) हमारे देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में दो पटसन मिलें स्थित हैं। त्रिपुरा में स्थित एक मिल में 1734 कामगार नियुक्त हैं तथा असम में स्थित मिल में 4850 कामगार नियुक्त है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) इन मिलों के सामने पेश आ रही समस्याओं में कम मूल्य के सिंथेटिक प्रतिस्थापनों

से प्रतिस्पर्धा होने के कारण बाजार में संकुचन, कम उत्पादकता, कीमतों में व्यापक उतार-चढ़ाव, पर्याप्त और सामयिक आधुनिकीकरण की कमी आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च) नई औद्योगिक नीति के अनुसार उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के किसी भी भाग में पटसन मिलें स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है।

तिस्ता नदी पर पुलों का निर्माण

6062. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31-क पर तिस्ता नदी पर पुल के निर्माण कार्य में काफी विलम्ब किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुल के निर्माण कार्य को तत्काल पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। भूमि की स्थिति में अप्रत्याशित परिवर्तन की वजह से इसके डिजाइन में बहुत बड़ा परिवर्तन करना आवश्यक हो जाने के कारण देरी हुई। इसके लिए अब एक वैकल्पिक प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है और निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है। आशा है पुल का कार्य दिसम्बर, 1994 तक पूरा हो जाएगा।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चुंगी वसूली

6063. **प्रो० सावित्री लक्ष्मण** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर निर्माणाधीन पुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भविष्य में इन राजमार्गों पर बनाए जाने वाले पुलों के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के कोट्टापुरम पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के चेरथला बाइपास पुल से कुल कितनी चुंगी वसूल हुई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर कोई पुल निर्माणाधीन नहीं है। केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर दो पुल नामत: 19.92 लाख रु० की लागत का चेरुपालम पुल और रेलोपरि पुल तथा कुट्टीपुरम के निकट पुलियाएं और पहुंच मार्ग जिनके लिए सड़क प्राधिकरण का हिस्सा 127.91 लाख रु० है।

(ख) भविष्य में इन राजमार्गों पर पुलों के निर्माण के प्रस्तावों के ब्यौरे इस स्तर पर ज्ञात नहीं हैं क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आठवीं योजना परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर कोट्टापुरम पुल पर चुंगी कर के रूप में 23.16 लाख रु० की राशि एकत्र की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के चेराथाला बाईपास पर कोई पुल नहीं है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त कम्पनियां

6064. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इसकी सहायता प्राप्त कम्पनियों के किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि उदार निवेश आयोजना सहायता के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 1991 में बिक्री आय तथा लाभप्रदता की वृद्धि दर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की रिपोर्ट की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार कारक क्या है;

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है और क्या 1992-93 की वार्षिक योजना के दौरान इसके सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) समग्र रूप से निगमित क्षेत्र के कार्य निष्पादन की जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को दी गई वित्तीय सहायता का प्रतिवर्ष, निरन्तर आधार पर विश्लेषण करता है। इस शृंखला का नवीनतम अध्ययन "1990-91 में गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कम्पनियो का वित्तीय कार्य-निष्पादन" है। इसमें तीन वर्षों की प्रवृत्ति के आधार पर विश्लेषण किया गया है जिसमें 1988-89 से 1990-91 की अवधि को कवर किया गया है। इस शृंखला में आई० डी० बी० आई० से सहायता प्राप्त 401 नमूना कम्पनियों के कार्यकरण के आधार पर उनका वित्तीय परिणाम सूचित किया गया है। यद्यपि, इस अध्ययन में 1990-91 के दौरान नमूना कम्पनियों के कार्यनिष्पादन में हुए समग्र सुधार का पता चलता है, इससे वर्ष 1989 90 के कार्यनिष्पादन की तुलना में बिक्री की वृद्धि दर, उत्पादकता और लाभप्रदता अनुपात में गिरावट का भी पता चलता है।

अध्ययन का विश्लेषण करने से यह पता चला है कि बिक्री की वृद्धि दर, सकल लाभ, प्रचालन लाभ और कर के उपरान्त लाभ मे गिरावट अप्रत्याशित नहीं है क्योंकि आधार के आकार में वृद्धि और बाजार शेयर को बढ़ाने में कठिनाई के कारण वृद्धि की दरो को बनाए रखना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त, सकल लाभ, प्रचालन लाभ, कर के उपरान्त लाभ मे असाधारण उच्च वृद्धि दर से

आई० डी० बी० आई० की उत्तम चयन प्रक्रिया का पता चलता है और यह कार्य-निष्पादन की खराबी का सूचक नहीं है ।

वस्तुतः अध्ययन से पता चला है कि नमूना कम्पनियों द्वारा अच्छे वित्तीय अनुपात को बनाए रखा गया और इसलिए इसमें इन कम्पनियों की अच्छी स्थिति का पता चलता है जो निम्नलिखित आंकड़ों से भी देखा जा सकता है :—

(I) लाभ में नकारात्मक वृद्धि दर वाली कम्पनियों की संख्या 1988-89 के 27 से घटकर 1989-90 में 16 और 1990-91 में और घटकर 11 रह गई ।

(II) 20 प्रतिशत की दर से अधिक लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों की संख्या 1988-89 में 111 से बढ़कर 1989-90 में 145 और 1990-91 में और बढ़कर 150 हो गई ।

(III) सकल नियोजन पूंजी और अचल सम्पत्ति की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी हुई है। इससे कम्पनियां अपने भविष्य के प्रति अधिक भरोसा कर पाती हैं और इससे भविष्य में होने वाली वृद्धि का भी पता चलता है ।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर सरकार को इस बारे में कोई विशिष्ठ कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा शुरू किए गए औद्योगिक और व्यापार नीति सहित दूरगामी संरचनात्मक परिवर्तनों से औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा मिलने की आशा की जाती है।

एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

6065. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग को एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की प्राप्ति में निरन्तर गिरावट आ रही है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली द्वारा ठेके प्रदान करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में बोली लगाने वाले भारतीयों के लिए उपयुक्त माल किए गए टेंडरों के प्रकार और संख्या और प्रस्तुत की गई बोलियों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर अन्तर होता है। भारत सरकार एशियाई विकास बैंक से कारोबार अथवा सेमिनार आयोजित करने के लिए अनुरोध करती है ताकि एशियाई विकास बैंक की वसूली प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में बोली लगाने वाले भारतीयों को शिक्षित किया जा सके ।

26 फरवरी, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित हुए नवीनतम एशियाई विकास बैंक के कारोबार अवसर सेमिनार के दौरान एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पिछले

5 वर्षों के दौरान बोली बोलने वाले भारतीयों को प्रदान किए गए ठेकों की संचित राशि 5870 लाख अमेरिकी डालर है।

ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय माल के दाम

6066. श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन और यूरोप के बाजारों में भारतीय माल के दामों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इन देशों को निर्यात किए जाने वाले माल के दामों में और वृद्धि के लिए क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारतीय माल के निर्यात पर इकाई मूल्य अधिप्राप्ति विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है। उक्त इकाई मूल्य अधिप्राप्ति उद्योग में नई प्रौद्योगिकी, डिजाइन तथा प्रबन्धन सम्बन्ध अर्न्तनिविष्ट साधनों को अपनाने के जरिए सम्भव है जिसका कि सरकार की नीतियों में सुविधा देने का लक्ष्य है।

काले धन का प्रभाव

6067. श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के वित्तीय ढांचे पर काले धन का क्या समग्र प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या प्रोत्साहन देने की सरकार की वर्तमान नीति काले धन के परिचलन को रोकने में प्रभावी साबित होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) काले धन की उत्पत्ति से अर्थव्यवस्था का राजकोषीय ढांचा और उत्पादन पैटर्न विकृत होता है। इससे विभिन्न क्षेत्रों को आयोजना संसाधन आबंटन भी अधिक कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, इसका अर्थव्यवस्था में उपभोग तथा मुद्रास्फीतिकारी दबावों में काफी योगदान होता है। काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए सरकार समय-समय पर प्रशासनिक, कानूनी तथा राजकोषीय सुधारों सहित विभिन्न उपाय कर रही है। 1991-92 और 1992-93 के बजट में इसकी उत्पत्ति को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से बहुत से उपायों की घोषणा की गई है। इसमें व्यैक्तिक कर दरों में कटौती, ब्याज की अदायगी, घुड़दौड़ों की जीत, लाटरियों से आय आदि के सम्बन्ध में स्रोत पर कर कटौतियां, खुदरा व्यापार में लगे व्यक्तियों को शामिल करते हुए कराधार को व्यापक बनाना, स्वैच्छिक जमा योजनाएं, आदि शामिल हैं। इन उपायों का समग्र प्रभाव कुछ समय पश्चात् महसूस किया जाएगा और उभरती हुई स्थितियों का मुकाबला करने के लिए, जहां आवश्यक हो सरकार आर्थिक नीतियों में भी संशोधन करेगी।

[हिन्दी]

हेनरी एण्ड कुटबियर कारपोरेशन आफ इण्डिया का आधुनिकीकरण

6068. श्री मृत्युंजय नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन आफ इण्डिया (टेफ्को) ने अपने आधुनिकीकरण और नवीकरण का एक संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सुनिश्चित रूप से मंजूर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते ।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का निर्यात

6069. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :
श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का 1 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार चावल, गेहूं, कपास, तम्बाकू आदि जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात के विभिन्न प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि बनाए रखने के लिए निर्यात के सम्बन्ध में कोई नई नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार को कृषि निर्यात बढ़ाने के बारे में विभिन्न पक्षों से समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं । इनमें ये शामिल हैं—एक स्थायी नीतिगत ढांचा, निर्यात के लिए सतर्कता से देशी माल का सृजन करना, पिछड़े क्षेत्रों से सम्पर्क जोड़ना, निर्यातकों को विभिन्न किस्म के प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान करना, बेहतर पैकेजिंग तैयार करना, क्वालिटी नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों में सुधार करना, निरीक्षण एवं प्रमाणन क्रियाविधियों को सरल बनाना, बुनियादी सुविधाओं की सहायता में सुधार करना । सरकार इन सुझावों की जांच कर उनमें से व्यावहारिक पाए जाने वाले सुझावों को स्वीकृत करती रही है । यह एक सतत प्रक्रिया है ।

(ख) और (ग) सरकार ने एक ऐसा व्यापार नीति पैकेज आरम्भ किया जिसका उद्देश्य है—निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक समाप्त करना और इष्टतम स्तर तक आयात को कम करना । निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में अग्रिम लाइसेंसिंग की प्रणाली भी सुदृढ़ बनाई गई है । सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रतिष्ठित निर्यातकों को अनुमोदित बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी जाए और विदेशी ऋण लेने, इन खातों से निर्यात सम्बद्ध

आयात के लिए भुगतान करने और अपनी निर्यात आय को इन खातों में जमा कराने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, सरकार ने दूसरे उपाय भी किए हैं जिनमें ये शामिल हैं—लाइसेंसिंग के जरिए नियन्त्रण कम करना, निर्यात सम्बन्धी क्रियाविधियों को सरल बनाना, व्यापार बोर्ड को सक्रिय बनाना, चुनिन्दा देशों से द्विपक्षीय वार्ताएं करना, व्यापार तथा उद्योग से सम्बन्धित राष्ट्रीय संगठनों से सम्पर्क बनाना, आदि।

तम्बाकू उत्पादों से राजस्व की वसूली

6070. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगरेट, बीड़ी तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के रूप में संघ सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई;

(ख) देश में सिगरेट उत्पादकों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) राजस्व की बकाया राशि को शीघ्र वसूल करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान सरकार द्वारा सिगरेटों, बीड़ियों और तम्बाकू के अन्य उत्पादों पर वसूल किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि क्रमशः 1845.75 करोड़ रुपए, 2177.51 करोड़ रुपए और 2342.60 करोड़ रुपए है।

(ख) सिगरेट निर्माताओं के विरुद्ध 142.09 करोड़ रुपए की राशि बकाया है।

(ग) कुल मिलाकर, इस राशि की वसूली को न्यायालयों, न्यायिक-कल्प प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दिया गया है। बकाया पड़ी राशियों की शीघ्र वसूली करने के लिए स्थगन आदेशों को रद्द करवाने के लिए अनुदेश दिए गए हैं।

मसालों का निर्यात

6071. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से देश भारत से मसालों का आयात कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मसालों के निर्यात से वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) मसालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) कुल मिलाकर लगभग 100 देश भारत से मसालों का आयात करते हैं। उनमें से प्रमुख देशों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मसालों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नलिखित है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपया)
1988-89	274.81
1989-90	275.76
1990-91	238.67

स्रोत—डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० कलकत्ता/सीमाशुल्क कार्यालयों द्वारा पास किए गए पोतलदान बिल और निर्यातक रिटर्नस।

(ग) मसालों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मसालों के एकीकृत विकास के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान विभिन्न राज्यों में 5 करोड़ रुपए की लागत से एक केन्द्रीय सेक्टर योजना कार्यान्वित की गई। मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों में शामिल है—(I) काली मिर्च, लौंग और जायफल की अधिक उपज देने वाली विकसित रोपण-सामग्री का उत्पादन और वितरण, (II) काली मिर्च, अदरक, हल्दी, मिर्च और गौण मसालों की रोपण सामग्री/मूल बीजों का उत्पादन, (III) काली मिर्च के लिए निवेशकिट तथा गौण मसालों के लिए मिनीकिट का वितरण, (IV) काली मिर्च के लिए पौध संरक्षण स्प्रेयर्स की आपूर्ति, (V) काली मिर्च के पुराने बागानों का पुनरुद्धार, (VI) काली मिर्च प्रदर्शन भूखण्डों की स्थापना, (VII) पश्चिम बंगाल सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मसालों के लिए प्रदर्शन-सह-प्रजनन बागानों की स्थापना और (VIII) मसालों के फार्म प्रसंस्करण के लिए किसानों को प्रशिक्षण।

विवरण

भारत से मसालों का आयात करने वाले प्रमुख देशों की सूची

1. स्वतन्त्र राज्यों का राष्ट्रमण्डल (पूर्व यू०एस०एस०आर०)
2. यू० एस० ए०
3. कनाडा
4. आस्ट्रेलिया
5. जर्मनी
6. फ्रांस
7. यू० के०
8. नीदरलैण्ड्स

9. इटली
10. चैकोस्लोवाकिया
11. युगोस्लाविया
12. पोलैण्ड
13. बंगलादेश
14. जापान
15. कोरिया
16. मलेशिया
17. सिंगापुर
18. पाकिस्तान
19. श्रीलंका
20. ईरान
21. इराक
22. कुवैत
23. सऊदी अरब
24. यू० ए० ई०
25. ओमान
26. यमन
27. अल्जीरिया
28. मिस्र
29. मोरक्को
30. लीबिया
31. मारिशस
32. रोमानिया, आदि।

रबड़ इकट्ठा करने के लिए केरल में नया डिपो

6072. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने केरल में रबड़ के आर०एम०ए०-4 और आर०एम०ए०-5 किस्मों को इकट्ठा करने के लिए कोई नया डिपो खोला है; और

(ख) यदि हां, तो वे नए डिपो कहां-कहां पर हैं और अब तक इकट्ठा की गई रबड़ की कुल मात्रा कितनी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 1 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार एस० टी० सी० के पास 23 डिपो थे। 1 फरवरी, 1962 के बाद निम्नलिखित स्थानों पर 3 और डिपो खोले गए :—

स्थान	किस तारीख को खोले गए
पेरिम्बल्मन्ना	5-2-1992
त्रिचूर	5-2-1992
कसारगौड	10-2-1992

अब तक एकत्र की गई रबड़ की मात्रा निम्नलिखित है :—

	(अनन्तिम)
आर०एम०ए०—4	8816 मी० टन
आर०एम०ए०—5	7169 मी० टन
योग : =	15985 मी० टन

[हिन्दी]

अफीम का उत्पादन

6073. **श्री बाऊ दयाल जोशी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम का प्रति हेक्टेयर औसत कितना उत्पादन निर्धारित किया गया है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों में लाइसेंस के अनुसार भूमि क्षेत्र में अफीम की खेती न करने के कारण कितने किसानों के लाइसेंस रद्द किए गए;

(ग) इन कृषकों द्वारा कितने भूमि क्षेत्र में अफीम की खेती नहीं की गई; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में प्रति हैक्टेयर अफीम का औसत अर्हकारी उत्पादन 34 किलोग्राम निर्धारित किया गया था। वर्ष 1991-92 के लिए लाइसेंस देने के लिए किसी किसान की पात्रता का निर्धारण करने के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान किसी किसान द्वारा उत्पादित अफीम में 500 ग्राम प्रति हैक्टेयर तक की कमी को माफ करने की भी अनुमति दी गई थी।

(ख) किसी कृषक के लाइसेंस को इस आधार पर रद्द करने का ऐसा कोई मामला नहीं है कि उसने गत तीन वर्षों के दौरान लाइसेंसशुदा क्षेत्र में स्वैच्छिक रूप से पोस्त की फसल की खेती नहीं की है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कानूनी सहायता

6074. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो तथा कमजोर वर्ग के लोगों को कानूनी सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में, श्रेणीवार, कितने लोगों को कानूनी सहायता दी गई; और

(ग) दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को कानूनी सहायता देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान 42,220 व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान की गई है।

वर्ष	अनुसूचित जातियां	आदिवासी	साधारण
1988-89	2652	1959	5267
1989-90	3420	2423	6263
1990-91	5160	3792	11284
योग	11232	8174	22814

(ग) दूर-दराज के क्षेत्रों के व्यक्तियों को विधिक सहायता की सुविधा अधिक से अधिक उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों को ग्राम स्तर पर और अधिक विधिक सहायता केन्द्रों की स्थापना करने और विधिक सहायता शिविर तथा विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी जा रही है।

मध्य प्रदेश में लोक अदालतें

6075. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इन अदालतों के जिला-वार कितने मामले निपटाए गए ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश मे 166 लोक अदालतें आयोजित की गई जिनमें 2,21,266 मामले तय किए गए। एक विवरण, जिसमें तय किए गए मामलों की संख्या का जिलावार ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रत्येक वर्ष में आयोजित लोक अदालतों और निपटाए गए मामलों की संख्या से सम्बन्धित जिलावार जानकारी देने वाला विवरण

1988-89

क्रम सं०	जिला का नाम	आयोजित की गई अदालतों की सं०	तय किए गए मामले
1	2	3	4
1.	सिवनी	1	2195
2.	उज्जैन	5	1242
3.	बालाघाट	1	16546
4.	दतिया	1	762
5.	छिंदवाड़ा	4	3395
6.	गुना	2	16006
7.	जबलपुर	3	4882
8.	बैतूल	2	5394

1	2	3	4
9.	राजनन्दगांव	4	29816
10.	रायगढ़	2	2475
11	रायपुर	1	452
12.	होशंगाबाद	2	4957
13.	टीकमगढ़	2	2683
14.	शहडोल	4	3115
15.	सतना	1	1096
16.	इन्दौर	2	1417
17.	गुना	2	1142
18.	देवास	3	1697
19.	भिंड	1	710
20.	रतलाम	1	1075
21.	राजगढ़	3	2410
22.	रायसेन	4	3410
23.	विदिशा	1	2123
24.	शिवपुरी	4	5014
25.	दमोह	2	8406
	योग :	58	123428

1989-90

क्रम सं०	जिला का नाम	आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	तय किए गए मामले
1	2	3	4
1.	होशंगाबाद	1	1675
2.	देवास	1	326

1	2	3	4
3.	झाबुआ	2	289
4.	छिंदवाड़ा	3	2471
5.	छतरपुर	2	5344
6.	सिहोर	1	19
7.	सिवनी	2	840
8.	राजनन्दगांव	4	4202
9.	विदिशा	1	877
10.	जबलपुर	1	21
11.	दुर्ग	2	9840
12.	खंडवा	1	725
13.	रायपुर	1	47
14.	इन्दौर	1	139
15.	शाजापुर	2	1506
16.	भिंड	2	1898
17.	राजगढ़	1	1020
18.	रायगढ़	3	2304
19.	बेतूल	1	2505
20.	मंडला	1	75
21.	दमोह	2	1983
22.	उज्जैन	1	77
23.	सतना	1	8
24.	अम्बिकापुर	1	1500
25.	शहडोल	1	940
26.	सागर	1	20
	योग :	40	40791

1990-91

क्रम सं०	जिला का नाम	आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	तय किए गए मामले
1	2	3	4
1.	छिंदवाड़ा	4	2101
2.	दमोह	6	3969
3.	दुर्ग	3	20277
4.	जगदलपुर	4	1368
5.	बालाघाट	1	15
6.	बिलासपुर	1	47
7.	बेतूल	2	1178
8.	मंडला	2	444
9.	राजनन्दगांव	5	2489
10.	रायगढ़	4	1886
11.	सागर	7	5205
12.	सिवनी	2	352
13.	होशंगाबाद	1	10
14.	छतरपुर	3	3720
15.	टीकमगढ़	3	2757
16.	पन्ना	1	262
17.	उज्जैन	2	502
18	खरगोन	1	135
19.	झबुआ	3	2092
20.	देवास	[illegible]	2866
21.	मंदसौर	[illegible]	1233

1	2	3	4
22.	रतलाम	1	66
23.	रायसेन	1	818
24.	विदिशा	1	1210
25.	त्रिपुरा	2	1302
26.	सेहोर	2	680
27.	भोपाल	2	63
	योग :	68	57047

[हिन्दी]

आयुध फैक्टरियों का आधुनिकीकरण

6076. श्री मृत्युंजय नायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयुध फैक्टरियों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) आयुध निर्माणियों का आधुनिकीकरण कार्यक्रम एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में जो उपाय किए गए हैं उनमें पुराने संयन्त्र के स्थान पर नए संयंत्र लाना या पुराने संयंत्र का नवीनीकरण, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में मशीनों की क्षमता को बढ़ाना और उत्पादन में अत्याधुनिकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शामिल है।

(ग) इस पर वर्ष 1991-92 मे परियोजना तथा निर्माण सहित कुल 341.18 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है। वर्ष 1992-93 के बजट प्राक्कलन में 380 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

चाय की कीमत में गिरावट

6077. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1991 में पांच नीलामी केन्द्रों पर चाय की कीमत में कमी आई है;

(ख) क्या दक्षिण भारतीय केन्द्रों में यह कमी अधिक थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चाय उद्योग को इस स्थिति से उबारने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1991 के दौरान चाय की कीमतों में समग्र गिरावट एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति थी। भारतीय नीलामी केन्द्रों में कीमतों में आधी 7 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में कोलम्बो, जकार्ता तथा लन्दन में क्रमशः 18%, 28%, तथा 9 प्रतिशत की गिरावट आयी। इसके अलावा, दक्षिण भारतीय चाय की कीमत में तेजी से आयी गिरावट का कारण वहां इसकी अधिक उपलब्धता है।

(घ) सरकार भूतपूर्व सोवियत संघ, जोकि भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक था, के नए गणराज्यों से लगातार सम्पर्क बनाए हुए है। ऐसा वर्ष 1992 के लिए भारत से चाय खरीद योजना को अन्तिम रूप देने के लिए किया जा रहा है ताकि भारतीय नीलामियों में कीमत लाइन में पर्याप्त समर्थन प्रदान किया जा सके।

चाय के निर्यात में गिरावट

6078. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री के० मुरलीधरन :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री ललित उरांव :
श्री गोविन्द राव निकाम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले दो वर्षों की प्रत्येक तिमाही में आज तक चाय का कितना-कितना उत्पादन हुआ तथा इसी अवधि में उसका देश-वार, कितना-कितना निर्यात किया गया;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ग) क्या चाय के निर्यात में हाल ही के महीनों में काफी गिरावट आयी है;

(घ) यदि हां, तो चाय के निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ङ) चाय के उत्पादन में वृद्धि करने और उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पिछले दो वर्षों की प्रत्येक

तिमाही के दौरान देश में चाय उत्पादन की मात्रा निम्नानुसार है :

(मात्रा : एम किग्रा)

	1990	1991*
प्रथम तिमाही	54.47	58.67
द्वितीय तिमाही	200.91	204.63
तृतीय तिमाही	268.30	282.89
चतुर्थ तिमाही	190.98	195.52
योग :	714.66	741.71

*अनुमानित।

देशवार निर्यात के तिमाहीवार आंकड़े एकत्र करके सभापटल पर रख दिए जाएंगे ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान चाय के कुल निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि अनुमानतः 1070.16 करोड़ रुपये है। वर्ष 1991-92 के दस महीनों, अप्रैल 1991 से जनवरी, 1992 तक के दौरान चाय के कुल निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा अनुमानतः 1014.30 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान अनुमानित [illegible].96 करोड़ रुपये थी ।

(ग) अप्रैल 91 से जनवरी, 92 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चाय बोर्ड चाय उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनायें चला रहा है। इन योजनाओं में नए रोपण, पुनर्रोपण, पुनर्जीवीकरण, सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था, संसाधन मशीनरी की खरीद आदि के लिए दीर्घावधि ऋण, आर्थिक सहायता और सहायता अनुदान का प्रावधान है। चाय के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए चाय बोर्ड, भारतीय चाय को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए संवर्धनात्मक अभियानों और योजनाओं के अलावा निर्यातकों को विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन देता है ।

[हिन्दी]

[illegible]

6079 श्री नीतीश कुमार : क्या [illegible] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 दिसम्बर, 1991 को "फाइनांशियल एक्सप्रेस" में "अन्डरइनवायसिंग ऑफ इम्पोर्टस् ऑन राइज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अनियमितताओं को रोकने के लिए कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान अब तक सरकार को आयात को कम करके दिखाने सम्बन्धी कौन-कौन से घपलों का पता चला है; और

(ङ) दोषी व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निर्धारण करने वाले अधिकारियों द्वारा निर्धारण के समय आयातित माल के मूल्य की पूरी तरह से जांच-पड़ताल की जाती है। इसके अलावा, सीमाशुल्क गृहों के अंतर्गत विशेष आसूचना एवं जांच शाखाएं तथा विशेष मूल्यांकन कक्ष, राजस्व आसूचना निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय जैसी विशिष्ट एजेंसियां न्यून-बीजकांकन के बारे में आसूचना/जानकारी एकत्र करती हैं और इस तरह के मामलों की जांच करती हैं।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

पोलिस्टर धागे के मूल्य में वृद्धि

6080. **श्री नीतीश कुमार** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत छः महीनों में पोलिस्टर धागे के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1991-92 के आरम्भ में पोलिस्टर धागे के मूल्य क्या थे और दिसम्बर, 1991 के महीने में इनके मूल्य क्या थे;

(ग) क्या सरकार ने इन धागों के मूल्य वृद्धि के कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

कपास का उत्पादन

6081. **श्री नीतीश कुमार** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जनवरी, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में नोजडाइव : मिल ओनर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1991-92 के दौरान सूती धागे के उत्पादन में काफी कमी आई है;

(ग) उत्पादन के कमी आने के क्या कारण हैं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान सूती धागे का अनुमानतः कितना उत्पादन होगा;

(ङ) क्या इसी कारण से कपड़े के उत्पादन में भी कमी होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इस कमी के बाद कपड़े का अनुमानित उत्पादन कितना होगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1991-92 में चालू वर्ष के दौरान सूती धागे का अनुमानित उत्पादन 1470 मिलियन कि०ग्रा० है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में उत्पाद शुल्क की वसूली

6082. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान महाराष्ट्र में कितना उत्पाद शुल्क वसूल किया गया;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य रखा गया था;

(ग) अब तक कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) सरकार द्वारा इसकी वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विभागीय रिकार्डों के अनुसार, वर्ष 1990-91 और अप्रैल, 1991-92 फरवरी, 1992 के दौरान महाराष्ट्र क्षेत्र में आने वाले समाहर्तालयों द्वारा उत्पाद शुल्क (इसमें उपकर शामिल नहीं हैं क्योंकि इन्हें राजस्व विभाग द्वारा लागू नहीं किया जाता है) से प्राप्त राजस्व की राशि क्रमशः 7205.36 करोड़ रु० और 7106.11 करोड़ रुपये आंकी गई है।

(ख) राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए, इनका प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भारत-पाक सीमा पर पोलिस्टर यार्न की तस्करी

6083. श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत-पाक सीमा पर व्यापक स्तर पर हो रही पोलिस्टर यार्न की तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान अब तक का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) प्राप्त आसूचना एवं अभिग्रहण सम्बन्धी रिपोर्टों से भारत-पाक सीमा के आरपार पोलिएस्टर यार्न के बड़े पैमाने पर तस्करी किए जाने का पता नहीं चलता है।

(ख) भारत-पाक सीमा के आसपास पकड़े गए पोलिएस्टर यार्न सहित सिंथेटिक फाइबरों और यार्नों के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	पकड़े गए सिंथेटिक फाइबरों और यार्नों का मूल्य
1990	9 लाख रुपए
1991	2.66 लाख रुपए
1992* (फरवरी तक)	1,800/- रुपए

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) भारत-पाक सीमा पर तस्करी निवारक उपायों पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह की तस्करी की रोकथाम करने के लिए, तस्करी निरोधी अभियान तेज कर दिया गया है और केन्द्र

तस्करी रोधी कार्य के लिए दो उप-समाहर्तालियों का सृजन करके हाल ही में सीमाशुल्क की चौकसी को बढ़ा दिया गया है। इन उप-समाहर्तालियों के मुख्यालय पंजाब और राजस्थान क्षेत्रों में क्रमशः अमृतसर और जोधपुर में स्थित हैं। सीमा के उल्लंघन की घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब सेक्टर में सीमा के 60 प्रतिशत से अधिक भाग पर कंटीली तारों की बाड़ लगा दी गई है और उसे उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रिक करेंट से चार्ज कर दिया गया है। रात के दौरान और टाइम-बेटाइम, जब भी आवश्यक समझा जाता है, पाकिस्तान के साथ जुड़े पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। सीमा सुरक्षा बल, सीमाशुल्क और राजस्व आसूचना निदेशालय जैसी तस्करी का पता लगाने एवं उसकी रोकथाम करने के कार्य में जुटी हुई सभी एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल भी रखा जा रहा है।

देहरादून में चाय बागान

6084. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न कारणों से देहरादून में चाय के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन चाय बागानों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया है;

(ग) क्या सरकार को चाय के उत्पादन और चाय बागानों के विकास के लिए गढ़वाल क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेतों की उपयुक्तता के बारे में भी जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन क्षेत्र में चाय बागानों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) चाय बोर्ड द्वारा 1986 में दून वेली चाय उद्योग के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देहरादून में चाय के उत्पादन में जिन कारणों से कमी आई है उनमें ये शामिल हैं; चाय क्षेत्र का रियायती की भूखंडों में परिवर्तन, चाय बागान स्वामियों द्वारा विकास के लिए रुचि में कमी, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा भूमि का अधिग्रहण भाग, जतिनाओं का विखण्डन, वनों की कटाई होने से मौसम दशाओं का परिवर्तन और सिंचाई सुविधाओं की कमी।

(ख) पहले दिए गए सर्वेक्षणों के अनुसार वैली में चाय बागान के विस्तार की गुंजाइश सीमित है। तथापि, वर्तमान चाय एस्टेटों में कम फसल वाले चाय क्षेत्रों में पुनर्रोपण तथा उनके पुनरुद्धार के लिए बल दिया जा रहा है। चाय बोर्ड ने देहरादून में कार्यशील चाय एस्टेटों में से एक एस्टेट में चाय नर्सरी स्थापित की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में कताई मिलों में संकट

6085. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कताई की बहुत सी मिलें संकट में हैं और उनमें से कुछ मिलें बन्द होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे: अर्थक्षम मिलों के लिए पुनर्वास पैकेज बनाने तथा उसका संचालन करने के लिए नोडीय अभिकरण/औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का सृजन, वस्त्र मिलों की आधुनिकीकरण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के जयपुर-झालावाड़ खंड की मरम्मत

6086. श्री राम नारायण बैरवा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर-झालावाड़ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की स्थिति बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो इस राजमार्ग की मरम्मत पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की गई और

(ग) सड़क का यातायात सुलभ बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं। (जयपुर-झालावाड़ खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर पड़ता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर)।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के जयपुर-झालावाड़ खंड के रख-रखाव और मरम्मत पर 412.0[illegible] लाख रु० की राशि खर्च की गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव और मरम्मत एक सतत प्रक्रिया है और सड़क को यातायात योग्य दशा में रखने के लिए सभी कदम उठाए जाते हैं।

रिट याचिकायें

6087. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में संविधान के अनुच्छेद 32, 226 और 227 के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में कितनी रिट याचिकायें दायर की गई है;

(ख) क्या अधिकांश नागरिक प्रशासनिक और अन्य एजेंसियों की सुविधा का उपयोग करने की बजाय उक्त अनुच्छेद का उपयोग करते है जिसके कारण न्यायालयों में मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन रिटों की शक्ति को कम करने हेतु संविधान में संशोधन करने का है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) 14 उच्च न्यायालयों की बाबत उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। उच्चतम न्यायालय और शेष चार उच्च न्यायालयों की बाबत इस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रसंगानुकूल यह उल्लेख किया जाता है कि रिट अर्जियों का ग्रहण किया जाना एक ऐसा विषय है जिसके लिए वरिष्ठ न्यायालय स्वयं ही विनिश्चय करते है और वे सभी सुसंगत पहलुओं को ध्यान में रखते है जैसे कि क्या आवेदक ने उपलब्ध अन्य प्रशासनिक उपचारों, आदि का उपयोग किया है।

(ग) जी नहीं।

विवरण

उच्च न्यायालय का नाम	पिछले 3 वर्षों (1989-1991) के दौरान संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन फाईल की गई रिट अर्जियों की कुल संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	53704
मुंबई	56469
कलकत्ता	52774
दिल्ली	15259

1	2
गुवाहाटी	14187
गुजरात	27437
हिमाचल प्रदेश	2259
कर्नाटक	79588
केरल	36404
उड़ीसा	6860
पटना	36184
पंजाब और हरियाणा	61185
उच्च न्यायालय सिक्किम	58
मध्य प्रदेश	25608

[अनुवाद]

रबड़ का आयात

6088. श्री पी० सी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी मात्रा में तथा किस कोटि के रबड़ का आयात किया गया;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि आयात किया गया यह रबड़ गुणवत्ता की दृष्टि से देश में उपलब्ध प्राकृतिक रबड़ जैसा ही हो;

(ग) क्या आयात किया गया रबड़ देश में उपलब्ध प्राकृतिक रबड़ का उपयुक्त विकल्प नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस रबड़ का किस प्रकार उपयोग किया जाता है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस आयात को प्रतिबंधित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) एस० टी० सी० द्वारा पिछले

तीन वर्षों के दौरान आयातित रबड़ की मात्रा और क्वालिटी निम्नानुसार थी :

वर्ष	आर०एस०एस०-3	एस०एम०आर०-20	योग (एम०टी० में)
1988-89	32,771	18,592	51,303
1989-90	24,049	2,500	26,549
1990-91	25,699	6,000	31,699

एस०टी०सी० ने वर्ष 1991-92 के दौरान कोई रबड़ आयात नहीं किया।

(ख) क्वालिटी तथा वजन का लदानपूर्व निरीक्षण एस०टी०सी० द्वारा नामित अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाता है ताकि क्वालिटी को सुनिश्चित किया जा सके। आयातित रबड़ उसी क्वालिटी का है जैसाकि देश में उपलब्ध है।

(ग) आयातित रबड़ देश में उपलब्ध प्राकृतिक रबड़ का एक उपयुक्त अनुकल्प है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) वर्ष 1991-92 के दौरान रबड़ के किसी आयात की अनुमति नहीं दी गई। घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात हेतु निर्णय वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मांग आपूर्ति की स्थिति पर आधारित होंगे। निर्यात उत्पादन के लिए आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

लापता लघु उद्योग इकाइयों से बैंकों को देय राशि की वसूली

6089. श्री जीवन शर्मा :
　　श्री मोहन रावले :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक सर्वेक्षण से पता चला है कि 1.25 लाख लघु उद्योग एककों का कोई अस्तित्व ही नहीं है और यह लापता है तथा इन एककों पर बैंकों की 240 करोड़ रुपए की राशि देय है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन लापता एककों का पता लगाकर इन पर देय बैंक-राशि प्राप्त न करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ड) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। यह रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों और रुग्ण गैर- लघु औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई अर्ध-वार्षिक विवरणियों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकित मार्च 1990 के अन्त तक के आंकड़ों पर आधारित है। इन आंकड़ों में अति लघु और विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों की इकाइयां और शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना तथा शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त इकाइयां शामिल हैं। ऐसी इकाइयों को रिपोर्टिंग करने के कई कारण हैं जिनमें अन्य तथ्यों के साथ-साथ वाणिज्यिक परिचालनों के बन्द करने और विशेष योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त व्यक्तियों का पता न लगाने सम्बन्धी सूचना भी प्राप्त होती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अलबत्ता, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों के सम्बन्ध में बैंक ऐसी पता न लगाने वाली इकाइयों/जो इकाइयां इस समय विद्यमान नहीं है या ऐसी इकाइयों में, जिन्होंने अपने पीछे मूर्त आस्तियां नहीं, अपनी देय राशियों की वसूली के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के पास दावे दर्ज करते है।

(ङ) उचित ऋण मूल्यांकन करना, ऋणकर्ता खातों की बारीकी से निगरानी करना, निधियों के अन्तिम उपयोग को सुनिश्चित करना, स्टॉक विवरणों की जांच करना, तिमाही सूचना प्रणाली के विवरणों की छानबीन करना, मंजूरी पूर्व और मंजूरी के बाद के निरीक्षण पर ध्यान देना और अलग-अलग मामलों में अनुवर्ती कारंवाई करना एम कुछ कदम है जिन्हे रुग्ण इकाइयों में अन्तर्ग्रस्तता से बचने के लिए बैंकों द्वारा उठाया जाता है। बैंकों में संगठनात्मक तंत्र को तेज करने और इकाइयों में रुग्णता के प्रारम्भिक लक्षण दिखाई देने पर उचित कारंवाई करने के लिए प्रणाली तैयार करने की भी आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी कर दिए है। जिनमें उपर्युक्त सभी पहलू शामिल है। जिम्मेदारी निर्धारित करने की बैंकों की एक प्रणाली है और उन मामलों में जहां यह महसूस किया जाता है कि उचित सावधानी नहीं बरती गई है वहां गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित जाच की जाती है।

"नाबार्ड" की ऋण योजनाएं

6090. **श्री नानी भट्टाचार्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने कतिपय शर्तों के अन्तर्गत गैर-कृषि क्षेत्रों को 7, 50,000/- रुपये के ऋण देने हेतु सहकारी भूमि विकास बैंक के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल को अभी भी इस योजना के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या "नाबार्ड" कुछ शर्तों को वापस लेकर गैर-कृषि कार्यों के वित्त पोषण हेतु समेकित योजना शुरू करने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसकी "समन्वित ऋण योजना" नाम की एक पुनर्वित्त योजना है जिसके अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक गैर-कृषि कार्यों को वित्तीय सहायता दे सकते हैं और स्वतः आधार पर 7,50,000/- रुपए तक की पुनर्वित्त सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) और (ग) कुछ पात्रता शर्तों के आधार पर समन्वित ऋण योजना कृषि भूमि विकास बैंकों को उपलब्ध है। ऐसी एक शर्त यह है कि भूमि विकास बैंक को लेखापरीक्षा में "क" या "ख" श्रेणी में वर्गीकृत होना चाहिए। चूंकि पश्चिम बंगाल भूमि विकास बैंक को लेखा परीक्षा के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है इसलिए इस योजना को वहां लागू नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) शर्तों में ढील देने के मामले को राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक संघ के साथ परामर्श करके नाबार्ड द्वारा अन्तिम रूप दिया है।

[हिन्दी]

भारतीय खनिज और धातु निगम लि० का कारोबार

6091. श्री एच०डी० देवगौड़ा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष भारतीय खनिज और धातु निगम लि० को बिक्री से कुल कितनी आय हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कुल कितना लाभ अथवा घाटा हुआ;

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत किस-किस प्रकार के खनिज और धातु का निर्यात किया गया और उनकी कितनी मात्रा निर्यात की गई;

(घ) किन देशों को निर्यात किया गया; और

(ङ) इन निर्यातों की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० (एम०एम०टी०सी०) का कारोबार निम्नानुसार रहा :

	(करोड़ रुपए में)
1988-89	3879.97
1989-90	5897.25
1999-91	5622.98

(ख) इस अवधि के दौरान एम०एम०टी०सी० का कर पश्चात् लाभ निम्नलिखित था :

	(करोड़ रुपए में)
1988-89	32.05
1989-90	41.94
1990-91	77.28

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम०एम०टी०सी० द्वारा निर्यात किए गए खनिज एवं अन्य उत्पादों के मद-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

(घ) जिन मुख्य देशों को निर्यात किए गए हैं वे हैं जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, हांगकांग, रोमानिया, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्विट्जरलैन्ड, हालैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्यपूर्व आदि;

(ङ) एम०एम०टी०सी० द्वारा पोत पर्यन्त नि:शुल्क या लागत-भाड़ा आधार पर निर्यात किया जाता है जो क्रेताओं की मांग पर निर्भर होता है। नेपाल/बंगलादेश को निर्यात रेल/सड़क/जहाज द्वारा किए जाते हैं, रुपया भुगतान व्यवस्था वाले देशों को छोड़कर निर्यात आय सामान्यत: दुलर्भ-मुद्रा में वसूल की जाती है।

विवरण

मात्रा 000 मी० टन

मूल्य : मिलियन रु०

खनिज और अन्य उत्पाद	1989		1990		1991	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	,	7
निर्यात						
खनिज	17,645	3,813	17,520	4,968	14,226	5,353

1	2	3	4	5	6	7
लोह अयस्क	2,752	493	3,049	612	298	63
लोह अयस्क सान्द्रण						
मैंगनीज अयस्क	295	135	383	381	295	415
कोयला	212	169	146	143	88	108
क्रोम अयस्क	526	625	292	673	228	430
बाक्साइट	227	37	343	65	285	90
बेराइट्स	34	11	99	39	68	28
अन्य उत्पाद						
कृषि उत्पाद	—	271	—	102	—	530
औद्योगिक उत्पाद	—	459	—	411	—	123
हीरे/रत्न/आभूषण	—	601	—	1,278	—	1,694
वाणिज्यिक कारोबार	—	243	—	137	—	213
विदेश में परियोजनाएं	—	334	—	747	—	583
प्रति व्यापार	—	1,535	—	1,907	—	3,717
अन्य	—	—	—	20	—	2
कुल निर्यात :		8,726		11,483		13,249

इनलैंड कन्टेनर डिपो

6092. श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र को "इनलैंड कन्टेनर डिपो" स्थापित करने की अनुमति देने का है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को कन्टेनर माल स्टेशन की स्थापना करने की अनुमति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके लिए की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने इनलैंड कन्टेनर डिपो/कन्टेनर माल स्टेशनों के प्रचालन में कुशलता उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ाने

और उनके भावी विकास के लिए प्रर्याप्त स्रोत की व्यवस्था करने के उद्देश्य से भारत में इंलैन्ड कन्टेनर डिपोज (आई सी डीज) और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (सी एफ सीज) की स्थापना, प्रबन्ध तथा प्रचालन तथा प्रचालन में सहभागिता के लिए निजी क्षेत्रों को अनुमति देने का निर्णय लिया है।

वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत एक अन्तर-मन्त्रालयी समिति की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य आई० सी० डी०/सी० एफ० सी० की स्थापना के लिए एक ही स्थान पर निर्बाधिन की व्यवस्था करना है।

[अनुवाद]

सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज हटाना

6093. श्री धर्मभिक्षम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋणों पर तीन प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज को हटाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सहकारी ऋणों पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज को वापस लेने के लिए उन्होंने संघ सरकार को कोई सुझाव नहीं भेजा है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

पर्यटक कारों पर उत्पाद शुल्क

6094. श्री विजय नवल पाटील : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री कारों पर लगाये जाने वाले 66% के सामान्य उत्पाद शुल्क की तुलना में पर्यटक कारों के रूप में पंजीकृत कारों पर 31.5% की दर से शुल्क लगा है;

(ख) क्या सामान्य उत्पाद शुल्क के अपवंचन के लिए पर्यटन अनुज्ञापत्रों का दुरुपयोग किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो कारों की खरीद के लिए किए जा रहे पर्यटन अनुज्ञापत्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) एक मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 162/86 के अधीन टैक्सी के रूप में पंजीकृत कारें, 30% बेसिक उत्पाद शुल्क का 10 प्रतिशत विशेष उत्पाद शुल्क की रियायती दर की पात्र है और यह रियायत यात्री कारो पर

लगाने वाले बेसिक उत्पाद शुल्क के 10% विशेष उत्पाद शुल्क और 60% बेसिक उत्पाद शुल्क के मुकाबले उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार होगी।

(ख) रियायतों के दुरुपयोग के कुछ उदाहरण सरकार की जानकारी में आए हैं।

(ग) महानिदेशक अपवंचन निरोधी (एंटी-इवेजन) नई दिल्ली ने टैक्सी के रूप में इस्तेमाल होने वाली सैलून कारों को दी गई रियायतों के कथित दुरुपयोग के बारे में चौकस रहने के लिए "फील्ड फारमेशंस" को हिदायतें दी गई हैं। "फील्ड फारमेशंस" को यह सलाह दी गई है कि वे पंजीकरण प्राधिकारियों से संपर्क करते हुए ऐसा सर्वेक्षण करें जिससे रियायतों के दुरुपयोग के मामलों का पता लग सके।

लोह-अयस्क का निर्यात

6095. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :
श्री रणवीर सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार प्रत्येक वर्ष निर्यात किए लौह अयस्क की मात्रा तथा मूल्य एवं 1992 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) लौह अस्क का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नियति किए गए लौह अयस्क की मात्रा और मूल्य तथा वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार है :—

मात्रा : लाख मी० टन में

मूल्य : करोड़ रुपए में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1989-90	337.11	882.85
1990-91	319.73	1061.32
1991-92 (अप्रैल "91 से फरवरी "92)	272.20	1340.12
1992-93 (लक्ष्य)	322.40	1562.30

(ख) हमारे निर्यात को प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने खनिज एवं अयस्क सहित सभी निर्यातों पर उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध योजना के तहत डालर-रुपया परिवर्तनीयता के लाभ के अलावा संसाधित/लाभग्राही लौह अयस्क सहित संसाधित खनिज के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 एच० एच० सी० के अन्तर्गत लाभ बढ़ा दिए हैं।

[हिन्दी]

जूट स्टिक और अपशिष्ट का उपयोग

6096. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कलकत्ता ने निष्कर्ष निकाला है कि उपयोग में न लाए जाने वाले जूट स्टिक्स और जूट के अपशिष्ट को उपयोगी तरीके से प्रयोग करके अखबारी कागज का निर्माण किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दावे की वाणिज्यिक उपयोगिता और सम्बन्धित तथ्यों की जांच की जा रही है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में और क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कागज के विनिर्माण के लिए कुछ मिलों द्वारा पहले से ही पटसन स्टिक्स और पटसन अपशिष्ट का प्रयोग किया जा रहा है।

12.00 मध्याह्न

संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बारी-बारी से। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज को बोलने के लिए कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने स्थगन-प्रस्ताव सुबह ही आपको दिया है। यह स्थगन-प्रस्ताव आपको देने के बाद जब मैं सदन में आया, तो मैंने देखा कि आपने या आपके कार्यालय ने अनुपूरक कार्य-सूची यहां पर अभी बांटी है। जिसमें यह लिखा है—

[अनुवाद]

नागालैंड में राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में श्री एस० बी० चव्हाण एक वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, नागालैंड में राष्ट्रपति शासन को लादने का फैसला सरकार का कब हुआ, यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस सवाल को लेकर 27 मार्च को गृह मन्त्री ने निवेदन किया था और वह निवेदन यह था कि वहां के गवर्नर ने जो फैसला लिया है, एसेम्बली को बर्खास्त करने का, केयर-टेकर सरकार को बनाए रखने का और चुनाव की तैयारी करने का, तो उस पर गृह मन्त्री जी का यह कहना था :—

[अनुवाद]

हम यह निर्णय कभी भूल नहीं सकते।

[हिन्दी]

उसका विरोध करते हुए और स्पष्ट शब्दों में उसकी निन्दा करते हुए कि हम राष्ट्रपति जी के पूछे बगैर यह क्या फैसला ले सकते है. इसके बारे में एक कानूनी सलाह लेने का काम कर रहे हैं। अब मामला यहां पर आ गया कि कल, यहां पर सदन चल रहा है, लेकिन इस सदन के सामने न आते हुए, सदन का कल का काम समाप्त होने के बाद, वहां गवर्नर को और चीफ सैक्रेटरी को गृह मन्त्रालय से यह तार जाती है। इस तार में लिखा है :—

[अनुवाद]

"राष्ट्रपति ने आज दिनांक 2 अप्रैल, 1992 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में एक उद्घोषणा जारी की जिसके अधीन भारत के राष्ट्रपति के रूप में (क) नागालैंड सरकार के कृत्यों और राज्यपाल को प्रदत्त अथवा निहित सभी शक्तियों का स्वय निर्वहन करना; (ख) राज्य विधानमण्डल की सभी शक्तियों का संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अन्तर्गत निर्वहन की घोषणा करना; और (ग) अनुषंगी प्रावधान करना शामिल है।

उद्घोषणा तथा आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खण्ड-3 उपखण्ड(1) दिनांक 2 अप्रैल, 1992 में निम्न उद्धृत की गई इस मन्त्रालय की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है।"

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : समय क्या लिखा है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसमें समय नहीं लिखा है, मगर वह कितनी जल्दी हुआ होगा, यह अगले पैराग्राफ को पढ़ने से लगता है :—

[अनुवाद]

"इस उदघोषणा तथा आदेश को आज दिनांक 2 अप्रैल के राज्य के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए। उदघोषणा की प्रतियां अलग से प्रेषित की जा रही हैं।"

[हिन्दी]

यह तार कल जाती है। अध्यक्ष जी, हम सरकार से जानना चाहेंगे, यह फैसला क्यों किया और कैसे किया ? आर्टिकल-356 इमरजेंसी पावर्स का मामला है। हम लोग हमेशा इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि यह हम लोगों को कहां पहुंचा सकता है, इसका अनुभव हम लोग 1975 में कर चुके हैं। आर्टिकल-356 को पढ़ेंगे, तो मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है, इस पर आप हमको इजाजत देंगे क्योंकि यह रखना बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उदघोषणा द्वारा—

[हिन्दी]

यही तीन चीजें हैं, जिसको उन्होंने अभी-अभी यहां पर उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं, क्या गवर्नर का रिपोर्ट आया था और क्या गवर्नर ने आपको कोई रिपोर्ट भेजी थी ? आर्टिकल-356(1) के अन्तर्गत :—

[अनुवाद]

"...राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता..."

[हिन्दी]

अगर गवर्नर का रिपोर्ट आया था और मैं मानता हूं कि आपको अधिकार है, ऑर-अदरवाइज, तो अदरवाइज, क्या राष्ट्रपति जी को :—

[अनुवाद]

"यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकना तो..."

[हिन्दी]

अब यह पहला सवाल है, अध्यक्ष जी, जिस पर हम सरकार से यहां पर अभी स्पष्टता चाहेंगे, क्योंकि गृह मन्त्री जी ने 27 मार्च को जब यहां पर···

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, कुछ दिन पहले जब मैंने यह मुद्दा उठाया था तो आपने यह व्यवस्था दी थी कि नागालैंड के राज्यपाल के कृत्यों पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन यदि चर्चा हो रही है तो हमें उस चर्चा में भाग लेने दें। इसमें स्वत: ही राज्यपाल के कृत्य शामिल हो जाएंगे। हम चर्चा करना चाहते हैं। हमें इस पर चर्चा करने दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यहां 27 मार्च को जब गृह मन्त्री जी ने यह निवेदन किया कि ऐसी घटना वहां पर घटी है और क्या घटना घटी है, गवर्नर ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, आर्टिकल-174। आर्टिकल 174 के बारे में सरकार के मन में अगर कोई शक था कि संविधान की इस धारा के अन्तर्गत गवर्नर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, तो फिर सरकार को यह बात बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहनी चाहिए थी कि वहां क्या हुआ है। वहां कौन-सी घटना घटी है, जिसको लेकर आपको इस निर्णय पर आने की जरूरत पड़ी है ?

अध्यक्ष जी, राज्य सभा का चुनाव था, पिछले महीने 24 मार्च को। दो उम्मीदवार थे—एक, वहां पर सत्ताधारी दल के, नागा पीपल्स काउन्सिल, के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री वामूजो; और दूसरे, कांग्रेस दल के उम्मीदवार थे। चार दिन लगातार 23 तारीख से 26 तारीख तक, विदेश राज्य मन्त्री, अपने अन्य सारे काम छोड़कर···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री पी० सी० चाको (मुवत्तपुझा) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। शून्यकाल के दौरान वह लम्बा भाषण दे रहे हैं और वह भी राज्यपाल के आचरण के सम्बन्ध में बोल रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हमें सारे दस्तावेज मिलने चाहिए।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : वे मुद्दे को राजनैतिक रूप देना चाहते हैं। अन्य लोगों को भी बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। श्री रमेश चेन्नितला मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

श्री ए० चार्ल्स : यह मूल प्रस्ताव के अन्तर्गत होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह निर्णय लेने दें कि किसके अन्तर्गत यह हो सकता है। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है। श्री रमेश चेन्नित्तला यदि आपको बोलना है तो मैं आपको अनुमति दूंगा। लेकिन मुझे यह निर्णय लेने दें कि किस प्रावधान के तहत यह किया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में, आप उत्तर दे सकते और आपको उत्तर देना चाहिए बजाय केवल मुद्दा उठाने के। कृपया आप बैठ जाएं।

श्री पी० सी० थामस : वह लम्बा भाषण दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चार दिन वहां पर रुक जाते हैं। सारी हरकतों के बावजूद वहां पर अपने दल के तमाम लोगों से वोट पाकर राज्य सभा में चुनकर आ जाते हैं। सत्ताधारी दल के 24 सदस्य सदन में और बहुमत रहा और हर हरकत के बावजूद वामूजो जीतकर आ जाते हैं। आज उन्होंने सदन में शपथ लेने का काम किया है, सुबह ग्यारह बजे। अब, अध्यक्ष जी, यह सारी प्रक्रिया वहां शुरू हो जाती है कि सरकार को येनकेन-प्रकारेन हमें गिराना है। मुख्य मन्त्री अपने अधिकारों के अन्तर्गत अपनी काबिना की मीटिंग बुलाकर प्रस्ताव करते हैं, राज्यपाल अपने अधिकारों के अन्तर्गत, संविधान के अन्तर्गत, जो उन्हें अधिकार है, उसका इस्तेमाल करके उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, एसेम्बली बर्खास्त करते हैं और नए चुनाव की प्रक्रिया, जहां भी जैसी भी होनी है, उस दिशा में कदम बढ़ जाते हैं।

मैं, अध्यक्ष जी, यह जानना चाहूंगा, किस आधार पर आज यह बात हो गई और बात हो गई कल, लेकिन कल यह बात होने के बाद आप सरकार की नीयत को देखिए। निर्णय कल दिन में होता है और इसकी प्रक्रिया 27 तारीख को चालू होती है और आज किसी भी अखबार में, इस शहर के किसी भी अखबार में, हिन्दुस्तान के किसी भी अखबार में इसके बारे में एक शब्द नहीं है। नागालैंड में राष्ट्रपति शासन को लादने का काम हुआ है। कोई मन्त्री कहीं भी, कुछ भी भाषण दे, जिस भाषण में कोई सार न हो, कोई अर्थ न हो वह छपकर आ जाता है, लेकिन मन्त्रिमण्डल का फैसला यहां पर होता है, राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करते हैं, गवर्नर को भेजा जाता है, चीफ सैक्रेट्री को भेजा जाता है और रात के 10 बजे गजट हो जाता है, वहां कहा जाता है गजट करो लेकिन हिन्दुस्तान की अखबारों को उसकी जानकारी नहीं दी जाती है। देश के लोगों को, अखबारों का मतलब देश के लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है और आज सुबह इस संसद के संसद सदस्यों को भी इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। गृह मन्त्रालय से मुझे सभा होने से पहले सुबह पत्र प्राप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह कब हुआ ? (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : इनको कहां से पता लग गया। (**व्यवधान**) किसी अखबार में नहीं आया। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सभा को सूचित करने के लिए अनुमति मांगी थी। इस तरह नहीं। आप अपने मामले पर बहस कर सकते हैं। कृपया झगड़े नहीं।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री आर्य कर्नाण्डीज : अध्यक्ष जी, अब मैं संवैधानिक प्रश्नों की चर्चा यहां पर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक-दो जुमले मुझे बहुत ही मजबूती से आपके सामने रखने हैं। गवर्नर के अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जब यह बहस यहां पर चलती है, जब गृह मन्त्री और सरकारी दल के लोगों की तरफ से बहस चलाई जाती है, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में जो फैसला है उस फैसले को आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं, यह फैसला पांच सदस्यों के पीठ ने दिया हुआ, मई महीने की 4 तारीख, उन्नासी को और जो मामला उठा था वह राजस्थान के गवर्नर रघुकुल तिलक जी ने, जो एक निर्णय लिया था उसको लेकर उठा हुआ मामला था और अदालत का जो वाक्य है उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं :

[अनुवाद]

निस्संदेह राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है जिसका तात्पर्य है भारत सरकार और यही मात्र नियुक्ति का तरीका है। इससे राज्यपाल भारत का कर्मचारी या सेवक नहीं हो जाता। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति भारत सरकार का कर्मचारी नहीं होता। साथ ही ऐसी बात भी नहीं है कि राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा से रहता है। यह संवैधानिक प्रावधान है जिसके अधीन राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होता है और यह भारत सरकार को राज्यपाल का नियोक्ता नहीं बनाता। राज्यपाल का पद भारत सरकार के अधीन नहीं है। वह भारत सरकार के निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है और न वह अपने कृत्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी है। वह स्वतन्त्र संवैधानिक पद होता है जो भारत सरकार के नियन्त्रण अथवा अधीन नहीं होता। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसमें राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं और उसकी अनुमति के बिना राज्य की विधायी शक्तियों के अन्तर्गत बना कोई भी कानून प्रभावी नहीं होता।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, यह सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यों का, पीठ का फैसला है और इस फैसले के बाद

देश के गृह मन्त्री खड़े होकर बोलते हैं, कभी हम इसको नहीं बोल सकते हैं, अति गम्भीरता से हमने इस फैसले को लिया है, हम कानूनी सलाह ले रहे हैं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जार्ज फर्नान्डीज जी, मुझे विश्वास है कि आपके मन में इसके प्रति अत्यधिक रूचि है। आप अपनी बातों को तर्क सम्मत और जोरदार तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसी तरह का कोई कार्य सरकार को अवगत कराए बिना किया जाता है तो उसके क्या परिणाम होंगे। मान लें कि सभा भंग हो जाती है और भारत सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, तो राज्य सरकार का फैसला है, चुनी हुई विधान सभा है···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम राज्यपाल से पूछ सकते हैं। (व्यवधान) यह अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह खतरनाक सिद्धांत है। क्या वे प्रधानाध्यापक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा भंग कर दी जाती है और भारत सरकार को इसकी जानकारी न हो तो इसके क्या परिणाम होंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, अगर भारत के संविधान में संशोधन करने की किसी को भी जरूरत महसूस होती है तो वह अलग मुद्दा है (व्यवधान) लेकिन आज भारत का संविधान जिस तरह से है उस संविधान ने गवर्नर को जो अधिकार दिए हैं और राज्यों को··· (व्यवधान) उसकी अपनी जितनी ऑटोनोमी हमारे संविधान के अन्तर्गत है उसमें इस सदन को या दिल्ली की सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वह अधिकार तब आता है, आर्टिकल 356 को लेकर आ सकता है, इसीलिए आर्टिकल 356 इमरजेंसी प्रोवीजन करके माना जाता है।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 356 और संविधान के इस पूरे अध्याय में ही आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख

है। यदि सरकार गिर जाती है और राष्ट्रपति इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं कि राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं है तो इन प्रावधानों का उपयोग किया जाता है। लेकिन संविधान राज्य सरकार को यह निर्णय लेने का मौका देता है कि वह कब विधान सभा भंग करेगी और चुनाव कराएगी। आखिर मुख्यमन्त्री किस लिए हैं? राज्य सरकार में मुख्यमन्त्री ने उन्हें आगे जारी रखने का प्रयास नहीं किया। वह किसी भी राजनैतिक चाल में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपना बहुमत सिद्ध किया। चार दिनों तक लगातार आप वहां इस ताक में बैठे रहे कि राज्य सभा के चुनाव में सत्तापक्ष के उम्मीदवारों को हटाकर सरकार को अल्पमत में ला दिया जाए।

सरकार ने अपना बहुमत प्रमाणित कर दिया और इसके उम्मीदवार निर्वाचित हुए। यह सरकार राज्य में शासन चला रही थी। आपके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी जिसमें यह कहा गया हो कि वहां ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा हो अथवा राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है। वहां क्या गड़बड़ी हुई थी? मुख्यमन्त्री ने केवल इतना ही कहा है कि मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। कई मामले, चुनाव याचिकाएं और कई अन्य तरह की रिट याचिकाएं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में लम्बित है उन राज्यों के सम्बन्ध में आपने क्या किया है। क्या इसका मतलब यह है कि जब तक उन याचिकाओं पर अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक सभा भंग नहीं की जा सकती?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, कल अगर इस पार्लियामेंट के अनेक सदस्यों के मामले अदालतों में पड़े हों, उनका फैसला होने तक पार्लियामेंट बनी रहेगी, बैठी रहेगी, अगर कल प्रधानमन्त्री ने किसी कारणवश तय किया कि हम अभी सदन को डिजाल्व करके चुनाव करवाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या कोई रोक सकता है। क्या किसी को अधिकार है, क्या सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करके कहेगा कि नरसिंहराव जी आपने जो फैसला लिया है, उसको हम नहीं मानते हैं, क्या किसी का यह कहने का अधिकार है? यदि प्रधान-मन्त्री को संविधान के अन्तर्गत अधिकार है कि वह किसी भी समय अपनी सरकार को बर्खास्त कर सकता है, इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में जा सकता है, तो वही अधिकार राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को भी है। राज्य सरकारों को भी यह अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : एग्रीड।

श्री आस्कर फर्नान्डीज : केवल उसी अधिकार का उपयोग राज्य के मुख्यमन्त्री ने किया, लेकिन आपको वह मन्जूर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे जो राजनीति है, इस राजनीति पर एक अध्ययन हुआ है और वह अध्ययन किया है "इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ एडवान्स स्टडीज" ने, जिसने एक किताब निकाली है, जिसका नाम है "पालीटिक्स आफ प्रेसीडेंट रूल्स इन इंडिया" और इसके लेखक है जे० आर० सिवाज, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के है, उन्होंने जो खोज की है और जो उसका निचोड़ है, वह मैं आपको सुनाता हूं। सारा अध्ययन करने के बाद किताब में जो निचोड़ लिखा हुआ है, वह मैं आपको बताता हूं।

[अनुवाद]

जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार या कांग्रेस पार्टी से बाहरी समर्थन प्राप्त सरकार, या ऐसी सरकार जिसमें कांग्रेस के अधिक सदस्यों की भागीदारी हो उन सरकारों के विफल होते ही सभा को तुरन्त भंग कर दिया जाता है। और आगे वह कहते हैं कि जब कभी भी जो गैर-कांग्रेसी निवर्तमान मुख्यमन्त्री या गैर कांग्रेसी-मुख्यमन्त्री जिसका बहुमत अनिश्चय की स्थिति में है उसके द्वारा जब भी अनुच्छेद 174(2)(ख) के अधीन विधान सभा भंग करने की सिफारिश की जाती है—जैसाकि नागालैंड में हुआ—और अनुच्छेद 356 के अधीन सिफारिश की जाती है तो उसे हर हाल में नामंजूर कर दिया जाता है जबकि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के प्रयास में लगी होती है।

[हिन्दी]

तो यह है राजनीति। इस राजनीति को लेकर किसी तरह से संविधान का मजाक नहीं होना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि मैंने जो स्थगन-प्रस्ताव दिया है, उसको आप स्वीकार करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। दूसरे दिन हम से कहा गया था कि सत्ता में आने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार राज्य सरकारों को गिराने में लगी रही। लेकिन हमें मालूम है सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, चाहे वह चिदम्बरम हो या चव्हान हो या राजीव गांधी हो अथवा राव। वही रवैया अपनाया जा रहा है अर्थात वे प्रत्येक राज्य को अपने नियन्त्रण में लाना चाहते हैं। यह सत्ता हथियाए रखने या किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त करने की उनकी चपल लालसा के अतिरिक्त कुछ नहीं है।

महोदय, स्पष्ट रूप यह प्रतीत होता है कि राज्यपाल से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः यह केन्द्र में एक क्रुध कार्यपालिका का काम है। संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत राज्यपाल केन्द्र के अधीन नहीं है—केवल राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति कर सकता है—इसलिए राष्ट्रपति शासन थोपा जाना क्या राज्यपाल को सबक सिखाना है? मैं सत्ता पक्ष से इस बारे में जानना चाहूंगा।

हमारा संविधान संघात्मक है जिसमें केन्द्र और राज्यों की शक्तियां विभिन्न खण्डों में उल्लिखित हैं। राज्यपाल द्वारा विधान सभा भंग करने के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 356 के तहत आपात-कालीन प्रावधान के अलावा भारत का राष्ट्रपति विधान सभा को भंग नहीं कर सकता। यदि राज्यपाल किसी समय मन्त्रिमण्डल के निर्णय और मुख्यमन्त्री के अनुमोदन और सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है तो यह मान लिया जाता है कि उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।

अब क्या कहा जा रहा है? हमें सूचित नहीं किया गया। यह शिष्टता हो सकती है परन्तु यह संवैधानिक अपेक्षा नहीं है। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या वह संविधान का यह अर्थ प्रतिपादित करती है कि राज्यपाल को संवैधानिक प्राधिकार के तहत कोई निर्णय लेने से पहले केन्द्र

सरकार की सहमति लेनी चाहिए। अतः राज्यपाल जब विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाता है तो क्या उसे इस सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रपति और केन्द्र सरकार की मन्जूरी और अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है ? यदि वह राज्य में किसी मन्त्री को बर्खास्त करता है तो क्या उसे केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है ? हम जानना चाहेंगे कि क्या इस देश में केन्द्र सरकार का यह मत है। मै जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस दल का यही मानना है ?

यह हैरानी और लज्जा की बात है। यह संविधान पर आक्षेप है। हमारे संविधान ने केन्द्र सरकार को राज्यों की तुलना में उच्च प्राधिकरण नहीं बनाया है। केन्द्र को कुछ शक्तियां दी गई हैं जिसके लिए संविधान को पढ़ना पड़ेगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि आपातकालीन प्रावधान केन्द्र के पास होने चाहिए और इनसे इस देश में विध्वंस उत्पन्न हुआ है। सरकारिया आयोग ने कहा है कि किस तरह से एक बाद दूसरी कांग्रेस सरकारों ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है।

केन्द्र सरकार में शक्तियों का यह झूठा दावा क्या है ? यह देखने के लिए कि यदि कोई राज्यपाल उनकी पूर्व सहमति या अनुमति के बिना कार्य करता है तो उन्हें अपने तथाकथित प्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए जबकि ऐसा कोई प्राधिकार नहीं है।

यह हमारे संवैधानिक इतिहास और संवैधानिक ढांचे में एक बहुत ही गंभीर घटना है। संविधान के बारे में कुछ कह देना ही पर्याप्त नहीं है। इस दृष्टिकोण के साथ केन्द्र-राज्यों के सम्बन्धों के अतिनाजुक आधार पर और आक्षेप किया जा रहा है, उसे चुनौती दी जा रही है। राज्य तो पहले से ही केन्द्र के अधीन पिस रहे है। केन्द्र तो विभिन्न अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। वित्तीय अधिकारों को नियंत्रित करना और वित्तीय अधिकार उनके नियत्रण में हैं, और योजनागत प्रणाली के माध्यम से वे अन्य अधिकारों को नियंत्रित कर रहे हैं। राज्यों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। आज यह केन्द्र सरकार का हैरानी में डालने वाला दृष्टिकोण है। मैं बड़े दुःख के साथ कहता हूं अध्यक्षपीठ द्वारा यह बताया गया है कि केन्द्र को सूचना न दिए जाने पर भी केन्द्र सरकार क्या कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक राज्य सरकार के मन्त्रीमण्डल के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा सदन को भंग किए जाने का अधिकार है उस पर कोई विवाद नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसकी सूचना नहीं दी जानी चाहिए थी ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न यह कि इसकी सूचना पहले दी जाय या बाद में। उन्हें बाद में सूचित किया गया। यह कौन नहीं जानता है ?

अध्यक्ष महोदय : संसद के सत्र के दौरान हम बहुत से प्रश्न पूछते है। आप मुझ से कह रहे है कि आप गृह मन्त्री को निर्देश दें कि वह सूचना दें और गृह मन्त्री सूचना प्राप्त करके आपको देने की स्थिति मे नहीं है। क्या यह सुखद स्थिति है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः ऐसा लगता है कि भारत सरकार अपमान महसूस करती है, यह महसूस करती है कि राज्य के राज्यपाल···

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्रीमण्डल और राज्यपाल के अधिकारों के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं सूचना के बारे में कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जब यू०पी० में मुलायम सिंह की सरकार को गिराया गया था तब केन्द्र सेन्टर को कोई इन्फारमेशन नहीं दी गई थी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी सूचना का प्रश्न केवल एक शिष्टता हो सकती है। यदि आप संविधान के अनुसार चले तो इस सम्बन्ध में कोई संवैधानिक अपेक्षा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस शिष्टता का पालन न करने का क्या आशय है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप राज्यपाल के विरुद्ध कार्रवाई करें। यह अति गंभीर मामला है। चूंकि केन्द्रीय सरकार के प्रति साधारण शिष्टाचार नहीं दिखाया गया है, इसलिए सरकार राज्यपाल को सबक सिखा रही है और राज्यपाल को सबक सिखाने का मतलब है वहां राष्ट्रपति शासन लागू करना ?

अध्यक्ष महोदय : आप भली-भांति कह सकते है कि केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत गलती की है। लेकिन इसका आशय क्या है ? मै तो केवल यह प्रश्न पूछ रहा हूं। इस बात का क्या तात्पर्य है कि सरकार के पास आपको देने के लिए कोई सूचना नहीं है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसका कोई संवैधानिक तात्पर्य नही हो सकता है। हम जानना चाहेंगे।······ (व्यवधान) यह एक खतरनाक सिद्धान्त होगा।

अध्यक्ष महोदय मैं आपको इसे अपनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप इसे छोड़ भी सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी चूंकि आप इससे प्रभावित हुए हैं·········

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे प्रभावित हुआ हूं क्योंकि गृह मंत्री से कई बार सूचना देने के लिए कहा गया। गृह मन्त्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि "मेरे पास कोई सूचना नही है।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यदि वे राज्यपाल को दिल्ली बुलाते और राज्यपाल को कुछ सलाह देते तो मैं यह सब बातें नही कहता हालांकि ये होना नहीं चाहिए।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : क्या अनुच्छेद 356 का उचित रूप से प्रयोग किया गया है या अनुचित रूप से इसका निर्णय आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप कुछ भी कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : राज्यपाल ने सूचित किया था···**(व्यवधान)**···

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : मैं नहीं समझता कि यह राज्यपाल के लिए ऐसा करना अनिवार्य या उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।····**व्यवधान**)···शिष्टाचार के मामले में भी मैं यह कहूंगा कि यह राज्यपाल पर निर्भर है।

मुझे याद है मेघालय के मामले में क्या हुआ। हम सभी ने यहां पर विभिन्न विचार व्यक्त किए थे और सरकार ने अपनी असमर्थता जताई और कहा "हम राज्यपाल को मजबूर नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल ने हमें सूचित नहीं किया है।"

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछता हूं क्या आप अपने इस विचार पर दृढ़ रहेंगे।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : नहीं **(व्यवधान)**···इसमें कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। ···**(व्यवधान)**·· यदि गृह मंत्री कोई जानकारी मांगते तो मुझे विश्वास है कि राज्यपाल अभीष्ट जानकारी उन्हें देते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें किसी विशेष अवसर के अनुरूप या किसी कार्य का औचित्य सिद्ध करने के लिए संविधान का अर्थ नहीं निकालना चाहिए। वह बहुत दुःखद दिन होगा जब संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। यदि आप केवल अपनी सुविधानुसार किसी विशेष अवसर पर संविधान का कोई विशेष अर्थ निकालेंगे तो खतरनाक स्थिति होगी, एक खतरनाक सिद्धांत होगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : संविधान का कोई अर्थ है।···**(व्यवधान)**···स्पष्टतः उन्होंने राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना कार्य किया है। चूंकि आज राज्यपाल को उनकी अनुमति अथवा सहमति के बिना कोई निर्णय लेने का साहस किया है। इसलिए यह सरकार उन पर हुक्म चलाने के लिए एक चाबुक के सहारे उन्हें सबक सिखाने के लिए अपने पास उच्च प्राधिकरण के अधिकार होने का झूठा दावा करती है। हम क्या कर रहे हैं? क्या यह संसद केवल इस सरकार के, बहुमत के आधार पर किए गए, चाहे यह बहुमत कैसे भी प्राप्त किया गया है सभी अविवेकपूर्ण कार्यों को मंजूरी देने के उद्देश्य से प्रतीक्षारत रहेगी।···**(व्यवधान)**···हम सभी जानते हैं कि यह एक खतरनाक सिद्धान्त है। दूसरी तरफ मैं लोक सभा, जोकि देश में शीर्षस्थ निकाय है, के अध्यक्ष से कुछ उम्मीद करता हूं। इस सदन पर इस देश में संसदीय लोकतंत्र को चलाए रखने और उसे जीवित रखने का दायित्व है।

हम आप से उम्मीद करते हैं कि आप इस सरकार की भर्त्सना करें। यह संविधान के साथ खिलवाड़ करने के अलावा और कुछ नहीं है। इससे केन्द्र राज्यों के सम्बन्धों को गहरा आघात पहुंचता है। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पर किसी की भर्त्सना नहीं कर सकता। मैं केवल प्रश्नों को प्रस्तुत कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब ऐसा लगता है कि अब इस देश में केवल दो निकाय आई० बी० और पी० आई० बी० ही अपने समय से अधिक समय तक कार्य कर रहे हैं। इसलिए लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई। इस देश को कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस देश के लोगों को दी जाने वाली खबरों का दमन करने के उद्देश्य से इन एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए हमें अपनी कार्य सूची की अनुपूरक कार्य सूची की प्रतीक्षा करनी पड़ी है।

मैं इस पर कड़ी आपत्ति करता हूं। गृह मन्त्री को यहां पर होना चाहिए था। उन्हें प्रारम्भ में एक वक्तव्य देना चाहिए था। अतः इस मामले में सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिएं।

मैं जानता हूं कि अब इस गलती को सुधारा नहीं जा सकता विधान सभा अब नहीं है। कम-से-कम उन्हें चुनाव कराने का साहस तो करने दें। गृह मन्त्री को यहां बुलाया जाये तथा सभा की बार के सामने उनकी भर्त्सना की जाये।

[हिन्दी]

श्री आर्स्कर फर्नांडीज : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। आपने प्रश्न पूछा जिस पर सोमनाथ जी ने जो बातें कही···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको छोड़ दीजिए···

(व्यवधान)

श्री आर्स्कर फर्नान्डीज : वह रिकार्ड में रखना जरूरी है।···(व्यवधान)···गवर्नर ने केन्द्र को तत्काल सूचना दी है और यह केन्द्र का कहना नहीं है कि हमको सूचना नहीं दी है। सोमनाथ जी का कहना है कि कोई उपाय नहीं है—

[अनुवाद]

356(2) के अन्तर्गत "ऐसी किसी भी प्रख्यापन को उसके बाद के प्रख्यापन के द्वारा निरसित अथवा बदला जा सकता है।"

[हिन्दी]

हम सरकार से मांग करते हैं कि आर्टिकल 356(2) का इस्तेमाल करें और इस प्रॉक्लेमेशन को बर्खास्त करें।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं केन्द्रीय सरकार को नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए बधाई देना हूं हालांकि यह काम देरी से किया गया है। यह हैरानी की बात थी कि नागालैंड के राज्यपाल ने अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत मन्त्री मण्डलीय संकल्प समर्थन के बिना ही, विधानसभा भंग कर दी थी। महोदय, यदि राज्यपाल मुख्य-मन्त्री की सलाह पर, बिना उस राज्य सरकार के मन्त्री-मण्डलीय समर्थन के बिना ही, कार्य कर रहे हैं, तो यह अनुचित कार्रवाई है; और उस स्थिति में, राज्यपाल स्वेच्छा से और स्वय-प्रेरणा से कार्य नहीं कर सकते। दूसरे, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन्होंने बाद में केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि विधायक दल बदल कर रहे थे और इसी वजह से उनके लिए यह आवश्यक था कि वह विधान सभा को भंग कर दें। यदि यही स्थिति है, तो फिर उस हालात में इस कामचलाऊ सरकार को बनाए रखना सही नहीं है। और जैसाकि हमने देखा है और जैसाकि उन्होंने बाद में भी प्रकट किया था, मुख्य मन्त्री ने सिफारिश की थी कि उनकी काम-चलाऊ सरकार की मन्त्री-परिषद के सात-सदस्यों को मन्त्रीमण्डल से बर्खास्त कर दिया जाए। अतः यह स्पष्ट है कि राज्यपाल की समूची कार्रवाई एक सोची समझी योजना थी और ऐसा किसी बाहरी तत्व के दबाव में और किसी विशेष मंतव्य से किया गया था। जब मैं बाहरी तत्व की बात कहता हूं, तो मेरा कहने का अर्थ है नागालैंड से बाहरी के तत्वों से है न कि भारत से बाहर के तत्वों से। कुछ लोग आज बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। वे बताएं कि ऐसी ही स्थिति में अन्य राज्यों के राज्यपालों द्वारा यदि कोई कार्रवाई की जानी है, तो वह क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जब राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सलाह पर परन्तु मन्त्रीमण्डलीय संकल्प के समर्थन के बिना, कार्य करना है, तो वे क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री राम कापसे : आपका अनुमान गलत है।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, यही कारण है कि मैं उस कार्रवाई का पूर्ण समर्थन करता हूं। एक स्वस्थ प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है। इतना ही नहीं, केन्द्रीय सरकार को राज्यपाल के कार्यकलाप पर भी कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, जब हम छोटे बच्चे थे, तब हमें बताया जाता था कि किसी के विरुद्ध दोषारोपण की अंगुली मत उठाना क्योंकि वरना फिर अन्य चार अंगुलियां तुम्हारी ओर भी उठेंगी। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज को स्मरण कराना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के शासनकाल में, लगभग हर हफ्ते, वह श्री सुबोध कांत सहाय के साथ नागालैंड में होते थे और विधानसभा में दलबदल कराने की कोशिश किया करते थे। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, सरकार के सदस्य के रूप में मैं कभी भी नागालैंड नहीं गया हूं।

श्री पी० सी० थामस : आप ऐसा वहां जाये बिना भी करवा सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, लोगों को सभा में ऐसी टिप्पणियां करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्हें अपनी टिप्पणी वापिस लेनी चाहिए। क्या आपको आपके कार्यवाही का समर्थन कराने हेतु कोई अन्य व्यक्ति नहीं मिला ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम श्री जार्ज फर्नान्डीज पर चर्चा नहीं कर रहे हैं; हम किसी अन्य विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उस बात को एक तरफ रखिए।

(**व्यवधान**)

श्री पीटर जी० मरबनियांग : वहां श्री एस० ई० जामीर के नेतृत्व में एक चुनी हुई कांग्रेस सरकार थी। केवल उसी पर ही सन्तुष्ट न होते हुए उन्हें वहां के राज्यपाल, डा० गोपाल सिंह को बदलना पड़ा था और डा० एम०एम० थामस को राज्यपाल बनाना था और राज्यपाल के आने के 15 दिन बाद ही 17 मई, 1990 को श्री एस० ई० जामीर के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट दिया गया था। हमें भारत में अपनी इस पद्धति के उत्तरदायित्व को नहीं भुलाना चाहिए। ये वे मामले हैं, जिन पर हमें बिना किसी पक्षपात के बोलना चाहिए। हमें समस्या से उद्देश्यपूर्ण तरीके से निपटना चाहिए। महोदय, राज्यपाल ने मुख्यमन्त्री श्री वामुजो की मौखिक सलाह पर कार्रवाई की थी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 26 मार्च, को श्री वामुजो को पता चला था कि उन्हीं के तीन मंत्रियों ने आठ विधायकों सहित इस्तीफा दे दिया है। इसलिए, राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की मौखिक सलाह दी गई थी और 27 मार्च को राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी थी।

मैं आपको कोहिमा से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका 'ऑब्जर्वर' में छपी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर भी बताऊंगा जिसमें कहा गया है :

"27 मार्च, 1992 को एक बैंक······(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(**व्यवधान**)

श्री पीटर जी० मरबनियांग : महोदय, परन्तु मैं केवल···उद्धृत कर रहा हूं···(**व्यवधान**)*

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपको उद्धृत करने की जरूरत नहीं है। आप समाचारपत्र का हवाला नहीं दे सकते। इस प्रकार नहीं किया जा सकता है। भाषण का यह भाग कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

श्री पीटर जी० मरबनियांग : अतः, हमें यह याद रखना चाहिए कि सभा भंग करने की इस प्रकार की कठोर कारंवाई करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार को सूचित करना राज्यपाल की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ यह है कि राज्यपाल नागालैंड राज्य के सांवैधानिक मुखिया होने और भारत के राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधि होने की दोहरी भूमिका अदा करने में असफल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया** ऐसा मत कीजिए। आप इस प्रकार नहीं कर सकते।

श्री पीटर जी० मरबनियांग : महोदय, अब मैं अनुच्छेद 356 लागू करने और श्री वामुजो की काम चलाऊ सरकार से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार को बधाई देता हूं। इससे उनको अवश्य ही अत्यधिक दुःख हुआ होगा कि उन्हें कामचलाऊ मुख्यमन्त्री के रूप में श्री वामुजो को खोना पड़ा।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, भाजपा की ओर से, मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने सरकार द्वारा गत संध्या को उठाए गए कदम को एक ऐसा कदम पाया है, जिसकी कि हम कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं। हम समझते हैं कि इससे संविधान की समूचे संघीय व्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम यह भी महसूस करते हैं कि सरकार ने निष्ठापूर्वक और संविधान के हितों में कार्य नहीं किया है। मैंने अपने अति वरिष्ठ मित्रों श्री अटल बिहारी वाजपेयी और लालजी आडवाणी दोनों ही से सलाह-मश्विरा किया है कि क्या कोई ऐसा और भी पूर्वोदाहरण विद्यमान श्री वाजपेयी जी का संघीय जीवन उतना ही लम्बा है जितना स्वयं इस संसद का है। ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है……

अध्यक्ष महोदय : निःसन्देह ऐसे पूर्वोदाहरण हैं।

श्री जसवन्त सिंह : इस प्रकार का कोई पूर्वोदाहरण नहीं है जिसमें राज्यपाल ने पहले से ही विधान सभा को भंग कर दिया हो और उसके बाद, राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही……

अध्यक्ष महोदय : ऐसे एक नहीं अनेक पूर्वोदाहरण हैं……

श्री जसवन्त सिंह : यदि ऐसे पूर्वोदाहरण हैं, तो हम जानना चाहेंगे। यह तो एक विशेष ही स्थिति पैदा हुई है। तीन पहलुओं पर प्रश्नचिन्ह लगते हैं। महोदय, आपने भी अध्यक्षपीठ से एक प्रश्न उठाया था। एक तो मन्त्री-मण्डल की सलाह के बारे में है, जिसे बड़ी आसानी से निबटा दिया गया। पहली बात तो यह कि तथ्यात्मक रूप से यह सही नहीं है। दूसरे, मुझे उन कुख्यात कारंवाईयों अथवा अप्रसिद्ध कार्यों का स्मरण नहीं कराना चाहिए जोकि जून, 1975 में, मन्त्रीमण्डल की सलाह के बिना

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

ही किए गए थे और जिन्हें गणराज्य के राष्ट्रपति ने सत्य भी माना था और बाद में उनकी पुष्टि भी कर दी थी। यह एक आपात स्थिति कपटपूर्ण थी, जोकि मन्त्री मण्डल की सलाह के बिना ही, इस देश में लागू की गई थी।

वास्तव में इसके दो पहलू हैं। प्रथम तो राज्यपाल ने सूचित ही नहीं किया और दूसरे, सलाह देने के समय क्या सलाह देने वाली सरकार को बहुमत प्राप्त था, अथवा नहीं।

पहली बात क्या उन्होंने केन्द्र सरकार को सूचित किया था ? यहां मेरे अनेक मित्र जिनमें मेरे अच्छे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज भी शामिल हैं, ने कहा है कि राज्यपाल ने सलाह दी थी। यदि वह उन्हें सलाह देने में असफल भी रहे, तो जैसा कि श्री सोमनाथ जी ने कहा है यह एक सांवैधानिक अनौचित्य नहीं है, बल्कि नैतिकता की दृष्टि से इस मामले में गणराज्य के अध्यक्ष और एक राज्य के अध्यक्ष के बीच कार्यवाही सम्बन्धी गरिमा नहीं निभाई गई है।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राज्यपाल ने मन्त्री मण्डल के सलाह पर, तीन बातें की। उन्होंने विधानसभा भंग की। उन्होंने चुनाव कराने का आदेश दिया। अब हमें बताया गया है कि क्योंकि उन्होंने ये बातें की थीं, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है और वह स्थिति राज्यपाल की रिपोर्ट के फलस्वरूप पैदा नहीं हुई है, बल्कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें नागालैंड की सरकार संविधान के अनुरूप नहीं चल सकती है। वास्तव में यही हमारे लिए दुविधा की स्थिति है। महोदय, यह कैसे हुआ कि जब वहां कोई विधान सभा ही नहीं है तो वहां चुनाव करवाने के आदेश देकर ऐसा किया गया है ? राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना संविधान के अनुसार सरकार के बारे में कैसे कार्यवाही नहीं की जा सकती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अनुच्छेद 356(2) के अन्तर्गत राष्ट्रपति अपना विचार बनाने अथवा कार्यवाही करने के हकदार नहीं है क्योंकि यह राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या उसके बिना भी हो सकता है।

महोदय, अनुच्छेद 174(1) और 163(2) देखें।

महोदय, 174(1) में स्पष्ट तौर से यह कहा गया है कि राज्यपाल समय-समय पर विधान-मण्डल के सदनों या प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा।

अनुच्छेद 174(2) में कहा गया है कि राज्यपाल समय-समय पर (क) सदन का सत्रावसान कर सकेगा, (ख) विधानसभा का विघटन कर सकेगा। राज्यपाल को मन्त्रिमण्डल की सलाह पर विधान सभा का विघटन करने का अधिकार है। उसे यह विषय नार्थ ब्लाक भेजने अथवा इसके लिए राष्ट्रपति के पास आने की आवश्यकता नहीं है। वह यह कार्य स्वयं कर सकता है।

अब मैं अनुच्छेद 163(2) का उल्लेख करता हूं। यह पृष्ठ 84 पर है।

"यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके सम्बन्ध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अन्तिम होगा और राज्यपाल द्वारा की

गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं।"

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि हम इस बात को चुनौती दे रहे हैं कि क्या राज्यपाल को यह कार्य करने का अधिकार है अथवा मन्त्रिमण्डल को। यहां पर अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने पर चर्चा हो रही है।

श्री जसवन्त सिंह : यहां कठिनाई यह है कि मेरे अच्छे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कहा है कि यदि केन्द्रीय गृह मन्त्री यह कहते है कि हम राज्यपाल की कार्यवाही को नहीं भूलेंगे, तो हम इसे गम्भीरता से लेंगे······

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे ठीक से याद है तो उस दिन कुछ जानकारी मांगी गई थी तथा उन्होंने कहा था कि उनके पास यह जानकारी नहीं है। वह उन बातों से अनभिज्ञ है। बस इतनी सी बात है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी नहीं। राज्य सभा में विस्तार से चर्चा हुई थी और वहां उन्होंने वक्तव्य दिया था कि (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। हमें यहां इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उन्होंने यह भी कहा था कि (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं उसका उल्लेख करने की अनुमति नहीं दूंगा···

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए मैंने उसका उल्लेख नहीं किया।

[**हिन्दी**]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में पृष्ठभूमि का बहुत महत्व है। आपने उदाहरण बताए हैं और उदाहरण है कि गवर्नर ने फैसला कर दिया, विधान सभा भंग कर दी और बाद में राष्ट्रपति राज स्थापित कर दिया गया। हो सकता है कि ऐसे मामलों में गवर्नर और केन्द्र के बीच में कोई मतभेद न हो, हो सकता है कि गवर्नर ने केन्द्र की सलाह मान ली हो, हो सकता है कि गवर्नर की सलाह पर केन्द्र ने ऐसा किया हो; मगर नागालैंड के बारे में केन्द्र और नागालैंड के गवर्नर के बीच में एक मुठभेड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और गृह मन्त्री ने अपनी भावनाओं को छिपाया नहीं। इस पृष्ठभूमि में वहां राष्ट्रपति राज लागू करना, एक ऐसी विकृति है, जिस पर सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। (**व्यवधान**)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या गवर्नमेंट इस पर एक्सप्लेनेशन दे कि वहां के गवर्नर ने ऐसा गुस्से के कारण किया या किसी और रीजन से कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : मैं जो कहना चाहता था वह मेरे वरिष्ठ सहयोगियों श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने अनुभव से कह दिया। जिन परिस्थितियों में कल शाम सरकार ने यह सारी कार्यवाही की और संसद तथा प्रेस को अन्धेरे में रखा, उससे यही प्रतीत होता है कि ऐसा कार्य संकीर्ण राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है और केन्द्रीय मन्त्री के इन कार्यों पर असंविधानिकता की छाया मंडरा रही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : श्री जसवन्त सिंह और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में विचार प्रकट किए हैं। मैं तो इस बात पर बल देना चाहता हूं कि राज्यपाल की भूमिका और केन्द्र सरकार के साथ उनके सहयोग का सम्मान किया जाना चाहिए जैसी की संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी।

वास्तव में उन्होंने अनुच्छेद 174 का उल्लेख किया है। संविधान के प्रारूप में अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करे। मैं इस अनुच्छेद के सम्बन्ध में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में से पढ़कर सुनाता हूं। इसका पाठ निम्न प्रकार से है :

> "राज्यपाल को विधान सभा आहूत करने, उसका सत्रावसान करने तथा उसे विघटित करने का अधिकार है। संविधान के प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि विधान सभा अथवा परिषद आहूत करने और विधान सभा विघटित करने के लिए राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करे। लेकिन बाद में इस प्रावधान को इस आधार पर हटा दिया गया कि राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य नहीं करेगा और इन सभी मामलों में अपने मन्त्रिमंडल के परामर्श का अनुसरण करेगा।
>
> यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक मन्त्रिपरिषद को विधान सभा का विश्वास प्राप्त है इन मामलों में उसका परामर्श जब तक कि नितांत असंविधानिक न हो—राज्यपाल पर बाध्यकारी रहना चाहिए।"

इस मामले में मन्त्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त है यदि इस बहुमत को अनुचित माना जाए। अतः उसका परामर्श बाध्यकारी है। इसमें आगे कहा गया है :

> "यह प्रश्न कि क्या राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है, तभी उत्पन्न होता है जब ऐसे परामर्श का पालन करने से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है अथवा मन्त्रिपरिषद ने विधान सभा में विश्वास खो दिया है।"

अब प्रश्न यह है कि क्या उसे केन्द्र की सलाह पर कार्य करना चाहिए जबकि वहां भी उनके अपने विवेक की बात है जिसके अन्तर्गत उन्हें सलाह देनी है।

यह मानते हुए भी कि नागालैंड सरकार ने विधान परिषद में बहुमत नहीं खोया है, वहां ऐसा नहीं था, फिर भी······

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बुरा न मानें तब मैं बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं कुछ भ्रमित हूं। इसीलिए मैं यह इसे यूं रख रहा हूं। मेरे कहने का गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए, यह मेरे समझने के लिए है।

वास्तव में राज्यपाल की कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की गई है। अब राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद वहां अन्तरिम सरकार नहीं होगी बल्कि राज्यपाल का शासन होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्यों ?

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसीलिए तो किया गया है, सरकार को हटाने के लिए ही ये कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा विघटित होना ही है तो किसी को भी शासन करने का अधिकार नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि सभा सरकार की कार्यवाही से विघटित होती है जोकि एक संविधानुसार कार्यवाही है, तो संविधानिक तन्त्र कैसे विफल हुआ ? मेरे विचार से अनुच्छेद 356 प्रभावी नहीं होता जब तक कि संविधानिक तन्त्र विफल न हो जाए। जब तक भारत सरकार यह रवैया नहीं अपनाती कि राज्यपाल ने जो भी किया है उससे संविधानिक तन्त्र विफल हुआ है तब तक अनुच्छेद 356 को लागू नहीं किया जा सकता है, और पहले ऐसे सभी मामलों में राज्यपाल केन्द्र से परामर्श करते थे, हालांकि दोनों ही—राज्यपाल और केन्द्र सरकार—इस बात का खण्डन करते थे। लेकिन जो कुछ भी होता था वह केन्द्र सरकार और राज्यपाल के बीच सांठ-गांठ से ही होता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ और इसी से केन्द्र सरकार परेशान हो गई है। अतः उन्होंने इसमें हस्तक्षेप करना चाहा है तथा राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लागू करके जो कुछ किया है वे उसे निरस्त करना चाहते हैं। राज्यपाल को यह चाहा है कि सरकार की सलाह मान ली जाए और नए चुनाव कराए जाएंगे, तथा यही सरकार सत्ता में बनी रहे, जिसकी केन्द्र सरकार अपने पक्षपातपूर्ण रवैए के कारण से अनुमति नहीं दे रही है। अतः उन्होंने अनुच्छेद 356 लागू कर दिया जोकि इस अनुच्छेद विशेष का स्पष्ट तौर से दुरुपयोग है।

यदि वहां सरकारिया आयोग की रिपोर्ट लागू की होती तब एक नया अध्याय और नया पहलू जुड़ जाता है। यह स्पष्ट तौर पर पक्षपातपूर्ण नीति थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां अनुच्छेद 356 को लागू करना उत्तेजना पैदा करना है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ क्योंकि यह कार्यवाही सरकार के विरुद्ध कम और राज्यपाल के विरुद्ध अधिक जाती है।

मेरा विचार है कि यदि सरकार ईमानदारी से यह समझती है कि राज्यपाल ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है तब मेरे विचार से संविधान के उन प्रावधानों को लागू करना बेहतर होता जिनमें यह कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छानुसार ही अपने पद पर रह सकता है। वास्तविकता यह है कि राज्यपाल ने वही किया जो उस स्थिति में किया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स संक्षेप में एक मिनट के लिए बोलेंगे, फिर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और उसके बाद सरकार जवाब देगी।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हम सभा के इस तरफ के लोग इस मामले में पंगु हो गए हैं कि जिन तथ्यों का उल्लेख यहां किया गया है, उनकी जानकारी हमें नहीं दी गई थी। प्रश्नकाल के समाप्त होने के समय हमें एक पूरक कार्य-सूची दी गई जिसमें यह बताया गया कि श्री एस० बी० चव्हाण नागालैंड में राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय : तो सरकार को ही बोलने दीजिए।

श्री ए० चार्ल्स : मुझे कुछ मिनट तो दीजिए। कृपया मेरा साथ दें।

अध्यक्ष महोदय : आपको अगर पूरी जानकारी नहीं है तो आप मत बोलिए। सरकार को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : उस पक्ष के अधिकांश वक्ता सदस्य सभी दस्तावेजों और संविधान के साथ पूरी तरह तैयार होकर आए हैं और इसलिए ऐसा आभास होता है कि नागालैंड में पिछले सप्ताह की घटना की हर मिनट की जानकारी उन्हें मिलती रही है और वे सभी तथ्यों से पूर्णतया वाकिफ हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी इस बात का अर्थ नहीं समझ पाया।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : क्या आप सरकार की सहायता कर रहे हैं ?

श्री ए० चार्ल्स : आप कृपया मुझे सुनें। पिछले दो सप्ताहों के दौरान नागालैंड में जो कुछ भी घटा है, उससे न तो राज्यपाल के महान पद को श्रेय जाता है, न ही संसद को और न ही मूल्यों, नैतिकताओं तथा संवैधानिक नैतिकता को यह श्रेय जाता है। जिसके बारे में दूसरे पक्ष के सदस्य हमेशा उपदेश देते रहते हैं।

जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्ता में थी, तब यहां के राष्ट्रपति भवन से टेलीफोन संदेश के माध्यम से केरल में हमारे राज्यपाल को त्यागपत्र देने के लिए कहा गया और उन्होंने त्यागपत्र तैयार भी कर लिया। उसके अगले दिन ही उन्हें वहां की विधान सभा को सम्बोधित करना था (व्यवधान) मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इन सब का उल्लेख क्यों कर रहे है ?

श्री ए० चार्ल्स : मैं इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। वैसे भी, यहां काफी समय यों ही बर्बाद कर दिया जाता है, तो फिर कुछेक मिनट अपेक्षाकृत उपयोगी विषय पर क्यों नहीं खर्च किए जा सकते हैं?

बजट-सत्र की पूर्व संध्या पर राज्यपाल को विधान-सभा को सम्बोधित करना था। कुछ भ्रम पैदा हो गया था। समाचार-पत्रों में यह सब छपा था। तब दूसरा संदेश भेजकर उन्हें कहा गया कि राज्यपाल के अभिभाषण पढ़े जाने तक वे इस्तीफा न दें। यह पृष्ठभूमि है और उसके बाद एक ही झटके में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार द्वारा 13 राज्यपालों को बर्खास्त कर दिया गया। इस सरकार को सत्ता संभाले 10 महीने बीत चुके है और हमने राज्यपाल के उच्च पद को अपेक्षित सम्मान दिया है। हमने किसी भी राज्य सरकार के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया है। नागालैण्ड के 13 विधायकों को बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनके मामले उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़े हैं। मेरे माननीय दोस्त, श्री जॉर्ज फर्नान्डीज का यह कहना कि "बहुत सारे मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं। कौन इनके बारे में खबर लेता है?" यह बहुत ही दुःख की बात है। जब 13 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया गया और उनके मामले उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन थे, जब विधान-सभा को भंग कर दिया गया। आखिर उसको भंग करने की जल्दी क्या थी? यह अशोभनीय जल्दबाजी क्यों की गई? महोदय, यह मामले का यही निचोड़ है।

विधान-सभा इस समय वहां नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जब इस बात की पूरी जानकारी है कि आठ विधायकों सहित तीन कैबिनेट मन्त्रियों ने वहां के मुख्यमन्त्री को अपना समर्थन देना बन्द कर दिया है तो उसकी सलाह पर वहां के राज्यपाल द्वारा की गई यह कार्यवाही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मै इस बात से बहुत ही अप्रसन्न हूं। मैं श्री जसवन्त सिंह का आदर करता हूं। अन्ततः उन्होंने सत्य को यह कहकर उजागर कर दिया कि** यह उनका बयान है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं सोचता हूं।

श्री ए० चार्ल्स : उनकी कही गई बात कार्यवाही-वृत्तांत में है। आप कृपया कार्यवाही-वृत्तांत की जांच कर लें···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर यह उसमें है तो मैं उस पर समुचित कार्यवाही करूंगा। लेकिन अभी उसे आप छोड़ दें।

श्री ए० चार्ल्स : उन परिस्थितियों में, क्या** को अपना कार्य करने का संवैधानिक दायित्व नहीं होना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख तो किया है लेकिन** के संवैधानिक अधिकारों के बारे में क्या होना चाहिए···(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं उन सभी आपत्तिजनक अंशों को पढ़ूंगा और उन्हें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

श्री ए० चार्ल्स : अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक जिम्मेदार पद पर कार्यरत व्यक्ति का आचरण सीजर की पत्नी की तरह शक के परे होना चाहिए। नागालैंड में जो कुछ हुआ है, वह पूर्णतया संदिग्ध और दुर्भावनापूर्ण है। मैं अपने दोस्त, श्री जॉर्ज फर्नान्डीज जैसे सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे अपने हृदय टटोलकर इस महान सदन में विश्वासपूर्वक कहें कि वहां के राज्यपाल ने बिना किसी पूर्वाग्रह के यह कार्यवाही की और ऐसा करना संसदीय लोकतन्त्र की परम्पराओं के हित में जरूरी था तो हम लोग उन्हें समर्थन देंगे। उन्हें अपने हृदय से यह बात कहने दें।

महोदय, राज्यपाल द्वारा उनमें व्यक्त निष्ठा की अवहेलना करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह विषय केवल कानून के पन्नों को उलटने का नहीं है। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रपति का अधिकार देख लीजिए, उन्होंने अपना अधिकार लागू कर दिया। राष्ट्रपति शासन की राजनीति ज्यादा महत्वपूर्ण है इस प्रश्न को देखने और समझने के लिए बजाए इसके कि कानूनी पन्नों को उलटकर उनकी शब्दावलियों को देखा जाए। यह बड़ा भारी प्रश्न इस देश में राजनीतिक रहा है कि राष्ट्रपति शासन की एक राजनीति रही है जिससे वहां के विभिन्न राज्यों की जनता की जो आकांक्षाएं रही हैं, उन्होंने जो मत प्रकट किए, उस पर कुठाराघात हुआ। उस कुठाराघात से एक ऐसी कुंठा पैदा होती है जिससे हमारे राष्ट्र की एकता पर एक धक्का भी पहुंचता है। ये चीजें धीरे-धीरे पलती हैं। मैं समझता हूं कि इस कार्य का यह पक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब इस तरह का कार्य किया जाता है तो उसका वहां की जनता के मानस पर और वहां की भावी राजनीति पर क्या परिणाम होता है। जिस संविधान का, कानूनों का उल्लेख आज माननीय सदस्य कर रहे हैं, वहां की जनता उससे कितना लगाव रखेगी।

वहां पर एक विधिवत सरकार थी। उस सरकार ने वहां की परिस्थिति पर अपनी एक सलाह दी कि विधान सभा को भंग करके चुनाव हो। चुनाव के लिए स्पष्ट रूप से कहा, फिर से जनता में जाने के लिए कहा। आज हो सकता है, कई प्रश्न थे, आपकी दृष्टि से कुछ थे, उनकी दृष्टि से कुछ थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर यह सब है तो जनता तय करे। इसकी बजाय एक चीज ऐसी लायी गई जिससे सब के मन में शंका है। जो चुनाव की प्रक्रिया मुख्यमंत्री तय करने वाले थे, राष्ट्रपति शासन के द्वारा ये सब चीजें तय की जायेंगी तो वह ठीक नहीं होगा। मैं और तर्कों को नहीं दे रहा हूं कि किस का हक था, कौन गवर्नमेंट मे रहता है, कौन नहीं? यही सब आज तक होता रहा है, जिसकी कीमत आज देश को चुकानी पड़ रही है। अकाली दल की सरकार थी तो उसको डिसमिस कर दिया, कश्मीर

में कोई जीतता है तो बैलेट बाक्स में हिकमत कर दिया। हक की राजनीति छोड़ कर जब हिकमत की राजनीति होती है तो वह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसको समझना चाहिए। इसीलिए जार्ज फर्नान्डीज और दूसरे लोगों ने यह कहा कि अब भी सुधार लाओ, दलों के लिए नहीं, इस देश की एकता के लिए सुधार लाओ। एक विश्वास का बिन्दु बनाइए और इसको कायम रखिए। यह आपकी जिम्मेदारी है कि विश्वास बना रहे। इसको देखकर आप फैसला करिए, अहम पर न बैठे रहिए, यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूं।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्भाग्यवश, यह बहस एक गलत धारणा के आधार पर चल रही है कि यह सरकार वहां के राज्यपाल से नाराज है क्योंकि उन्होंने विधान-सभा भंग करने में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं प्राप्त की। ऐसा सोचना सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करना आवश्यक समझा गया हो। अनुच्छेद 174(1) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्राप्त प्राधिकार पर किसी ने प्रश्नचिह्न नहीं लगाया है। यह तो बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन हम दो अन्य पहलुओं को भी देखना होगा। एक तो उस राज्य में विद्यमान वस्तुस्थिति और दूसरे अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस प्रकार किया गया। अनुच्छेद 174(1) और अनुच्छेद 356 में अन्तर भी है। अनुच्छेद 356 की अपनी स्थिति है और इसका अलग स्थान है, जिस पर मैं इस क्षण बहस करना आवश्यक नहीं समझता हूं।

मार्च, 1989 में, नागालैंड में चुनाव सम्पन्न होने के समय वहां की विधान-सभा में सदस्यों की संख्या साठ थी। चुनाव सम्पन्न होने के बाद कांग्रेस को 36 स्थान प्राप्त हुए और एन० पी० सी० को 24। कुछ महीनों के बाद भारतीय राजनीतिक स्थिति के दृश्य में एक बदलाव आया और कुछ घटनाएं तेजी से घटीं। 36 सदस्यों में से 15 सदस्यों को दो विभिन्न अवसरों पर विधान-सभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य करार दे देने से वह पार्टी अल्पमत में आ गयी और 24 सदस्यीय संख्या वाली पार्टी बहुमत में। तदनुसार उसने अपनी सरकार बना ली। मैं केवल तथ्य बयान कर रहा हूं। ता, 24 सदस्यीय पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त हो गया। सरकार चलती रही। उस सरकार के कार्य-भार संभालने के बाद हमने उसकी किसी भी गतिविधि एवं कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमने राज्य सरकार को यथा-संभव सहयोग दिया है बगैर किसी भेदभाव के कि कौनसी पार्टी सरकार में है, कौनसी नहीं। हमारा दृष्टिकोण कभी ऐसा नहीं रहा। जब वहां के राज्यपाल ने अनुच्छेद 174(1) के अन्तर्गत राज्य विधान-सभा को भंग करने के बाद हमारे पास अपना संदेश भेजा···

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : यह अनुच्छेद 174(1) न होकर अनुच्छेद 174(2)(ख) है।

श्री एम०एम० जैकब : हां, यह अनुच्छेद 174(2)(ख) ही है। पहला भाग सभा स्थगन करने से सम्बन्धित है और दूसरा विधान-सभा को भंग करने से। आडवाणी जी को इस स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। हमें बाद में सूचित किया गया। साथ ही हमें यह भी सूचना मिली है कि चार मंत्रियों ने मुख्य मन्त्री का साथ छोड़ दिया है।

इसके साथ ही एक और सूचना आती है कि मुख्यमंत्री द्वारा पांच मन्त्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है और राज्यपाल की रिपोर्ट पहुंचती है। राज्यपाल की रिपोर्ट में प्रारम्भ में ही वह कहते हैं : "मैं राज्य विधान सभा को बर्खास्त करने के लिए विवश हूं क्योंकि सदस्यों के बीच कोई स्थिरता नहीं है।" यह एक कारण है। वह दूसरा कारण यह देते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति छिन्न-भिन्न है। इस राज्य में देशद्रोही ही गतिविधियां प्रचुरता में हैं। अधिकांश पूर्वोत्तर राज्य देशद्रोह के कारण उत्पन्न कठिनाइयों में तभी से संतप्त हैं, जब से नागालैंड में विद्रोही गुट उत्पन्न हुआ और यहीं इसका विकास हुआ अर्थात एन०एस०सी०एन० बना है। नागालैंड में आधारित और बांग्लादेश में स्थित एन०एस० सी०एन० द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्थिति को पूरी तरह जानते हुए राज्यपाल कहते हैं कि वह कानून और व्यवस्था की स्थिति से खुश नहीं हैं। वह पुनः कहते हैं : "वे मन्त्री तथा विधायक एक उद्देश्य-पूर्ण प्रशासन नहीं चला सकते जो दबाव डाल रहे हैं···(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मेरा व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न है। माननीय मंत्री ने रिपोर्ट में से उद्धृत किया है। मैं कहूंगा कि नियमों के तहत इसे सभा पटल पर रखा जाए··· ···(व्यवधान)

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, मैं रिपोर्ट में से उद्धृत नहीं कर रहा, मैं तो केवल मुख्य बातें बता रहा हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उल्लेख और उद्धरण अलग-अलग बातें हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप रिपोर्ट को सभा पटल पर क्यों नहीं रख देते ?··· ···(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मुझे व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न करना है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह किस पत्र से उद्धृत कर रहे हैं। क्या वह राज्यपाल की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहे ? यदि वह राज्यपाल की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहे हैं तो इसे सभा पटल पर रखा जाए।

श्री एम०एम० जैकब : मैं राज्यपाल की रिपोर्ट से उद्धृत नहीं कर रहा। मैं तो रिपोर्ट की मुख्य बातें बता रहा हूं··· (व्यवधान)

श्री आर्स्कर फर्नान्डीज : महोदय, यदि मन्त्री महोदय एक क्षण के लिए मान लें।

[हिन्दी]

अभी आपने यह बात यहां पर कही कि 1989 में चुनाव हुए, 60 लोगों की असेम्बली थी, 36 कांग्रेस के आए, 24 नागा पीपुल्स काउन्सिल के आए। स्पीकर ने 15 लोगों को सस्पैण्ड किया। अध्यक्ष जी, यह जो तथ्य यहां पर रखे गए, यह तथ्य नहीं हैं। चूंकि अगर सरकार उनकी बनी थी तो उनके सदस्यों को सस्पैण्ड करने की कोई बात नहीं थी और इसलिए इसमें कोई तथ्य नहीं है। नम्बर दो—आज असेम्बली में जो स्थिति है, वह यह है, बर्खास्तगी के पहले जो स्थित थी, 24 सत्ताधारी दल के थे, 19 कांग्रेस के। जो सस्पैण्ड हुए मैम्बर्स हैं, उसमें 5 कांग्रेस के और 10 सत्ताधारी दल के और दो··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, वह सभा को गुमराह कर रहे हैं ··· (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए मैं गृह मन्त्री से कहता हूं कि वहां थोड़ा और स्पष्ट करें क्योंकि साठ सदस्यों की विधान सभा में आपके 36 कांग्रेसी निर्वाचित हुए थे। आपका अपना अध्यक्ष था। श्री वामूजो के नेतृत्व में 24 सदस्यों का विपक्ष था। फिर आप ऐसी स्थिति में आ गए जिस पर मैं यहां पर चर्चा करना नहीं चाहता। लेकिन आज इस मामले का तथ्य यह है कि विधान सभा में कांग्रेस के उन्नीस सदस्य थे, कांग्रेस के पांच सदस्य निलम्बित थे, एन० पी० सी० अर्थात सत्ताधारी पार्टी के दस सदस्य निलम्बित थे। दो सदस्य असंबद्ध थे और सत्ताधारी पार्टी के 24 सदस्य थे। मन्त्री महोदय यहां पर जो तथ्य बता रहे हैं वह वास्तविक स्थिति से एकदम भिन्न हैं।

श्री एम०एम० जैकब : महोदय, यह सही नहीं है। श्री जार्ज फर्नान्डीज यह अच्छी तरह जानते हैं मैंने शुरू में ही कहा था कि साठ सदस्यों की विधान सभा में 36 कांग्रेस सदस्य और 24 एन०पी० सी० के सदस्य हैं; और यह वास्तविकता है; कल्पना नहीं है। लेकिन वे कहां से दलबदल कर गए और कहां से नहीं, यह श्री जार्ज जानते है। वह स्वयं जानते हैं कि मौजूदा विधान सभा में उनसठ सदस्य कभी न कभी मन्त्री रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान नागालैंड में तीन सरकारें बनी। वह यह अच्छी तरह जानते हैं। वह जानते हैं कि एम०पी०सी० से कांग्रेस में और कांग्रेस से एन०पी०सी० में कितने सदस्य दलबदल कर गए। मुझे श्री जार्ज फर्नान्डीज को इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह पूर्वोत्तर में दलबदल से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए वह तथ्य जानते हैं।

महोदय, मैं अपका समय नहीं लेना चाहता। कम से कम मैं स्वयं अपने वक्तव्य को एक सच्चा वक्तव्य मानता हूं। अनुच्छेद 356 लागू करने हेतु संवैधानिक व्यवस्था का टूटना एक आवश्यकता है और यह स्थिति वहां पर मौजूद थी इसीलिए अनुच्छेद 356 लागू होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर संवैधानिक व्यवस्था टूट गई थी। इसी कारण मैंने कहा है। राज्यपाल ने हमें सूचित किया कि सरकार में स्थिरता नहीं है। अस्थिरता है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप नाराज हैं। (व्यवधान)

श्री एम०एम० जैकब : बिल्कुल नहीं। मैं राज्यपाल पर अप्रसन्न नहीं हूं। वास्तव में राज्यपाल तो मेरे राज्य से हैं। मैं उन्हें जानता हूं। इस बारे में अप्रसन्नता की कोई बात नहीं है। यह अप्रसन्नता नहीं है···

श्री पी०सी० थामस : उन्हें वास्तव में इस पर महसूस करना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको खड़े होकर यह कहना क्यों जरूरी है? यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

श्री एम०एम० जैकब : राज्यपाल महसूस करते हैं···**(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : आपने उस राज्यपाल को पुरस्कृत किया था जिन्होंने ऐसी सरकार को बर्खास्त किया था जिसे बहुमत प्राप्त था और उन्होंने 1984 में आन्ध्र प्रदेश में एक कठपुतली सरकार को स्थापित किया था। इसे मत भूलिए।

श्री एम०एम० जैकब : मैं इस समय आन्ध्र प्रदेश के बारे में नहीं बोल रहा। **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : वह राज्यपाल आपके महाननेता थे। इसे मत भूलिए।

(व्यवधान)

श्री एम०एम० जैकब : मैं इस समय आन्ध्र प्रदेश के बारे में नहीं बोल रहा हूं। **(व्यवधान)** मैंने पहला मुद्दा वहां पर अस्थिरता का बताया है। राज्यपाल ने यह माना है और इसकी रिपोर्ट की है। दूसरा मुद्दा यह है कि राज्यपाल महसूस करते हैं कि मन्त्रियों द्वारा कोई सार्थक प्रशासन नहीं चलाया जा रहा और विधायक लाभकारी पदों को प्राप्त करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तीसरा मुद्दा यह है कि सरकार ने कानून और व्यवस्था की उपेक्षा की है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम नहीं जानते कि वह कहां से उद्धृत कर रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल की रिपोर्ट को सभा के सम्मुख रखा जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : वह इसे सभा-पटल पर रखें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब उद्धरण किया जाता है तो यह उद्धरण-चिन्ह के अन्तर्गत होता है। वह इसका उल्लेख कर रहे हैं। आप इस पर शिकायत नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या उनके पास रिपोर्ट है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हां। उनके पास राज्यपाल की रिपोर्ट है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह इसे सभापटल पर रखें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए कह सकते है ! यह भिन्न मामला है।

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : राज्यपाल की रिपोर्ट इस सभा को उपलब्ध कराई जाए। आप इसे उपलब्ध कराए। राज्यपाल की रिपोर्ट से चयनात्मक आधार पर उद्धृत मत कीजिए। (**व्यवधान**) वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। वह राज्यपाल की रिपोर्ट का चुनिंदा उपयोग कर रहे है।

श्री वसुदेव आचार्य : इसे सभा पटल पर रखा जाए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। आचार्य जी, जब मैं खड़ा हूं तब आप पुनः खड़े हो रहे है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो मुद्दे उठाए है मन्त्री महोदय उनका उत्तर दे रहे हैं। अन्त में यदि आप एक या दो स्पष्टीकरण चाहें तो मैं एक या दो सदस्यों को अनुमति द दूंगा। लेकिन उन्हें इस प्रकार बीच में मत टोकिए।

(**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, मुझे व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न करना है। माननीय मन्त्री राज्यपाल की रिपोर्ट से कुछ उद्धृत कर रहे हैं। अगर यह राज्यपाल की रिपोर्ट से है तो इसे सभा पटल पर रखें। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं जानना चाहता हू कि क्या वह राज्यपाल की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहे है, या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे है। वह रिपोर्ट से उद्धृत नहीं कर रहे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वह उद्धृत नही कर रहे ?

अध्यक्ष महोदय : वह रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे है।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय मुझे व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न करना है। मैं

आपका विनिर्णय चाहता हूं। माननीय मन्त्री राज्यपाल की रिपोर्ट से उद्धृत नहीं कर रहे। क्या वह रिपोर्ट से शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में पहले ही निर्णय दे चुका हूं। यदि आप चाहते हैं तो मैं सम्बन्धित नियम पढ़ता हूं।

लोक सभा में कार्यवाही की प्रक्रिया और संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 368 में कहा गया है, मैं उद्धृत करता हूं :

"यदि कोई मन्त्री सभा में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राजपत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा :

परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मन्त्री ऐसे स्वरूप का बताए कि उसका पेश किया जाना लोकहित के प्रतिकूल होगा :

परन्तु यह और भी कि जब मन्त्री ऐसे प्रेषण-पत्र या राजपत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे तो संगतपत्रों को पटल पर रखना आवश्यक नहीं होगा। इसका मतलब है कि वह उल्लेख कर रहे हैं।"

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वह उद्धृत कर रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको उद्धरण और उल्लेख करने का मतलब कैसे स्पष्ट करूं ?

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, नियमों की सही तरह से व्याख्या नहीं की गई है। आपने कहा है कि पहला दायित्व यह है कि जब वह एक विवरण से उद्धृत कर रहे हैं तो वह यह पत्र सभा पटल पर रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उद्धरण और उल्लेख भिन्न-भिन्न बातें हैं।

श्री अमल दत्त : दूसरा पक्ष यह है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय दे चुका हूं और यह अन्तिम है। यह आवश्यक नहीं कि इसे दोहराया जाए।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि मांग करने पर उन्हें इसे सभा पटल पर रखना होगा। क्योंकि हम मांग कर रहे हैं इसलिए उन्हें पत्र सभा पटल पर रखने होंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप माग कर सकते हैं। लेकिन आप यह मत कहिए कि यह बात नियमों में है। यदि आप चाहें तो माग कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : मैं श्री आचार्य को यह दिखा सकता हूं कि मैंने यह उद्धरण कहा से लिया है। वास्तव में यह मेरी अपनी ही पुस्तक में मेरे द्वारा लिखा गया नोट है किया गया '। मैं क्या करूंगा ? (**व्यवधान**) मैं उन्हें दिखा सकता हूं। (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : वह राज्य सरकार के किसी दस्तावेज से अपने हाथ की लिखावट में नकल कर सकते है और यहा आ सकते है और फिर ये इनके पास नही है ···(**व्यवधान**)। आप क्या बात कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस नियम के पीछे सारी दलील यही है। अपने कक्ष में, मैं आपके लिए दूसरी व्याख्या करूगा।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, उस प्रख्यापन तथा राज्यपाल की रिपोर्ट की प्रति-लिपि, कार्य कोई है तो, आखिरकार जनता के सामने रखना ही होगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए कह सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता कि क्या वह अभी ऐसा करेंगे अथवा नही करेंगे। मालूम नहीं वह इससे उद्धृत भी कर रहे हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग बात है। यदि आप इसकी माग करते है, और वे इसे स्वीकार करते हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि यह राज्यपाल की रिपोर्ट है, तो इसकी सार्वजनिक तौर पर जानकारी देनी होगी, इसे गुप्त नहीं रखा जा सकता।

श्री एम० एम० जैकब : सरकार का इरादा किसी चीज को छिपाने का नहीं है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक मन्त्री नकल करेगा···(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : भाई, आप बिना वजह के ही डिस्कशन करके इसको डिटेल कर रहे हैं। (**व्यवधान**) आप अच्छे डिस्कशन को डिटेल कर दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, इस मामले में सरकार का इरादा सरकार की किसी रिपोर्ट का छिपाने का कोई नहीं है। लेकिन कृपया मुझे ध्यान से सुनें। आखिरकार मैं भी तो बिना कोई शोर-शराबा किए बड़े ही ध्यान से आपकी बात सुन रहा हूं। मैं कभी कोई व्यवधान भी पैदा नहीं करता।

महोदय, बात केवल इतनी है कि आमतौर पर इस तरह की रिपोर्ट सभा के सामने प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। (व्यवधान) मेरे विचार से जब तक हम स्पष्ट तौर पर अनुच्छेद 356 को प्रभावी न करें, तब तक इस तरह की रिपोर्ट आमतौर पर प्रस्तुत नहीं की जाती है और फिर कुछ मामलों में राज्यपाल की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। मैं इसे कोई प्रथा नहीं बनाना चाहता परन्तु मैं पूरी रिपोर्ट आपको दिखा सकता हूं और यदि आप इसे विपक्षी नेताओं को दिखाना चाहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो केवल सरकार को परम्परा के उल्लंघन से होने वाली परेशानी से बचाने का प्रयास कर रहा हूं; मेरे लिए यह बहुत ही कठिन है कि सरकार की तमाम रिपोर्टें तत्काल ही यहां प्रस्तुत करूं। वैसे आपके कक्ष में मैं इसमें आपको यह दिखाने देने के लिए तैयार हूं। आप विपक्षी नेताओं को आमंत्रित कर सकते हैं कि··· (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : मन्त्री जी इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कि, शायद किसी अनोखी दुनिया (वंडरलेंड) से आए हों।

श्री एम० एम० जैकब : यह राज्यपाल की रिपोर्ट नहीं है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, राज्यपाल की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना नियमानुकूल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नियम दिखाएं। मैं इस पर कार्रवाही करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह नियमाधीन है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नियम दिखाएं।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : महोदय, क्या वह किसी निजी पत्र का हवाला दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एम० एम० जैकब : जो कुछ मैंने पहले कहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए, राज्यपाल के संदेश, राज्य के वर्तमान परिदृश्य और पूर्वोत्तर में दिन-प्रतिदिन बढ़ रही अराजकता से यह निष्कर्ष निकलता है कि··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

श्री एम० एम० जैकब : यह भी इसी का ही एक हिस्सा है। इन सभी बातों को देखते हुए अनुच्छेद 356 को प्रभावी करना बिलकुल सही है और यह सरकार का अधिकार भी है। आप यह कहकर मुझे अपने कर्त्तव्यों को पूरा न करने का दोष दे सकते थे कि 'जब राज्यपाल की रिपोर्ट और राज्य से इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है तो तत्काल कार्रवाई नहीं की और आप देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं।' महोदय, मेरा अभिप्राय यह है कि यह कार्रवाई न करने के लिए आप मुझे दोष देते रहते। इसीलिए सरकार ने इस पर विचार किया और हमें अनुच्छेद 356 लागू करना पड़ा। मैं इस पर वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं और वक्तव्य देने के पश्चात् आपकी अनुमति से उद्घोषणा को भी सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना वक्तव्य पढ़ सकते हैं।

1.20 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

नागालैंड में राष्ट्रपति शासन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : नागालैण्ड के राज्यपाल ने दिनांक 27 मार्च, 1992 को राष्ट्रपति को सम्बोधित किए गए अपने दो पत्रों में सूचित किया था कि उन्होंने मुख्यमन्त्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत नागालैण्ड विधान सभा को भंग कर दिया तथा पुनः चुनाव होने तक मुख्यमन्त्री को पद पर बने रहने के लिए कहा गया है।

2. राज्यपाल ने यह भी उल्लेख किया है कि मुख्यमन्त्री ने नागालैण्ड विधान सभा के बजट सत्र के दौरान सदन में अपना बहुमत सिद्ध किया था और सत्तारूढ़ दल ने अपने एक उम्मीदवार को राज्य सभा के लिए चुनकर भेजा।

3. राज्यपाल ने आगे सूचित किया है कि मुख्यमन्त्री ने पुनः जनादेश प्राप्त करने के लिए कहा है क्योंकि उन पर अनेक दबाव पड़े और उन्होंने यह महसूस किया कि महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त करने के लिए दबाव डालने वाले मन्त्रियों और विधायकों के साथ सार्थक प्रशासन नहीं चलाया जा सकता है। राज्यपाल ने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रक्रिया में कानून और व्यवस्था की अवहेलना की गई।

4. केन्द्र सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट और नागालैण्ड की स्थिति पर विचार किया। राज्य में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है और कानून और व्यवस्था की अवहेलना की गई। राज्यपाल द्वारा जिन कारणों से विधान सभा को भंग किया गया था उनसे पता चलता है कि संविधान के उपबन्धों के अधीन राज्य का प्रशासन चलाना सम्भव नहीं था, जिससे कि विधान सभा का सामान्य कार्यकाल पूरा हो सके। तदनुसार, राष्ट्रपति को इस बात की सिफारिश करने का निर्णय किया गया कि संविधान के

अनुच्छेद 356 के अधीन नागालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में एक उदघोषणा जारी की जाए। राष्ट्रपति ने उक्त उदघोषणा 2 अप्रैल, 1992 को जारी कर दी है।

———

1.22 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नागालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में 2 अप्रैल, 1992 को जारी उद्घोषणा और उपर्युक्त उदघोषणा के अनुसरण में 2 अप्रैल, 1992 को दिया गया आदेश

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) नागालैण्ड राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 2 अप्रैल, 1992 को जारी उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 400(अ) में 2 अप्रैल, 1992 को प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1749/92]

(दो) उपर्युक्त उदघोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (झ) के अनुसरण मे राष्ट्रपति द्वारा 2 अप्रैल, 1992 को दिया गया आदेश, जो अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 401(अ) में प्रकाशित हुआ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1750/92]

———

1.23 म० प०

संविधान के अनुछेद 356 के अधीन नागालैंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बारे में

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, आपने सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों से सम्बन्धित नियम के बारे में बताते हुए यह कहा है कि उन्होंने केवल विवरण का हवाला दिया है और उससे उद्धरण प्रस्तुत नहीं किया है। मुझे याद है कि जब कभी भी किसी राज्य मे अनुच्छेद 356 को लागू किया गया, यद्यपि इस बारे में संविधान मे अथवा नियमों मे ऐसा कोई प्रावधान नहीं

है कि राज्यपाल की रिपोर्ट सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन कुछ समय से इस सदन में इस बारे में एक नियमित परम्परा सी बन गई है कि राज्यपाल की रिपोर्ट सभा पटल पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। यद्यपि इस बारे में कोई भी संवैधानिक बाध्यता नहीं है, फिर भी राज्यपाल की रिपोर्ट सभा पटल पर प्रस्तुत की जाती रही है और इस मामले में मेरी अपनी राय यह है कि सरकार ने राज्यपाल की रिपोर्ट में से अपनी पसन्द के कुछ अंशों को उद्धृत करके राज्यपाल की रिपोर्ट का दुरुपयोग किया है और कह दिया है कि आखिर राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। मैं नहीं सोचता कि उन्होंने इस प्रकार से कुछ कहा होगा और वास्तव में यदि सरकार ने राज्यपाल को बुलाकर उनकी राय मांगी होती अथवा परामर्श लिया होता तो उन्होंने इसका विरोध ही किया होता खासकर इसलिए कि अस्थिरता आदि की ऐसी स्थिति में, जिसका कि उल्लेख भी किया गया है, सबसे अच्छा विकल्प यही रह जाता है कि जनता के पास जाया जाए और चुनाव कराए जाएं, जिनके बारे में पहले से ही आदेश दिए जा चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार यह चाहती है कि वहां पर चुनाव आयोजित न कराए जाए। मुझे इस बारे में सरकार के इरादों की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं यह चाहता हूं कि राज्यपाल की रिपोर्ट, बिना विलम्ब, सभा पटल पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। सरकार ने जो कुछ किया है, वह अक्षम्य है और यह सभा इस बारे में किसी निर्णय पर पहुंचना चाहेगी। आखिर संवैधानिक मांग है कि इसको दो महीने भीतर अनुमोदन मिलना चाहिए। अन्यथा किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं रह जाती। सभा शीघ्र ही स्थगित होने को जा रही है और इससे पूर्व कि सभा स्थगित हो, मैं इस सभा में इस बारे में एक विस्तारित चर्चा आयोजित कराना चाहता हूं और सभा के अनुमोदन के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हूं। अतः, हम सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हैं लेकिन, सबसे पहले राज्यपाल की रिपोर्ट सभा पटल पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातें कहनी हैं। मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में जो कुछ भी कहा और सत्ताधारी दल के लोगों ने जो कुछ भी यहां कहा, उसमें और गवर्नर की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के तीन जुमले जो यहां पर रखे हैं, इसमें, जमीन आसमान का अन्तर है। अध्यक्ष जी, इनका भाषण और गवर्नर की रिपोर्ट आपने सुनी होगी, यह कहीं मिलती नहीं है। गवर्नर ने क्या किया है, 27 तारीख को दो मैसेज भेजे हैं। अध्यक्ष जी, यहां पर भाषण हुआ कि गवर्नर ने कोई सूचना नहीं दी। यह पहला झूठ साबित हो गया। बार-बार यह बात यहां पर दोहरायी गई। गवर्नर ने अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने आपको तत्काल एक नहीं, 27 तारीख को दो संदेश भेजे, यह आपने स्वयं कबूल किया।

अध्यक्ष महोदय : आप डिटेल में न जाएं। कोई खास प्वाइंट रखें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह सदन को समझना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से तो इनके स्टेटमेन्ट का रिप्लाई होगा, उसका वे फिर रिप्लाई देंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इन्होंने कहा कि गवर्नर ने लिखा है कि मैजोरिटी आफ सत्ताधारी दल हैज बिन प्रूवड । दूसरा, इन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल का कोई नुमाइन्दा राज्य सभा के लिए चुनकर आ गया और सारी हरकतों के बावजूद चुनकर आ गया। तीसरा, इन्होंने यह भी कहा कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है और उस दबाव से मैं मुक्ति चाहता हूं, इसलिए लोगों के बीच में जाकर, एक बार फिर जनता की राय लेना चाहता हूं। ये तीनों जुमले जिनको आपने यहां पर रखा, उनका जवाब आप देते हो 356 । यह किस आधार पर ?

अध्यक्ष महोदय : इनके भाषण पर आपका कमेंट और आपके भाषण पर इनका कमेंट, यह ठीक नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, इनके भाषण और गवर्नर का जो कहना है इसमें कहीं भी तालमेल नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी, नेता विरोधी दल ने यहां पर कहा, मैंने आपको इसलिए स्थगन प्रस्ताव दिया है···

अध्यक्ष महोदय : उसके ऊपर मैं डिसीजन लूंगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस मामले पर अगर सदन को 2 महीने तक राय व्यक्त करनी है तो एक चीज तो सरकार अभी कहे कि धारा 356(2) के अन्तर्गत सरकार को पूरा अधिकार है—

[अनुवाद]

ऐसी किसी भी उदघोषणा को बाद मे की गई उदघोषणा द्वारा निरस्त अथवा परिवर्तित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपकी यह मांग है। पहले भी आपने ऐसा ही कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो एक बात तो वह कहे, या तो मेरा जो स्थगन-प्रस्ताव है, उसको स्वीकार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : उसके ऊपर मैं अपनी रूलिंग दे दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा स्थगन-प्रस्ताव स्वीकार किया जाए, ताकि यह सदन सरकार की निन्दा कर सके। संविधान की जिस तरह से हत्या करने का काम किया गया है, उसका जवाब इनको देना चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया, अब बैठिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय भी दे दूंगा ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने विवरण को पढ़ा है। राज्यपाल की रिपोर्ट सम्बन्धी विवरण की एक प्रतिलिपि मेरे पास है । मुझे तो इस बात की हैरानी है कि केन्द्रीय सरकार इस नतीजे पर किस तरह पहुंची कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधान सभा की सामान्य अवधि के लिए राज्य का प्रशासन चलाए रखना असम्भव हो गया था और इसी कारण निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति महोदय से इस बात की सिफारिश की जाए कि वह अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी कर दें । राज्यपाल की रिपोर्ट में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चल सकेगा । सरकार इस निर्णय पर कैसे पहुंची ? सरकार ने कैसे यह सिफारिश की कि नागालैंड राज्य में अनुच्छेद 356 लागू कर दिया जाना चाहिए ?

यह संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है । अनुच्छेद 356 की इस उद्घोषणा के बारे में जब संविधान में इसका निरसन करने का प्रावधान है, तो इसे निरसित कर दिया जाना चाहिए ।

राज्यपाल ने संविधान के अनुसार ही कार्य किया था । उन्होंने विधान सभा में अपना बहुमत रखने वाली मन्त्री परिषद की मंत्रणा के अनुसार ही कार्य किया था ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक बहुत गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मानव संसाधन विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर पूरी तरह खुलकर बोल सकते हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य : अतः अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया जाए । (व्यवधान)

श्री रूपचन्द्रपाल (हुगली) : राज्यपाल की रिपोर्ट में विधान सभा भंग करने और अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत केन्द्रीय शासन लागू करने के बारे में कोई सिफारिश नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक स्वीकार तथ्य है। आपको इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। यह राज्यपाल ने नहीं सुझाया है।

(**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मौजूदा स्थिति में जो बात रोचक है उसके बारे में, मैं सुझाव देता हूं। राष्ट्रपति शासन लागू करने के साथ-साथ विधान सभा भंग करने के सम्बन्ध में दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि अनुच्छेद 356 के बारे में हमें किसी प्रकार का विवाद है। लेकिन जो मुद्दा अब उठता है वो यह है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 174(2)(ख) के तहत शक्तियों का प्रयोग करना उचित होगा। राज्यपाल की रिपोर्ट में यह मुद्दा है क्योंकि अनुच्छेद 356 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उत्पन्न दशाओं को एकदम स्पष्ट किया गया है। (**व्यवधान**)

क्या अन्तर है ?...(**व्यवधान**)...एक सेकिण्ड रुकें। आडवाणी जी मैं आपकी बात पर आऊंगा। क्या अन्तर है ?

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : ऐसा पता चला है कि सरकार राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 174(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से खुश नहीं है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : नहीं-नहीं मैं सम्प्रेषण न होने से खुश नहीं हूं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : यद्यपि गृह राज्य मन्त्री ने कहा है कि उन्हें राज्यपाल के कार्य के बारे में कुछ नहीं कहना है, वह उनके कार्य को अपवादस्वरूप नहीं लेते है। उन्होने संवैधानिक रूप से कार्य किया है। लेकिन माननीय मन्त्री ने अब कहा है कि उन्हें अनुच्छेद 174(2) के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या मैं एक बात कह सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रहेंगे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैं अपनी बात को ठीक करना चाहूंगा। मैंने "खुश नहीं है" शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ तथ्य प्रस्तुत किया है। यदि वे ऐसा अनुमान लगाना चाहते है तो वे ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र है लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा है कि हम खुश नहीं है। हमने कहा कि यह स्थिति है। राज्यपाल की रिपोर्ट के सम्बन्ध मे साधारणतया अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है और रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश

की जाती है, तो हम इसे सदन के पटल पर रख सकते हैं। इस समय स्थिति ऐसी नहीं है। (व्यवधान) स्थिति ऐसी नहीं है। जैसाकि मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूं कि स्थिति ऐसी नहीं है। सिफारिश न करने के अलावा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ किया है। यह माननीय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है।···(व्यवधान)···यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप सुनिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हम इस कार्यवाही से बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : सरकार की कार्यवाही का सदन द्वारा मूल्यांकन किए जाने के लिए हमने एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के लिए कहा था लेकिन सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैंने मना नहीं किया।···(व्यवधान)···आप मेरी बात सुनिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आप मेरी बात सुनिए। मैं रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं।··· (व्यवधान)···मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या किया जाए। वह क्या कह रहे हैं?···(व्यवधान)···

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : आप यहीं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।···(व्यवधान)···

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या आप उनसे बैठ जाने का अनुरोध करेंगे?···(व्यवधान)··· मैं इसे स्पष्ट करता हूं। सरकार को रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम अध्यक्ष के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह इस मुद्दे पर पूर्वोदाहरण का मामला है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इससे मुद्दा हल नहीं हो जाता। बात यह है कि हम सन्तुष्ट नहीं हैं।··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैं आप में से किसी की भी बात नहीं सुन पा रहा हूं। क्या आप लोग एक-एक करके बोल सकते हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम दिए गए स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं हैं।

श्री पी० सी० थामस (त्रिचूर) : उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं। मैंने इसे प्रस्तुत कर दिया है। अच्छा हुआ कि वह मान गए।···(व्यवधान)···उनके वक्तव्य में सभी तरह के विरोधाभास हैं। वह कहते हैं कि राज्यपाल ने अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सिफारिश की है।

अध्यक्ष महोदय : आपको उनके उत्तर देने से पहले बोलना चाहिए था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 356 को लागू करने का यही आधार था। इस प्रकार उन्होंने राज्यपाल की कार्यवाही पर कैसे नाराजगी प्रदर्शित की है। यह बात स्पष्ट है। बात यह है कि वह इस कार्रवाई से नागालैंड में विद्रोह की स्थिति को गम्भीर बना रहे हैं। हम इस सदन में बैठे रहकर इस स्थिति को सहन नहीं कर सकते हैं। हम इसका पूर्ण विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें इस पर बहिर्गमन करना चाहिए। हम इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप राज्यपाल की रिपोर्ट सभा पटल पर रख रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : राज्यपाल ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश नहीं की थी। वह केवल ऐसा राज्यपाल चाहते हैं। जो रबड़ की मोहर हो। हम बहिर्गमन करते हैं।...(व्यवधान)...

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे साथी ने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।...(व्यवधान)...

श्री ए० चार्ल्स : वे सदन से बहिर्गमन की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन वे यहीं बैठे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह संविधान का उल्लंघन है।...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन सिंह : मुझे कुछ कहने की अनुमति दी जाए। मैं जो कुछ पहले ही कहा जा चुका है उसमें कुछ नहीं जोड़ रहा हूं...(व्यवधान)...कृपया मुझे दो मिनट का समय दें। मैं निश्चित रूप से ये जानना चाहता हूं कि यदि संविधान में ऐसा करने की मनाही हो, तो स्थिति क्या होगी ? यदि यह सत्य है और यदि राज्यपाल कहीं राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश नहीं करता है तो यह एक स्थिति है। यदि संविधान राष्ट्रपति शासन प्रख्यापित करने की अनुमति देता है तो इसके दो तरीके हैं पहला राज्यपाल की सिफारिशों से और दूसरा अन्य परिस्थितियों में।...(व्यवधान)...

श्री बसुदेव आचार्य : राजनीतिक परिस्थितियां ?...(व्यवधान)...

श्री अर्जुन सिंह : कृपया मेरी बात सुनिए। यदि आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?...(व्यवधान)...

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : 'अन्यथा' खंड को लागू करने का प्रयास न करें। आप 'अन्यथा' खंड को लागू कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : कृपया मेरी बात सुनिए (व्यवधान) संक्षेप मे मुद्दा यह है कि माननीय

राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी है। यह मामला उनके क्षेत्राधिकार का है। इस बारे में कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। हम इस बारे में अप्रसन्न नहीं हैं। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप मानते हैं कि उन्होंने ठीक किया है।

श्री अर्जुन सिंह : उन्होंने जो किया उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने यह कहा कि उनके पास अधिकार है और वह ऐसा कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। संक्षेप में बात यह है कि राज्यपाल द्वारा केन्द्र सरकार के ध्यान में जो परिस्थितियां लाई गयीं, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार; उनके आधार पर अन्य कारणों से अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है। भारत सरकार ने उसी अधिकार का उपयोग किया है। मेरे विचार से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम इसका विरोध करते हैं। यह संविधान का उल्लंघन है। यह असंवैधानिक है (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : हम इस निर्णय को गलत मानते हैं, सदन की भावना के खिलाफ मानते हैं। धारा 356 का दुरुपयोग लगातार 46 वर्षों से होता रहा है। यह एक नया उदाहरण है। धारा 356 का दुरुपयोग किया और यह पहला उदाहरण होगा जहां पर केन्द्रीय सरकार की इच्छा न होते हुए भी केन्द्रीय सरकार ने धारा 356 का उपयोग किया है। हम इसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं और वाकआउट करते हैं।

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादियों में सहयोग हो रहा है। बहुत हैरानी की बात है। (व्यवधान)

1.39 म०प०

[इस समय श्री लालकृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[अनुवाद]

1.40 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ वर्ष 1991-92 का समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, श्री शरद पवार की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मन्त्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1735/92]

(2) हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मन्त्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1736/92]

भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : महोदय, श्री पी० चिदम्बरम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1737/92]

(3) (एक) कॉफी बोर्ड के वर्ष 990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॉफी बोर्ड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3, में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1738/92]

[हिन्दी]

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा समीक्षा, आदि

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1739/92]

(3) (एक) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1740/92]

[अनुवाद]

कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखे और लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : महोदय, श्री जगदीश टाईटलर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 193 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओ की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कांडला पत्तन न्याम के वर्ष 1990-91 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1741/92]

(3) भारतीय पोत परिवहन निगम और जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1742/92]

(4) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1743/92]

आयकर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम, 1957 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 336, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद, हैदराबाद को कर निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का०आ० 337, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत रक्षा और सुरक्षा राहत कोष, हरियाणा को कर निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का०आ० 338, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत बाम्बे पंजरपोल, बाम्बे को अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का०आ० 339, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "ऑल बंगाल वूमैन्स यूनियन, कलकत्ता" को कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(पांच) का०आ० 340, जो 1 फरवरी, 1992 के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि गुजरात रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता" को अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 और 1992-93 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का०आ० 341, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "आत्म वल्लभ समाज, उत्कर्ष ट्रस्ट, मुम्बई" को अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का०आ० 342, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "देव रक्षा निधि ट्रस्ट, मद्रास" को अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर

निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का०आ० 343, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर" को अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का०आ० 344, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "टाटा एग्रीकल्चरल एण्ड रूरल ट्रेनिंग सेन्टर फार दि ब्लाइन्ड, मुम्बई" को अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का०आ० 345, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "इण्डियन नेशनल थियेटर, मुम्बई" को अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का०आ० 346, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "टी० टी० रंगानाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउन्डेशन, मद्रास" को कर निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का०आ० 347, जो 1 फरवरी, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक समिति, अहमदाबाद" को अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का०आ० 348, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "महाराष्ट्र राज्य महिला परिषद, मुम्बई" को अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का०आ० 349, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत

"भारतीय परिवार नियोजन संघ, मुम्बई" की अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का०आ० 350, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "अखिल भारतीय पिंगलवाड़ा समिति (पंजी०), अमृतसर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का०आ० 351, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "भगिनि समाज, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का०आ० 352, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "कृष्णामूर्ति फाउण्डेशन इण्डिया, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठारह) का०आ० 353, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का०आ० 354, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि, पुणे" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का०आ० 355, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "श्री नासिक पंचवटी पंजरपोल, नासिक" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का०आ० 356, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "ज्ञान

प्रबोधिनी संशोधन संस्था, पुणे" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 19 3-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का०आ० 357, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "चाइल्ड रिलीफ एण्ड यू, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का०आ० 358, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "मंचेरजी नौरोजी बानाजी इण्डस्ट्रियल होम फार दि ब्लाइण्ड, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का०आ० 359, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "जयप्रकाश इंस्टीच्यूट आफ सोशल चेंज, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का०आ० 360, जो 1 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दि सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान, वर्धा" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1992 जो 9 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 194(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1744/92]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 307(अ) जो 4 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 मार्च, 1979 तथा 30 जून, 1988 की अधिसूचना संख्या क्रमश: 64/79-सी०शु० तथा 213/88-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 309(अ) जो 5 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 159/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 316(अ) जो 9 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या 203/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 321(अ) जो 10 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय विनिर्देशों के अनुरूप पूरी तरह जले मैगनी-शिया पर 65% की दर पर मूल सीमा शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 326(अ) जो 11 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1992 की अधिसूचना संख्या 127/92-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 136(अ) से सा०का०नि० 250(अ) तक जो 1 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 29 फरवरी, 1992 को लोक सभा में वित्त मन्त्री द्वारा घोषित किए गए अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में बजट प्रस्तावों के बारे मे सीमा शुल्क में परिवर्तन तथा छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का०आ० 156(अ) जो 26 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का०आ० 188(अ) जो 6 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्रा में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का०आ० 189(अ) जो 6 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्रा में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1745/92]

(3) केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा०का०नि० 251(अ) से सा०का०नि० 340(अ) तक जो 1 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 29 फरवरी, 1992 को लोक सभा में वित्त मन्त्री द्वारा घोषित किए गए अप्रत्यक्ष करों के बारे में बजट प्रस्तावों के बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन करने तथा छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1992 जो 18 फरवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 106(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा०का०नि० 319(अ) जो 10 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मई, 1988 की अधिसूचना संख्या 202/88-के० उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 320(अ) जो 10 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जून, 1988 की अधिसूचना संख्या 223/88-के० उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1746/92]

ओवरसीज कन्सट्रेक्शन काउन्सिल आफ इण्डिया मुम्बई का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) ओवरसीज कन्सट्रेक्शन काउन्सिल आफ इण्डिया, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओवरसीज कंस्ट्रेक्शन काउन्सिल आफ इण्डिया, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1747/92]

———

1.40 म०प०

विधायकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 25 फरवरी, 1992 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित नौ विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1992

(2) विनियोग (रेल) विधेयक, 1992

(3) विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1992

(4) विनियोग विधेयक, 1992

(5) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992

(6) मणिपुर विनियोग विधेयक, 1992

(7) मणिपुर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992

(8) जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 1992

(9) जम्मू-कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1992

1.41 म०प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 1 अप्रैल, 1992 को हुई बैठक में, लोक सभा द्वारा 30 मार्च, 1992 को पारित किए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड विधेयक, 1992 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 31 मार्च, 199. की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा

को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

———

1.41½ म०प०

लोक लेखा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : महोदय, मैं निधियों की अवरुद्धता-बेकार पड़े उपस्कर सम्बन्धी लोक लेखा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर वॉक-आउट कर रहा हूं।

1.42 म० प०

[इस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी सभा भवन से बाहर चले गए।]

1.42½ म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नए भाग 11क का अन्तःस्थापन और बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) सम्बन्धी संयुक्त समिति

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा से श्रीमती बिजया चक्रवर्ती की सेवा-निवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के लिए संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1991 (नए भाग 11क का अन्तःस्थापन और बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के एक सदस्य की नियुक्ति करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा से श्रीमती बिजया चक्रवर्ती की सेवा-निवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के लिए संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) विधेयक 1991 (नए भाग 11क का अन्तःस्थापन और बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना) सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के एक सदस्य की नियुक्ति करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.42½ म० प०

[अनुवाद]

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक*

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में आयात को सुगम बनाकर और भारत से निर्यात का संवर्धन करके विदेशी व्यापार का विकास और विनियमन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में आयात को सुगम बनाकर और भारत से निर्यात का संवर्धन करके विदेशी व्यापार का विकास और विनियमन करने और उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सलमान खुर्शीद : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

1.43 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु में चिदम्बरम तालुक और नेलीकुप्पम स्थित कारखानों के बहिःस्राव से उत्पन्न पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता

श्री पी० पी० कालियापेरूमल (कुड्डालोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के

*दिनांक 3-4-92 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

अनुच्छेद 51क की धारा (छ) के अन्तर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना मौलिक कर्तव्यों में से एक है। चर्मशोधनशालाओं, पेपर मिलों, पैट्रो-रसायन तथा उर्वरक कम्पलेक्स, रबर कारखानों तथा चीनी कारखानों से नदियों तथा वायु में औद्योगिक बहिःस्राव से काफी नुकसान हो रहा है।

एम० आर० के० कोआपरेटिव चीनी कारखाना, जोकि तमिलनाडु में चिदम्बरम तालुक में वेल्लार नदी के किनारे स्थित है, अपना बहिःस्राव वेल्लार नदी में बहाता है जिससे वहां के लोगों, जानवरों तथा वेल्लार नदी के जलचरों के जीवन को भारी नुकसान पहुंचता है।

तमिलनाडु में साउथ आरकोट जिले में नेलीकुप्पम में स्थित ई० आई० डी० पैरी लिमिटेड चीनी कारखाना अपना हानिकारक बहिःस्राव वायु तथा सिंचाई की नहरों में बहाता है। कारखानों के बहिःस्राव—कोयले की राख को वायु में छोड़ा जाता है जोकि नेल्लीकुप्पम नगरपालिका क्षेत्र के आस-पास रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचाता है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे सम्बन्धित वैधानिक प्राधिकारियों को निर्देश दें कि वे नेलीकुप्पम तथा सेठियाथोपे चीनी के कारखाने जोकि लोगों के जीवन को खतरा पहुंचा रहे हैं, में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र उपलब्ध करवाएं।

(दो) बिहार के पाली गुमारी रेल फाटक पर एक उपरि-पुल का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के अन्तर्गत डालमिया नगर और डिहरी ओन सोन शहर जिला रोहतास में है। यह बिहार राज्य का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है। यहां भारत प्रसिद्ध रोहतास उद्योग क्षेत्र है, जिसमें लगभग 15,000 मजदूर कार्य करते हैं। डिहरी ओन सोन भी एक प्रसिद्ध व्यावसायिक शहर है। यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग खरीद बिक्री करने आते हैं। यहां कई एक महाविद्यालय व स्कूल हैं। यहां जिला स्तर के कई एक सरकारी कार्यालय हैं। डिहरी से पटना, रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, गया आदि शहरों के लिए सैकड़ों बसें चलती हैं। इन दोनों शहरों के बीचोबीच रेलवे लाइन गुजरती है। इस पर सघन माल पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ियां चलती हैं। उक्त रेलवे लाइन को डिहरी पटना विक्रमगंज की सड़क पाली गुमरी पर क्रास करती हैं। उक्त क्रासिंग घंटों बन्द रहा करती है। फलस्वरूप यहां क्रास करने वाली बसों को घण्टों रुकना पड़ता है। इस क्रम में रिक्शा और आने-जाने वाले लोगों को भी रुकना पड़ता है। फलस्वरूप कभी-कभी तो भयंकर दुर्घटना भी हो जाया करती है। जनता की उक्त कठिनाइयों को देखकर बिहार सरकार ने उक्त रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि ओवर ब्रिज बनाने के लिए अविलम्ब उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए।

(तीन) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्रीय संचार मन्त्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद की टेलीफोन व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां टेलीफोन उपभोक्ता आए दिन परेशान रहते हैं। महोदय, औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक बड़ा औद्योगिक केन्द्र होने के साथ पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्षेत्र में वालुज और चिकलठाणा जैसे उद्योग प्रधान क्षेत्र भी आते हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 1200 नए टेलीफोन कनेक्शन हमें चाहिए लेकिन कुल 350-400 तक ही नए टेलीफोन हम पाते हैं। आवश्यक सेवाओं के नम्बर प्रायः खराब रहते हैं। निजी टेलीफोन भी या तो खराब रहते हैं या गलत मिल जाते हैं। उपभोक्ताओं के बिल भी गलत आते हैं। मेरी मांग है कि औरंगाबाद के स्ट्राजर टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में अविलम्ब बदला जाए, फिजूलखर्ची रोकी जाए और नए केबल बिछाकर नए टेलीफोन लगाने की गति बढ़ाई जाए तथा देखभाल की व्यवस्था ठीक करके राहत और सुविधा प्रदान की जाए।

(चार) गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के सूखा-पीड़ितों को राहत देने के लिए गुजरात राज्य सरकार को केन्द्रीय निधि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : अध्यक्ष महोदय, आजकल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भयंकर सूखा की परिस्थिति उत्पन्न है जिसमें मेरे जामनगर संसदीय क्षेत्र में तो अति भयंकर एवं विकराल समस्या है जिसकी वजह से खेती, उद्योग एवं व्यापार पर बहुत बुरा असर है।

किसान तो धरती का धरोहर माना जाता है लेकिन आज सौराष्ट्र में परिस्थिति यह है कि 100 (सौ) बीघे जमीन वाला किसान भी भयंकर सूखे की वजह से मजदूरी करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है ताकि अपना गुजारा चला सके वरना भूखे मरने तक की नौबत आ गई है। जानवर को खिलाने के लिए अब घास चारा नहीं रहा जिसकी वजह से जानवर मर रहे हैं और पीने का पानी अब मिल नहीं रहा। जामनगर क्षेत्र के करीब 684 गांवों में से 550 गांवों में टैंकर से पानी पहुंचाने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।

स्कूल कालेज के विद्यार्थियों की पढ़ाई छूट रही है और विद्यार्थी मजदूरी करने को तैयार हैं।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सूखे से निपटने के लिए उचित धनराशि दी जाए ताकि पीने के पानी की कायमी योजना बनायी जा सके तथा सूखा पीड़ितों को समुचित राहत पहुंचाई जा सके।

1.48 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.51 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.51 म० प०
पर पुनः समवेत हुई।

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93—(जारी)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय—(जारी)

सभापति महोदय : अब सदन मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा करेगा तथा उन्हें मतदान के लिए रखेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने उल्लेख किया था कि महिला तथा बाल कल्याण विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन तथा निष्पादित बजट के अनुसार तीन मुख्य विषय अर्थात 'इन्दिरा महिला योजना', अनौपचारिक क्षेत्र में स्व-रोजगार प्राप्त महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश तथा विशेषकर कि गरीब महिलाओं को लाभ देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ऋण निधि के गठन का प्रस्ताव पर या तो अन्तिम निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया में है अथवा 'सक्रिय रूप से विचाराधीन' है अथवा केवल 'विचाराधीन' है।

लेकिन एक अन्य बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है।

यदि मैं यह भी मान लूं कि इन सभी 'मुद्दों' को इस वर्ष निपटा दिया जाएगा तो मेरा प्रश्न यह है कि जो राशि आवंटित की गई है उससे वास्तव में इस परियोजना का विस्तार नहीं होगा। तो मैं यह मान लूं कि इस समस्या के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के नाम पर शुरू की गई 'इन्दिरा महिला योजना' से वास्तव में जो धन इकटठा होगा उसे बच्चों के पोषण और महिलाओं के कल्याणार्थ आवंटित किया जाएगा और सम्पूर्ण दृष्टिकोण से यही इन्दिरा योजना कहलाएगी। मेरे विचार में यदि ऐसा ही है तो वास्तव में यह दिखावा-मात्र रह जाएगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि एक सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। मैं यह महसूस करती हूं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं और उन्हें एक साथ ही होना चाहिए। लेकिन तब मुझे यह नहीं समझ में आता कि रोजगार पैदा करने के लिए आवन्टित इतनी कम राशि के साथ इन्दिरा योजना कैसे कुछ अधिक रोजगार उत्पन्न कर सकेगी ?

सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों और रोजगार कार्यक्रमों को सहायता देने के लिए, जिसके अंतर्गत महिलाओं के रोजगार की बात कही गई है, मात्र दो करोड़ पचास लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्तमान सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों में खामियां हैं। इन खामियों का जिक्र करने का हमारे पास समय नहीं है। उनमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। फिर भी यदि मैं कहूं कि कुछ परिवर्तन लाया जा

सकता है तो धन कहां है जो रोजगार के लिए बड़े स्तर पर उपलब्ध कराया जा सके क्योंकि यही ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें धन दिया जा सकता है ? यही प्रश्न है जो मेरे मन में उठ रहा है। मैं आशा करती हूं कि मन्त्री जी से मुझे इसका उत्तर मिलेगा।

फिर, मैं यह पाती हूं कि बाल कल्याण के लिए कई योजनाएं हैं जिसके लिए आबंटन में वृद्धि की गई है। उस पर मुझे खुशी है। लेकिन मुझे एक बात का खेद है। सबसे गरीब महिलाओं का क्या होगा – जो आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं, आंगनवाड़ी सेविकाएं और बालवाड़ी शिक्षिकाए तथा बालवाड़ी सेविकाएं हैं ? उनके लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है। यदि कुछ छिपा है तो मन्त्री जी बताएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। आंगनवाड़ी और बालवाड़ी के मामले में ऐसा नहीं किया गया है। यह निरन्तर चलने वाली चीज है। सदन में श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह द्वारा वादा किया गया था। बाद में, मैं इस मामले को लम्बे अर्से तक उठाती रही। लेकिन आज भी हम उसी कठिन परिस्थिति में हैं जहां पहले थे। महोदय, यह अच्छी तरह ज्ञात है कि महिलाओं का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, उन पर हो रहे अत्याचार को रोकना है और उस अत्याचार का स्वरूप बलात्कार दहेज मृत्यु आदि हो या किसी अन्य स्तर पर हो। मेरे विचार में सामाजिक क्षेत्र में हो रहे अत्याचार के लिए सबसे आवश्यक चीज है पुरुषों और स्त्रियों में चेतना जागृत करना। एक क्रियान्वयन तन्त्र है जिसे प्रभावी होना होगा और मैं भी यह वास्तव में चाहती हूं। महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि बड़ी अड़चनों के बाद यह क्रियान्वयन तंत्र, राष्ट्रीय महिला आयोग गठित किया गया लेकिन जहां तक इसके गठन का प्रश्न है मेरे विचार में यह सबसे पहले एक क्रियान्वयन है। इसे दलगत तुच्छ राजनीति से ऊपर उठना होगा और वास्तव में परिस्थितियों का सामना करना होगा। लेकिन इसका पालन नहीं हुआ है। आपके पूर्ववर्ती जिनके मन्त्रित्वकाल में इस विधेयक को पारित किया गया था, जिसमें मैंने एक संशोधन का एक प्रस्ताव यह रखा था कि अखिल भारतीय संगठन, जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी इस आयोग की सदस्यता प्रदान की जाए और उन्हें किसी भी प्रकार का भत्ता देने अथवा उन पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपना संशोधन मन्त्री जी के इस आश्वासन पर वापस ले लिया था कि इसका प्रावधान नियम में ही किया जाएगा। अत: मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या ऐसे नियमों का प्रावधान है जिसमें उक्त पहलू को शामिल किया गया है, यदि नहीं तो क्यों नहीं ? इसे शामिल किया जाना चाहिए। यदि आप वास्तव में लोगों को इस सम्बन्ध में सजग करना चाहते हैं तो एक-दो उच्च स्तरीय कैम्पों और सेमीनारों का आयोजन करने से ही काम नहीं चलेगा। यह बहुत ही आवश्यक है और मैं समझती हूं कि इस पहलू का समावेश नियम में किया जाएगा या नहीं इस पर मन्त्री जी अपनी राय प्रकट करेंगे।

महिलाओं के लिए एक और आयुक्त नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है ? यह एक सदस्यीय आयोग क्या करेगा ? यह उन्हीं कार्यों को दुहराना है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए, महोदय, मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है।

जहां तक कानूनों के पुनर्विलोकन का सम्बन्ध है, मैंने उन कानूनों को पढ़ा है जिसका पुनर्विलोकन किया जाना है। उनका पुनर्विलोकन होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूं। बच्चों के संरक्षण सम्बन्धी कानून का अवलोकन किया जाना चाहिए चूंकि मेरे अनुभव के अनुसार बच्चों को संरक्षण सम्बन्धी कानून का उपयोग महिलाओं को उसके अत्याचारी पति और ससुराल

वालों द्वारा ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता है। उस कानून पर अविलम्ब विचार किए जाने की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूं कि परिवर्तन की सूची में इसे शामिल किया जाएगा।

चूंकि मुझे अपनी बात जल्दी समाप्त करनी है इसलिए मैं बहुत सारी बातों का जिक्र नहीं करूंगी सिवाय जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रम पर कुछ कहना है। मैंने पहले ही कहा है कि जागरूकता कार्यक्रमों के लिए कुछ आवंटन छिटपुट रूप से दिए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसे एक साथ शामिल कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उच्च स्तरीय सेमीनारों के आयोजनों पर अत्यधिक धन व्यय नहीं किया जाना चाहिए। भगवान के लिए आप उच्चस्तरीय सेमीनारों, जिसमें खाने-पीने का आयोजन किया जाता है, को बन्द करें। जागरूकता कार्यक्रमों को निचले स्तर पर ले जाएं बजाय इसके कि उच्च स्तर पर अपव्यय करने के। जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है यह उसके लिए है। मैं मानव संसाधन के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी।

3.00 म० प०

यह मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के बारे में है। श्री भोगेन्द्र झा हमारे पास बैठे हैं। इसलिए मैं मैथिली को भी नहीं भुला सकती। वास्तव में मेरा यह विचार है कि नेपाली और कोंकणी भाषाओं को भी उसमें शामिल किया जाए। इन चार भाषाओं का उल्लेख मेरे द्वारा प्रस्तुत उस गैर-सरकारी विधेयक में भी है, जब मैं पहली बार संसद में आई थी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, 75 युवक और महिलाएं उस मुद्दे पर आज अनशन पर बैठे हैं और मैं चाहती हूं कि सरकार और मन्त्री जी इस पर ध्यान दें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : संयोगवश, मैं मन्त्री जी को बताना चाहती हूं कि पहले सत्र के दौरान मणिपुर से बहुत से हस्ताक्षरों का संकलन किया गया था और उसे प्रधान मन्त्री को मैंने सौंपा था। इसलिए इस मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए।

चूंकि मेरा समय समाप्त हो चुका है, इसलिए निष्कर्ष के तौर पर मैं केवल एक बात कहना चाहूंगी कि वर्तमान में जो आवंटन किए गए हैं, जिसके सम्बन्ध में हमने अपने विचार व्यक्त किए हैं; वह पर्याप्त नहीं है और इसलिए मैं इन अनुदानों का समर्थन नहीं कर सकती। मैं समझती हूं कि इससे वास्तव में हमारी बहन माननीय महिला एवं बाल कल्याण तथा युवा मामलों की राज्य मन्त्री मुश्किल में पड़ जाएंगी। यद्यपि, वह बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन उन्हें अपर्याप्त अनुदानों के कारण कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यदि समस्याओं को हल करना है तो आबंटनों में उचित परिवर्तन करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन मांगों का विरोध करती हूं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाणा) : महोदया, कम से कम आप इतना तो कह दें कि यदि आबंटनों में वृद्धि कर दी जाए तो क्या आप मांगों का समर्थन करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : ठीक है, मुकुल के लिए मैं यह कहती हूं कि हम मांगों का समर्थन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि अनुदानों में पर्याप्त वृद्धि न कर दी जाए।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : सभापति महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर डिसकसशन करने का मौका दिया। माननीय सदस्यों ने बहुत हैल्दी और कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दिए, इस लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहती हूं। ह्यूमन रिसोर्सिज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। जैसे हमारा रामायण, महाभारत, कुरान, और बाइबल बड़ा है, ठीक ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्सिज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहती हूं क्योंकि साढ़े तीन बजे प्राइवेट मेम्बर्स बिजनस भी है। इसके बाद जो माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे, उनके बारे में अर्जुन सिंह जी बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई करेंगे। मैं पहले स्पोर्टस डिपार्टमेंट के बारे में बोलना चाहती हूं। इसके बाद में मैं वूमेन, चाइल्ड और यूथ कवर करूंगी। स्पोर्टस के बारे में असलम शेर खां और सुमित्रा महाजन ने कन्स्ट्रक्टिव आलोचना की और दूसरी बातें भी उठायी। मैं उससे सहमत हूं। स्पोर्टस के बारे में जो आलोचना पूरे देश में होती है, उससे मैं सहमत हूं। हिन्दुस्तान बहुत बड़ा है लेकिन हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत कम हैं। इसको लेकर सब के मन में जो उम्मीदें है, वे हम पूरी नहीं कर पाए है, यह भी सच है और जितनी मदद देनी चाहिए थी, वह नहीं दे पाए है, यह भी सच है और प्रेक्टिकल चीज है, लेकिन इसका इवैल्यूशन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ।

आजादी के बाद स्पोर्टस की ऐसी कोई प्रॉयरिटीज नहीं थी। 1982 में एशियाड हुआ था। इन्दिरा जी ने कोशिश की थी कि हिन्दुस्तान के खिलाड़ियों का विश्व में कोई अच्छा नाम हो और उनकी आवाज उठे। वह चाहती थीं कि हिन्दुस्तान स्पोर्टस में आगे बढ़े। उसमें राजीव गांधी ने इण्टरनेशनल यूथ ईयर में 1985 में यूथ एण्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमैंट का गठन किया था। इसके बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स एथॉरिटी ऑफ इण्डिया भी उन्होंने गठित की थी। आज तो वह हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन मैं सबसे पहले उनको ही श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, इसके लिए कि उन्होंने हमारे नौजवानों के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए कुछ करने की कोशिश की थी।

सातवीं पचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स पर खर्चा हुआ था, सातवीं पचवर्षीय योजना में एक बड़ा लमसम मनी दी थी।...(व्यवधान)...सुनिए। बाद में आपको क्रिटासाइज करना है, आप करिए। मैं तो आपकी बात कहने जा रही हूं, स्पोर्ट्स में कोई राजनीति हम नहीं करने जा रहे। आप सुनिए।

1991-92 में हमारे स्पोर्ट्स का बजट 69.11 करोड़ था लेकिन फाइनेंशियल कन्स्ट्रेण्ट होने के नाते इसको रिड्यूज करके 62.05 करोड़ दिया था लेकिन 1992-93 में 57.01 करोड़ है, बात इसी की है। आज हमारे देश में 80 करोड़ लोग है, अगर आप कोशिश करके देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि पर हैड पर एनम 50 पैसा पड़ता है तो इसमें क्या हो सकता है ?

[अनुवाद]

इस बात के लिए आभारी हूं कि हमारे वित्त मन्त्री आ गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मांग प्रस्तुत करने में हम माननीय मन्त्री की सहायता करेंगे। इस पर हम उसका समर्थन करते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : धन्यवाद। मैं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का आभारी हूं।

[हिन्दी]

57.01 करोड़ दिया है, 11 करोड़ करटेल किया है, इस वर्ष स्पोर्ट्स के लिए। यूरोपियन कण्ट्रीज में बजट का 8 परसेण्ट स्पोर्ट्स के लिए वह लोग खर्च करते हैं और हिन्दुस्तान में खाली 50 पैसा पर एनम पर हैड खर्च होता है, इसमें क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, इसमें कैसे स्पोर्ट्स में मदद हो सकती है? इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रोयरिटी देनी चाहिए, मैं इस बात में हर सदस्य के साथ सहमत हूं। इसके लिए मैं आपकी ओर से नेशनल सपोर्ट चाहती हूं।

[अनुवाद]

खेल को देश में स्वस्थ और रचनात्मक आंदोलन के रूप में माना जाना चाहिए।

[हिन्दी]

और हमारा स्पोर्ट्स मूवमेण्ट ऐसा बने, स्पोर्ट्स से हमारा नेशनल इण्टीग्रेशन का मिशन सबसे बड़ा जाएगा, अगर खिलाड़ी को हम मजबूत कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं तो हमारी 2/3 पोपुलेशन को हम कण्ट्री में मदद कर सकते हैं। इसके लिए अगर स्पोर्ट्स में थोड़ी ज्यादा प्रायरटी देनी है तो मैं आप लोगों के साथ सहमत हूं।

हमारे देश में स्पोर्ट्स का चेहरा थोड़ा बदल भी सकता है लेकिन इसके साथ यह बात भी है कि खाली रुपए से ही काम नहीं चलता है, इसमें कमिटमैण्ट भी होना चाहिए। जैसी हमारे यहां लैक ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्रोब्लम है, वैसे ही हमारी लैक ऑफ कमिटमैण्ट की भी प्रोब्लम है। स्पोर्ट्स स्टेट का सबजैक्ट है इसलिए स्टेट को हम ग्राण्ट दे सकते हैं, फैडरेशन को हम मदद कर सकते हैं लेकिन फैडरेशन जब कैण्डीडेट्स का सलैक्शन करती है, जब टीम बाहर भेजती है, जब कोच सलैक्ट करती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वह आटोनोमस बॉडी है। मैं किसी के साथ झगड़ा करने की बात नहीं कह रही हूं लेकिन हमारे एम० पीज० की जो फीलिंग्स हैं, फैडरेशन को भी उनके सैण्टीमैण्ट्स को देखना…

[अनुवाद]

भारतीय खेल प्राधिकरण, सभी संघों, समितियों और देश की आम जनता की सहायता से खेल मंत्रालय…

[हिन्दी]

एक साथ में अगर चल सकता है, एक साथ में अगर चलेगा तो आज चले न हो, आज हम

पीछे हैं लेकिन आने वाले दिनों में हम आगे जा सकते हैं किन्तु इसके लिए हमारा कमिटमैंन्ट, हमारी सिन्सियरटी, हमारा डैडीकेशन होना चाहिए। खेलों में चाइना कैसे आगे बढ़ा, मलेशिया कैसे आगे बढ़ा, क्यूबा कैसे आगे बढ़ा? मैं मलेशिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ मिली थी, उनसे डिस्कशन किया था तो उन्होंने कहा था कि मालूम है हमारा स्पोर्ट्स का बजट एक हजार करोड़ है और गवर्नमेंष्ट के बाद भी जितने हमारे पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर देश में हैं, उनके लिए लगभग मनी स्पोर्ट्स पर खर्च करना कम्पलसरी है लेकिन हमारे देश मे बहुत पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर हैं लेकिन वह कितना रुपया खर्च करते हैं? खाली टी० वी० में कुछ प्रोग्राम दिखाते हैं और पोपुलैरिटी के लिए खर्च करते हैं लेकिन कल का जो स्पोर्ट्स है, जिसमें ज्यादा आदमी रहते हैं···

[अनुवाद]

श्री चेतन पी० एस० चौहान (अमरोहा) : विगत अक्तूबर-नवम्बर सत्र के दौरान मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों का सहयोग आधारभूत ढांचों, खेल मैदानों सहित अन्य सुविधाओं को विकसित करने और साथ ही जर्जरावस्था में पड़े स्टेडियमों के रख-रखाव के लिए लेगी। हमें उत्तर मिला है कि ऐसा कोई विचार नहीं है।

मैं मन्त्री जी को यह बताना चाहता हूं कि कई कम्पनियां और कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा बड़ी कम्पनियां हैं जो यह कार्य करना चाहती हैं और मेरा यह मानना है कि यदि इन कम्पनियों की सहायता ली जाए तो ये खेल के मैदान और स्टेडियम और अन्य सुविधाएं जो जर्जर स्थिति में हैं, जिनकी खस्ता हाल है और टूटे-फूटे पड़े हैं उनका रख-रखाव हो सकता है और देश के खिलाड़ी उनका उपयोग कर सकते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह खेलों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण पहलु है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय गतिविधि की ओर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खेल राज्य मन्त्री कुमारी ममता बनर्जी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति जी, मैं चेतनजी की आभारी हूं, लेकिन उनके भाषण को सुनने का मुझे मौका नहीं मिला। मैं उनसे इस मामले में बातचीत करती रही हूं और मैंने उनसे पूछा है कि किस प्रकार खेलों को अच्छा किया जा सकता है और क्या करना चाहिए। उनसे बातचीत इसीलिए की, क्योंकि वे स्पोर्ट फील्ड के हैं। जो मैं बोलना चाहती थी, वह यह था कि प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर मदद करते हैं, लेकिन उनको और ज्यादा मदद करनी चाहिए। हम लोगों ने पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर से मीटिंग किया है। पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर के टॉप मैनेजमेंट से बात करके उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप लोगों को एक स्पोर्ट एकादमी बनानी चाहिए। एक डिसिप्लीन आईडेंटीफाई करके करना चाहिए, इसमें उनको ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, जिस प्रकार जमशेदपुर में टाटा ने किया है। मैं सदन को बताना चाहती हूं—

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम ने बच्चों के लिए जिमनास्टिक्स अकादमी सहमति प्रदान की है। गुजरात राज्य उर्वरक निगम ने बड़ौदा में बैडमिंटन के लिए क्षेत्रीय अकादमी की स्थापना के लिए सहमति व्यक्त की है। मैसर्स भारतीय खाद्य निगम ने पटियाला में क्षेत्रीय फुटबॉल अकादमी स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है। मैसर्स विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट ने विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय वॉलीबॉल अकादमी स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की है। मैसर्स भारत पेट्रोलियम ने मद्रास में तैराकी के लिए एक राष्ट्रीय अकादमी स्थापित करने की सहमति व्यक्त की है। कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक संस्था, मैसर्स कोल फील्डस लिमिटेड, सिंगरौली (म० प्र०) तीरंदाजों को संरक्षण देने और अपनाने और सिंगरौली में एक राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना करने के लिए सहमत हो गई है। मैसर्स जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज और मैसर्स एअर इंडिया के साथ भी वार्ता प्रगति में हैं, जिन्होंने दिल्ली में हॉकी से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना करने में अपनी रुचि दिखाई है।

मैसर्स अशोक लीलैण्ड से भारोत्तोलन की राष्ट्रीय अकादमी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण से हैंडबॉल की राष्ट्रीय अकादमी, एम० आर० एफ० से फुटबाल की एक क्षेत्रीय अकादमी और भारत हैवी इलेक्ट्रोनिक्स से बास्केट बॉल की अकादमी की स्थापना के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है।

अन्य खेलों के बारे में भी मैंने टी० ए० टी० एस०, एम० आर० एफ० और दूसरे लोगों से अनुरोध किया है, वे अपनी रुचि दर्शा रहे हैं।

सभापति महोदय : मुझे बताया गया है कि पाकिस्तानी हॉकी टीम पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरवेज द्वारा पूर्णतया प्रायोजित है और यही एयरवेज उसका सारा खर्च भी वहन करती है। आप लोग भी एयर इण्डिया द्वारा भारतीय हॉकी का प्रायोजन किए जाने के प्रश्न की जांच क्यों नहीं करते हैं।

श्री कि० पी० सिंह देव (ढेंकनाल) : वर्ष 1990 में, बीजिंग में हमें नौका-दौड़ में चार स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। नौका-दौड़ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति महोदय, केपी दा मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम लोगों ने मिनिस्ट्री में एक टास्क-फोर्स बनाई है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर से कान्टैक्ट इन्टरएक्शन करने के लिए और उन लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए। जो डिसीप्लीन है, उसी में वीग स्पोर्ट एकाडमी बनाएं, तो अच्छा होगा। बी० एस० एफ० ने भी कमिट किया है, उनसे भी बातचीत की है। वैस्ट बंगाल भी एथलीट सैन्टर बना रहा है।

[अनुवाद]

वे पश्चिम बंगाल में भी एक केन्द्र की स्थापना करने जा रहे हैं। वे वहां एक अकादमी की भी स्थापना करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सर, ऐसे तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। स्पोर्टस आथोरिटी आफ इण्डिया, वे भी 87 से कोशिश कर रहे हैं। तीन-चार स्कीम्स हैं जो बहुत ही अच्छी स्कीम्स हैं, वह एन०एस०टी० सी० स्कीम्स हैं, वह बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, ट्रायबल लड़के और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी स्कीम्स हैं और हम 78 एस०पी०टी०एस० सेंटर्स खोलने जा रहे हैं। अभी दो-तीन आपरेशन में हैं लेकिन अगर 78 खुल जाएंगे तो बहुत सारे स्टुडेंट उसको एकेडेमिक केरियर बनाने के लिए, उनका नरचर करने के लिए, उसके जो भी एक्सपेंसिज हैं उसको स्पोर्टस आथोरिटी आफ इण्डिया वहन करेगी।

सर, स्पोर्टस होस्टल भी है, हमारे देश में जो स्पोर्टस होस्टल हैं उनमें 742 लड़के-लड़कियां हैं। एन०एस०टी०सी० स्कीम में भी 1217 ट्रेनिस को एडमिट किया है। स्पेशल ऐरिया गेम्स में 455 लोग हैं, स्पोर्टस प्रोजेक्ट डवलपमेंट एरिया में तो 576 हैं लेकिन हम और भी खोलने जा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट ईयर आठवें प्लान के अन्दर लड़के और लड़कियों को गवर्नमेंट के खर्चे से ट्रेनिंग देंगे। ये सारे खर्चे भारतीय खेल प्राधिकरण वहन करेगा।

सर, वैसे इसको हम लोग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यह बात हो सकती है जैसे असलम शेर खां जी ने एक प्रश्न रेज किया है, उन्होंने कहा है कि आप लोग क्यों बाहर कोच भेज रहे हैं, बाहर का कोच क्यों ले रहे हैं और बाहर क्यों भेज रहे हैं और जो एन०आई०एस० में ट्रेनिंग लेता है, खाली उसको ही ट्रेनिंग दे सकते हैं और बाहर का कोई नहीं ले सकता है। मैं असलम जी को बतलाना चाहती हूं कि यह ठीक नहीं है। हम लोगों ने एन०आई०एस० पटियाला 9992 कोच का ट्रेनिंग किया है लेकिन आउट स्टेंडिंग कोच, जो बाहर भी है वह लोग भी कोचिंग दे सकते हैं जैसे अमृत्या है, मिस्टर राव भी है, बहुत सारे कोचिस हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। करल स्पोर्टस के लिए भी हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए हैं, यूथ स्कूल है जिसका करल एरिया में इनफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए एक लाख दान देने के लिए और नेहरू युवा केन्द्र से लास्ट ईयर में 11,000 स्पोर्टस टूर्नामेंट आर्गेनाइज किया था, आने वाले दिनों में भी हम लोग इससे और ज्यादा करने के लिए तैयार हैं। खाली एक दफा टूर्नामेंट करने से कोई चैम्पियन नहीं बन जाते हैं लेकिन अगर पूरे साल हम करेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए भी स्पोर्टस अथोरिटी आफ इण्डिया, नेहरू युवा केन्द्र और हमारा डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है।

सर, ऐशियाड आ रहा है, इसके लिए रेसपोंसिबिलटी फिक्स करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट आइओए और नेशनल फेडरेशन के साथ में भी हमने बातचीत किया, मीटिंग भी किया। हम लोग चाहते हैं कि एक साथ में इकट्ठा हो करके हमारे देश की प्रेसटीज के लिए, हमारे देश के इन्टरस्ट के लिए, हमारे खिलाड़ियों के इन्टरस्ट के लिए, मैं स्पोर्टस मे सब के साथ मिलकर काम करना चाहती हूं। (व्यवधान) पोलिटिकल आइडियोलोजिकल डिफरेंस भी होते हैं लेकिन स्पोर्टस मूवमेंट में कोई आइडियोलोजिकल डिफरेंस नहीं होता है, अगर स्पोर्टस को हम लोग एक करना चाहते हैं तो···(व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जैसे कि ममता जी अभी बता रही हैं कि खेलकूद के सम्बन्ध में व्यवस्था, प्राइवेट सैक्टर, पब्लिक सैक्टर (व्यवधान) क्या-क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से हो रही है, यह सब स्वागत योग्य है लेकिन मैं आपके माध्यम से

हस्तक्षेप करके केवल एक बात जानना चाहता हूं (व्यवधान) कि जो हमारी अभी तक खिलाड़ियों के चयन में राजनीति आ जाती है, सबसे बड़ी बाधक है, हमारी उपलब्धियां नहीं हो पाती हैं चाहे वर्ल्ड ओलिम्पिक में हो या और कहीं भी हो, चाहे क्रिकेट का सलेक्शन्स वगैरह हो। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : सर, मैंने पहले ही बताया है कि फेडरेशन आटोनोमस आर्गेनाइजेशन है, हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, यह स्पोर्टस स्टेट्स सब्जेक्ट है, मैं नहीं कर सकती। अगर कंकरेंट लिस्ट में आप लोग इजाजत दें तो देख सकते हैं। हम लोग इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन आप लोग राजनीति की बात करते हैं, कौन आदमी, कौन पोलिटिशन स्पोर्टस में नहीं है। (व्यवधान) आप लोग जानते हैं कि आज हिन्दुस्तान में पालीटिक्स ऐसी हो गई है कि खाली स्पोर्ट्स में ही नहीं, स्कूल कालेज से लेकर अस्पताल तक हर जगह पालीटिक्स आ गई है। यदि सारी जगहों पर पालीटिक्स दूर कर सकते हैं तो स्पोर्ट्स में भी दूर कर सकते हैं। मैं स्पोर्ट्स में पालीटिक्स नहीं कर सकती।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, यह सवाल किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो या जनता दल हो, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अगर खेल कूद में राजनीति करता है या राजनीतिक फायदा उठाता है तो वह या तो राजनीति को प्रदूषित करता है या खेल कूद को प्रदूषित करता है। मैं मानता हूं कि खेलकूद में राजनीति नहीं होनी चाहिए और राष्ट्रीय भावना के दृष्टिकोण से खेल कूद होना चाहिए, लेकिन जब खेल कूद में राजनीति की बात आ जाती है तो उसमें फिर खेल भावना नहीं रह जाती। इसलिए चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का या कम्युनिस्ट या जनता दल का हो, जितने भी व्यवस्थापक हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि व्यवस्थापकों में गलतियां हैं, गड़बड़ी है, राजनीति है और इस व्यवस्था पर चिंता प्रकट करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को कहना चाहती हूं कि अगर यह सेंटीमेंट है तो आइए, एक यूनेनिमस बिल यहां पर पास कीजिए कि कोई पोलीटिशियन कहीं भी खेल कूद में इन्टरफियर नहीं कर सकता है। आप लोग कीजिए, मैं यह बात सदन पर छोड़ती हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अगर राजनीति करने वाला खेल कूद के बारे में बुनियादी रूप से जानता है तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि······(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका नाम बोलने वालों में है, आपको समय मिलेगा, उस समय आप खुशी से बोलिए, लेकिन इस तरह से इन्टरप्ट मत कीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी में तो कोई खेलना जानता ही नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह : आप तो बहुत खतरनाक खेल खेलना जानते

सभापति महोदय : ये कह रहे हैं कि आप तो बड़ा शिकार खेलते हैं, छोटा शिकार नहीं खेलें।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : डेवलपमेंट यूथ के बारे में 32 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। हमारी 2/3 पापूलेशन यूथ है, इसलिए इतने बजट में हम क्या कर सकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन कैम्प्स, इन्टरस्टेट यूथ एक्सचेंज, कल्चरल फेस्टीवल्स भी 174 हुए हैं और देश में 83000 युवकों को मोबीलाइज किया गया है। युवकों को ट्रेनिंग भी देते है, इसके लिए कई योजनाएं हैं। जैसे सैल्फ अम्प्लायमेंट ट्रेनिंग होती है, इसमें लास्ट इयर 5289 युवक लाभान्वित हुए और नेक्स्ट इयर 10000 तक यह संख्या होने का अनुमान है। और भी स्कीम्स हैं जैसे स्पेशल स्कीम फार प्रमोशन आफ यूथ एक्टीविटीज इन बैकवर्ड एरियाज, इसके लिए 23 प्रोग्राम हुए हैं और 8667 युवकों ने इसमें भाग लिया है। इसके अलावा एग्जीबिशन फार यूथ प्रमोशन आफ एडवेंचर, नेशनल सर्विस स्कीम, इन्टरनेशन एक्सचेंज आफ यूथ प्रोग्राम, नेशनल इन्स्टीट्यूट फार यूथ, ये सारे प्रोग्राम यूथ के लिए हैं। लेकिन नेहरू युवा केन्द्र सबसे ज्यादा काम करता है और डेढ़ मास के लिए इसके फण्ड को बेन कर दिया गया था। यह सरकार बनने के बाद फिर से फण्ड रिलीज किया गया है। इस तरह के 398 सेंटर हैं और 26 नए सेन्टर हम इस वर्ष बनाने जा रहे हैं। इसके जरिए 35000 यूथ को ट्रेनिंग दी गई है और 1000 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स आर्गनाइज किए गए हैं। 1300 कल्चरल प्रोग्राम्स आर्गनाइज किए गए हैं। हमने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को भी निवेदन किया है कि नेहरू युवा केन्द्रों में जो स्पोर्ट्स होते हैं, इसके अलावा गांवों में जो रूरल फील्ड हैं, उसको डेवलप करने के लिए जवाहर रोजगार योजना में इस स्कीम को इन्क्लूड किया जाए और पंचायत तथा ब्लाक लेवल में हम स्पोर्ट्स स्कीम को इंप्रूव कर सकते हैं। यह सुझाव हमारे विभाग ने दिया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 10-10 गांवों को मिलाकर एक यूथ डेवलपमेंट सेन्टर बनाने का प्रपोजल है और दैट सेन्टर्स विल बी सोर्स आफ इनफरमेशन फार यूथ। इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ कोआर्डीनेट करके सेल्फ एम्प्लायमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि युवक अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जितनी मदद चाहिए, उतनी मदद देने के लिए, यूथ डेवलपमेंट सेन्टर्स को देने के लिए हम प्रपोजल बनाने जा रहे हैं। हम सोम नेशनल इन्स्टीट्यूट फार यूथ भी बनाने जा रहे है, यूथ रिसर्च करने के लिए, पालिसी तैयार करने के लिए। पहले जो नेशनल यूथ काउन्सल थी उसमें 222 मैम्बर थे, बहुत बड़ी कमेटी थी उसको रिवाइज करके 50 मैम्बर्स की कमेटी बनाने का निश्चय किया है।

[अनुवाद]

श्री चेतन पी० एस० चौहान : सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा। माननीय वित्त मंत्री के सभा से जाने से पहले मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। खेल कूद और युवा मामले के लिए मात्र 57 करोड़ रुपए का बजट है। इसे कम से कम प्रतिव्यक्ति एक रुपया की दर तक तो बढ़ा ही दिया जाना चाहिए। भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, अतः बजट को 85 करोड़ रुपए का तो कर दिया जाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : हम इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

वित्त मन्त्री (श्री मन मोहन सिंह) : मन्त्री सरकार की ओर से ही बोलता है (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे उम्मीद है, चौहान जी, इन्होंने जो कहा है मिनिस्टर गवर्नमेंट के खिलाफ पर बोलता है···(व्यवधान)·· सौ मेडमनत यूथ काउन्सल को पुन: बनाया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : महोदया, 3.30 बजे हमें गैर-सरकारी कार्यों को लेना है। अब आपके पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। क्या आप उसके बाद अपना भाषण जारी रखना पसन्द करेंगी ?

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वारस) : सभापति जी, ऐसा इन्सटांस हुआ है, 10-15 मिनट दिए गए हैं। इनको 10 मिनट और बढ़ाया जाए, मिनिस्टर 10 मिनट के लिए और बोल सकती हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप सोमवार को इसे जारी रखना चाहेंगी या आज ही कुछ समय बढ़वाना चाहेंगी ?

श्री अर्जुन सिंह : मैं समझता हूं कि 10 मिनट समय बढ़ाना चाहिए क्योंकि माननीय मन्त्री महोदय कुछ अपरिहार्य कारणों से सोमवार को यहां उपलब्ध नहीं रहेंगी (व्यवधान) मैं गैर-सरकारी सदस्यों के समय में कटौती के लिए नहीं कह रहा हूं।

सभापति महोदय : सभा की बैठक का समय उसी अनुपात में बढ़ा दिया जायेगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, यह एक सुस्थापित परम्परा है कि गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य 3.30 बजे प्रारम्भ होना चाहिए। इस नियम के अपवाद नहीं होते हैं। (व्यवधान)

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : वह 6 बजे के बाद बोल सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति जी, मन्त्री जी को बोलने के लिए 10 मिनट एकोमोडेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि हाउस की सेन्स ऐसी नहीं है कि 10 मिनट के लिए एकोमोडेट नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक दरख्वास्त जरूर करूंगा। मन्त्री महोदय को अभी रिप्लाई देना है, 20-25 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट और ये लेंगी, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की डिमाण्ड्ज के लिए 6 घण्टे का समय निर्धारित है, यह मिनिस्ट्री इतनी वास्ट है, कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, बहुत कम माननीय सदस्य अभी तक पार्टीसिपेट कर पाए हैं। सदन की यह भी फीलिंग है कि हम छह घण्टे की डिबेट को और ज्यादा समय के लिए बढ़ा दिया जाए ताकि ज्यादा सदस्य इसमें भाग ले सकें। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह तो बी० ए० सी० में फैसला हुआ होगा।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, ऐसा होने से मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन इसका निर्णय कार्यवाही सलाहकार समिति द्वारा किया जाना चाहिए। मैं इसके लिए तैयार हूं, बस मैं यही कह सकता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपकी भावनाओं को मैं स्पीकर साहब की नोटिस में लाऊंगा कि इसको बी०ए०सी० के सामने रख दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या माननीय मन्त्री को 10 मिनट और बोलने की अनुमति देना सही होगा ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : महोदया, कृपया 10 मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : ठीक है, महोदय, मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपकी और सभा के सदस्यों की आभारी हूं।

श्रीमती वसुंधरा राजे (झालावाड़) : औरतों और बच्चों की बात 10 मिनट में ही समाप्त।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि वह खेल के बारे में काफी अच्छा बोल रही हैं।

[हिन्दी]

अधिकतर आपके फायदे की बात कर रहे हैं। चेतन साहब के सजेशन्स पर पूरा गौर किया जा रहा है।

कुमारी ममता बनर्जी सभापति जी, टाइम बहुत कम है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। मैं युवकों के बारे में ज्यादा नहीं बोल पाई हूं। देश में बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है। हमारी जो यूथ कमेटी बनी है तो उसके लिए मीटिंग करके सुझाव जरूर दिए जायेंगे। हम लोग यह भी सोच रहे हैं कि सेन्ट्रल सर्विस और पब्लिक सर्विस के लिए पोस्टल आर्डर फीस को एबोलिश किया जाए। हमने सम्बन्धित मन्त्री जी को भी इसके बारे में कहा है। अब मैं महिलाओं के लिए बोलना चाहती हूं। मैं, गीता जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। वे बहुत पहले से महिलाओं के मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। श्रीमती रीता वर्मा, वसुन्धरा जी, सावित्री लक्ष्मण जी और बसवराजेश्वरी जी के साथ हमारी बातचीत होती है। गीता जी ने आइ०सी०डी०एस० के बारे में एक बात रेज की थी।...(व्यवधान) आप लोग जरा ध्यान से सुनिए।

सभापति महोदय : बीच में इन्टरप्शन मत कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : आइ०सी०डी०एस० प्रोग्राम हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 33 प्रोजेक्ट से हम लोगों ने शुरू किया था अब 2506 तक आया है जिसमें 188 स्टेट प्रोजेक्ट भी हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट आन्ध्र प्रदेश में है जिसमें 110 हैं, तमिलनाडु इंटीग्रेटेड न्युट्रीशन प्रोजेक्ट 316 ब्लाक में है। इस साल हमने एडोलसेंट गर्ल्स की शिक्षा के लिए आइ०सी०डी०एस० स्कीम में 560 ब्लाक में जोड़ दिया है। गर्ल्स चाइल्ड का ड्राप आउट बहुत होता है और उनको मौका नहीं मिलता है। उनकी शिक्षा के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और न्युट्रीशन देने के लिए स्कीम बनी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मैं सपोर्ट करती हूं। अभी मनमोहन सिंह जी यहां से चले गए हैं। उन वर्कर्स को बहुत कम ऑनरेरियम मिलता है जैसे 325 रुपए की करीब मिलते हैं। ये लोग कम्युनिटी वर्कर्स हैं। लेकिन उनकी साढ़े चार घण्टे ड्यूटी है। स्टेट्स में भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं। हमारी कोशिश है कि हम नया कोई प्रोग्राम बनाने जाते हैं तो उनकी साढ़े चार घटे की ड्यूटी को भी उसमें एडजस्ट कर दिया जाए जिससे उनकी तन्ख्वाह बढ़ सके।......(व्यवधान) आनरेरियम बढ़वाने के लिए मैं खुद प्लानिंग कमीशन गई थी। प्लानिंग कमीशन ने खुद रिकेमण्ड किया है कि चार सौ या पांच सौ दिया जाए। लेकिन फाइनेंशियल कांस्ट्रेंट की वजह से बाद में दिया जायेगा। इस बारे में हमने खुद फाइनेंस मिनिस्टर के साथ तीन बार मीटिंग की है।

श्री अर्जुन सिंह जी ने भी चार-पांच लैटर लिखे हैं कि उनकी तन्ख्वाह बढ़ायी जाए। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मैंने दो-तीन बार हाऊस में भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। मेरे विभाग की कोशिश है कि आइ०सी०डी०एस० के आंगनबाड़ी वर्कर्स की तन्ख्वाह को बढ़ाया जाए। इन्दिरा महिला योजना भी हम बनाने जा रहे हैं। इसी में न्यूट्रेशन एजुकेशन का काम है, साथ-साथ सैल्फ इम्प्लायमेंट ज्यादा रहेगा। इन्दिरा महिला योजना के बारे में हमारी तीन मीटिंग हुई हैं। रूरल मिनिस्ट्री, हैल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इण्डस्ट्रीज मिनिस्ट्री से अर्जुन सिंह जी ने बात की है इसके साथ ही साथ खुद राज्य सरकारों के मन्त्रियों को बुलाया है और उनके साथ भी मीटिंग हुई है। लेकिन बंगाल और मध्य प्रदेश ने हम लोगों से इस पर पूरी रिकमेंडेशंस भेजने के लिए थोड़ा समय चाहा है। इसीलिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जितनी जल्दी से जल्दी होगा हम यह योजना पूरी करेंगे।

गीता जी ने एक बात कही कि इला भट्ट ने नेशनल कमीशन फार सैल्फ इम्प्लायड वूमैन की रिपोर्ट दी थी, उसकी जो रिपोर्ट थी और उसमें जो प्रपोजल हैं वे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने सब राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को भेजे हैं। इला भट्ट की जो नेशनल क्रेडिट फण्ड फार वूमैन की रिकमंडेशंस हैं उनको फालो करने की हमारा विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। हमारा वादा है, हम रहें या कोई अगला नया आदमी आए, हमारा विभाग जो है उसका वादा है कि जो ये रिकमंडेशंस हैं उनको हम फालो-अप करेंगे।

यह बात सत्य है कि एटासिटीज बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए खाली कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। वे तो हमने संसद में बहुत बनाए हैं। वास्तविकता यह है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। राज्य सरकार की लॉ एण्ड आर्डर की मशीनरी है, इसकी अनुपालना करना उसका काम है। लेकिन हमने देखा है कोई एवेयरनैस नहीं होती है, इसको करने में कोई भावना नहीं होती है। बिहार की खबर है मुझे वहां से चार-पांच महिलाओं ने चिट्ठी लिखी है कि वहां मर्डर हो गया और उसके परिवार क

सदस्यों को एफ०आई०आर० लॉज करने नहीं दिया गया। मैंने खुद लालू यादव जी को लिखा है कि इस पर एक्शन लें। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी एक मामला हुआ है और भी कई राज्य हैं, मैं सिर्फ विरोधी दलों की सरकार वाले राज्यों की बात नहीं कर रही हूं, सभी राज्यों की बात कर रही हूं। हमने जैंडर सेंसीटाइजेशन प्रोग्राम करके एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। हमारा विभाग पुलिस पर्सनल को और वालंटियर आर्गेनाइजेशन को एक साथ मिलाकर हम लोग प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। दिल्ली में इसके पांच कोर्स हो गए हैं। गुजरात में भी हुए हैं। अगली बार हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार यू०पी० और उड़ीसा आदि में भी करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा है। सब महिला पुलिस अधिकारियों को लेकर, महिला आफिसर्स को लेकर और वालंटियर आर्गेनाइजेशंस के आफिसर्स को बुलाकर हम विभाग से शिक्षण दे रहे हैं। यह तीन दिन का होगा। इसमें जो लेकुना है उसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि गांव के आदमी को सही जानकारी नहीं होती है, उन्हें डायरी मेनटेन करने का पता नहीं होता है। इसीलिए एवेयरनेस क्रियेट करने के लिए हम लोगों ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। हम वालंटियर आर्गेनाइजेशंस को बहुत सारे एवेयरनेस के कार्य देने की कोशिश करते हैं और उसमें हमारा विभाग मदद करता है। हम लोगों ने सैल्फ इम्प्लायमेंट प्रोग्राम बनाया है। 85 हजार महिलाओं को अगले साल हम इसके अन्तर्गत ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी योजनायें विभाग की हैं। लेकिन मैं सोचती हूं कि इनके बारे में एक प्राब्लम आती है, होम मिनिस्ट्री के साथ ला एण्ड आर्डर सिचुएशन जुड़ी है, स्टेट गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट अथोरिटी है, हमारा विभाग कानून पास करता है इसके लिए मैंने सोचा है कि एक को-आर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। राज्य सरकार के साथ, होम मिनिस्ट्री के साथ हमारा विभाग को-आर्डिनेट कर सके। तीन महीने में एक मीटिंग करके देखें कि क्या केस हुए, क्यों नहीं एक्शन लिया और लिया तो क्या लिया।

हमने नेशनल कमीशन फार वूमैन भी बनाया है। महिलाओं के राइट डिप्राइव हो रहे हैं, यह भी देखना है। महिलाओं की समानता को देखना है कि उन्हें भी समान रूप से देखा जाता है या नहीं। इसके लिए सुओ मोटिव नोटिस लाकर वह कर सकते हैं। अगर कोई लेजिस्लेचर रिव्यू करना है या कोई संशोधन लाना है तो उसके बारे में भी देखना है। नेशनल कमीशन फार वूमैन कोई सुझाव भेजेंगे तो हमारा विभाग जरूर उस पर अध्ययन करेगा।

डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट और कमीशन आन सती, इनके बारे में आवश्यक संशोधन हम सत्र में लाना चाहते हैं, क्योंकि इस एक्ट में कुछ लेकुना है। यह भारत सरकार का एक्ट है, मैं समझती हूं इसको जब तक ठीक तरह से ग्राम रूट लेवल पर नहीं पहुंचा सकते तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसके लिए कानून का प्रावधान है। इसके लिए जैसे अवेयरनैस जरूरी है, उसके साथ-साथ मैं सोचती हूं कि कांफिडेंस और करेज भी जरूरी है। यदि महिलाओं में सैल्फ-कांफिडेंस और करेज पैदा हो जाए तो वे काम कर सकती हैं। मैं यह भी सोचती हूं कि खाली पॉलिटीकल डिसीजन से कानून बना देने से काम नहीं होगा। महिलाओं की एकनॉमिक पावर्टी को दूर करना सबसे जरूरी है। इसलिए हमने हर मिनिस्ट्री को सैपरेट वूमन सैल बनाने के लिए कहा है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने किया भी है। हर स्टेट गवर्नमेंट को लैटर लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट में महिलाओं का एक अलग डिपार्टमेंट किया जाए लेकिन खेद की बात है कि सब महिलाओं और चिल्डर्न के बारे में तो बातें करते हैं लेकिन इनके लिए कोई अलग से विभाग नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? मैं मैम्बरों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस स्टेट में महिलाओं और चिल्डर्न के लिए अलग विभाग नहीं है, आप गवर्नमेंट को करने के लिए पैसा दो और

एक महिला को चार्ज मिलेगा । इससे महिलाओं के दिल-दर्द को समझा जा सकता है । हम लोगों ने वूमेन डेवलेपमेंट कारपोरेशन इस स्टेट में तैयार किया है जिसमें 49% सेन्ट्रल गवर्नमेंट का और 51% स्टेट गवर्नमेंट शेयर होता है । हम लोग चाहते हैं कि महिला ग्रॉस रूट डिसीजन लेवल से आना चाहिए और महिलाओं के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए···

मैं औरत को औरत की तरह नहीं देखती, बल्कि उन्हें मानव के रूप में देखती हूं ।

जब तक ह्यूमनबिइंग के बारे में नहीं सोचा जाएगा, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। यदि महिलाओं को देखते हैं, कि यह महिला है, इस पर दया करो, दया करने की कोई बात नहीं है । यह तो महिला का राईट है । यदि इसको कोई राईट नहीं देगा तो वह खुद छीनने के लिए तैयार है ।

सर, मैं आप सब लोगों की आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मेरी कोशिश है कि मैं दस मिनट में कम्पिटलेंस के अनुसार खत्म कर दूं लेकिन महिलाओं के यूथ-सपोर्ट्स, एडल्ट एजूकेशन वगैरः लम्बे विषय हैं, इन सब बातों को कम्पलीट करने की कोशिश की है ।

[अनुवाद]

हमें देश के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और खिलाड़ियों के लिए कुछ करने का हरसंभव प्रयास करना चाहिए ।

[हिन्दी]

अन्त में एक बात कहती हूं कि यदि दिल में करने के लिए इच्छा है तो···

[अनुवाद]

जहां चाह, वहां राह ।

[हिन्दी]

तो उसको करने के लिए एक न एक दिन उस वायदा को पूरा करना होगा । रमजान का मंथ है । मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगी :

खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले,
खुदा बन्दे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है ?

थैंक यू ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री को उनके इस बेहतरीन भाषण के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सदन में गैर-सरकारी सदस्यों से सम्बन्धित कार्यवाही शुरू होगी। श्री पी० पी० कालियापेरुमल प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

3.44 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री पी० पी० कालियापेरुमल (कुड्डालोर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अप्रैल, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 1 अप्रैल, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.45 म० प०

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों सम्बन्धी व्यापार (ट्रिप्स) आदि से सम्बन्धित प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब सभा में श्री रूपचन्द पाल द्वारा 6 मार्च, 1992 को प्रस्तुत किए गए इस संकल्प पर आगे चर्चा होगी :

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह बौद्धिक संपत्ति अधिकारों से सम्बन्धित व्यापार (ट्रिप्स), व्यापार सम्बन्धित विनिधान उपाय (ट्रिम्स) और सेवा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (गैट्स) के बारे में सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रस्तावों, जो हमारे देश की पेटेंट विधियों और आर्थिक प्रभुसत्ता का अतिलंघन करेंगे, को स्पष्ट रूप से अस्वीकृत करे।"

इस संकल्प पर बहस के लिए तीन घंटे का समय निर्धारित है। अब तक इस पर दो घंटे उन्नीस मिनट बहस हो चुकी है और अब केवल 40 मिनट का समय शेष है। श्री सन्तोष कुमार गंगवार बोल रहे थे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, अभी आपने बताया कि 41 मिनट बाकी हैं, और मैं मानता हूं कि 41 मिनट के बाद मन्त्री का रिप्लाई होगा। कभी-कभी यह होता है और इसके लिए मैं पहले आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि और बहुत से लोग बोलने वाले हैं, यह कहकर समय बढ़ाया जाता है। कुछ समय, आधा घण्टा, एक घण्टा बढ़ाया जाए तो बाद में तकलीफ नहीं होती है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि उसके बाद का जो प्रस्ताव है, हालांकि मेरा नहीं है, लेकिन वह इतना ही महत्वपूर्ण है और इसलिए यह प्रस्ताव, जिसके 40 मिनट बाकी हैं, इसके ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट बढ़ा दें। अभी से तय करें ताकि आगे के जो बोलने वाले हैं उनको भी उसी दृष्टि से समय देना आसान रहेगा, नहीं तो बहस लम्बी होती जाएगी और आगे का जो रिसाल्यूशन है, वह आज चर्चा में नहीं आया तो लैप्स हो जाएगा वह कॉमन सिविल कोड जैसे महत्वपूर्ण विषय पर है, इसलिए उस पर चर्चा करना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय : जो सुझाव राम नाईक जी ने रखा है, मैं उससे सौ फीसदी सहमत हूं।

[अनुवाद]

लेकिन यह तो सभा पर निर्भर है। मैं इससे सहमत हूं कि बहस लगातार चल रही है और बढ़ायी जा रही है। यह ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि :—

[हिन्दी]

जो बोलने वाले साहिबान हैं, वे पांच-सात मिनट लें और बार-बार वही बात दोहराने से समय काफी जाया हो जाता है। इस लिए जो नाईक जी ने बात कही है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि समय का ध्यान रखते हुए इस पर अपना डिस्कशन करें।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : धन्यवाद सभापति जी। वास्तव में पिछले कुछ महीनों से पूरे देश में इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है और इस सदन में भी इस पर चर्चा होगी, अभी माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है। निश्चित रूप से जो प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, इस समय जो कुछ बातें समझ में आती हैं कि क्या हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जाएगी ? क्या हमें बहुत से ऐसे निर्णय मानने पड़ेंगे जो जनहित में नहीं हैं और उससे जो हमारी डेवलपमेंट प्रायारिटी है, उसमें दखलंदाजी होगी। मैं इस सन्दर्भ मे महात्मा गांधी की एक उक्ति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में कही थी और ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक बात कही थी। उन्होने कहा था कि :

"मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारो तरफ दीवारों से घिरा हो और मेरी खिड़कियां बंद हो। मै चाहता हूं कि सभी देशो की संस्कृति मेरे घर मे यथासम्भव मुक्त रूप से प्रवेश करें, लेकिन मैं यह नही चाहता कि मुझे अपनी मिट्टी से ही अलग कर दिया जाए।"

और वास्तव में यह जो प्रस्ताव है और मुख्य रूप से जो लोग आपत्तियां व्यक्त कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि हम आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे । मैं कोई बहुत ज्यादा विस्तार से इस संदर्भ में नहीं कहना चाहता हूं । कुछ पाइंट्स कहना चाहूंगा । उनके बारे में भी विचार करना चाहिए ।

हमें विदेशी कम्पनियों को ऐसे अधिकार देने होंगे जैसे हमारे इस देश में कम्पनियों को मिलते हों । इससे हमारे स्वावलम्बी विकास में बाधा आएगी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर हमारा अंकुश समाप्त सा हो जाएगा । किसी भी तरह की कोई टैक्नोलाजी का आयात करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियां स्वतन्त्र होंगी और दूसरी तरफ उनको निर्यात करने के लिए कोई दबाव नहीं होगा । वे उत्पादन के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए स्वतन्त्र होंगे और उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण पर अगर उन्होंने दिलचस्पी ले ली तो हमारे लघु और कुटीर उद्योग बन्द हो जाएंगे और इस देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ेगा । इसका दूसरा प्रभाव यह पड़ेगा कि इससे हमारे देश भी बेरोजगारी बढ़ेगी । अपनी बेहतर टेक्नोलाजी और मजबूत संसाधनों के कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस असमान प्रतियोगिता में लघु उद्योगों को समाप्त कर देंगी । दूसरी ओर फाइनेंशियल सर्विसेज, टैलकम्युनिकेशंस मीडिया शिक्षा, स्वास्थ्य आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इन कम्पनियों की अनावश्यक रुचि बढ़ने से हमारे विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । मान्यवर सभापति जी, हमारे देश का मुख्य व्यवसाय कृषि है । दो-तिहाई लोग जो गांवों में रहते हैं, वह खेती पर आश्रित हैं और ऐसा लगता है कि इसका सबसे अधिक प्रभाव कृषि के क्षेत्र में पड़ेगा । दूसरे देशों में छोटे किसान समाप्त होते आ रहे हैं । अमेरिका के अन्दर भी 50 से 60 के दशक में 30 प्रतिशत छोटे किसान थे । उसके बाद 1964-65 तक 26-27 प्रतिशत रह गए और ऐसा लग रहा है कि वहां भी 1995 आते-आते छोटे किसान समाप्त हो जाएंगे । हमें ऐसा लग रहा है कि हिन्दुस्तान को भी उसी दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है । मैं चाहूंगा कि मूल्यों को कम करने, उन पर नियन्त्रण करने सम्बन्धी हमारी जितनी योजनाएं हैं, पानी, खाद, ऊर्जा, और कीटनाशकों पर छूट, किसानों को कर्ज आदि योजनाएं ऐसी हैं, जिन पर हमें पुनर्विचार करना होगा या उन्हें बन्द करना पड़ेगा । पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के स्वरूप को भी हमें पूर्णतः बदलना पड़ेगा । बीज, पौधे एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं से जुड़े इंटेलैक्चुअल प्रोपर्टी राईटस को मानने से हमारे कृषि विकास में बाधा आएगी । कृषि के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का एकाधिकार होने से हमें नई प्रजातियों की खोज में परेशानी होगी क्योंकि इस समय हमारे देश में कृषि पेटेंट लाज से बंधी हुई नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है । उन लाज से हमारे देश पर कोई अंतर नहीं पड़ता । प्रोसैस ओरि-येन्टेड पेटैंट लाज पर आधारित होने के स्थान पर हमें प्रोडक्ट ओरियेन्टेड पेटैंट लाजकी ओर बाध्य होना पड़ेगा । उसे मानने से कृषि, टैक्नोलाजी, बायोटैक्नोलोजी आदि क्षेत्रों में, जहां नई नई खोजों की संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि दुनिया के सारे विकासशील राष्ट्र इस दिशा में भारत की ओर देख रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि भारत किस हिसाब से चल रहा है । आज सारे देश यह महसूस कर रहे हैं कि जिस ढंग से हिन्दुस्तान को इस दिशा में अगवाई करनी चाहिए, हमारा मुल्क उस हिसाब से अगवाई करने के लिए आगे नहीं आ रहा है । उसमें नई नई खोजो की संभावनाएं अधिक रहती है । हम उसमें बंध जायेंगे और हमारे वैज्ञानिक खुद की विधियों के द्वारा भी यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे, जिसका पेटैंट पहले से किसी के पास हो तो हम नहीं बना सकते ।

ऐसे लोग, कम्पनियां या देश, उन प्रोडक्टस पर अपने एकाधिकार का दुरुपयोग करेंगे । फिर

भी डंकल प्रस्ताव पूरी तरह से अमान्य कर दिए जायें, मैं इस बात को नहीं मानता । इस समय ऐसा लग रहा है कि सारे देश एक तरफ और हिन्दुस्तान दूसरी तरफ है । मैं ऐसा सुझाव भी नहीं देता कि इस तरह हम अपनी आत्महत्या कर लें । हमें डंकल प्रस्तावों में से उन प्रस्तावों को छांटना होगा, जिनके बारे में हम महसूस करें कि वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक हित में है और ऐसे प्रस्तावों पर बातचीत करना बहुत जरूरी है ।

इस बारे में हमें विशेष रूप से लघु उद्योग, कृषि क्षेत्र और हमारे यहां जितनी प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उनकी ओर भी ध्यान देना होगा। आर्थिक साम्राज्यवाद से बचने के लिए हमें स्वदेशी अभियान पर अत्यधिक बल देना होगा। देश में अधिकांश आर्थिक शक्ति स्रोत हमारे पारंपरिक लघु उद्योग और कृषि है । हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था को अधिक से अधिक देश के अन्दर के साधनों से जोड़ना होगा और ऐसी योजनाएं सामने लानी होंगी जो साधनों के साथ-साथ लागू की जा सकें ।

आज हमारी आत्म-निर्भरता पर चारों ओर से आक्रमण हो रहा है । ऐसे में हमें सबसे अधिक आवश्यकता है आत्मविश्वास की। ऐसे में स्वदेशी का विचार ही इस देश को नई रोशनी दे सकता है ।

सभापति जी, मैंने जो बातें कही हैं, उस पर पूरे देश में और सदन में चर्चा होनी चाहिए—वह चर्चा हो भी रही है और आगे भी होगी । कहीं ऐसा न हो कि इस सदन के ऊपर कोई ऐसी शक्ति बन जाए जो हमें चलाये । निश्चित रूप से, उस स्थिति में हमारे सदन की गरिमा क्या रहेगी, सदन का महत्व क्या होगा, जब हम ऐसे लाज से बंध जाएंगे ।

इस समय आदर्श पेटेंट लाज हिन्दुस्तान के माने जाते है और दुनिया के सभी विकासशील देश उन्हें मानते हैं और उस हिसाब से चलते है। पीछे की ओर यदि दृष्टि डालें तो अमेरिका में भी, आज से 15-20 साल पहले ऐसे ही नियम थे परन्तु अब वह तरक्की कर गया और वह नहीं चाहता कि उसकी बराबरी पर कोई देश आए । अमेरिका के अतिरिक्त, अगर कुछ अन्य मुल्क है तो उनकी अगवाई हिन्दुस्तान कर रहा है । आज हिन्दुस्तान तरक्की न कर ले, उनकी बराबरी पर न आ जाए, इसकी ओर सब लोग ध्यान दे रहे हैं और वे इस कोशिश में है कि हम तरक्की की रफ्तार में कहीं उनसे आगे बढ़कर आगे न निकल जाएं क्योंकि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है ।

इसलिए मैं चाहूंगा कि इस दिशा में गम्भीरता से विचार करके हम लोग कुछ ऐसे निर्णय लें जो देश और राष्ट्र के लिए लाभकारी हों और आगे आने वाले समय में, किसी भी मामले में हमारी पीढ़ी को दूसरों के सामने लज्जित न होना पड़े और वह विश्वासपूर्वक कह सके कि इस देश के नेताओं ने जो फैसले लिए थे, वे वास्तव में देश हित को ध्यान में रखकर लिए थे। उस दृष्टि से हमें चलना चाहिए । अब मैं ज्यादा न कहते हुए यही समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

[अनुवाद]

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) महोदय, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद व्यापार से सम्बन्धित

बाधाओं को दूर करने के खातिर 'गैट' की स्थापना की गई थी। और अब उरुग्वे में सम्पन्न हुए बहुराष्ट्रीय व्यापार वार्ता के आठवें दौर में "गैट" दर्शन "मुक्त व्यापार" से परिवर्तित होकर "बाजार की तलाश" वाला हो गया है जोकि वस्तुत: विकसित देशों के लिए ही लाभकारी होगा। उरुग्वे दौर की इस व्यापार वार्ता द्वारा विकासशील देशों की हितों को सीमित कर दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि विदेश सचिव, श्री दीक्षित ने अपने हाल के वाशिंगटन दौरे के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों की रक्षा के खातिर भारत और अमरीका संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। मुझे भारत और अमेरिका के इस सम्बन्ध में संयुक्त रूप से कार्य करने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि इसे सुश्री कार्ला हिल्स के द्वारा की गई टिप्पणी के पृष्ठभूमि में देखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि यदि भारत और दूसरे विकासशील देश उस समझौता वार्ता पर अपनी सहमति नहीं देते हैं, जिसका डंकल योजना में प्रस्ताव किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका 'स्पेशल 301' का प्रयोग करने में नहीं हिचकिचाएगा और न ही वह प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करने से हिचकेगा।

वर्ष 1989 में, हम लाभ की स्थिति में थे जब भारत ने नेतृत्व प्रदान किया था और सभी विकासशील देशों ने उसे अपना समर्थन दिया था तथा वार्ता को नए सिरे से शुरू किया गया था। लेकिन इस समय इसकी प्रतिष्ठा में कमी आयी है और वह नेतृत्व का बागडोर भी खो चुका है जो इसे प्राप्त हुई थी। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारे विदेश-सचिव ने यह टिप्पणी की। और उन्होंने यह भी कहा कि हम समझते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ आरोप हैं; उस देश के विरुद्ध हमने जो रुकावटें पैदा की हैं, उनके बारे में भी उनके प्रामाणिक आरोप हैं। उसी प्रकार हमारे वाणिज्य मन्त्री अब डंकल-प्रस्ताव में यथा-प्रस्तुत किए गए कुछ प्रस्तावों के पीछे तार्किकता खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जहां तक भेषज सम्बन्धी मुद्दों का सम्बन्ध है, यह कहा जा रहा है कि इनके मूल्यों में दस से पन्द्रह प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। अत: इस पर वार्ता करने और पुनर्विचार करने की काफी गुंजाइश है। सरकार के ऐसे रवैये से और ऐसी विचारधारा से हमें आशंका है कि हम एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जायेंगे, जहां से हम वापिस लौटने में असमर्थ होंगे। यह कोई नयी बात नहीं है कि बौद्धिक-स्वामित्व को पेटेंट रूप दिया जा रहा है। यह कोई नयी बात नहीं है। लेकिन अब इसमें आविष्कारों को सम्मिलित करने की चेष्टा की जा रही है। खोजें पेटेंट हैं और कानूनी रूप से पेटेंट हैं। अब आविष्कारों को भी पेटेंट करने की भी चेष्टा की जा रही है। यदि श्री कोलम्बस ने 1993 के बाद अमेरिका की खोज की होती, तो उसे अमेरिका पर भी एकस्व का अधिकार होता और वह अमेरिका पर इस सार्वभौमिक अधिकार का दावा कर सकता था और इसका 20 वर्षों की लम्बी अवधि तक शोषण कर सकता था। यह एक बड़ी हास्यपद स्थिति है।

पुन: यह केवल एक प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि पेटेंट किए जाने वाले उत्पाद भी हैं। जब तक अमेरिका कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था, जब तक अमेरिका में भुखमरी थी, तब तक उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने यह दबाव नहीं डाला कि भोजन और इन सभी वस्तुओं की सुरक्षा के बारे में एकस्व-अधिकार होने चाहिएं।

4.00 म० प०

अब हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और वे यह मांग करते हैं कि इस मामले में एकस्व-अधिकार भी दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? पहले हम क्या कर सकते थे ? यदि एक अन्य प्रक्रिया पर एक विशेष प्रक्रिया पेटेंट की गई है, तो हम उसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। हम वैसा कर सकते हैं। यही वह तरीका है जिससे भारतीय कृषि का विकास हुआ है; इसी तरीके से हम नए बीज पैदा कर सके और यही वह तरीका है, जिससे हम कृषि के क्षेत्र में वर्तमान स्तर तक आ पाए हैं। इसी तरीके से हमारे किसान आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर हुए हैं।

अब यदि उसे डंकल-प्रस्ताव के अनुसार बदल दिया जाता है, तो कठिनाई यह होगी कि इसके समरूप उत्पाद-उत्पादित करने हेतु हम कोई अन्य साधन अथवा कोई अन्य प्रक्रिया उपयोग करने के योग्य नहीं हो पायेंगे। अतः भारत के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पुनः इसका विस्तार जीव-धारियों तक भी हो सकता है। यह खतरनाक भी है।

डंकल-प्रस्तावों की कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं : (1) हर मामले में विदेशी निवेशकों को स्वदेशी कम्पनियों के बराबर माना जाना चाहिए;

(2) विदेशी-इक्वीटी सहभागीदारी पर कोई बन्धन नहीं होना चाहिए;

(3) स्थानीय उपलब्ध उत्पादों को उपयोग करने पर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए; और

(4) कच्चे माल, कलपुर्जों और अन्तःसामग्री का आयात मुक्त होना चाहिए और आयात खोजने के लिए कोई निर्यात बाध्यता नहीं होनी चाहिए।

जहां तक इस भाग का सम्बन्ध है, हमने अपनी औद्योगिक नीति एवं व्यापार नीति के अंतर्गत इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है। इसका क्या अर्थ है ? इसका केवल यही तात्पर्य है कि हम अपनी प्रभुसत्ता को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को समर्पित करने जा रहे है। हम अपनी प्रभुसत्ता को संयुक्त राज्य अमेरिका के हित में समर्पित करने जा रहे हैं। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारी स्थिति ऐसी होगी : क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून होगा ही और क्योंकि आपकी ओर से इस कानून की पालना करना बाध्य होगा, ऐसे ही भारत प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद को भी करना होगा, तो जिन अधिनियमों को हमने पारित किया है—1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम को डंकल-प्रस्ताव में प्रस्तावित किए जा रहे नए अतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप संशोधित करना पड़ेगा। इस स्थिति में हम आज खड़े हुए हैं।

मैंने कृषि के बारे में पहले ही बता दिया है। जहां तक हमारे औषध उद्योग का सम्बन्ध है, बहुत-से सदस्यों ने कहा है और मैं इस पर सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं कि समय की कमी है। यदि यह स्वीकार्य है, तो इस उद्योग के मामले में भारत जो आनुपातिक फायदा उठा रहा है और बाहर विश्व—अमेरिका में ही—में जो आनुपातिक बाजार है, उस फायदे को हम खो

वेंगे और जीवन रक्षक दवाइयों के निर्यात के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अतः जीवन और स्वास्थ्य—हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य—आयात पर निर्भर होगा और यह एक त्रासदी होगी। हमें इसे ऐसे ही प्रदत्त नहीं समझ लेना चाहिए। अतः, भारत सरकार को एक बहुत ही निर्भीक रुख अपनाना चाहिए। श्रीमती कार्ला हिल्स ने हमें धमकी दी है कि वह 301-विशेष द्वारा लगाएंगी। अब कुछ लोगों को यह भी आशंका है कि यदि हमारे विरुद्ध वे कार्रवाईयां की जाती हैं, भारत की भुगतान-सन्तुलन की समस्या और भी गम्भीर हो जाएगी। कुछ लोगों ने कहा है कि हमारे लिए केवल दो ही रास्ते खुले हैं, वह हैं—या तो हमें इसे स्वीकार करना होगा अथवा हमें जी० ए० टी० टी० की सदस्यता त्यागनी होगी अथवा हमें निष्कासित कर दिया जाएगा। मैं नहीं समझता कि वास्तव में कोई धमकी दी गई है। भारत संस्थापक सदस्यों में से है। भारत पर विकसित देशों का भाग्य निर्भर करता है। भारत अभी भी नेतृत्व कर सकता है। कोई भी भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता और न ही इसके विस्तृत बाजार एवं इसकी विलक्षण भू-राजनैतिक स्थितियों की अनदेखी कर सकता। वास्तव में हम यह समझते हैं कि भारत की सदस्यता समाप्त करने के लिए विश्व के सैकड़ों देशों को आपस में एकत्रित होना पड़ेगा। अतः यह वास्तविक धमकी नहीं है।

साहस की आवश्यकता है, दृढ़ विश्वास की जरूरत है और जरूरत है परिवर्तन के एक दर्शन को लाने की, सामाजिक न्याय सहित एक परिवर्तन की, जिसका कि सरकार ने वायदा तो किया था, परन्तु जनता को इसे कभी भी प्रदान नहीं किया है।

मैं डंकल प्रस्ताव को इसी सन्दर्भ में देखता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह चपले-बाजी करने से बाज आए। उसे एक दृढ़ रुख अपनाना चाहिए। उसे इसमें निहित सभी बातों की आम जानकारी देनी चाहिए। संसद में विस्तृत चर्चा के पश्चात, हमारे देश के बुद्धिजीवियों से परामर्श के बाद, हमारे देश की जनता से विचार प्राप्त कर, सरकार को एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उसे कदम-दर-कदम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, विश्व-बैंक के पूंजीपतियों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा डंकल प्रस्ताव जिससे कि इस संसार में एक उपनिवेशवाद व्यवस्था उत्पन्न होने जा रही है, की इच्छापूर्ति की बिल्कुल गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर एक कड़ा रुख अपनाए और जनता को विश्वास में ले।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, आप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि समय बहुत कम है और हमें बहुत संक्षिप्त में अपने विचार रखने हैं।

सभापति महोदय : मैंने चेतावनी नहीं दी है। यह तो सभा की मर्जी है। बहुत-से सदस्यों ने कहा है कि हमें और समय नहीं बढ़ाना चाहिए।

श्री ए० चार्ल्स : सरकार ने इस विषय पर एक पूर्ण और विस्तृत चर्चा कराने का वायदा किया है। मेरे विचार से जब सरकार तथाकथित डंकल प्रस्ताव, जोकि एक महान पिशाच शिशु के रूप में लगभग तैयार हो चुका है, वास्तव में उसमें क्या निहित है और अधिक ब्यौरे सहित इस सभा के

सामने आएगी तो सभा में इस पर एक और अधिक अर्थपूर्ण चर्चा होगी। डंकल-प्रस्ताव में जो कुछ निहित है, उसे स्वीकार करने के लिए अब मैं यहां नहीं खड़ा हुआ हूं।

पिछले चार दशकों में संसार में अद्भुत परिवर्तन हुए हैं। विशेषकर पिछले दो वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं, वह दूरगामी हैं, विस्तृत हैं और उन्होंने समस्त विश्व को प्रभावित किया है। संसार के एक भाग में क्या हो रहा है, उसका शेष समस्त विश्व पर प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं कि सोवियत संघ में जो हुआ था, उसका हमारे महान राष्ट्र की प्रगति और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था।

पिछले दो महीनों में एक प्रयास किया गया है कि सरकार ने जो भी सारे परिवर्तन प्रारम्भ किए हैं—चाहे वह इस देश के आर्थिक जीवन से अथवा इस देश की व्यापार नीति से अथवा कृषि क्षेत्र से अथवा वाणिज्यिक क्षेत्र से सम्बन्धित हो, ये विगत वर्षों में लागू नीतियों से अलग ही नहीं बल्कि उनके विपरीत हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आयोजना की नेहरूवादी नीति, समाजवादी नीति की आलोचना करने वाले सभी लोगों, नेहरू की प्रशंसा करनी शुरू कर दी है, और उनकी नीतियों की भूरी-भूरी प्रशंसा करने लगे हैं। वे कहते हैं कि हम उन नीतियों से अब पूर्णतया हट रहे हैं।

इन परिवर्तनों को बदला नहीं जा सकता। जब हम यह देखते हैं कि हमारा रास्ता काफी लम्बा तथा मुश्किलों से भरा है तो हम किसी उपमार्ग को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। 'बाईपास सर्जरी' का भी यही अर्थ है। सारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हम उपमार्गों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह परिवर्तन वे उपमार्ग ही हैं जिनकी हमें जरूरत है। हमारे उस उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। उस नींव में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो हम पहले ही रख चुके हैं।

मेरा यह कहना है कि दुर्भाग्यवश विपक्ष गैट, आई० एम० एफ०, आई० बी० आर० डी० जैसी कुछ ऐसी शब्दावली को दोहरा रहा है जिसे उन्होंने पूरी तरह से समझा नहीं है। आम आदमी ऐसा समझ रहा है जैसे कोई पिशाच उसके पीछे लगा दिया गया है। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि हमारा देश गैट, आई० एम० एफ०, आई० बी० आर० डी० इत्यादि सभी संगठनों संस्थापक सदस्य है। दुर्भाग्यवश, चीन अभी भी "गैट" तथा आई० एम० एफ० की सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप चीन की सहायता क्यों नहीं करते ?

श्री ए० चार्ल्स : मैं किसी राजनैतिक लाभ अथवा राजनैतिक मुद्दे पर चीन के नाम की चर्चा नहीं कर रहा। परन्तु हम अपने देश की तुलना सिंगापुर से नहीं कर सकते। हम सिंगापुर की तुलना त्रिवेन्द्रम शहर से कर सकते हैं। हम अपने देश की तुलना चीन अथवा संयुक्त राज्य अमरीका या भूतपूर्व सोवियत संघ—वर्तमान सोवियत रूस से कर सकते हैं। वहां पर क्या हो रहा है? हम जानते हैं कि चीन ने डंकल प्रस्ताव की अधिकतर शर्तों को स्वीकार कर लिया है जिनके साथ कुछ कठोर शर्तें भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि उनकी अपनी समस्याएं हैं। मेरे मित्र ने स्पेशल-301 की चर्चा की है। यही आसन्न संकट उनके ऊपर भी बना हुआ है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : चीन गैट का सदस्य नहीं है।

श्री ए० चार्ल्स : नहीं, मैंने यह कहा है कि वह अभी भी गैट की सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। वह इसका सदस्य नहीं है। हम इसके संस्थापक सदस्य हैं।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : चीन इसका सदस्य नहीं है। माननीय सदस्य का कहना है कि चीन इसका सदस्य नहीं है। वह केवल इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है।

सभापति महोदय : कृपया, अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ए० चार्ल्स : आपका कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे चीन का हवाला नहीं देना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ए० चार्ल्स : मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने के पश्चात् मैं दो तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, डंकल प्रस्ताव की कुछ शर्तों के प्रति हम सभी गम्भीर हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ भी उस प्रस्ताव में है, वह सभी कुछ हमारे हित में नहीं हैं। हम यह नहीं कहते कि हम इसे पूर्ण रूप में स्वीकार कर लेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि जब इस प्रस्ताव को सार्वजनिक किया गया था तो माननीय वाणिज्य मन्त्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। हम इसका गम्भीरता से अध्ययन कर रहे हैं तथा इसके कुछ प्रावधान पक्षपातपूर्ण हैं।

बहरहाल, 108 देश पिछले कई वर्षों से गैट से विचार-विमर्श कर रहे हैं। यह अचानक ही थोपा नहीं गया है। यह एक काफी बड़ा दस्तावेज है जो कि कानूनी उलझनों से भरा हुआ है। मैं नहीं समझता हूं कि इस सभा में उसे किसी ने पूर्ण रूप में पढ़ा है। मैंने भी सारे का सारा नहीं पढ़ा है। कुछ समाचार पत्रों में भी इस सम्बन्ध में रिपोर्टें प्रकाशित हुईं। कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई है। हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु हम दो पक्षों के प्रति जागरूक हैं। ट्रिप्स (टी०आर०आई०पी० एम०) पूर्ण रूप से स्वागतयोग्य नहीं है। जहां तक पेटेन्ट कानून का सम्बन्ध है, हमें इस सम्बन्ध में काफी सावधान रहना होगा। परन्तु कृषि के क्षेत्र में यद्यपि शुरू में इसे हानिकारक माना गया था, अब हम जानते हैं कि यह हानिकारक नहीं है। डंकल प्रस्ताव में कुछ एक ऐसे प्रावधान हैं जो कि हमारे कृषि क्षेत्र के लिए लाभकारी हैं। परन्तु 'ड्रग्स' तथा फार्मेस्यूटिकल्स के सम्बन्ध में हमें काफी सावधान रहना पड़ेगा। यह शंका व्यक्त की गई है कि इसे देश के औषधि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा दवाइयों की कीमतों में 10 से 30 गुना वृद्धि हो सकती है। यह शंकाएं व्यक्त की गई हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार इसके द्वारा पूरे ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगी। हम अब विश्व की अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। हम इससे अलग नहीं रह सकते तथा हमें इसमें भाग लेना ही पड़ेगा। अगर हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी भागेदारी चाहिए तो हमें अधिकतम उत्पादकता, उच्चतर गुणवत्ता, कम लागत, विदेशी पूंजी निवेश, विदेशी बाजारों में व्यापक उपस्थिति, इत्यादि को सुनिश्चित करना होगा। अगर हम इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मेकावर की तरह

किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और न ही स्वर्ग से मन्ना की बौछारों का इन्तजार करना चाहिए तथा न ही हमारे पास अलादीन का चिराग है। अगर हमें वास्तविकता को समझना है तो हमें परिश्रम करना होगा। ये वास्तविकताएं हमारे सामने हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार निकट भविष्य में इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेगी तथा हम इस पर विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। वे शर्तें जो हमारे लिए हानिकारक नहीं हैं, उन्हें ही स्वीकार किया जा सकता है तथा हम सब यह जानते हैं कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभी तक अपनी पूर्ण सहमति नहीं दी है। बाकी लगभग सभी देश इसे स्वीकार कर चुके हैं। कम से कम वे आंशिक रूप में इसे स्वीकार कर चुके हैं। 80 प्रतिशत शर्तें सभी देशों द्वारा मान ली गई हैं। हम यह जानते हैं कि 80 प्रतिशत शर्तें हानिकारक नहीं हैं बल्कि हमारे लिए लाभकारी हैं। माननीय मन्त्री जी यहां पर उपस्थित हैं। मेरा यह भी निवेदन है कि इस सम्बन्ध में अर्थपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। हमारे दूसरे पक्ष के सहयोगी ऐसी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि हमने अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता त्याग दी है जैसे कि उन्होंने अपनी बौद्धिक प्रभुसत्ता त्याग दी है। पूर्ण चर्चा करवाने से, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : यद्यपि समय समाप्त हो चुका है, परन्तु जनता दल के किसी भी सदस्य को बोलने का अवसर नहीं मिला है, इसलिए मैं श्री नीतीश कुमार को इस विधेयक पर बोलने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रस्तावों, ट्रिप्स, ट्रिम्स और गैट, हमारे देश के पेटेन्ट कानूनों और आर्थिक प्रभुसत्ता का अभिनन्दन करेंगे, उसको अस्वीकृत करने के लिए माननीय सदस्य, श्री रूपचन्द पाल जी, द्वारा यह संकल्प लाया गया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा का अवसर प्रदान किया।

दरअसल ये तीनों चीजें, जो गैट नैगोसिएशन हो रहा है, जो उरुग्वे राउन्ड की वार्ता हो रही है, उससे ये सारी चीजें निकली हैं। डंकल ड्राफ्ट पर पूरे देश में और पूरी दुनिया में कई प्रकार से बहस हो रही है और चर्चा हो रही है। अपने देश में भी दो-तीन ग्रुप काफी सक्रिय तौर से इस पर बहस में लगे हैं और जनमानस भी तैयार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से तमाम समूहों को धन्यवाद देते हुए सरकार से आग्रह करूंगा, संसद की राय के अलावा जो इस विषय में काफी सक्रिय हैं और बुद्धिजीवी हैं, उनकी राय भी ली जानी चाहिए। एक कम्पेन चल रहा है, जिसकी संयोजन डा० सुमन सहाय है, इन्फार्मेन डिसकशन ग्रुप ऑन डंकल ड्राफ्ट की पूर्वी पांडे कोआर्डिनेटर हैं और नेशनल वर्किंग ग्रुप ने भी एक सेमीनार आयोजित किया था, उसमें आई बातों को संकलित करके सांसदों को भेजा है। हम यह उम्मीद करेंगे कि संसद में भी इस प्रकार की चर्चा हो और इसके अलावा इस प्रकार के समूहों में चर्चा हो रही है, उन विद्वान पक्षों के विचारों पर भी सरकार विचार करे और उनसे विचार-विमर्श जरूर करेगी। अगर सचमुच अपनी आर्थिक समप्रभुता को [illegible] नहीं बनाना है, उसको सरन्डर नहीं करने देना है, तो उन लोगों से भी बातचीत हो।

सभापति जी, ट्रिप्स पर जो चर्चा हो रही है, दरअसल में अमरीका का जो स्पेशल 301 कानून है, वह उसी को पूरी दुनिया पर थोपना चाहता है। जब कभी भी कोई बहस होती है, जो कांग्रेस के दूसरे लोग हैं, उदाहरण देते हैं कि चीन ने इससे भी आगे मान लिया है। चीन तो गैट का सदस्य नहीं है, लेकिन 108 मुल्क उसके सदस्य हैं और हम सन् 1948 से उसके सदस्य हैं। यह जो नई बात 1986 से चल रही है, जो बातचीत इन छः वर्षों में पूरी नहीं हो रही है, उस पर रोज नए-नए मतभेद बढ़ते हैं, उसको किनारे रखकर चीन ने उससे भी अधिक जाकर समझौता कर लिया है अमरीका के साथ, तो हम यह मानें कि डंकल ड्राफ्ट में हमारा अहित नहीं है। यह बिल्कुल ही एक शर्मनाक तर्क है। चीन की अपनी मजबूरी हो सकती है, चीन के अपने हालात देश के हो सकते हैं और चीन को कई लाभ हो सकते हैं, कई प्रकार के समझौतों से, कपड़े के मामले में लाभ हो सकता है, उनके जो एक्सपोर्ट का टर्न ओवर है वह हमसे कई गुना ज्यादा है, कई चीजें हैं जिससे चीन और हमारी तुलना नहीं की जा सकती है। तो हम यह अनुरोध करेंगे, सरकार को बार-बार, कि चीन के सामने रख करके और हिन्दुस्तान के आम जनमानस को गुमराह नहीं करना चाहिए। हिन्दुस्तान का जनमानस विस्तार से किसी चीज को नहीं पकड़ता। हमेशा देखा गया है लड़ाई के समय से ही, कि लोग एक बात को पकड़ लेते हैं, चाहे चुनाव का वक्त हो या आन्दोलन का वक्त हो, एक बात को हिन्दुस्तान की जनता पकड़ती है।

हम लोग कह रहे हैं कि डंकल ड्राफ्ट से आर्थिक संप्रभुता को खतरा है और सरकार की तरफ से एक ही बात, कि चीन ने कर लिया है, मतलब लोगों को यह बतलाना कि चीन जैसे मुल्क ने दस्तखत कर लिया, जो हमसे बड़ा है तो हमारे लिए इसमें क्या लाचारी है। लोग तो इसके विस्तार में जाएंगे नहीं, तफसील में जाएंगे नहीं, तो यह कह करके इस तरह से जनमानस को गलत दिशा में मोड़ने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक शर्मनाक तर्क यह दिया जा रहा है। हम आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि सरकार कम से कम यह तर्क न दे और साफ-साफ संसद के समक्ष और देश के समक्ष इस बात को रखे कि हमारे हित में क्या है और हमारे हित में क्या नहीं है।

अब स्पेशल 301 को लागू करने की साजिश है, ट्रिप्स के जरिए। सभापति महोदय, समय कम है इसलिए मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को रखकर समाप्त करूंगा। आखिर क्या है, यह पेटेन्ट लॉ, जो वे करना चाह रहे हैं, उर्वरक, कीटनाशक, बीज, यह सभी चीज पेटेन्टबद्ध हो जाएगी, मेडीसंस, यह सब पेटेन्टबद्ध हो जाएंगे। (व्यवधान) अब आप देखिए पौधे और पशु जीवित प्राणी हैं, क्या इनको पेटेन्टबद्ध किया जा सकता है, कल कहिएगा कि मनुष्य को हम पेटेन्टबद्ध कर देंगे, यानी एक बड़ा खतरनाक तर्क इस देश में चल रहा है। (व्यवधान) इसका नैतिक पक्ष भी सोचना चाहिए, जब यह पौधे और पशु पेटेन्टबद्ध होंगे तो मनुष्य भी पेटेन्टबद्ध होने लगेंगे, मतलब कौन पैदा करेगा, किस प्रकार का आदमी इस देश में पैदा होगा, अब सिर्फ यही बचा है, तय करने के लिए अमरीका को। हिन्दुस्तान के आदमी का रंग कैसा होगा, यह भी वे तय करेंगे और हम भी सोचेंगे कि हमारा रंग काला है, अच्छा होता यदि हम गोरे हो जाते। (व्यवधान) तो इस तरह से हमारे देश की जो नैतिकता रही है, हमारे देश का जो एक राष्ट्र धर्म रहा है, मतलब भगवान और धर्म संस्कृति के हिसाब से नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान का जो अपना राष्ट्र धर्म रहा है उसके हिसाब से जो हमारी मान्यता रही है, शुरू से हमारी जो सभ्यता है उसके मुताबिक हम इस चीज को कतई स्वीकार नहीं कर सकते कि जीवित चीजों को पेटेन्टबद्ध किया जाए, तो यह बड़ी खतरनाक बात हो रही है, नैतिक पक्ष से। (व्यवधान)

सभापति महोदय, अब आर्थिक पक्ष की बात है, मैं एक ही तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर देना चाहता हूं, अब इसका आर्थिक पक्ष क्या होगा, अब यह अमरीका की दादागिरी है. अब यह कहते हैं कि कुछ जिंस का विकास करके, जिन ए में जिन बी को मिला करके एक नई चीज पैदा हो जाएगी और फिर हमको कहेंगे कि हमारी चीज है हम इसको पेटेन्ट करेंगे और मल्टीनेशनल कम्पनियां उसकी आपूर्ति करेंगी। (व्यवधान) मतलब, दुनिया जानती है कि गेहूं और दूसरे फसल, जिसको हमारे किसानों ने पैदा किया है और कई पांच हजार, छः हजार साल से विकसित होते-होते एक खास स्थिति में पहुंचे हैं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वह दुनिया के कृषि वैज्ञानिकों के साथ होड़ लगा सकते हैं, उनको कहीं से भी कमजोर नहीं माना जा सकता। उन्होंने तरह-तरह के अनुसन्धान किए हैं, तरह-तरह के रिसर्च किए हैं और हम आगे बढ़े हैं। हमारे यहां एक से एक हाईब्रिड सीड की वरायटी विकसित हुई है और हर प्रकार से हमारा इसमें विकास हुआ है लेकिन अब अमरीका जो तैयार करेगा उसी को पेटेन्ट करेगा, हमारी ही चीजों को लेकर के उसमें कई फेरबदल कर देगा और कहेगा कि यह हमारा पेटेन्ट है। मतलब, जो हमारी परम्परागत खेती है वह धीरे-धीरे चौपट हो जाएगी। हम मल्टीनेशनल कम्पनियों के माध्यम से पहले ही इस चीज का एनाउन्स करके, अब इस बजट में जो डा० मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि इस हिन्दुस्तान में किसी भी चीज का आयात हो सकता है, अब वह जो बीज आयात होंगे और उनके जो प्रचार का ढंग है, वह जिस प्रकार से अपनी चीजों को विज्ञापित करते हैं। (व्यवधान) उनका जो अनुभव है तो हमारे यहां जो सीड कम्पनियां हैं, सीड कारपोरेशन हैं, सरकारी या हमारा जो रिसर्च वर्क आई०सी०ए०आर० के मार्फत हो रहा है वह सभी के सभी उसके सामने कितनी देर तक टिक पाएंगे। दूसरी बात है कि वह जो सीड हमारे पास लेकर आएंगे वह अपने कन्डीशंस में पैदा करेंगे, हमारे जो एग्रो क्लामेटिक कन्डीशन हैं, भारत की जलवायु की जो स्थिति है उसके मुताबिक वह सूटेबल नहीं होगा, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारे बीच ऐसे विज्ञापन देकर के वे इस प्रकार के बीजों को लाएंगे कि हमारे किसान भी प्रलोभन में आ करके उसको खरीदने लगेंगे और सबसे खतरनाक बात है कि हमारे किसान जो सीड मल्टीनेशनल कम्पनियों से खरीदेंगे और जब वह फसल उपजा लेंगे तो फिर उसके एक हिस्से को बीज के रूप में संग्रहीत करके नहीं रख सकते। अब कोई बीज के रूप में संग्रहीत करके रख लेगा तो क्रास रीटेलिएशन इनका जो है और दूसरे अधिकार हैं, जो हिन्दुस्तान के ज्युरिसप्रुडेंस सिद्धान्त के खिलाफ हैं, जो गलती करेगा और जो आरोप लगाता है···।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है।

अभी भी 10 से 12 ऐसे सदस्य रह गये हैं जो कि इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, परन्तु इसके लिए निश्चित किया गया समय समाप्त हो चुका है।

गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य आरम्भ करते हुए यह कहा गया था कि निर्धारित समय में अक्सर बढ़ोतरी की जाती है तथा जहां तक सम्भव हो सके, इस प्रवृत्ति को टाला जाना चाहिए, तथा आप सब इस पर सहमत थे।

अब अगर आप सहमति दें, तो मन्त्री महोदय चर्चा का उत्तर दें। अगर आप चाहते हैं कि जिन 10-12 सदस्यों का नाम सूची में है, उन्हें भी समय दिया जावे तो इसमें और तीन घण्टे का समय लग जायेगा। अगर समयावधि बढ़ा दी जाये तो प्रत्येक सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकेगा। इसलिए अब यह सदन पर निर्भर करता है। अगला प्रस्ताव श्री मोरेश्वर सावे के नाम पर है।

श्री मोरेश्वर सावे : गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य में मेरा प्रस्ताव दूसरे नम्बर पर है। इन सभी का बैलट किया गया है। बड़ी मुश्किल से मेरा नाम 'बैलट' में आया है। अगर मुझे इस अवसर से वंचित किया गया तो यह उससे अन्याय होगा। अगर सदन समय अवधि बढ़ाना ही चाहता है तो आधे घण्टे के लिए बढ़ा दी जाये।

सभापति महोदय : श्री चित्त बसु, आपका क्या विचार है?

श्री चित्त बसु (बारसात) : मेरा यह कहना है कि समय बढ़ाया जाये तथा उनका प्रस्ताव भी कुछ मिनटों के लिए चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाये।

सभापति महोदय : यदि हम इस संकल्प के लिए समय में वृद्धि करें तब भी मैं उन सभी 10-12 सदस्यों को मौका नहीं दे सकता, जिन्हें अभी बोलना है। क्योंकि हर व्यक्ति 15 मिनट ले रहा है।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुर द्वारस) : इसके वास्ते एक घण्टे की वृद्धि की जाए। इसके बाद वह अपने संकल्प को पेश करें। अगले दिन वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : समय इस प्रकार निर्धारित करें कि अमुक अमुक घण्टा मुझे मिलेगा।

सभापति महोदय : क्या कोई सदस्य सुझाव देना चाहेगा कि किस समय तक यह अवधि बढ़ाई जाये?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। आप एक घण्टा और बढ़ा सकते हैं।

सभापति महोदय : अब 4.25 म० प० बजे हैं। हमें इसे 5.25 म० प० तक समाप्त कर लेना चाहिए। मन्त्री महोदय को इस पर कुछ कहना होगा और संकल्प पेश करने वाले सदस्य को उत्तर देना होगा। इसलिए यदि आप सभी सहमत हैं तो यह ठीक है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

[हिन्दी]

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, अगर इस बिल को आज नहीं लिया गया तो यह लैप्स हो जाएगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसलिए हम इस संकल्प के लिए निर्धारित समय में एक घण्टा और बढ़ाते हैं। हम सहमत हैं कि इस संकल्प के लिए समय एक घण्टा और बढ़ाया जाये और इसे 5.25 म० प० तक समाप्त करना है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए समय बढ़ाया जाये।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि यह बात इण्डियन ज्युरिसप्रूडेंस सिद्धान्त के खिलाफ है। जिस पर आरोप लगता है, प्रासीक्यूटर का काम है उसको साबित करना कि इसने गलती की है, लेकिन इस कानून के तहत अगर किसी पर आरोप लगेगा तो उसी को साबित करना होगा कि वह निर्दोष है। हमारा जो मूल ढांचा है, ज्युरिसप्रूडेंस का सिद्धान्त है, उसके खिलाफ यह बात है। अगर कोई किसान मल्टीनेशनल कम्पनी से बीज खरीदेगा तो वह फसल में से बचाकर अगली बार उसका प्रयोग बीज के रूप में करेगा तो भारत सरकार उसको पकड़ेगी। कम्पनी के एजेंट भारत सरकार को खबर करेंगे और भारत सरकार उसको सजा देंगी। अगर भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी तो भारत सरकार से क्रास रीटेलिएशन के रूप में बदला लिया जाएगा। मतलब एक भयानक चीज की ओर हम जा रहे हैं, इसको स्वीकार करने जा रहे हैं। इसका नतीजा बहुत खराब होगा। भारत की अपनी कृषि चौपट हो जाएगी और जो बीज बाहर से आएगा उसके साथ रोग भी बाहर से आयेंगे, कई प्रकार की कठिनाइयां होंगी, धीरे-धीरे हमारी खेती चौपट होती चली जाएगी। यही हश्र होगा दवाइयों के बारे में।

मैं एक खतरे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करके अपनी बात समाप्त करता हूं। सरकार कहती है कि 10 से 15 प्रतिशत दवाइयां ऐसी हैं जो इसके अन्तर्गत आयेंगी बाकी 85 प्रतिशत दवाइयां हमारे यहां बनती रहेंगी। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि न चिदम्बरम साहब के यहां वह रोग है और न ही यहां बैठे हुए टाईटलर साहब के यहां यह रोग है। मेरे चुनाव में टाईटलर साहब आए थे, पता नहीं इनको मिला या नहीं मिला कालाजार का मरीज। बिहार में कालाजार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मुझे दुलार सिंह मिला है।

श्री नीतीश कुमार : पता नहीं कौन-कौन मिल गया। टाईटलर साहब किस-किस के साथ घूम रहे थे यह हम अलग से बता देंगे, इसमें सदन का समय जाया करने की जरूरत नहीं है। कालाजार की बीमारी लाइलाज नहीं है। लेकिन इस बीमारी से हजारों लोग मर रहे हैं। क्योंकि इस बीमारी की दवा हमारे यहां नहीं बन रही, विदेश से लानी पड़ती है। विदेश से इतनी मात्रा में दवा मिल नहीं पाती जितनी मात्रा में हमें जरूरत है। इसलिए हम बता रहे हैं कि जो बीमारी, जिसका इलाज दुनिया में सम्भव है, हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं और हजारों लोग मर रहे हैं और लाखों लोग इसके

शिकार हैं। इसी प्रकार से कई ऐसी बीमारियां हमारे यहां होंगी जिनका इलाज है, लेकिन उनकी हम दवा नहीं बना सकेंगे, विदेश से लानी होगी। वह दवा पर्याप्त मात्रा में हमको नहीं मिलेगी और हमारे लोग मरेंगे। भूख से मरेंगे, बीमारी से मरेंगे यही है समूचा कानून। इसलिए इसको रिजेक्ट करें और सरकार अपनी सम्प्रभुता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करें। हम यही आग्रह करेंगे।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुर द्वारस) : सभापति महोदय, हमारा हिन्दुस्तान अपने स्वाभिमान के लिए संसार मे प्रसिद्ध है। हमारे यहां बहुत से कल्चर हैं, बहुत से रंग-रूप हैं, खान-पान भी अलग है। मैं सहायता लेने के लिए मना नहीं करता हूं। कोई देश आकर हम लोगों की सहायता करे। लेकिन इस शर्त पर कि हमारी असलियत मे परिवर्तन न हो। हमारे पास जो कुछ है वह डिवेलेप करने के लिए यदि कोई सहायता दे सके तो वैलकम है। किन्तु यहां पर जैसा हम लोगों को सुझाव दिया जा रहा है कि हर चीज में नए रूप से परिवर्तन होंगे, जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि आदमी का भी परिवर्तन होना जरूरी हो जाएगा, अभी तो पेटेंट आ रहा है बीज के लिए आ रहा है। उस तरह की घटना इतिहास में कहीं भी नहीं है। हिन्दुस्तान का सारे संसार में नाम है कि इतनी भिन्नता रहते हुए भी हम लोग एक राष्ट्र के आदमी हैं। हम लोग इसको कायम रखना चाहते हैं। हमारे यहां जो टैलेंट है, बुद्धि है, ज्ञान है, वैज्ञानिक हैं उनकी बेइज्जती करनी होगी यदि हम दूसरे देशों में जाकर सहायता मांगेंगे। अमेरिका में इन्जीनियर, डाक्टर हैं, वे अधिकतर भारत से ही गए हुए हैं, इन्जीनियर कल कारखानों को चलाते हैं। यहां का टैलेंट सारी दुनियां में फैला हुआ है और बहुत एप्रीशिएबल है। ऐसी अवस्था में यदि हमारा हिन्दुस्तान जहां से इतना टैलेंट दूसरे देशों की सहायता कर सकता है तो यह कोई बात नहीं कि अमेरिका जो खुद हमारी सहायता ले रहा है, हमारे इन्जीनियर वहां काम कर रहे हैं, हमारे बड़े से बड़े डाक्टर वहां पर हैं, मन्त्री लोग अमेरिका जाते हैं अपनी हैल्थ चैकअप कराने के लिए, वे जाकर देखते हैं कि हमारे देश के डाक्टर वहां हैं, वही लोग उनको चैक करते हैं। ऐसी अवस्था में हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश अमेरिका, आई० एम० एफ०, वर्ल्ड बैंक और डंकल प्रपोजल का सहारा ले तो इस सरकार को अपने देश के मान-सम्मान की परवाह नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग अपने मान-सम्मान को न खोएं। ये लोग जब सहायता देने आ रहे हैं, हमें पहली बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई किसी की सहायता करने के लिए नहीं आता है। अमेरिका अपने में गोलमाल हैं। वह अपने लाभ के लिए हमारे यहां आना चाहता है। कोई भी बिजनेसमैन, यह समझने की बात है, साधारण आदमी भी समझता है, कोई आदमी किसी की सहायता करने के लिए आए उसे अपना लाभ कितना होगा, यह देख कर वह आता है। जिसके पास वह आ रहा है उसको कितना लाभ होगा या कितना नुकसान होगा, इस बात का वह विचार नहीं करता है। हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि स्वावलम्बी बनें। 40 वर्ष हो गए जवानी हमारे देश की हो गयी। चालीस वर्ष की आधी उम्र होती है तो मर जाते थे। अब चालीस साल का जवान राष्ट्र है। अगर उसको चलाना, बोलना या बैठाना सिखाया जाए या क्या काम करना है, यह सिखाया जाए तो यह देश की बहुत बड़ी बेइज्जती है। मेरा अनुरोध है कि यह जो रेजोल्युशन कामरेड ने मूव किया है, इसको सरकार द्वारा माना जाना चाहिए। हमारे देश के जीव-जन्तुओं पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है और कहीं न कहीं रखा जा रहा है ताकि ये खत्म न हो जाएं। हमारे देश के बहुत सारे कल्चर हैं और हमारी पुरानी परम्पराओं को बीसवीं सदी में कैसा देखना चाहते हैं, इसलिए यह जो रेजोल्युशन आया है इसको भली रीति से स्टडी करके स्वीकार करें और अपना ज्ञान न हराएं। हिन्दुस्तान की इज्जत होनी चाहिए। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम

किसी से छोटे नहीं हैं। हमारे स्वाभिमान को रखना होगा। अमेरिका या किसी का हमने हाथ नहीं पकड़ा है। यह व्यक्तिगत सवाल नहीं है। यह सारे देश की इज्जत का सवाल है।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, यह पहला अवसर नहीं है कि संसद में यहां पर व्यापार और शुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते पर चर्चा हो रही है अथवा ऐसा भी पहली बार नहीं हो रहा है कि व्यापार और वाणिज्य पर चर्चाएं हो रही हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 से शुरू होकर विभिन्न स्थानों पर ऐसे सात चक्र पूरे हो चुके हैं। समय की कमी के कारण, मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा। अब आठवां चक्र चल रहा है। वर्तमान वार्ताएं 1986 में शुरू हुई। इसे चार वर्ष बाद अर्थात् 1990 में अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्ताव देने थे। लेकिन विचारों में बहुत भिन्नता है, कोई सर्वसम्मति नहीं है, इसलिए इसका समय बढ़ा दिया गया है। दिसम्बर 1991 में इस समिति के चेयरमैन ने, जिसे इन चर्चाओं का पर्यवेक्षण करना था, इन चर्चाओं में व्याप्त रुकावट को देखकर स्वयं ही अपने आप अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने आप ही इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए भाग ले रहे देशों में परिचालित किया और केवल तीन सप्ताह में अपने मत देने के लिए कहा।

जैसाकि मैं पहले भी कह चुका हूं, इस बारे में चर्चाएं हुई हैं और हम सभी जानते हैं कि आज विश्व भर में अर्थव्यवस्था में उदारता की बात हो रही है।

अवरोध टूट गए हैं। पिछले दो वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। दोनों जर्मनी एक हो गए हैं। वियतनाम भी एक हो गया है। इसके साथ ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय बना। अनेक घटनाएं हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा साम्राज्य एक महाशक्ति टुकड़े-टुकड़े हो गई है। अनेक घटनाएं हुई हैं और हम इनसे अलग नहीं रह सकते। इस समय हर बात बहुत तेजी से अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण कर रही है। चर्चा के इन विभिन्न चक्रों की विशेषता क्या है? इस बार टी० आर० आई० पी० एम०, टी० आर० आई० एम० एस०, सेवाएं, कृषि जैसे नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

डन्कल प्रस्तावों में कुछ शर्तें, प्रस्ताव घृणात्मक हैं। इनका मौजूदा स्वरूप विकासशील देशों को स्वीकार्य नहीं है और उन्हें स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं इस संकल्प की इस भावना इसके इन शब्दों से सहमत नहीं हूं कि डन्कल प्रस्तावों को एकदम पूर्णतया स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया जाए।

वर्ष 1947 में भाग लेने वाले देशों की संख्या 27 थी। अब यह बढ़ कर 100 से अधिक हो गई है। वास्तव में अब 108 देशों ने इसमें भाग लिया है।

चीन भी एक मुख्य भाग लेने वाला देश है। हम चीन की आर्थिक और सामाजिक स्थिति जानते हैं। भारत एक प्राचीन देश है। हमारी अपनी संस्कृति है, जोकि गौरवपूर्ण है। हमारी आजादी के समय हम एक ब्लेड तक नहीं बनाते थे और आज हमारा देश विश्व के औद्योगिक रूप से अत्यन्त विकसित

10 देशों में आता है। 1951 में जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई तब कृषि में हमारा उत्पादन 55 मिलियन टन था। अब यह कई गुना बढ़ गया है। उत्पादन में लगभग 300 प्रतिशत वृद्धि हुई है। हम वास्तव में विकासशील देशों के नेता हैं। हम विश्व में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेता हैं। हमारी अपनी प्रतिष्ठा और गौरव है। निःसन्देह हमें समय के साथ चलना है। यदि हम पीछे रह गए तो बाकि विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते यह बहुत प्रतिस्पर्धात्मक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही विश्व और छोटा हो रहा है।

मेरा ठोस प्रस्ताव यह है कि हमें समय के साथ चलते हुए व्यापक बनना है, हमें बदलते विश्व का भाग बनना है। इसके साथ ही हमें बहुत ही ध्यान से सतर्कतापूर्ण रवैया अपनाना है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारी प्रभुसत्ता समाप्त हो और हमारी प्रतिष्ठा प्रभावित हो। हमारा उद्देश्य क्या है ? हमारा उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ विकास करना है। हम ऐसा कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते जिसके साथ अपमानजनक शर्तें जुड़ी हों, जो हमारी आत्म-निर्भरता को प्रभावित करे और हमारे मुख्य आधार को प्रभावित करे...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। अनेक सदस्य इस बारे में बोलना चाहते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : माननीय मन्त्री श्री चिदम्बरम ने इस सभा में इस बारे में एक पूर्ण बहस का आश्वासन दिया है। मन्त्रिमण्डल की एक उप-समिति गठित की गई है और वह इस पर कार्य कर रही है।

मैं सरकार को बधाई देता हूं कि जब डन्कल ने अपने प्रस्ताव रखे हैं तो या तो हम इसे पूर्ण स्वीकार करें या इसे अस्वीकार कर दें; यह स्थिति है। इसे पूर्णतया छोड़ दें या स्वीकार कर लें—यह स्थिति हमने स्वीकार नहीं की है। मैं समझता हूं कि हमने यह स्थिति बता दी है। इसलिए इसपर ध्यानपूर्वक वार्ता हो।

भारत तीसरे विश्व और विकासशील देशों का नेता है, उसे इस दृष्टिकोण के तहत राय बनानी चाहिए। हमें ध्यानपूर्वक वार्ताएं करके और अपनी स्थिति, राष्ट्रीय गौरव, प्रतिष्ठा, आत्म-निर्भरता की नीति तथा सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए केवल उन प्रस्तावों को स्वीकार करना चाहिए जो वस्तुतः हमें स्वीकार्य हों।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : सभापति महोदय, मेरे विद्वान साथी श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प में सरकार से कहा गया है कि व्यापार सम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (टी० आर० आई० पी० एस०), व्यापार सम्बन्धी निवेश उपाय (टी० आर० आई० एम० एस०) और सेवा सम्बन्धी व्यापार पर सामान्य समझौता (जी० ए० टी० एस०) से सम्बन्धित सरकार को मिले सभी प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दे लेकिन यह मामला तो अभी प्रारम्भिक चरण में है। हमारे माननीय केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री ने 6 मार्च, 1992 को कहा कि सरकार इस सम्बन्ध में सभी मुद्दों को अन्तिम रूप देकर इस विषय पर एक पूर्ण चर्चा कराना चाहती है। मौजूदा संकल्प केवल तीन प्रस्तावों अर्थात टी० आर० आई० पी० एस०, टी० आर० आई० एम० एस० और जी० ए० टी० एस० से सम्बन्धित है। इसके अलावा इन प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

संकल्प में हमारे पेटेन्ट कानूनों के बारे में कुछ आशंका व्यक्त की गई है। ये आशंकाएं एकदम अप्रासंगिक नहीं हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि सरकार ने अभी इस बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। पेटेन्ट कानूनों के मामले में आमतौर पर विकसित देश सदैव ही विकासशील देशों पर हावी रहने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए एक उत्पाद पहले ही एक विकासशील देश में उत्पन्न हुआ होगा। लेकिन विकसित देश उस उत्पाद को दूसरे रूप में तैयार करके अपने पास मौजूद अत्याधिक और प्रचार माध्यम की शक्ति से यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने इस उत्पाद को मौलिक रूप से तैयार किया है और वे उस उत्पाद से सम्बन्धित पेटेन्ट कानूनों का लाभ उठा सकते है।

इसलिए, डन्कल प्रस्तावों मे कुछ कमियां हो सकती हैं। इसके अलावा मनुष्य की यह आम धारणा रहती है कि वह शुरू में एक नए दृष्टिकोण के प्रति आशंका व्यक्त करता है। इसलिए मेरे विद्वान साथी श्रीपाल द्वारा व्यक्त आशंका एकदम अप्रासंगिक नहीं है। फिर भी हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहां पर हर कार्य पूर्ण चर्चाओं के बाद किया जाता है। जैसाकि हमारे वाणिज्य मन्त्री ने पहले ही कहा है विशेषज्ञों की राय मिलने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। इसलिए प्रतीक्षा करने और इस संकल्प को पारित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने साथी श्री रूप चन्दपाल का इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद करता हूं जोकि इस देश के बहुत लोगों के मन को उत्तेजित कर रहा है। वास्तव में सरकार को स्वयं ही प्रस्ताव करना चाहिए था और उसे सभा के समक्ष रखना चाहिए था ताकि सदस्य इस पर चर्चा कर सकें और इस पर व्यापक वाद-विवाद हो सके क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हमें प्रसन्नता है कि कुछ अर्थशास्त्रियों और आई० एस० आई० डी० जैसे कुछ संगठनों ने इन 'डंकल' प्रस्तावों के सम्बन्ध में चर्चा आरम्भ करने के लिए पहल की है। भले ही माननीय वाणिज्य मन्त्री यह कह चुके हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में वचनबद्ध नहीं है और केवल विधिवत चर्चा और विचार करने के बाद ही सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी। इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह 'डंकल' प्रस्ताव इस अर्थ मे बहुत जटिल है कि जब हमने मंत्रालय से इसकी एक प्रति प्राप्त की और उसे पढ़ा तो हमें उसके प्रावधानों का समझना बहुत कठिन लगा क्योंकि उनकी शब्दावली कानूनी है। सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह कृपा करके इस देश के लोगों को बताएं कि वास्तव में ये प्रस्ताव क्या हैं और क्या जटिलताएं हैं, क्या वे हमारे देश के लिए लाभप्रद हैं या क्या उनसे हमारे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचेगा और यदि कोई ऐसे देश हैं, जिन्होंने इन प्रस्तावों को पहले ही अपनी सहमति दे दी है, तो वे कौन-से देश हैं, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिए और हमारे सामने क्या विकल्प हैं क्योंकि हमें या तो इन्हें अपनाना है या छोड़ देना है। इस स्थिति में हमारे सामने कौन-से विकल्प खुले हैं? सरकार को ये सभी बातें देश की जनता के सामने रखनी चाहिए।

मैं कहना चाहूंगा कि लोग उलझन में हैं। हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं है। हम इन बातों को एकदम त्यागना नहीं चाहते हैं यदि इस देश के लोगों को फायदा पहुंचता है तो हमें प्रस्ताव स्वीकार करने होंगे। यदि उनसे नुकसान पहुंचता है तो हमें उनका विरोध करना होगा। लेकिन कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है तो हमें संशोधन या सुधार करने होंगे तथा हमें अन्य विकासशील देशों का सहयोग लेना होगा और दबाव डालना होगा ताकि हमारे प्रस्ताव स्वीकार हों।

मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा क्योंकि अन्य अनेक साथी 'ट्रिप्स' और अन्य प्रावधानों पर विचार कर चुके हैं। मेरा विचार सिर्फ यह है कि एफ० आई० सी० सी० आई० और 'ए० एस० एस० ओ० सी० एच० ए० एम०' के अलावा अनेक अन्य संगठन, जोकि व्यापार, वाणिज्य और छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों से सम्बन्धित हैं, भी इन प्रस्तावों का विरोध कर रहे हैं। जैसाकि सत्ता पक्ष के साथियों ने भी कहा है कि इस देश के लोगों और अर्थव्यवस्था के लाभ के बारे में इन प्रस्तावों के प्रति गम्भीर आशंका है।

इन प्रस्तावों की एक गंभीर आशंका यह है कि यदि हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो वे बहुत हद तक इस देश के आम लोगों को लाभ पहुंचाने के बजाए बहुराष्ट्रीय और विदेशी कम्पनियों को लाभ पहुंचाएंगे क्योंकि इन प्रस्तावों के माध्यम से जिन पर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ हद तक हमारे प्रस्तावित आर्थिक सुधार में भी विचार किया गया है, वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमें ऐसे दृष्टिकोण से नुकसान होगा, विशेष रूप से भिन्न विधि से उत्पादन करने के सम्बन्ध में क्योंकि 'डंट' के इन प्रस्तावों के अनुसार हमें उत्पाद और विधि दोनों स्वीकार करने होंगे और धारक हमारे ही देश में उत्पादन करने के लिए बाध्य नहीं होगा और साथ ही उस पर स्थानीय सामग्री उपयोग में लाने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। औषधि उद्योग गहरे संकट में है। वास्तव में उन्होंने किसी समय एफ० आई० सी० सी० आई० को धमकी दी थी कि वे एफ० आई० सी० सी० आई० से अलग हो जाएंगे। अतः सरकार को इसकी बेहतर जानकारी होनी चाहिए थी, वह स्पष्ट रूप से कह सकती है कि क्या आप बने हैं। क्या 'डंकल' प्रस्ताव हमारे अनुसंधान और विकास कार्यों को प्रभावित करेंगे। मान लीजिए अब 'पेटेन्ट' कानून को स्वीकार कर लिया जाता है तो इन दवाओं और औषधियों की स्थिति क्या होगी जो पहले ही विकसित हैं? उनका हल क्या होगा और आगे चलकर व्यवहार में क्या होगा? ऐसी बातें सरकार को निश्चित रूप से स्पष्ट करनी चाहिए, विशेष रूप से व्यवस्था के बारे में, मैं समझता हूं कि उद्योग के क्षेत्र में इससे हमारे स्वदेशी प्रयासों को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचेगा। निश्चय ही कुछ ऐसे देश हो सकते हैं जहां उन्होंने प्रगति कर ली है और आर्थिक सुधारों के कारण वास्तव में लाभ पहुंचाया है। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें स्थिति और बदतर हो गई है। नुकसान संतुलन की स्थिति और बिगड़ गई है। सरकार को हमें इन सब बातों की जानकारी देनी चाहिए कि कहां लाभ है और कहां नुकसान।

मैं माननीय मन्त्री से कृषि क्षेत्र के बारे में अनुरोध करना चाहूंगा जो मेरे मित्र श्री रूपचन्द्र पाल के प्रस्ताव में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का अंशदान एक तिहाई है और 60 प्रतिशत जनसंख्या जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है और इन सुधारों के कारण यह क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे अपने उत्तर में इन बातों को स्पष्ट करें।

'डंट' प्रस्तावों में हमारे देश में उर्वरकों पर राजसहायता देने या कृषि क्षेत्र को कुछ और राजसहायताएं वापस लेने की बातें हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सारी राजसहायताएं समाप्त कर रहा है अथवा यूरोपीय समुदाय अपनी सारी राजसहायताएं समाप्त कर रहा है? इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि क्षेत्र को 75 बिलियन डालर राजसहायता के रूप में दिए जा

रहे हैं और यूरोपियन आर्थिक समुदाय में कृषि क्षेत्र के लिए दी जा रही राजसहायता की राशि 134 बिलियन डालर है। हमारे देश में प्रतिव्यक्ति कृषि राजसहायता की राशि 4.4 डालर है जबकि यह राजसहायता यूरोपियन आर्थिक समुदाय में 240 डालर और संयुक्त राज्य अमेरिका में 149 डालर है। यदि वे इस बात के लिए भी राजी हो जाते हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसी प्रकार हमारे चावल, गेहूं और अन्य कृषि उत्पादन विश्व बाजार का सामना कैसे कर पाएंगे? इनसे हमारे उत्पादन और निर्यात के प्रयासों में कैसे सुधार होगा? इसका क्या प्रभाव होगा? जब समर्थन के समकक्ष दर उत्पादन मूल्य से दस प्रतिशत से अधिक है तो यह हमारे प्रापण मूल्यों को कैसे प्रभावित कर सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बारे में क्या सही है? कृपया हमें बताएं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसका बीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब तक हमारे किसान बाजार से बीज खरीद सकते थे। हम बीज अपने खेतों में उगाते हैं और फिर हम अपनी और अपने पड़ोसियों की आवश्यकता के लिए उत्पादन करते हैं। भविष्य क्या होगा? क्या किसानों को यह स्वतंत्रता मिलेगी या नहीं? या क्या हमें बीजों के लिए इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भर रहना होगा? कृपया इन सब बातों पर प्रकाश डालें?

हमें खुले दिमाग से स्थिति से निपटना होगा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना होगा तथा निर्भय होकर चर्चा करनी होगी। ये सब देश के शीर्षस्थ निकाय संसद में ही नहीं बल्कि उससे बाहर भी करना होगा और निर्णय लेना होगा। देश को मुद्दों पर भी चर्चा करनी चाहिए। तभी सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए। हम ऐसा इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तों को स्वीकार कर लिया है यद्यपि आपने हमें विश्वास में नहीं लिया। ऐसा लगता है कि आप पहले ही इसके लिए सहमत हो गए हैं और उन्हें कार्यान्वित करने वाले हैं। कृपया इन 'डंट' प्रस्तावों के सम्बन्ध में ऐसा न करें क्योंकि इसके परिणाम इतने विध्वंसकारी होंगे कि लोग आपको माफ नहीं करेंगे कृपया लोगों को विश्वास में लें। सभापति महोदय मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामनिहोर राय (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घण्टी बजायी जा रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है।

श्री चित्त बसु बोलेंगे।

5.00 म० प०

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं डंकल प्रस्ताव का सामना करने के लिए सरकार के

प्रस्तावों के बारे में माननीय मन्त्री द्वारा व्यक्त विचारों का स्वागत करता हूं। उनका यह कथन कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित है कि वह एक नोट तैयार करेंगे और उसे सदन के विचारार्थ रखेंगे और सदन द्वारा इस पर विचार कर लिए जाने के बाद ही सरकार प्रस्ताव के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। जहां तक मैं समझता हूं यह अच्छा है और मै स्वभाविक रूप से इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मेरा एक सुझाव है। महोदय, चूंकि यह मामला वास्तव में जटिल है, अतः मैं सुझाव दूंगा कि चर्चा के बाद तैयार किए गए सरकार के प्रस्ताव को विशेषज्ञों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति को भेजा जाए। विशेषज्ञों की यह उच्च शक्ति प्राप्त समिति आवश्यक है। उन्हें मेरा प्रस्ताव नामंजूर करने दो लेकिन मुझे सुझाव देने का अधिकार है। केवल विशेषज्ञों की यह समिति ही इस विषय पर न्याय कर सकती है। सदन का अधिक समय नष्ट किए बगैर मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे सुझाव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाए।

मेरी दूसरी बात यह है कि उस समय भारत सरकार की स्थिति क्या थी जब उरूग्वे दौर की पहली वार्ता के दौरान उन मदों अर्थात 'ट्रिप्स', 'ट्रिम्स' 'सेवाएं' कृषि संबंधी अन्य विषय, को सम्मिलित किया गया जिन पर 'गैट' में विचार-विमर्श नहीं होना था। इन विषयों को प्रस्ताव में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति देने के क्या कारण थे जो पहले गैट वार्ता के क्षेत्राधिकार में नहीं थे? मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि सरकार स्पष्ट करे कि 'गैट' वार्ता के प्रथम चरण में उसकी स्थिति क्या थी।

5.03 म० प०

[श्री राम नाईक पीठासीन हुए]

मेरी तीसरी बात यह है कि मैं नहीं चाहता हूं कि हम इस प्रस्ताव को पूर्ण रूप से स्वीकार करके हानि उठाएं। अनेक सदस्यों का यही मत है।

उन्होंने भी इस पर चर्चा की है। ये एकदम देश के हितों के प्रतिकूल हैं। मैं एक मौलिक प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह भी उस रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ ही दिन पहले प्रकाशित हुई थी। यह रिपोर्ट संयुक्त राज्य के व्यापार नियम "सुपर 301" के सम्बन्ध में है। यह हमारे सामने एक खतरा है और यह कहा गया है कि इस सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया 29 अप्रैल के बाद ही उपलब्ध होगी। अभी तक यह उपलब्ध नहीं हो पाई है। परन्तु संयुक्त राज्य व्यापार जनरल कौंसेल के प्रतिनिधि श्री एडसन ने व्यापार बाधाओं पर राष्ट्रीय आकलन रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन देशों के मामलों को 'सुपर 301' में सूचीबद्ध किया गया है, उनकी समीक्षा की जाएगी।

श्री एडसन ने कहा कि संयुक्त राज्य भारत में बौद्धिक सम्पत्ति के उत्पाद संरक्षण की कमी के बारे में चिन्तित है। फिर भी, राव मन्त्रिमण्डल ने "कई मामले मे महत्वपूर्ण प्रगति" की थी।

महोदय, "स्पेशल 301" का खतरा ट्रिप्स (टी० आर० आई० पी० एस०) और पैटेंट्स के सम्बन्ध में है। इसलिए, इस संसद की क्या स्थिति होगी यदि हम यह स्वीकार करें कि कुछ हद तक

राव मन्त्रिमण्डल ने "अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति" की है। मैं यह पुनः उद्धृत करता हूं : "अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति"। वे कहते हैं कि कई क्षेत्रों कुछ समझौता कर लिया गया है। मुझे ऐसा आभास हुआ है। यदि आपको कुछ हुआ है तो दूसरी बात है। लेकिन सभी को यह एहसास हुआ कि आप झुक गए और इन 3-4 मामलों में आपने दबाव में आकर समझौता कर लिया—मैं नहीं जानता कि वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं। इसलिए, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमने वास्तव में समझौता कर लिया है और हम दबाव में आए हैं। यदि हम दबाव में आए हैं, तो वह भारतीय पेटेन्ट अधिनियम बन जाता है। उस स्थिति में इस सभा की नीयति क्या होगी जिसने 1971 में भारतीय पेटेन्ट अधिनियम पारित किया था? रिपोर्ट में कहा गया है:

> "कि भारत का पेटेन्ट अधिनियम पेटेन्टों को भोज्य पदार्थों, औषधियां या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई या उत्पादित दवाइयों के अनुसंधान को प्रतिबन्धित करता है। अमरीका द्वारा अनुसंधान की गई कई दवाइयों का खुले तौर पर पुनः उत्पादन किया जा रहा है क्योंकि उत्पाद के लिए पेटेन्ट संरक्षण उपलब्ध नहीं है।"

इस आधार पर स्पष्ट है कि वे पेटेन्ट कानून में परिवर्तन चाहते हैं। यह दो-तीन पहले ही स्पष्ट किया गया है। इसके प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है। क्या आप हमारे पेटेन्ट कानून में परिवर्तन करने जा रहे हैं? रिपोर्ट में आगे यह कहा गया है :

> "कि भारत की खरीदने के तौर-तरीकों में खुलापन नहीं है और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से भेदभाव किया जाता है।"

वे यह चाहते है कि हमारी क्रय नीति में परिवर्तन होना चाहिए और इसके साथ राजसहायता के नीति में भी परिवर्तन होना चाहिए। इसकी आलोचना कही कि हमने जो पहले से निर्णय लिए हैं यह उसके पूरी तरह विपरीत हैं। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : यह आपका निष्कर्ष है या किसी और का?

श्री चित्त बसु : यह किसी और का निष्कर्ष है।

श्री पी० चिदम्बरम : क्या आप उससे सहमत हैं?

श्री चित्त बसु : मैं उससे सहमत नहीं हूं। (व्यवधान)

5.07 म० प०

[श्री पीटर जी० मरबनियांग पीठासीन हुए]

श्री पी० चिदम्बरम : मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं। यदि आपने संकल्प प्रस्तावों को पढ़ा है और यदि आप इससे आश्वस्त हैं कि उसमें एक पैरा में यह कहा गया है कि हमारी क्रय नीति में

परिवर्तन होना चाहिए तो मैं उसका उत्तर दूंगा। लेकिन समाचार पत्र के रिपोर्ट को लेकर ऐसा कहें।

श्री चित्त बसु : यह समाचार पत्र का रिपोर्ट नहीं है; अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि का यह कहना है। 301 का खतरा है और आपका यह कर्त्तव्य है कि आप इसे स्पष्ट करें। जो भेदभाव किया गया है वह रक्षा उपकरणों की खरीद पर प्रतिबन्ध के बारे में है इसलिए, मेरे अनुसार अमरीका की यह इच्छा है कि भारत सार्वभौमिकता सम्बन्धी कार्यक्रम को निश्चित रूप से पूरा करे जैसा कि यह सहमति हुई थी कि अपने आर्थिक बचाव की नीतियों को विघटित कर देगा और बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में प्रवेश कर अमरीकी उत्पादों का यहां निर्बाध रूप से प्रवेश होने देगा जो कि देश को आर्थिक हितों के प्रति अत्यधिक विपरीत होगा। इसलिए, यह बहुत खतरनाक प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, हम विकसित देश होने के नाते यह मानते हैं कि ये प्रस्ताव विनाशकारी और खतरनाक हैं लेकिन तीसरी दुनिया के अन्य देश भी यह मानते हैं कि ये प्रस्ताव उनके हितों के विरुद्ध हैं। अतः भारत सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह तीसरी दुनिया के देशों के विचारों का समर्थन जुटा कर अमरीका के प्रति विरोध जताए जो गैट (जी० ए० टी० टी०) वार्ता का उपयोग कर अपनी इच्छाओं को तीसरी दुनिया पर लादने के लिए आमादा है।

मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इसका उत्तर देंगे। अपना दृष्टिकोण तय करने के लिए यह अति आवश्यक है। एक प्रस्ताव यह है कि या तो वे इसे स्वीकार करें या अस्वीकार। या तो इसे पूरी तरह स्वीकार करें या अस्वीकार करें। आप कहते हैं कि कुछ बातें अत्यन्त सकारात्मक हैं, तो कुछ बातें अत्यन्त नकारात्मक भी हैं। हमें यह समझना चाहिए कि प्रस्ताव का कौन सा पहलू सकारात्मक है और कौन सा पहलू नकारात्मक है और इस सम्बन्ध में आप क्या करना चाहते हैं? यदि वे यह कहते हैं कि इसे स्वीकार करें या छोड़ दें। यह उसका अपना विचार है। आपकी स्थिति यह है कि कुछ बातें सकारात्मक हैं और कुछ नकारात्मक। हम नहीं जानते किन बातों को आप सकारात्मक मानते हैं और किन को नकारात्मक मानते हैं। लेकिन हमारी ओर से कुछ प्रस्ताव हैं। कई ऐसे गुप्त प्रस्ताव हैं जो देश के हितों के विपरीत हैं।

मैं इतना कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि सरकार की यह जवाबदेही है कि वह इसे स्पष्ट करे क्योंकि उस पर सरकार के दृष्टिकोण को अधिक स्पष्ट किया जा रहा है। मैं यह दोहराता हूं कि सरकार तीसरी दुनिया को भारत सरकार के दृष्टिकोण के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अमरीका के विरुद्ध एक जुट करे जो कि एक गैट (जी० ए० टी० टी०) समझौता की आड़ में तीसरी दुनिया के देशों का शोषण करने पर आमादा है।

सभापति महोदय : माननीय मन्त्री।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : 5.20 म० प० तक समय बढ़ाया गया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, हमारे दल की तरफ से कोई नहीं बोला है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसे पूरे दिन तक चलने दें। दो सप्ताह तक भी चर्चा करते रहें। या तो आप मुझे उत्तर देने दें अन्यथा चर्चा 6.00 बजे तक चलती रहेगी और दो सप्ताह तक भी चलती रहेगी।

श्री राम नाईक : आज यह निर्णय लिया गया था कि चर्चा 5.00 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। बाद में यह निर्णय लिया गया था कि 5.30 म० प० तक यह पूरी हो जाएगी क्योंकि इसके पश्चात् सम्बन्धित संकल्प प्रस्तुत होगा। यदि हम चर्चा आगे जारी रखते हैं और मन्त्री जी उसका जवाब नहीं देते तो चर्चा का कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल : पूर्व में यह परम्परा रही है कि एक संकल्प पर कई दिन चर्चा जारी रहती थी। गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य में उन सभी सदस्यों को चर्चा में शामिल होने का अवसर दिया जाता था जो भी चर्चा में भाग लेना चाहते थे। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : हम यह चाहते है कि बाद के संकल्प पर चर्चा आरम्भ की जाए क्योंकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है आप अपना भाषण तीन-चार मिनट में पूरा करें।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, माननीय सदस्य के द्वारा आर्थिक डुंकेले के प्रस्तावों के बारे में जो संकल्प सदन में पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

जब से आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप देश के बाहर से चल रहा है, तब से हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है, खराब है। उस स्थिति में देश में बहस मुबाहिसा कराकर देश के हित का इन्होंने काम किया है। सबसे पहले जो प्रस्ताव इनके द्वारा बर्ड बर्ल्ड को दिया गया है, उस प्रस्ताव को हमारा देश या हमारी सरकार मान लेती है, तो इसका बहुत खराब नतीजा निकलने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी जो कृषि है, उस पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में हमने जितना विकास किया है और हमारे यहां के वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान का काम किया है और कृषि में जो उन्नति की है, उससे आज हम कृषि में आगे बढ़ते चले गए हैं और यहां हरित क्रांति लाने में सफल रहे हैं, उससे हम बहुत पीछे हट जाएंगे, यदि इन प्रस्तावों को मानेंगे तो हमारी कृषि में बहुत बड़ा नुकसान होगा।

दवाइयों और कैमिकल्स में भी इससे हमारा काफी नुकसान होगा और इन चीजों का मार्केटिंग इनके हाथों में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे राष्ट्रीय उद्योगों पर भी इसका खराब असर पड़ेगा और हम जो काम स्वयं कर सकते थे, उसके लिए हम इन पर निर्भर हो जाएंगे। हमारे वैज्ञानिकों का अनुसंधान करके देश को आगे बढ़ाने का जो ख्याल बना हुआ है, उसमें स्थिरता नहीं रहेगी। हम यह समझते हैं कि इस प्रस्ताव को भारत सरकार को मंजूर नहीं करना चाहिए और देश के हित में डुंकेल प्रस्तावों को मंजूर न करके रिजेक्ट कर देना चाहिए।

इतना ही मैं कहना चाहता हूं इन प्रस्तावों का विरोध करना चाहिए। इसके साथ ही मैं संकल्प का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, यह संकल्प मूलतः और अनिवार्य रूप से डंकल प्रस्तावों को अस्वीकार कर देने के लिए हैं। आप जानते हैं कि यह हमारे देश के लिए यह कोई अनजानी बात नहीं है। प्रमुख औद्योगिक देशों द्वारा इन प्रस्तावों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था सम्बन्धी नियमों में भारी परिवर्तन करने के प्रयास किए गए हैं। उक्त प्रस्ताव का मुख्य मुद्दा यही है और व्यापार और शुल्क सम्बन्धी सामान्य करार को पुनर्निरूपित करना चाहते हैं और इसके अधिकार क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ाना चाहते हैं ताकि नए नियम लागू करने के लिए वे विश्व अर्थ-व्यवस्था के संरक्षक बन सकें जिससे अन्तर्राष्ट्रीय निगमों का निर्बाध रूप से संचालन हो सके। इसके पीछे मुख्य ध्येय यही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये विचार श्री डंकल, के बाद के किसी अंकल सैम के हैं। ये विचार सबसे पहले उन्होंने ही नहीं रखे थे। 1982 में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमरीका ने सेवा-व्यापार में व्यापार तथा शुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के सिद्धांतों को लागू करने की जरूरत व्यक्त की थी और 1982 में संयुक्त राज्य अमरीका के बहु-राष्ट्रीय निगमों ने एक संगठन अर्थात बहुदेशीय व्यापार वार्ता संघ बनाया और इस संगठन का उद्देश्य था :

> "कि बहु-राष्ट्रीय व्यापार वार्ता संघ अमरीकी गैर-सरकारी क्षेत्र के निकायों का एक ऐसा संघ है जो और अधिक कारगर बहु-देशीय व्यापार प्रणाली को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध है।"

यह विचार एम० एन० सी० डी० का है। अब डंकल ने संयुक्त राज्य अमरीका के बहुराष्ट्रीय निगमों के विचार को लागू करने का दायित्व ले लिया है।

इसी कारण हम जानते हैं कि बहस के दौरान तो काफी मुद्दे उठाए जा सकते हैं लेकिन मेरे पास समय कम है तथा हम उनके विस्तार में नहीं जा सकते हैं। जैसाकि मैंने आज देखा है, कि सरकार ने कहा है कि उसका मस्तिष्क खुला है और उसने इस बारे में अभी अपना मन नहीं बनाया है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। मुझे आशा है कि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। लेकिन हम भी अपनी आशंका व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से इस पर चर्चा चल रही है। मंत्रालय में अधिकारी स्तर पर, तथा मन्त्री स्तर पर भी चर्चा चल रही है। हमें

यह आशंका है कि चर्चा का सब डंकल प्रस्ताव स्वीकार करने की ओर है हालांकि कुछ क्षेत्रों में वे सुधार करने का प्रयास भी कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि आप उसमें कितना सुधार कर सकते हैं ? डंकल प्रस्ताव के अधिकांश क्षेत्रों में वे तृतीय विश्व के देशों पर औद्योगिक देशों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की मनमानी लादने का प्रयास कर रहे हैं. वे इन देशों का शोषण करने, इन्हें लूटने, इनका विकास रोकने तथा यहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इनका यही मुख्य उद्देश्य है। वे नए ढंग का उपनिवेशवाद ला रहे हैं। अत: प्रस्ताव के मुख्य प्रभाव को ध्यान में रखा जाए। हमें इसी बात को ध्यान में रख कर विचार करना है।

दूसरे, मेरे विचार से, सरकार भी प्रतीक्षा कर रही है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच मतभेद होने से वार्ता असफल हो सकती है। सरकार स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर रही है। वह प्रतीक्षा कर रही है। यदि उस मतभेद के कारण वार्ता असफल हो जाती है तब तो भारत सरकार को किसी का भी पक्ष नहीं लेना होगा। लेकिन यह एक अवसरवादी रवैया होगा। हम विश्व के सामने अपनी अवसरवादी छवि प्रस्तुत करेंगे। इससे हमारी छवि और भी खराब होगी। मैं चाहता हूं कि यह बात भी रिकार्ड में सम्मिलित हो।

तीसरे, अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि सुश्री कार्ला हिल्स हमेशा ही हमें दबाने का प्रयास करती है। उस स्थिति में भी, हमें दबाव से अक्सर अपने हितों को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि सुश्री कार्ला हिल्स स्पेशल 301 नियम के उपबन्ध हम पर लागू करना चाहती हैं। हम व्यापार और प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के माध्यम से बहु-देशीय प्रणाली की बात कर रहे हैं। लेकिन यह सच नहीं है। यह एक पक्षीय बात होगी। यदि अमरीका को स्पेशल 301 लागू करने दिया जाएगा, तो हमें अपने पेटेन्ट नियमों को बदलने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस प्रकार, व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य उपबन्ध पूरे विश्व में समान रूप से लागू नहीं होंगे। यह औद्योगिक देशों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका पर तो निश्चय ही लागू नहीं होंगे। ये तो हम पर थोपे जाएंगे। हमें अपने नियमों में परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस प्रकार यह निश्चित रूप से बहुदेशीय हित की बात नहीं है। यह हमारी आंखों मे धूल झोंकना है। हमें इस बात को समझना चाहिए।

एक अन्य बात भी है। औषधों की कीमतों के बारे में भी कठिनाई है। हमारे देश में अधिकांश लोग दवाई नहीं खरीद सकते हैं। यह एक गम्भीर बात है। हमारे देश में दवाइयों की कीमतें और बढ़ जाएंगी और वह हमारे देश के लिए घातक सिद्ध होगा। आम विश्वास करते हैं कि वे हमारे देश में आएंगे तथा बीमारियों पर अनुसंधान करेंगे तथा दवाइयां बनाएंगे। इस मामले में भी हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर कैसे अपनी आशाएं केन्द्रित कर सकते हैं। वे तो हमारे देश को लूटने और अधिकतम लाभ कमाने के लिए आ रहे हैं तथा वे लोग मानव-कल्याण के लिए नहीं आ रहे हैं। अत: उन पर आस लगाकर बैठना सरकार की गलत नीति होगी।

एक अन्य पहलू भी है। सरकार कुछ मुद्दों को गुप्त रख रही है इसलिए मुझे सरकार के इस व्यवहार पर आपत्ति है। सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार को इन सभी बातों के बारे

में खुलकर बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि क्या सही है और क्या गलत है और वे अपना निर्णय ले सकें। सरकार इसे गुप्त रख रही है। इससे हमारे मन में यह शंका बनी हुई है कि क्या सरकार समर्पण कर देगी और इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेगी।

एक तर्क यह भी है कि यदि भारत डंकल प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता है तब हम अलग-थलग रह जाएंगे। यदि हम अपने आदर्शों पर डटे रहें तथा उनके विरुद्ध संघर्ष करें तो भारत अलग-थलग नहीं पड़ेगा। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमें अपनी संप्रभुता, आर्थिक प्रभुसत्ता तथा राष्ट्रीय हितों को समर्पित नहीं करना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संकल्प को पूर्णतः स्वीकार कर लें। मेरा प्रस्ताव यही है।

सभापति महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे। आप कम से कम समय लीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह कम से कम समय क्यों लें? उन्हें सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : इस पर पूर्ण बहस हुई है। मैं इससे सहमत हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, प्रारम्भ में मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि हालांकि मैं उस भावना की कद्र करता हूं जिससे उन्होंने यह संकल्प रखा है, लेकिन यह कुछ समयापूर्व है। मैं नहीं समझता कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाल लें कि डंकल प्रस्तावों को एकदम अस्वीकार कर देना चाहिए। वास्तव में स्वयं संकल्प में ही इस प्रकार की शब्दावली रखी गई है कि हमें 'ट्रिप्स', 'ट्रिम्स' तथा 'गेट्स' से सम्बन्धित उन सभी प्रस्तावों को, जो हमारे पेटेन्ट सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करें, अस्वीकार कर देना चाहिए। स्पष्ट है कि ट्रिम्स में ऐसा कुछ नहीं है जिससे पेटेन्ट सम्बन्धी कानून का उल्लंघन हो। मेरे विचार से यह इस संकल्प की मात्र शब्दावली का चक्कर है।

कल माननीय सदस्य मेरी सलाहकार समिति की बैठक में विशेष रूप से आमन्त्रित थे और मैंने उनका स्वागत किया था। सरकार इस मामले में बहुत सावधानी तथा चर्चा के बाद कार्यवाही कर रही है। मैं व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी करार (जी० ए० टी० टी०) के इतिहास में नहीं जाना चाहता। आज हम पर 'गेट' के नियम लागू होते हैं। यदि डंकल प्रस्ताव लाभदायक साबित नहीं होते हैं तब इसका यह अर्थ नहीं है कि हम 'गेट' के बाहर हो जाएंगे। वर्तमान गेट कानून 108 सहयोगी देशों पर लागू होंगे तथा यह कानून हम पर भी लागू होगा। अतः पहला मुद्दा यह है कि हम 'गेट' सम्बन्धी कानूनों की जांच करें।

1979 में जब टोकियो वार्ता का दौर समाप्त हुआ था, तब से लेकर 1989 तथा 1990 तक जब उरुग्वे वार्ता का दौर के आरम्भ के बाद वार्ता हुई थी, तब तक, 108 देशों के बीच अनेक विषयों पर सहमति हो चुकी थी तथा यह सहमतियां समझौता वार्ताओं का हिस्सा है। ध्यान रखने योग्य यह दूसरा मुद्दा है।

तीसरा मुद्दा यह है कि कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर भाग लेने वाले 108 सहयोगी देशों में सहमति नहीं हो सकी। श्री डंकल ने महानिदेशक के रूप में बताया कि समझौता प्रस्तावों के बारे में

उनके क्या विचार हैं। इन पैराग्राफों पर चर्चा नहीं हुई थी। ये उनके अपने पैराग्राफ थे जो उन्होंने समझौताकारी पक्षों की स्वीकृति के लिए रखे थे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि उन्हें स्वीकार करें अथवा छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि हम इस बात को नहीं समझते हैं। भारत ने स्पष्ट रूप से इस बात को ही सिरे से अस्वीकार कर दिया है कि 'या तो हम इसे स्वीकार कर लें अथवा छोड़ दें।' न केवल भारत ने बल्कि अनेक देशों ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यह 'स्वीकार करने अथवा छोड़ने' वाला दस्तावेज नहीं है। और जब इस वर्ष के शुरू में उन्होंने टी०एन०सी० की बैठक बुलाई, तब उन्होंने चार उपाय सुझाए क्योंकि प्रस्ताव अपने आपमें पूर्ण नहीं थे, उनमें माल तथा सेवाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अतः उन्होंने चार रास्ते सुझाए जिनके अनुसार हम माल और सेवाओं के बारे में वार्ता कर सकें। उपाय तीन मूल आलेख को परिस्कृत करने के बारे में है। उपाय चार 'परिवर्तनों और सुधारों' के बारे में है। उन्होंने समय-सीमा निश्चित कर दी थी। माल और सेवाओं के बारे में वार्ता पूरी करने के लिए समय सीमा 31 मार्च थी।

अन्तिम तिथि निकल गई है। सेवाओं और माल पर संधि वार्ताएं पूरी नहीं हुई है। इसलिए तीसरे 'ट्रैक' का भी प्रश्न नहीं उठता।

निश्चित रूप से 17 अप्रैल तक परिवर्तन और सुधार करने का भी प्रश्न नहीं उठेगा। मेरा यह अनुमान है कि 17 अप्रैल की अन्तिम तिथि भी निकल जायेगी क्योंकि बहुत से देश सहमत नहीं हैं। ई० सी० और यूरोपिय समुदाय और अमरीका कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सहायता देने के गम्भीर विवाद में फंसे हुए हैं। अब उन्होंने माल के व्यापार से सम्बन्धित अन्य मामलों को उठाना शुरू किया है। हमने कुछ गम्भीर आपत्तियां उठाई हैं। अन्य देशों ने भी गम्भीर आपत्तियां उठाई हैं। अभी कल ही मुझे फ्रांस का शिष्टमण्डल मिला था और उन्होंने समर्थन मांगा था उन्होंने अपने कार्यों के लिए समर्थन मांगा। मैंने कहा था "जी हां, लेकिन आपको हमारे कार्य के लिए समर्थन देना होगा।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने डंकल प्रस्तावों का विरोध किया है। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : यह बात नहीं है कि हम चुप बैठे हैं। हम संधि वार्ताएं कर रहे हैं। मैंने वायदा किया था कि हम इस पर विचार-विमर्श करेंगे। हमने साक्ष्य के लिए बुलाया है। मेरे अनुरोध पर प्रधानमन्त्री जी ने 3 जनवरी को मन्त्रियों का एक ग्रुप बनाया। फिर हमने उनके विचारों को सुना था हमें ज्ञापन मिला। हमें मौखिक प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा जांच जारी है। जांच के फलस्वरूप हम लगातार अपने दस्तावेजों को अद्यतन बनाते जा रहे हैं हम विचारों को अद्यतन बना रहे हैं। हम अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं स्थिति को स्पष्ट करते जा रहे हैं तथा हम उसमें सुधार करते जा रहे हैं। मैंने स्वयं अपने मन्त्रालय में इस पर कम से कम 6 या 7 प्रारूपों को पढ़ा है और दस्तावेज जो मैंने सलाहकार समिति को कल वितरित किया था उसका शीर्षक था 'चर्चा के लिए दस्तावेज—कल की स्थिति।'

माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं और मैं उन्हें सम्मिलित करने जा रहा हूं और देखना है अभी और कौन से परिवर्तन किए जाने हैं और मैं इस सदन को पहले ही आश्वासन दे चुका हूं कि एक नोट वितरित किया जाएगा और उस आधार पर मैं लोक सभा तथा राज्य सभा दोनों

सदनों के सदस्यों की बात सुनूंगा। तब सरकार अपनी स्थिति बताएगी और अन्तिम निर्णय लेगी। अगले कुछ सप्ताह में उनमें वार्ता में कुछ होने की आशा नहीं है और मैंने कल सलाहकार समिति को स्पष्ट रूप से बताया था कि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैंने कई बार कहा है कि हम लोक सभा में परामर्श करेंगे, हम राज्य सभा में परामर्श करेंगे और प्रत्येक के विचार जानने के बाद हम अन्तिम निर्णय लेंगे।

इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य से इस संकल्प को वापिस लेने का अनुरोध करता हूं। माननीय सदस्य को सरकार द्वारा वितरित पेपर पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए हम सदन में फिर से उपस्थित होंगे।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, मेरा संकल्प बहुत सीमित संकल्प है। इसमें 'डन्कल' के सभी प्रस्ताव नहीं आते हैं। इसमें केवल नये मुद्दों को शामिल किया है जिन्हें आगामी संधि वार्ताओं में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है जो उससे सम्बन्धित संकल्प है। 'गैट' ने विशेषतया 'ट्रिप्स' और 'ट्रिम्स' पर और आगे चर्चा करने से मना कर दिया है। मुझे आशंका है और अन्य लोगों को भी यही आशंका है। जैसाकि आप जानते हैं—कम से कम तीन मुख्य चर्चा ग्रुप है—कार्यकारी ग्रुप, जो मुख्यत: विचार एकत्र कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, प्रसिद्ध विधि शास्त्रियों, वैज्ञानिकों राजनयिकों ने राष्ट्रीय कार्यकारी ग्रुप में हिस्सा लिया है और उन्होंने ज्ञापन में अपने विचार रखे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कितना समय लेंगे ?

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, कुछ मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय : समय बढ़ाना होगा क्योंकि निर्धारित समय पहले ही समाप्त हो चुका है। आप कितना समय लेंगे ? क्या आप पांच मिनट लेंगे, दस मिनट लेंगे या फिर आप कितना समय लेंगे ?

श्री रूपचन्द पाल : मैं लगभग पांच मिनट लूंगा।

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, आप हमे हमारे अधिकार से वंचित कर रहे हैं। हर बार आप समय बढ़ाते जा रहे हैं (व्यवधान)

सभापति महोदय : वह अपना उत्तर पांच मिनट में पूरा कर लेंगे। उन्होंने यही कहा है।

श्री रूपचन्द पाल : बहुत से वक्ताओ ने हिस्सा लिया है और अपने विचार प्रकट किए है। और मन्त्री जी ने भी हस्तक्षेप किया है। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इस विषय पर चर्चा केवल हमारे देश में ही नहीं हो रही है बल्कि सौ से अधिक देशों में हो रही है। विश्व में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं और इन सब परिवर्तनो की पृष्ठ भूमि में विकासशील देशों, विशेषतया दक्षिण के देशों को पश्चिम के विकसित देशों अर्थात औद्योगिक देशों के नए दबावों का सामना करना पड़ रहा है।

जैसाकि मैंने अपने संकल्प के समर्थन में चर्चा के शुरू में कहा था कि मेरा उद्देश्य सीमित है। इसमें श्री आर्थर डंकल के सभी प्रस्ताव शामिल नहीं है। मैं संकल्प पेश करके न केवल अपना दृष्टिकोण बताना चाहता था बल्कि मुझे यह भी आशंका थी कि कार्यसूची में 'ट्रिप्स' को शामिल किए जाने से हमारे देश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्री आर्थर डंकल के प्रस्तावों को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। यदि हम डंकल के प्रस्तावों के साथ श्रीमती कारला हिल्स के दौरे तथा अन्य घटनायें जो देश में तथा विदेश मे हो रही हैं, का भी अध्ययन करते हैं, तो इस प्रकार की आशका के मुख्य कारणों का पता चलता है।

माननीय मन्त्री तथा कुछ वक्ताओं द्वारा उठाए गए प्रथम मुद्दे पर आने दीजिए। मुझे खुशी है कि अधिकतर वक्ताओं ने दलनीति से ऊपर उठकर मेरे संकल्प का समर्थन किया हैं। मैंने अपने संकल्प में डंकल प्रस्तावों कास्पष्टतया बहिष्कार किया था। क्योंकि जैसाकि आप सहमत होंगे, यह अमरीकी विधि विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है जोकि एक जटिल विधि दस्तावेज है। मैं नहीं जानता कोई मुझे बता रहा था कि इसे कुछ अनिवासी भारतीय हैं, जिनमें से एक श्री भगवती है—जिन्होंने इसे तैयार किया है। मैं नहीं जानता कि क्या यह सच है या नहीं। लेकिन यह सच है कि इसे विधि विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है।

इसमें शक नहीं है, क्योंकि यदि हम एक खण्ड को दूसरे खण्ड के साथ देखें तो हमें पता चलेगा कि उनका आपस में सम्बन्ध है। इन्हें कभी भी अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। यद्यपि मैं कहता हूं कि यह पूर्णतया 'पैकेज' है। यह पूर्व पैकेज होने के कारण इसको अलग-अलग नहीं किया जा सकता। क्या ऐसी कोई संभावना है यदि है तो ऐसा कोई सुझाव न देकर मुझे प्रसन्नता होगी। चूंकि सभी अलग-अलग विषयों को प्रस्तावना सहित दिया गया है तथा उनके अपने-अपने खण्ड तथा परिशिष्ट हैं। यदि आप एक विषय के खण्ड को देखते हैं, उदाहरण के लिए कृषि को लीजिए, तो हम देखेंगे कि यह कुछ अन्य खण्डों और अन्य समझौतों, जैसे पेरिस समझौता जिस पर हमने हस्ताक्षर नहीं किए थे, से जुड़ा हुआ है। इस तरह यह एक बहुत जटिल कानूनी दस्तावेज है। मैंने सुझाव दिया था कि राष्ट्र को कानून, जूरी, विज्ञान तथा तकनीक, कृषि, कूटनीति, प्रशासन अर्थनीति से सम्बन्धित प्रसिद्ध व्यक्तियों की सेवाओं की आवश्यकता है। जो अपनी सिफारिशों सहित अपने दृष्टिकोण को प्रकट कर सकते हैं। मैंने यह भी मांग की थी कि कुछ अच्छे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों प्रसिद्ध विधिशास्त्रियो, जिन्होंने इस सरकार तथा इस देश की सेवा की हो. कुछ कूटनीतिज्ञों, जिन्होंने अन्य देशों में राजदूत के रूप में कार्य किया हो, कुछ अर्थशास्त्री, जो अर्थशास्त्री, कुछ माह पूर्व भारत के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके, के विचारों को भी सुना जाए। उन्हें लिख कर देना चाहिए, केवल मौखिक साक्ष्य नहीं होना चाहिए उन्हें न केवल मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे 'ट्रिप्स और 'ट्रिम्स' पर विचार करना है बल्कि गम्भीरता से···

सभापति महोदय : कृपया आप अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मुझे थोड़ा और समय दीजिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं इसका विरोध करता हूं। यह 4.30 बजे समाप्त किया जाना था। हर बार हम समय बढ़ा रहे हैं। क्या इसका अर्थ है कि 'यूनिफार्म सिविल कोर्ट' जिसे सदन के समक्ष लाया जाना है, महत्वपूर्ण नहीं है ? यह संकल्प भी इतना ही महत्वपूर्ण है लेकिन हमने पर्याप्त समय दिया है और हमने दो बार समय बढ़ाया है। श्री साबे काफी समय से इन्तजार कर रहे हैं।

सभापति महोदय : शुरू में उन्होंने कहा था कि वह कुछ समय लेंगे किसी भी हालत में हमें अगला संकल्प लेना है।

श्री रूपचन्द पाल : माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए मुद्दों का उत्तर देने का मुझे अधिकार है।

सभापति महोदय : जी हां, परन्तु निर्धारित समय के भीतर।

श्री राम नाईक : दूसरों का समय न लीजिए। (**व्यवधान**)

श्री रूपचन्द पाल : जैसा मैंने कहा था कि उन खण्डों का परस्पर सम्बंध है यह एक जटिल दस्तावेज है। सरकार को एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करना चाहिए जिसमें विशेषज्ञ अपनी-अपनी राय और सिफारिशें दे सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक इसका अध्ययन कर सकती है और अपनी सिफारिशें दे सकती हैं। लेकिन यह बात नहीं मानी गई। मैं नहीं जानता कि मंत्री जी ने उस मुद्दे को क्यों नहीं लिया है। यह मांग केवल मेरी तरफ से नहीं है। यह मांग राष्ट्रीय सेमिनार में आने वाले सभी प्रसिद्ध व्यक्तियों ने की है। मैंने इसका सुझाव दिया था लेकिन सरकार ने उत्तर नहीं दिया।

दूसरे मैंने इस संकल्प पर चर्चा क्यों शुरू की है ? क्योंकि मंत्री जी ने कहा था कि सरकार हमेशा अपनी सोच को अद्यतन रखती है। इस अद्यतन की प्रक्रिया से हमें पता चलता है कि सरकार का डंकल प्रस्तावों के अनिष्टकारी उपबंधों को स्वीकार करने के प्रति झुकाव बढ़ता जा रहा है जिस दिन डंकल प्रस्ताव आया था उसी दिन माननीय मन्त्री ने कहा "यह भेदमूलक है।" 17 मार्च को ही मेरे विचार से राज्य सभा में प्रश्न के उत्तर में वही मन्त्री कह रहे थे "कि कपड़ा उद्योग में, कृषि में,......"

सभापति महोदय : मन्त्री जी डंकल प्रस्तावों के बारे में पहले ही कह चुके है।

श्री रूपचन्द पाल : अद्यतन बनाने की प्रक्रिया में वे प्रस्तावों को अधिक से अधिक स्वीकार करना चाहते हैं। माननीय वित्त मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका के विख्यात अधिकारियों के हवाले से कहा है कि भारत सरकार अपना दृष्टिकोण बदल रही है। वह अधिक से अधिक सहमत होती जा रही है। वह अधिक से अधिक क्षेत्रों में आ रही है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

5.42 म०प०

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : व्यवस्था का प्रश्न है । सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है ।

सभापति महोदय : क्योंकि गणपूर्ति नहीं है, इसलिए सभा सोमवार, 6 अप्रैल, 1992 को 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

5.52 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 6 अप्रैल, 1992/17 चैत्र, 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

———

मुद्रक : दि इण्डियन प्रेस, देहली ।